www.raceias.com

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

फरवरी, 2026 | ₹ 60/-

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025
- डायनामिक भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट, 2024
- विमानन सुरक्षा और ICAO फ्रेमवर्क
- एम.एस. साहू समिति
- POCSO अधिनियम और फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय
- किशोर न्याय अधिनियम
- पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार
- सेस और सरचार्ज
- भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

Gist of

THE HINDU | PIB PRESS INFORMATION BUREAU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | Kurukshetra A JOURNAL ON RURAL DEVELOPMENT | YOJANA

Raghav Publication House

RACE IAS

A Leading Institute for Civil Services Examination

PRACTICE IS THE KEY TO SUCCESS

UPSC/UP PCS

मेन्स/ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज

ENROLL NOW

OFFLINE / ONLINE BATCH

English / Hindi Medium

सामान्य अध्ययन (GENERAL STUDIES)

05 फरवरी से नया बैच प्रारंभ

05 Days Classes FREE

ADMISSION OPEN

मेंटरशिप प्रोग्राम

- मेन्स PYQ
- Focus on Answer writting skill
- Current Affairs

Special Mentorship Programme for Mains Examination

Online Live Classes through **RACE Mobile App**

Our Centers

Aliganj	Indira Nagar	Alambagh	Ashok Nagar
Lucknow (U.P.)	Lucknow (U.P.)	Lucknow (U.P.)	Kanpur (U.P.)
Mob.: 7388114444	Mob.: 9044137462	Mob.: 8917851448	Mob.: 9044327779

अभी डाउनलोड करें - RACE IAS मोबाइल ऐप

GET IT ON Google Play | Available on Windows Store

Follow us on :

www.raceias.com

अनुक्रमणिका

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) ---------- 1
प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति) ---------- 2
सावित्रीबाई फुले ---------- 2
केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025 ---------- 3
फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए ई-बिल सिस्टम ----------4
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ---------- 5
गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट, 2024 ---------- 5
मार्केट एक्सेस सपोर्ट (MAS) हस्तक्षेप ---------- 6
भारत में खेती की मुश्किलें और किसानों की आत्महत्याएँ ----------7
गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) ---------- 9
एक्सपोर्ट ट्रेंड्स और डायवर्सिफिकेशन ---------- 10
एविएशन सेफ्टी और ICAO फ्रेमवर्क ---------- 11
मोनरो सिद्धांत ---------- 12
आपदा प्रबंधन और अर्थव्यवस्था ----------13
रिमोट सेंसिंग ---------- 14
वेनेजुएला संकट ---------- 15
पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी ----------16
ऑलिव रिडले कछुए ---------- 18
कश्मीर मार्खोर ---------- 19
ज़ेहनपोरा स्तूप ---------- 19
भारत का पीवी विनिर्माण ---------- 20
भारत के डेयरी सेक्टर का डिजिटलीकरण ---------- 21
NASA का आर्टेमिस II मिशन ----------22
"डिजिटल अरेस्ट" स्कैम से निपटना ---------- 23
पैक्स सिलिका पहल ---------- 24
एरोसोल ---------- 25
भाषिणी समुदाये ---------- 26
झारखंड में 25 साल बाद पेसा कानून लागू हुआ ---------- 27
बच्चों में जल्दी निवेश ---------- 28
इच्छामृत्यु ---------- 29
शक्सगाम घाटी ---------- 31
एमएस साहू समिति ---------- 32
ब्रिक्स इंडिया 2026 लोगो ---------- 33
ईरानी पहेली ---------- 34
डुगोंग (समुद्री गाय) ----------35
गिलियन-बैरे सिंड्रोम (GBS) ---------- 36
परिसीमन आयोग ---------- 37
POCSO अधिनियम और फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ----------38
लोकतांत्रिक संस्थाओं में जवाबदेही ---------- 39
भारत की खनिज कूटनीति ---------- 40
डुगोंग (समुद्री गाय) ---------- 41

RACE IAS

गिलियन-बैरे सिंड्रोम (GBS) ---------- 42
परिसीमन आयोग ---------- 43
POCSO अधिनियम और फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ---------- 44
लोकतांत्रिक संस्थाओं में जवाबदेही ---------- 45
भारत की खनिज कूटनीति ---------- 46
आर्टेमिस II मिशन ---------- 47
किशोर न्याय अधिनियम ---------- 48
न्यायाधीशों को हटाना ---------- 49
भारतीय न्याय संहिता और झूठे वादे पर यौन संबंध ----------50
MSMEs के ग्रीन ट्रांज़िशन के लिए रोडमैप ----------51
इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार (2025) ---------- 52
भारत में मगरमच्छ की प्रजातियाँ ---------- 53
राष्ट्रीय विधायी सूचकांक (एनएलआई) ----------54
मियावाकी विधि ---------- 55
भारतीय बाइसन (गौर) ---------- 55
डार्विन की छाल मकड़ी ---------- 56
रूट विल्ट डिजीज (RWD) ---------- 57
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ---------- 58
कॉपर क्रंच ---------- 59
सीबीडीसी और ब्रिक्स ---------- 60
द्वितीयक प्रदूषक ---------- 60
बाल तस्करी ---------- 61
पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार ---------- 62
एक्सोमाइनर ++ ---------- 63
फॉरएवर केमिकल्स ---------- 65
अगरवुड : भारत की "लिक्विड गोल्ड" पहल ---------- 66
संघीय तनाव और संवैधानिक जनादेश ---------- 67
मलेरिया ---------- 68
भारत और यूरोपीय संघ साझेदारी ---------- 69
ड्रग नियम संशोधन ---------- 70
उपकर और अधिभार ---------- 71
भारत और अरब लीग ---------- 73
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ---------- 74
पिग्मी हॉग (*पोर्कुला साल्वेनिया*) ---------- 75
सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व ---------- 76
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) ---------- 77
राष्ट्रपति का अभिभाषण ---------- 78

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS)

प्रसंग

इलेक्ट्रॉनिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS)** के तहत 22 और प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी है । इन प्रोजेक्ट्स में **₹41,863 करोड़** का बड़ा निवेश शामिल है , जिसका मकसद भारत की घरेलू प्रोडक्शन क्षमताओं को बढ़ाना है।

योजना के बारे में

- **परिभाषा: ECMS एक फ्लैगशिप इंसेंटिव प्रोग्राम है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सब-असेंबली और कैपिटल इक्विपमेंट** की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है ।
- **मुख्य लक्ष्य:** भारत की भारी **इम्पोर्ट पर निर्भरता को कम करना** और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में अंतर को कम करना।
- **मंत्रालय:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)।
- **परिव्यय और अवधि:** 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा **₹22,919 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित** ।
    - **टर्नओवर-लिंक्ड इंसेंटिव:** 6 साल (इसमें 1 साल का जेस्टेशन पीरियड शामिल है)।
    - **कैपेक्स इंसेंटिव:** 5 साल।

प्रमुख विशेषताएं

- **मल्टी-लेयर्ड इंसेंटिव स्ट्रक्चर : ग्लोबल कॉम्पिटिटर की तुलना में मैन्युफैक्चरर को "कॉस्ट की कमी" को पूरा करने में मदद करने के लिए** टर्नओवर-लिंक्ड, कैपेक्स -बेस्ड और हाइब्रिड इंसेंटिव देता है।
- **टारगेटेड हाई-वैल्यू सेगमेंट: प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCBs)** , **कैमरा मॉड्यूल** , कॉपर-क्लैड लैमिनेट्स, पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म्स, और स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल इक्विपमेंट जैसे ज़रूरी कंपोनेंट्स पर फोकस करता है ।
- **परफॉर्मेंस पर आधारित पेमेंट:** इंसेंटिव पूरी तरह से **बढ़ते प्रोडक्शन और रोज़गार पैदा करने से जुड़े होते हैं** , जिससे यह पक्का होता है कि जल्दी काम करने वालों और अच्छा काम करने वालों को इनाम मिले।
- **स्ट्रेटेजिक बेंचमार्क:** इस स्कीम में बड़े टारगेट तय किए गए हैं, जिसमें **कॉपर-क्लैड लैमिनेट्स की घरेलू मांग का 100% पूरा करना** और PCBs (20%) और कैमरा मॉड्यूल्स (15%) के लिए घरेलू शेयर में काफी बढ़ोतरी करना शामिल है।
- **दूसरे मिशन के साथ तालमेल: इसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI)** और **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को** पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है , जिससे एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम बनेगा।

महत्व और प्रभाव

1. **"सबसे कमज़ोर कड़ी" को मज़बूत करना:** कंपोनेंट-लेवल मैन्युफैक्चरिंग पहले से ही भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का सबसे कमज़ोर हिस्सा रहा है। ECMS इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बिल्डिंग ब्लॉक्स को बढ़ावा देकर सीधे तौर पर इस समस्या का समाधान करता है।
2. **डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन (DVA) को बढ़ावा देना:** लोकल लेवल पर कंपोनेंट बनाकर, भारत सिर्फ़ प्रोडक्ट्स को "असेंबल" करने से आगे बढ़कर डीप-टेक मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहा है, जिससे **ग्लोबल वैल्यू चेन्स (GVCs) के साथ इंटीग्रेशन बढ़ रहा है** ।
3. **रोज़गार और R&D:** इस स्कीम से लगभग **91,600 सीधी नौकरियाँ पैदा होने** और देसी रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) को ज़रूरी बढ़ावा मिलने का अनुमान है।

निष्कर्ष

ECMS भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट्स के "नट्स एंड बोल्ट्स" पर फोकस करके, सरकार यह पक्का कर रही है कि डिजिटल इकॉनमी की ग्रोथ को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड घरेलू इंडस्ट्री का सपोर्ट मिले।

RACE IAS

प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति)

प्रसंग

कैबिनेट सेक्रेटरी ने **50वीं PRAGATI मीटिंग के बाद** बताया कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में **ज़मीन अधिग्रहण** सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है, जो **सभी प्रोजेक्ट में देरी का 35% हिस्सा है** । यह सरकार के सबसे ऊँचे लेवल पर ऐसी स्ट्रक्चरल रुकावटों को पहचानने और उन्हें हल करने में PRAGATI की अहम भूमिका को दिखाता है।

प्रगति के बारे में

- **परिभाषा:** PRAGATI एक मल्टीपर्पस, मल्टी-मोडल, ICT-बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसे **शिकायत दूर करने** , **प्रोग्राम लागू करने** और **प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है** । यह उन प्रोजेक्ट्स का रियल-टाइम रिव्यू करने में मदद करता है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं।
- **लॉन्च की तारीख:** 25 मार्च, 2015.
- **लीडरशिप: यह एक अनोखी पहल है जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री** खुद करते हैं ।

उद्देश्य

- **समय पर काम पूरा करना:** यह पक्का करना कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर के प्रोजेक्ट तय समय में पूरे हों, ताकि खर्च बढ़ने से बचा जा सके।
- **असरदार कोऑर्डिनेशन: अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्र और राज्य सरकारों** के बीच की दूरी को कम करना , और लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों को दूर करना।
- **बेहतर गवर्नेंस:** डेटा-ड्रिवन, आउटकम-बेस्ड ओवरसाइट का इस्तेमाल करके **ई-ट्रांसपेरेंसी** और **अकाउंटेबिलिटी को** बढ़ावा देना ।

प्लेटफ़ॉर्म की मुख्य विशेषताएं

1. **थ्री-टियर आर्किटेक्चर:** यह प्लेटफॉर्म **प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO)** , केंद्र सरकार के सेक्रेटरी और **राज्य के चीफ सेक्रेटरी को एक साथ जोड़ता है** , जिससे यह पक्का होता है कि सभी लेवल पर डिसीजन लेने वाले लोग तुरंत मामलों को हल करने के लिए मौजूद हों।
2. **मंथली हाई-लेवल रिव्यू:** हर महीने के चौथे बुधवार (जिसे PRAGATI डे के नाम से जाना जाता है) को, PM खास प्रोजेक्ट्स और शिकायतों का रिव्यू करने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को हाई-लेवल पॉलिटिकल बढ़ावा मिलता है।
3. **एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन: यह प्रोजेक्ट साइट से जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) मैपिंग और लाइव विज़ुअल्स का** इस्तेमाल करता है ताकि प्रोग्रेस का एक ऑब्जेक्टिव, ग्राउंड-लेवल व्यू मिल सके।
4. **यूनिफाइड डेटा इकोसिस्टम:** यह **CPGRAMS** (पब्लिक ग्रीवांस), **प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (PMG)** , और **मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स (MoSPI) जैसे अलग-अलग सोर्स से डेटा इकट्ठा करके** एक सिंगल, कॉम्प्रिहेंसिव डैशबोर्ड बनाता है।
5. **डिजिटल अकाउंटेबिलिटी:** सेशन के दौरान दिए गए हर डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉनिकली तब तक ट्रैक किया जाता है जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता, जिससे कोई भी प्रॉब्लम छूटने से बच जाती है।

महत्व और प्रभाव

- **बड़े पैमाने पर:** अपनी 50वीं मीटिंग तक, प्लेटफ़ॉर्म ने **3,300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया है** , जिनकी कुल कीमत **₹85 लाख से ज़्यादा है। करोड़** , **7,156 व्यक्तिगत मुद्दों का समाधान** ।
- **पुराने बैकलॉग को क्लियर करना:** यह उन "पुराने प्रोजेक्ट्स" को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मददगार रहा है जो 1990 के दशक से ब्यूरोक्रेटिक देरी में फंसे हुए थे।
- **कोऑपरेटिव फ़ेडरलिज़्म:** राज्यों के चीफ़ सेक्रेटरी को सीधे PMO के साथ बातचीत में लाकर, यह **टीम इंडिया की भावना को मज़बूत करता है** , जिससे केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनता है।

निष्कर्ष

PRAGATI, ब्यूरोक्रेसी के अंदर की कमियों को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके **"मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस" की तरफ एक बदलाव दिखाता है** । हालांकि ज़मीन खरीदना एक चुनौती बनी हुई है, लेकिन अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स को एक साथ लाने की इस प्लेटफॉर्म की काबिलियत इसे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लक्ष्यों के लिए एक ज़रूरी टूल बनाती है।

सावित्रीबाई फुले

प्रसंग

सावित्रीबाई फुले की जयंती पर प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी **फुले** को भारतीय नारीवाद की एक बुनियादी हस्ती और शिक्षा, समानता और सामाजिक बदलाव की आजीवन समर्थक के रूप में सम्मान दिया गया।

सावित्रीबाई के बारे में फुले

- **वह कौन थी?** Savitribai फुले (1831–1897) एक नई सोच वाली समाज सुधारक, कवि और शिक्षिका थीं। उन्हें **मॉडर्न इंडिया की पहली महिला टीचर के तौर पर जाना जाता है** ।
- **प्रारंभिक जीवन: महाराष्ट्र के** नायगांव में जन्मी , उनकी शादी **ज्योतिराव से हुई थी** छोटी उम्र में ही **फुले से**

उनका परिचय हुआ। उनके पति ने उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उनके मन में शिक्षा की शक्ति के ज़रिए भारतीय समाज को सुधारने का जीवन भर का मिशन शुरू हो गया।

- **शिक्षा और ट्रेनिंग:** 19वीं सदी के सामाजिक नियमों को तोड़ते हुए, वह अहमदनगर और पुणे में ट्रेनिंग लेने के बाद 1847 में एक काबिल टीचर बन गईं ।

भारतीय समाज में प्रमुख योगदान

1. लड़कियों की शिक्षा के अग्रणी

- **1848** में , ज्योतिराव के साथ फुले के साथ मिलकर उन्होंने पुणे के भिड़ेवाड़ा में **लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल शुरू किया** ।
- पिछड़े समुदायों की लड़कियों और बच्चों के लिए **18 स्कूल** खोलने में उनका अहम रोल था ।

2. कमज़ोर तबके के लिए सामाजिक सुधार

- **शेल्टर और सुरक्षा:** विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और बाल वधुओं के लिए शेल्टर बनाए गए (1854; 1864 में बढ़ाया गया)।
- **भेदभाव के खिलाफ़ कैंपेन: बाल विवाह, जाति के आधार पर भेदभाव और** छुआछूत की प्रथा के खिलाफ़ ज़ोरदार कैंपेन चलाए ।
- **सत्यशोधक समाज : सत्यशोधक** में केंद्रीय भूमिका निभाई **समाज** (सत्य शोधक समाज), जिसने समानता को बढ़ावा दिया और बिना पुजारियों या दहेज के " सत्यशोधक विवाह" को लोकप्रिय बनाया।

3. साहस और जन सेवा

- **हिम्मत:** उन्होंने बहुत ज़्यादा समाज के विरोध को भी नहीं माना, अक्सर एक एक्स्ट्रा साड़ी साथ रखती थीं क्योंकि स्कूल जाते समय प्रोटेस्टर उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते थे।
- **आखिरी बलिदान:** 1897 में प्लेग महामारी के दौरान, उन्होंने खुद पीड़ितों की सेवा की और खुद भी इस बीमारी से संक्रमित हो गईं, जिससे सेवा के दौरान उनकी मौत हो गई।

महत्व और विरासत

- **आज़ादी के तौर पर शिक्षा:** उनका जीवन सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों के लिए शिक्षा के मुख्य हथियार के तौर पर एक प्रतीक के तौर पर काम करता है।
- **संस्थागत पहचान: सावित्रीबाई फुले** जैसे संस्थानों के ज़रिए उनकी विरासत को बचाकर रखा गया है। **फुले पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है** और बराबरी और सबको साथ लेकर चलने वाले सुधार पर आजकल की बहसों को बढ़ावा दे रही है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025

प्रसंग

भारत सरकार ने **सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 को नोटिफाई किया है, जिसमें 1 फरवरी, 2026** से तंबाकू प्रोडक्ट्स के लिए बड़े टैक्स स्ट्रक्चरल बदलाव किए गए हैं । यह कानूनी कदम **GST कंपनसेशन सेस** के खत्म होने के साथ आया है और इसका मकसद यह पक्का करके कि तंबाकू महंगा बना रहे, फिस्कल लक्ष्यों को पब्लिक हेल्थ के लक्ष्यों के साथ मिलाना है।

अधिनियम के बारे में

- **मुख्य उद्देश्य: तंबाकू प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी को बदलने के लिए सेंट्रल एक्साइज एक्ट, 1944** में बदलाव करना , जो उन कुछ चीज़ों में से हैं जो पूरे GST फ्रेमवर्क से बाहर हैं।
- **फिस्कल स्ट्रैटेजी:** इस एक्ट का मकसद तंबाकू पर कुल टैक्स का बोझ बनाए रखना और बढ़ाना है, ताकि GST कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद कीमत में गिरावट को रोका जा सके।
- **पब्लिक हेल्थ अलाइनमेंट:** ग्लोबल हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो करता है ताकि यह पक्का हो सके कि सिगरेट की असली कीमत पर कैपिटा इनकम की एवरेज ग्रोथ से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े।

मुख्य विशेषताएं और कर संशोधन

1. संशोधित उत्पाद शुल्क दरें

यह एक्ट अलग-अलग कैटेगरी में एक्साइज ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी करता है:

- **स्मोकिंग मिक्सचर (पाइप/सिगरेट):** 60% से बढ़ाकर **325% किया गया** ।
- **चबाने वाला तंबाकू:** 25% से बढ़ाकर **100% किया गया** ।
- **बिना बनाया हुआ तंबाकू:** 64% से बढ़कर **70% हो गया** ।
- **हुक्का/ गुडाकू तंबाकू:** 25% से बढ़ाकर **40% किया गया** ।
- **सिगरेट:** विशिष्ट शुल्कों को ₹200-₹735 से बढ़ाकर **₹2,700-₹11,000 प्रति हज़ार सिगरेट कर दिया गया**।

2. जीएसटी पुनर्गठन

- **बीड़ी :** अब **18% GST के तहत कैटेगरी में** ।

- **अन्य तंबाकू उत्पाद: 40% GST** ब्रैकेट में स्थानांतरित कर दिया गया ।
- **वैल्यूएशन:** गुटखा , खैनी और जर्दा जैसे प्रोडक्ट्स के लिए GST वैल्यू अब पैकेज पर बताए गए **रिटेल सेल प्राइस (RSP)** पर आधारित होगी ।

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की स्थिति

- **परिभाषा:** GST ट्रांज़िशन के दौरान राज्यों को हुए रेवेन्यू नुकसान की भरपाई के लिए जुलाई 2017 में एक एडिशनल लेवी शुरू की गई।
- **एक्सटेंशन और एक्सपायरी:** असल में इसे पांच साल के लिए तय किया गया था, लेकिन इसे **31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया** , खास तौर पर ₹2.7 लाख चुकाने के लिए। कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र पर करोड़ों रुपये का कर्ज हो गया।
- **चरणबद्ध तरीके से खत्म करना: 1 फरवरी, 2026 से तंबाकू प्रोडक्ट्स के लिए** सेस पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा , जिससे एक्साइज ड्यूटी में मुआवज़े के तौर पर बढ़ोतरी ज़रूरी हो जाएगी।

महत्व

1. **रेवेन्यू न्यूट्रैलिटी:** यह सरकारी रेवेन्यू में अचानक गिरावट को रोकता है, जो कंपनसेशन सेस खत्म होने की वजह से होती ।
2. **हेल्थ गवर्नेंस:** स्मोकिंग और तंबाकू चबाने की कीमत में काफ़ी बढ़ोतरी करके, यह एक्ट इसके इस्तेमाल को रोकने का काम करता है, खासकर युवाओं और कम इनकम वाले ग्रुप्स में।
3. **आसान वैल्यूएशन:** स्मोकलेस तंबाकू के लिए RSP-बेस्ड वैल्यूएशन में बदलाव से टैक्स चोरी कम होती है और टैक्स अधिकारियों के लिए ऑडिट प्रोसेस आसान हो जाता है।

निष्कर्ष

सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 **फाइनेंशियल जिम्मेदारी** और **पब्लिक हेल्थ के बीच एक बेहतर बैलेंसिंग एक्ट है** । GST कंपनसेशन सेस खत्म होने से पहले एक्साइज रेट्स को पहले से एडजस्ट करके , सरकार यह पक्का करती है कि तंबाकू एक हाई-टैक्स कमोडिटी बनी रहे, जिससे लंबे समय के हेल्थ लक्ष्यों को सपोर्ट मिले और साथ ही नेशनल रेवेन्यू भी मिले।

फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए ई-बिल सिस्टम

प्रसंग

केंद्र सरकार ने एक इंटीग्रेटेड **ई-बिल सिस्टम लॉन्च किया है, जिसे** फर्टिलाइज़र सब्सिडी को डिजिटली प्रोसेस और आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है । अभी इस पर सालाना लगभग **₹2 लाख** खर्च होते हैं। **करोड़** । यह कदम मैनुअल, पेपर-हैवी वर्कफ़्लो से एक ट्रांसपेरेंट डिजिटल इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव दिखाता है।

सिस्टम के बारे में

- **यह क्या है?** फर्टिलाइज़र सब्सिडी बिल जमा करने, प्रोसेस करने, रियल-टाइम ट्रैकिंग और फाइनल पेमेंट के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म ।
- **नोडल मंत्रालय: रसायन और उर्वरक मंत्रालय** द्वारा लागू और प्रबंधित ।
- **मुख्य उद्देश्य:** डिजिटल गवर्नेंस के ज़रिए फाइनेंशियल ऑडिटेबिलिटी को बढ़ाते हुए, भारत की सबसे बड़ी सब्सिडी कैटेगरी में से एक का समय पर और अकाउंटेबल डिस्बर्सल पक्का करना।

प्रमुख विशेषताऐं

- **डिजिटाइज़्ड वर्कफ़्लो:** फ़ाइलों के फिजिकल मूवमेंट और मैनुअल प्रोसेसिंग को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिससे इंसानी दखल और गलतियाँ कम हो जाती हैं।
- **वास्तविक समय ट्रैकिंग:** फर्टिलाइज़र कंपनियां ऑनलाइन क्लेम फाइल कर सकती हैं और सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड के ज़रिए रियल-टाइम में अपने पेमेंट का स्टेटस मॉनिटर कर सकती हैं।
- **FIFO प्रोसेसिंग: एक जैसा और पहले से पता बिल क्लियरेंस पक्का करने के लिए फर्स्ट-इन, फर्स्ट-आउट (FIFO)** नियम पर आधारित सिस्टम अपनाता है।
- **फाइनेंशियल कंट्रोल्स और ऑडिट:** * कम्प्लायंस लागू करने के लिए पहले से तय क्राइटेरिया के हिसाब से सभी पेमेंट्स को ऑटोमैटिकली वैलिडेट करता है।
    - एक **टैम्पर-प्रूफ ऑडिट ट्रेल बनाए रखता है** जो हर एक्शन को लॉग करता है, जिससे फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी काफी मजबूत होती है।
- **एफिशिएंसी बूस्ट: इससे हर हफ़्ते सब्सिडी पेमेंट तेज़ी से मिलता है, जिससे** फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनियों की लिक्विडिटी बेहतर होती है ।

महत्व

1. **ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी:** प्रोसेस को ऑटोमेट करके, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव समझ और सब्सिडी चेन में फ्रॉड या लीकेज की संभावना को कम करती है।
2. **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस: यह सिस्टम** फर्टिलाइज़र कंपनियों के लिए देरी और "रेड टेप" को काफ़ी कम करता है , जिससे यह पक्का होता है कि उन्हें बिना किसी ब्यूरोक्रेटिक रुकावट के उनका बकाया मिल जाए।

3. **फिस्कल मैनेजमेंट:** इससे सरकार रियल-टाइम खर्च की मॉनिटरिंग कर पाती है, जिससे बेहतर फिस्कल प्लानिंग और डेटा-ड्रिवन पॉलिसी एडजस्टमेंट हो पाते हैं।

निष्कर्ष

फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिए ई-बिल सिस्टम, खेती के सेक्टर में भारत के **डिजिटल इंडिया मिशन का एक अहम हिस्सा है। पुराने मैनुअल सिस्टम को नियम-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म से बदलकर, सरकार न सिर्फ़ ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार कर रही है, बल्कि यह भी पक्का कर रही है कि** फर्टिलाइज़र के लिए बड़े फाइनेंशियल खर्च को ट्रांसपेरेंसी और स्पीड के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड के साथ मैनेज किया जाए।

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)

प्रसंग

मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने अपनी इंस्टीट्यूशनल पहचान को मॉडर्न बनाने और पब्लिक आउटरीच को बेहतर बनाने की स्ट्रेटेजिक पहल के तहत एक नया लोगो और मैस्कॉट लॉन्च किया है। इस रीब्रांडिंग का फोकस ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को आम नागरिक के लिए ज़्यादा आसान और रिलेटेबल बनाना है।

MoSPI के बारे में

- **नोडल एजेंसी:** MoSPI भारत में **ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स** के लिए मुख्य मंत्रालय के तौर पर काम करता है , जो सबूतों पर आधारित पॉलिसी बनाने के लिए डेटा इकट्ठा करने, इकट्ठा करने और फैलाने का काम संभालता है।
- **मुख्य थीम:** यह रीलॉन्च **"डेवलपमेंट के लिए डेटा"** थीम को बढ़ावा देता है , जो देश की तरक्की के लिए एक टूल के तौर पर स्टैटिस्टिक्स पर ज़ोर देता है।

रीब्रांडिंग की मुख्य विशेषताएं

1. नए लोगो के सिंबॉलिक एलिमेंट्स

- **अशोक चक्र:** सत्य, पारदर्शिता और अच्छे शासन के सिद्धांतों को दिखाता है।
- **रुपये का निशान:** यह इकोनॉमिक प्लानिंग और नेशनल फिस्कल पॉलिसी में स्टैटिस्टिकल डेटा की अहम भूमिका को दिखाता है।
- **ग्रोथ बार और न्यूमेरिकल एलिमेंट्स:** ये मॉडर्न, भरोसेमंद डेटा सिस्टम और सही जानकारी से होने वाली तरक्की को दिखाते हैं।
- **कलर पैलेट:** केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला रंग स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ और नॉलेज को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

2. शुभंकर – " सांख्यिकी " (सांख्यिकी)

- **कैरेक्टर रोल:** एक नागरिक-केंद्रित मैस्कॉट जिसे आम जनता के लिए मुश्किल स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **यूटिलिटी:** इस मैस्कॉट को नेशनल सर्वे, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एजुकेशनल इनिशिएटिव और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन में इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि डेटा-फ्रेंडली कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके।

पहल का महत्व

- **बेहतर ट्रांसपेरेंसी:** इस कदम का मकसद ज़्यादा आसानी से समझ में आने वाली और लगातार बातचीत के ज़रिए सरकारी आंकड़ों पर लोगों का भरोसा मज़बूत करना है।
- **डेटा क्वालिटी:** एक फ्रेंडली मैस्कॉट और रिलेटेबल ब्रांडिंग के ज़रिए सर्वे में ज़्यादा पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देकर, मिनिस्ट्री नेशनल डेटा की एक्यूरेसी और क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहती है।
- **एविडेंस-बेस्ड गवर्नेंस:** यह सभी लेवल पर ट्रांसपेरेंट, डेटा-लेड गवर्नेंस और सोच-समझकर फैसले लेने के लिए भारत के कमिटमेंट को मज़बूत करता है।

निष्कर्ष

MoSPI के लिए नई पहचान की शुरुआत एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और कम्युनिकेटिव स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क की ओर बदलाव को दिखाती है। " सांख्यिकी " जैसे टूल्स के ज़रिए मुश्किल डेटा और जनता के बीच की दूरी को कम करके, मंत्रालय का मकसद यह पक्का करना है कि स्टैटिस्टिक्स भारत की विकास कहानी का एक अहम हिस्सा बनें।

गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट, 2024

प्रसंग

2024 के अंत में, केंद्रीय जल मंत्री शक्ति ने **डायनामिक ग्राउंड वॉटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, 2024** जारी की । रिपोर्ट में भारत के ग्राउंडवॉटर की स्थिति में हुए कुल सुधार पर प्रकाश डाला गया है , जिसकी पहचान 2017 के स्तर की तुलना में ज़्यादा

रिचार्ज रेट और लंबे समय तक निकाले जाने वाले पानी में कमी से हुई है।

मुख्य रुझान (2024 बनाम 2017)

- **रिचार्ज ग्रोथ:** बारिश के पानी को जमा करने और बचाने की कोशिशों की वजह से, कुल सालाना ग्राउंडवाटर रिचार्ज **446.90 BCM तक पहुंच गया है।**
- **सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स:** सालाना एक्सट्रैक्शन **245.64 BCM है** , जिसमें एक्सट्रैक्शन का नेशनल लेवल **60.47% है** , जो मैक्रो लेवल पर ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी दिखाता है।
- **कैटेगरी में बदलाव:** * **'सेफ' यूनिट्स:** 2017 में 62.6% से बढ़कर 2024 में **73.4% हो गईं।**
    - **ओवर-एक्सप्लॉइटेड यूनिट्स:** 2017 में 17.24% से घटकर 2024 में **11.13% हो गईं।**
- **क्षेत्रीय सघनता: राष्ट्रीय स्तर पर सुधार के बावजूद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात** में ज़रूरत से ज़्यादा दोहन गंभीर बना हुआ है ।

भूजल कमी का कारणात्मक विश्लेषण

1. **खेती से ज़्यादा पानी निकालना: भारत की** लगभग 62% सिंचाई ग्राउंडवाटर पर निर्भर करती है। उत्तर-पश्चिम और पेनिनसुलर भारत में चावल और गन्ने जैसी ज़्यादा पानी वाली फसलों का ज़्यादा होना तनाव का मुख्य कारण है।
2. **हाइड्रो-जियोलॉजिकल रुकावटें: भारत का** लगभग दो-तिहाई हिस्सा हार्ड रॉक वाला इलाका है, जहाँ स्टोरेज सिर्फ़ फ्रैक्चर्ड ज़ोन तक ही सीमित है, जिससे एक्सट्रैक्शन को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।
3. **पॉलिसी और एनर्जी में गड़बड़ी:** पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भारी सब्सिडी वाली या मुफ़्त बिजली, बिना सोचे-समझे पंपिंग को बढ़ावा देती है।
4. **क्लाइमेट सेंसिटिविटी:** लगभग **61% रिचार्ज** बारिश पर निर्भर है, जिससे यह रिसोर्स मॉनसून के बदलाव और क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है।

सरकारी पहल

- **NAQUIM और NAQUIM 2.0:** माइक्रो-लेवल मैनेजमेंट को मुमकिन बनाने के लिए एक्वीफ़र्स की साइंटिफिक मैपिंग।
- **अटल भूजल योजना (अटल जल):** यह एक कम्युनिटी-लेड प्रोग्राम है जो पानी की कमी वाले ब्लॉक में डिमांड-साइड मैनेजमेंट पर फोकस करता है।
- **आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए मास्टर प्लान (2020): 1.42 करोड़ स्ट्रक्चर के ज़रिए 185 BCM** मॉनसून बारिश का इस्तेमाल करने के मकसद से एक बड़ा स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन ।
- **जल शक्ति अभियान :** बारिश के पानी को जमा करने को बढ़ावा देने के लिए "कैच द रेन" पर फोकस करने वाला एक देशव्यापी अभियान।

महत्वपूर्ण चुनौतियाँ

- **इंसानी सुरक्षा: गांवों में पीने के पानी का 85% हिस्सा** ग्राउंडवाटर से आता है , और पानी की कमी से बेसिक इंसानी सुरक्षा को सीधा खतरा है।
- **क्वालिटी के खतरे:** मात्रा के अलावा, **127 असेसमेंट यूनिट** खारे हैं, और स्ट्रेस्ड एक्वीफर्स में आर्सेनिक और फ्लोराइड कंटैमिनेशन की समस्या बनी हुई है।
- **गवर्नेंस में कमी:** क्योंकि ग्राउंडवाटर **राज्य का विषय है** , इसलिए रेगुलेशन अक्सर बंटा हुआ होता है, जिससे साइंटिफिक नियमों को ठीक से नहीं अपनाया जाता।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **डिमांड-साइड रिफॉर्म:** बिजली सब्सिडी को सही बनाना और फसल उगाने के तरीके में बदलाव करना ताकि बिजली निकालने का लेवल लगातार 60% से नीचे आ सके।
- **डेटा-ड्रिवन गवर्नेंस: रियल-टाइम मॉनिटरिंग और सालाना असेसमेंट के लिए IN-GRES** (GIS-बेस्ड प्लेटफॉर्म) का इस्तेमाल करना , ताकि पॉलिसी में तेज़ी से सुधार हो सके।
- **कम्युनिटी स्टीवर्डशिप: पानी की कमी से जूझ रही ज़्यादा ग्राम** पंचायतों को कवर करने के लिए पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट मॉडल को बढ़ाना ।

निष्कर्ष

सावधानी से उम्मीद जगाने का आधार देती है । हालांकि मैनेजमेंट के तरीकों ने कई यूनिट्स की "सेफ" कैटेगरी में सुधार किया है, लेकिन इलाके में असंतुलन और क्लाइमेट रिस्क के बने रहने से लंबे समय तक पानी की सुरक्षा पक्की करने के लिए **एक्विफर-बेस्ड प्लानिंग** और क्लाइमेट-रेसिलिएंट गवर्नेंस की ओर बदलाव ज़रूरी हो गया है।

मार्केट एक्सेस सपोर्ट (MAS) हस्तक्षेप

प्रसंग

भारत सरकार ने नए बने **एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन (EPM) के तहत मार्केट एक्सेस सपोर्ट (MAS) इंटरवेंशन शुरू किया है** । इस पहल का मकसद एक्सपोर्टर्स को स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल मदद देकर भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट फुटप्रिंट को सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ाना है, जिसका मुख्य फोकस महामारी

के बाद के ट्रेड बदलावों और उभरते ग्लोबल टैरिफ को समझना है।

योजना के बारे में

- **यह क्या है?** एक बड़ा, नतीजे पर आधारित प्रोग्राम जिसे "बायर कनेक्ट" और भारतीय सामान और सेवाओं के लिए इंटरनेशनल विज़िबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क: निर्यात दिशा** (नॉन-फाइनेंशियल इनेबलर्स) सब-स्कीम के एक मुख्य हिस्से के तौर पर काम करता है ।
    - व्यापक **निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) का एक हिस्सा, जिसका** वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के लिए कुल परिव्यय **₹25,060 करोड़ है।**
- **जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन: कॉमर्स डिपार्टमेंट** , **MSME मिनिस्ट्री** और **फाइनेंस मिनिस्ट्री** द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा , जो विदेश में इंडियन मिशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (EPCs) के साथ मिलकर काम करेंगे।

मुख्य विशेषताएं और अधिदेश

- **टारगेटेड बेनिफिशियरी:** खास तौर पर **माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs)** , पहली बार एक्सपोर्ट करने वालों, और एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और हाई-टेक जैसे प्रायोरिटी सेक्टर की फर्मों को प्राथमिकता दी जाती है।
- **MSME कोटा:** सभी सपोर्टेड ट्रेड इवेंट्स में MSMEs के लिए **कम से कम 35% हिस्सा** लेना ज़रूरी है ।
- **अंदाज़ा लगाना: बड़े इंटरनेशनल ट्रेड इवेंट्स के लिए 3–5 साल का रोलिंग कैलेंडर** लाना , जिससे एक्सपोर्टर्स को लंबे समय की मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी प्लान करने में मदद मिले।
- **वित्तीय युक्तिकरण:**
    - **कॉस्ट-शेयरिंग:** आम तौर पर 60:40 (सरकारी :प्राइवेट) पर स्ट्रक्चर्ड, ज़्यादा MSME प्रेजेंस वाले प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए **80% सरकारी सपोर्ट तक बढ़ रहा है।**
    - **एयरफ़ेयर सपोर्ट: ₹75 लाख** तक के सालाना टर्नओवर वाले छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए एयरफ़ेयर का कुछ हिस्सा वापस किया जाएगा ।
- **डिजिटल गवर्नेंस: पूरी तरह से trade.gov.in पोर्टल** के ज़रिए मैनेज किया जाता है —इसमें इवेंट लिस्टिंग और प्रपोज़ल सबमिशन से लेकर फंड रिलीज़ और लीड ट्रैकिंग तक सब कुछ शामिल है।

हाल ही में रणनीतिक परिवर्धन

- **प्रूफ़-ऑफ़-कॉन्सेप्ट (PoC) सपोर्ट: यह** एक नया कॉम्पोनेंट है जो खास तौर पर **टेक्नोलॉजी-इंटेंसिव और नए सेक्टर के लिए है** , जो विदेशी खरीदारों को प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन के लिए फंड देता है।
- **आउटकम ट्रैकिंग: खरीदारों की क्वालिटी और जेनरेट हुए बिज़नेस लीड्स** की संख्या को इवैल्यूएट करने के लिए ज़रूरी ऑनलाइन फ़ीडबैक सिस्टम , जिससे डेटा-ड्रिवन पॉलिसी में सुधार पक्का हो सके।
- **मार्केट डाइवर्सिफिकेशन:** पारंपरिक पश्चिमी ट्रेड पार्टनर्स पर निर्भरता कम करने के लिए **लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और सेंट्रल एशिया** के नॉन-ट्रेडिशनल मार्केट्स पर एक्टिव फोकस ।

महत्व

1. **एंट्री की रुकावटें कम करना:** सर्टिफ़िकेशन और हवाई किराए के लिए फ़ाइनेंशियल मदद से इंटरनेशनल मार्केट उन छोटे प्लेयर्स के लिए आसान हो जाते हैं, जिन्हें पहले प्रमोशनल खर्च बहुत ज़्यादा लगते थे।
2. **ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस: "ट्रेसेबिलिटी" और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स (जैसे REACH या इको-टैक्स) के कम्प्लायंस को** सपोर्ट करके , यह स्कीम इंडियन प्रोडक्ट्स को डेवलप्ड इकॉनमी की "प्रोडक्ट पासपोर्ट" ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
3. **स्ट्रेटेजिक रेजिलिएंस:** यह एक्सपोर्टर्स को नई जगहों पर तेज़ी से जाने में मदद करके ग्लोबल ट्रेड में आने वाली दिक्कतों और ज़्यादा टैरिफ के खिलाफ एक बफर का काम करता है।

निष्कर्ष

MAS इंटरवेंशन, अलग-अलग, एड-हॉक एक्सपोर्ट सब्सिडी से एक **स्ट्रेटेजिक, डेटा-लेड एंगेजमेंट** मॉडल में बदलाव को दिखाता है। फाइनेंशियल मदद को डिजिटल ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग-टर्म प्लानिंग के साथ जोड़कर , सरकार का मकसद भारतीय MSMEs को ग्लोबल प्लेयर्स में बदलना है जो **ग्लोबल वैल्यू चेन्स (GVCs) में गहराई से इंटीग्रेशन कर सकें** ।

भारत में खेती की मुश्किलें और किसानों की आत्महत्याएँ

प्रसंग

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के डेटा (1995–2023) के 28 साल के लॉन्जिट्यूडिनल एनालिसिस से पता चलता है कि भारत में किसानों और खेतिहर मजदूरों की आत्महत्या एक स्ट्रक्चरल संकट बनी हुई है। कुछ समय की राहत के बावजूद, 2023 में मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई, जिससे पता चलता

है कि ग्रामीण वर्कफोर्स आर्थिक और पर्यावरण के झटकों के प्रति कितनी कमज़ोर है।

संकट के बारे में

- **परिभाषा: किसान आत्महत्या में ज़मीन के मालिक किसानों** और **ज़मीनहीन खेतिहर मज़दूरों** , दोनों की आत्महत्या से होने वाली मौतें शामिल हैं ।
- **मुख्य इंडिकेटर: यह संकट ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए एक बैरोमीटर का काम करता है, जो इनकम सिक्योरिटी** , **कर्ज़ के साइकिल** और **क्लाइमेट रेजिलिएंस** में गहरे मुद्दों को दिखाता है ।

रुझान और सांख्यिकी (1995–2023)

- **कुल मिलाकर: 28 साल के समय में खेती-बाड़ी के सेक्टर में** लगभग **3.94 लाख** लोगों ने आत्महत्या की, यानी **हर साल औसतन लगभग 13,600 मौतें हुईं** ।
- **रीजनल हॉटस्पॉट:** लगभग **72.5%** केस दक्षिणी और पश्चिमी भारत में हैं, जिसमें **महाराष्ट्र में** लगातार सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं।
- **संकट की समयरेखा:**
  - **2000–2009:** भारत के WTO में शामिल होने और बारिश पर निर्भर इलाकों में ज़्यादा इनपुट वाली **Bt कॉटन के तेज़ी से बढ़ने के बाद यह संकट अपने चरम पर था।**
  - **2015-2019: मनरेगा** के विस्तार , कर्ज माफी और **प्रधान मंत्री किसान योजना** की शुरुआत के कारण सापेक्ष गिरावट का दौर आया। **मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)** .
  - **2023 में फिर से उछाल:** 2022 के आंकड़ों के मुकाबले ~75% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसकी वजह **मॉनसून में देरी** , **बेमौसम बारिश** और ज़रूरी कैश क्रॉप्स की कीमतों में गिरावट थी।

कारणात्मक ढांचा

1. आर्थिक और संरचनात्मक कारक

- **कर्ज़:** मुख्य रूप से यह मुख्य वजह है; ज़्यादा आत्महत्या वाले इलाकों में लगभग **87-98% पीड़ित कर्ज़ के बोझ तले दबे थे।**
- **इनपुट-आउटपुट गैप: बीज, खाद और डीज़ल की बढ़ती कीमतों ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP)** की ग्रोथ को पीछे छोड़ दिया है , जिससे प्रॉफ़िट मार्जिन कम हो गया है।
- **छोटी ज़मीन:** ज़मीन के टुकड़े (औसत साइज़ **<1.2 हेक्टेयर**) बड़े पैमाने पर बचत और मॉडर्नाइज़ेशन को रोकते हैं।

2. पर्यावरण और जलवायु कारक

- **टेम्परेचर सेंसिटिविटी: रिसर्च से पता चलता है कि** बढ़ते मौसम के दौरान 20°C से ज़्यादा टेम्परेचर में हर **1°C की बढ़ोतरी पर, भारत में लगभग 67 और आत्महत्याएं होती हैं** ।
- **पानी की कमी:** बारिश पर बहुत ज़्यादा निर्भरता (बारिश पर आधारित खेती) की वजह से **विदर्भ** और **मराठवाड़ा जैसे इलाकों के किसान** सूखे के प्रति बहुत कमज़ोर हो जाते हैं।

3. सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कारक

- **डेवलपमेंट कर्ज़ का जाल:** खेती के लिए दिया गया क्रेडिट अक्सर **शादी (दहेज)** , **हेल्थकेयर** और **शिक्षा जैसी सामाजिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में चला जाता है** , क्योंकि लोगों की भलाई का ध्यान नहीं रखा जाता।
- **मेंटल हेल्थ स्टिग्मा:** पैसे का दबाव अक्सर इमोशनल डिसऑर्डर के रूप में सामने आता है, फिर भी गांवों में काउंसलिंग की पहुंच बहुत कम है।

सरकारी पहल (2024–2025)

- **पीएम धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY): फरवरी 2025** में लॉन्च की गई। इसका मकसद **100 खराब परफॉर्म करने वाले जिलों को** फाइनेंशियल मदद, स्मार्ट टूल्स और क्लाइमेट-रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर देना है।
- **एग्रीस्टैक और SFIC:** रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने और फॉर्मल क्रेडिट और इंश्योरेंस तक पहुंच को आसान बनाने के लिए **स्मार्ट किसान पहचान कार्ड** लागू करना।
- **किसान रक्षक पोर्टल:** पीएमएफबीवाई के तहत वास्तविक समय पर शिकायत निवारण के लिए 2024 में एक समर्पित हेल्पलाइन (**14447) शुरू की गई।**
- **नमो ड्रोन दीदी :** लेबर कॉस्ट कम करने के लिए ड्रोन-बेस्ड फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन सर्विस देने के लिए **महिला SHGs** का इस्तेमाल करना ।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **डिजिटल डिवाइड:** डिजिटल जानकारी की कमी और दूर-दराज के इलाकों में नेटवर्क कवरेज की कमी की वजह से 2025 तक टेक्नोलॉजी अपनाने की दर **30% से कम रहेगी।**
- **क्रेडिट डेविएशन:** किसान **क्रेडिट कार्ड (KCC) का** अक्सर खेती से अलग ज़रूरतों के लिए गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी के बजाय नए कर्ज़ के जाल में फँसना पड़ता है **।**
- **इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस** की कमी के कारण छोटे किसानों को फसल

कटने के तुरंत बाद ही **मजबूरी में सामान बेचना पड़ता है।**

आगे बढ़ने का रास्ता

1. **कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस:** फसल खराब होने से आगे बढ़कर, कम्पोजिट इंश्योरेंस स्कीम के ज़रिए **मार्केट खराब होने** (कीमत में उतार-चढ़ाव) को कवर करना।
2. **क्लाइमेट-स्मार्ट खेती:** महंगे केमिकल इनपुट और अनियमित मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए **नेचुरल खेती** और **माइक्रो-इरिगेशन (हर बूंद ज़्यादा फसल)** को बढ़ाना ।
3. **इंस्टीट्यूशनल सुधार:** बिचौलियों के खिलाफ छोटे किसानों की मोलभाव करने की ताकत बढ़ाने के लिए **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को** मजबूत करना।
4. **सोशल सेफ्टी नेट:** गांव के हेल्थकेयर और शिक्षा को बेहतर बनाना, ताकि खेती के लोन का इस्तेमाल बुनियादी ज़रूरतों के लिए न हो।

निष्कर्ष

खेती की मुश्किलों के स्ट्रक्चरल नेचर के लिए लोन माफ़ी जैसी शॉर्ट-टर्म राहत से लॉन्ग-टर्म **इनकम-सेंट्रिक पॉलिसी में बदलाव की ज़रूरत है** । क्लाइमेट रेजिलिएंस को डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के साथ जोड़कर, भारत खेती को एक सस्टेनेबल और फायदेमंद रोज़ी-रोटी बनाने की ओर बढ़ सकता है।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए)

प्रसंग

हाल के कानूनी घटनाक्रमों में, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत ज़मानत के कड़े नियमों की जांच की है, खासकर 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश से जुड़े मामलों में। हाई-प्रोफ़ाइल एक्टिविस्ट को ज़मानत न मिलने से नेशनल सिक्योरिटी और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच बैलेंस पर बहस फिर से शुरू हो गई है।

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड: कोर्ट ने हाल ही में 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में शरजील इमाम और उमर खालिद समेत कई आरोपियों को ज़मानत देने से मना कर दिया। प्रॉसिक्यूशन ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा को कोऑर्डिनेट करने और प्लान बनाने के लिए WhatsApp जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया ।

न्यायालय की टिप्पणियां:

- **प्रथम दृष्टया जांच:** यूएपीए की धारा 43डी(5) के तहत, अगर अदालत को लगता है कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आरोप "प्रथम दृष्टया" सही हैं तो जमानत से इनकार किया जाना चाहिए।
- **भूमिकाओं का क्रम:** न्यायपालिका ने आपराधिक साज़िशों में "भूमिकाओं के क्रम" पर ज़ोर दिया। जबकि निचले लेवल के लोगों को राहत मिल सकती है, जिन्हें "मुख्य प्लानर" या "मास्टरमाइंड" के तौर पर पहचाना जाता है, उन्हें ज़मानत के लिए बहुत ज़्यादा लिमिट का सामना करना पड़ता है।
- **सबूत का नेचर:** भले ही ट्रायल लंबा चले, आरोपों की गंभीरता और जांच एजेंसियों द्वारा दिए गए शुरुआती सबूत अक्सर UAPA मामलों में स्पीडी ट्रायल के अधिकार से ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं।

संवैधानिक और वैधानिक ढांचा

UAPA का सेक्शन 43D(5): यह प्रोविज़न "रिवर्स-बर्डन" इफ़ेक्ट पैदा करता है। "बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है" के स्टैंडर्ड क्रिमिनल लॉ प्रिंसिपल के उलट, UAPA बेल पर रोक लगाकर जेल को नॉर्म बना देता है, अगर कोर्ट को लगता है कि केस में ऊपर से दम है।

मुख्य कानूनी बदलाव:

- **सबूत का बोझ:** UAPA, PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग), और NDPS (ड्रग्स) जैसे खास कानूनों में, ज़मानत पाने के लिए यह साबित करने का बोझ असल में आरोपी पर आ जाता है कि वे दोषी नहीं हैं।
- **2019 अमेंडमेंट:** पावर में एक बड़ा इज़ाफ़ा तब हुआ जब सरकार को **लोगों को** "टेररिस्ट" घोषित करने का अधिकार दिया गया। पहले, सिर्फ़ ऑर्गनाइज़ेशन को ही ऐसा घोषित किया जा सकता था।

न्यायिक मिसालें:

- **वटाली केस (2019):** यह तय हुआ कि बेल स्टेज पर, कोर्ट को सबूतों की गहराई से जांच नहीं करनी चाहिए, बल्कि जांच एजेंसी के बताए गए वर्जन पर ही भरोसा करना चाहिए।
- **वर्नोन गोंसाल्वेस बनाम महाराष्ट्र राज्य (2023):** वटाली स्टैंडर्ड में थोड़ी ढील दी गई , जिसमें कहा गया कि मनमानी हिरासत को रोकने के लिए सबूतों की क्वालिटी का कुछ "सरफेस-लेवल" एनालिसिस ज़रूरी है।

चुनौतियां

- **साफ़ न होने वाली परिभाषाएँ:** "गैर-कानूनी गतिविधि" और "आतंकवादी काम" जैसे शब्दों की परिभाषाएँ अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। आलोचकों का कहना है कि इस साफ़ न होने की वजह से कानून का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ किया जा सकता है।

- **ट्रायल से पहले लंबे समय तक हिरासत में रहना:** क्योंकि UAPA ट्रायल को खत्म होने में अक्सर सालों लग जाते हैं, इसलिए ज़मानत की पाबंदी वाली शर्तों की वजह से लोगों को बिना किसी जुर्म के दोषी पाए सालों जेल में बिताने पड़ते हैं।
- **एग्जीक्यूटिव डिस्क्रीशन:** 2019 का अमेंडमेंट केंद्र सरकार को लोगों पर लेबल लगाने की बड़ी पावर देता है, जिसमें तुरंत इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियल रिव्यू प्रोसेस का अभाव है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कानूनी स्पष्टता:** संसद को "गैर-कानूनी गतिविधियों" की परिभाषा को बेहतर बनाना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि उनका इस्तेमाल जायज़ लोकतांत्रिक असहमति को सज़ा देने के लिए न किया जाए।
- **सबूतों की ज्यूडिशियल रिव्यू:** कोर्ट को बेल स्टेज पर "प्राइमा फेसी" सबूतों की जांच करने में ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीका अपनाना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि कानून का इस्तेमाल "प्रोसेस एज़ पनिशमेंट" के टूल के तौर पर नहीं किया जा रहा है।
- **जल्दी ट्रायल की गारंटी:** स्पेशल कोर्ट में काफी स्टाफ होना चाहिए ताकि UAPA केस जल्दी निपटाए जा सकें, जिससे ट्रायल से पहले जेल जाने का समय कम हो सके।

निष्कर्ष

UAPA देश की एकता की रक्षा के लिए एक असरदार तरीका है, फिर भी इसके कड़े ज़मानत के नियम निजी आज़ादी के संवैधानिक अधिकार के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। लोकतंत्र में कानून का राज बनाए रखने के लिए एक बारीक नज़रिया ज़रूरी है जो राज्य के लिए असली खतरों और निजी असहमति के बीच फ़र्क करे।

एक्सपोर्ट ट्रेंड्स और डायवर्सिफिकेशन

प्रसंग

50% टैरिफ लगाने की वजह से भारत के एक्सपोर्ट माहौल में काफी उतार-चढ़ाव आया , जिसमें बेसलाइन ड्यूटी, रेसिप्रोकल टैरिफ और रूस के साथ ट्रेड से जुड़े पेनल्टी शामिल थे। इसके बावजूद, भारत ने FY 2025–26 की पहली छमाही में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हासिल की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ स्ट्रेटेजिक झुकाव और दूसरे ग्लोबल मार्केट में तेज़ी से डाइवर्सिफिकेशन की वजह से हुआ।

समाचार के बारे में

पृष्ठभूमि:

US, जो पारंपरिक रूप से भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ने अप्रैल 2025 से कई प्रोटेक्शनिस्ट उपाय लागू किए। 27 अगस्त, 2025 तक, ज़्यादातर भारतीय एक्सपोर्ट पर कुल 50% टैरिफ लगा, जिससे वियतनाम, बांग्लादेश और मेक्सिको जैसे कॉम्पिटिटर के मुकाबले प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा।

मुख्य रुझान:

- **बंटा हुआ विकास:** जहां लेबर-इंटेंसिव सेक्टर में तेज़ गिरावट देखी गई, वहीं टेक्नोलॉजी-ड्रिवन सेक्टर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए।
- **मार्केट री-ओरिएंटेशन:** एक्सपोर्टर्स ने टैरिफ से प्रभावित सामान (जैसे मरीन प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल्स) के शिपमेंट को EU, UAE और ईस्ट एशिया जैसे बढ़ती डिमांड वाले इलाकों में सफलतापूर्वक रीडायरेक्ट किया।
- **रिकॉर्ड परफॉर्मेंस:** अप्रैल-नवंबर 2025 के लिए कुल एक्सपोर्ट (मर्चेंडाइज और सर्विसेज़) लगभग **$562 बिलियन तक पहुंच गया** , जो ग्लोबल झटकों के खिलाफ मजबूती दिखाता है।

सेक्टर पर असर: फायदे और नुकसान

US टैरिफ सिस्टम ने "ट्रेडिशनल" और "मॉडर्न" एक्सपोर्ट सेक्टर के बीच साफ़ फर्क पैदा कर दिया:

क्षेत्र	प्रभाव	प्रदर्शन हाइलाइट
स्मार्टफोन	**उच्च विकास**	US को एक्सपोर्ट **तीन गुना से ज़्यादा बढ़ा** (अप्रैल-अक्टूबर 2025 में $10.78B).
इलेक्ट्रानिक्स	**उच्च विकास**	**~42%** की बढ़ोतरी हुई , कई आपसी ड्यूटी से छूट मिली।
समुद्री उत्पाद	**गिरावट**	US जाने वाले शिपमेंट में गिरावट आई; इसे **चीन (+24%)** और **वियतनाम (+123%) की ओर भेजा गया** ।
वस्त्र/कपास	**गिरावट**	US में डिमांड में तेज़ गिरावट; फोकस **यूरोपियन यूनियन पर शिफ्ट हो गया** ।

रत्न और आभूषण	**गिरावट**	सबसे ज़्यादा प्रभावित सेक्टर में से एक; कुछ क्लस्टर में टर्नओवर **50% तक गिर गया** ।

व्यापार विविधीकरण और लचीलापन

"US शॉक" को कम करने की भारत की स्ट्रैटेजी में तीन तरह के तरीके शामिल थे:

1. भौगोलिक विविधीकरण:

एक्सपोर्टर्स ने नॉन-ट्रेडिशनल मार्केट में जाकर "ट्रेड को पानी की तरह" (अपना रास्ता खुद ढूंढते हुए) इस्तेमाल किया।

- **चीन और हांगकांग:** समुद्री उत्पादों और प्रोसेस्ड मिनरल्स के लिए ज़रूरी आउटलेट बन गए।
- **यूरोपियन यूनियन:** स्पेन और बेल्जियम ने भारत से इंपोर्ट में बढ़ोतरी दर्ज की (स्पेन में **~40% की बढ़ोतरी**)।
- **पश्चिम एशिया:** UAE-CEPA और ओमान के साथ आने वाले समझौतों के ज़रिए गहरे होते रिश्ते।

2. उत्पाद मूल्य-वर्धन:

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत, भारत कच्चे माल के एक्सपोर्टर से ज़्यादा कीमत वाले तैयार सामान, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग के एक्सपोर्टर में बदल गया।

3. नीतिगत हस्तक्षेप:

- **निर्यात संवर्धन मिशन:** ₹ **25,060 करोड़** 2025 के आखिर में MSMEs के लिए कम्प्लायंस को आसान बनाने और क्रेडिट गारंटी देने के लिए एक पहल शुरू की जाएगी।
- **FTA मोमेंटम:** अलग-अलग मार्केट में ड्यूटी-फ्री एक्सेस पक्का करने के लिए **UK, ओमान और EFTA** के साथ एग्रीमेंट को तेज़ी से आगे बढ़ाना ।

चुनौतियां

- **ज़्यादा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट:** ग्रोथ के बावजूद, भारतीय एक्सपोर्टर्स को साउथ-ईस्ट एशिया के कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज़्यादा फ्रेट कॉस्ट और लॉजिस्टिकल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
- **नॉन-टैरिफ रुकावटें:** EU में उभरती "ग्रीन ट्रेड" पॉलिसी (जैसे कार्बन टैक्स) भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नया खतरा हैं।
- **करेंसी में उतार-चढ़ाव:** डॉलर के मुकाबले रुपये में उतार-चढ़ाव से छोटे एक्सपोर्टर्स के मार्जिन पर असर पड़ा।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **गहराते FTA:** US में मार्केट शेयर के नुकसान को बैलेंस करने के लिए भारत को UK और EU के साथ बातचीत पूरी करनी होगी।
- **सप्लाई चेन इंटीग्रेशन:** इलेक्ट्रॉनिक्स में लीड बनाए रखने के लिए सेमीकंडक्टर और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में और इन्वेस्टमेंट।
- **MSME सपोर्ट:** यह पक्का करना कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जेम्स, ज्वेलरी और टेक्सटाइल सेक्टर के छोटे क्लस्टर तक पहुंचे।

निष्कर्ष

"ईयर ऑफ़ टैरिफ़" (2025) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट जैसा था। जहाँ US के प्रोटेक्शनिज़्म ने पारंपरिक सेक्टर्स को नुकसान पहुँचाया, वहीं इसने भारत को एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में तेज़ी से आगे बढ़ाया और इसके ट्रेड पार्टनर्स के ज़रूरी डायवर्सिफ़िकेशन को मजबूर किया, जिससे आखिरकार 2026 के लिए एक ज़्यादा मज़बूत और मॉडर्न एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बना।

एविएशन सेफ्टी और ICAO फ्रेमवर्क

प्रसंग

अहमदाबाद में **एयर इंडिया फ़्लाइट 171** के दुखद क्रैश , जिसमें 260 लोगों की मौत हुई, ने भारत की एविएशन सेफ़्टी निगरानी को दुनिया भर में कड़ी जांच के दायरे में ला दिया है। यह घटना, और थकान के नियमों को लेकर पायलटों और रेगुलेटर्स के बीच बढ़ते टकराव, ICAO द्वारा तय किए गए इंटरनेशनल सेफ़्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करने की बहुत ज़रूरी ज़रूरत को दिखाते हैं।

समाचार के बारे में

बैकग्राउंड: जून 2025 में, एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से टेकऑफ़ के 32 सेकंड बाद एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में क्रैश हो गया । जुलाई 2025 में **एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB)** की शुरुआती रिपोर्ट से पता चला कि फ्यूल कंट्रोल स्विच के कटऑफ पोज़िशन पर "ट्रांज़िशन" करने के बाद दोनों इंजन बंद हो गए । आखिरी वजह की जांच अभी भी चल रही है, जिससे सेफ्टी रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी को लेकर बहस छिड़ गई है।

पहचाने गए मुख्य मुद्दे:

- **ट्रांसपेरेंसी की कमी:** आलोचकों और कानून बनाने वालों ने कहा है कि शुरुआती नतीजे तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन भारत में बड़ी घटनाओं की पूरी फ़ाइनल जांच रिपोर्ट में अक्सर देरी होती है या उन्हें लोगों की नज़रों से दूर रखा जाता है।
- **ऑपरेशनल स्ट्रेन:** एयर ट्रैफिक में 15-20% सालाना ग्रोथ को मैनेज करने के लिए, एयरलाइंस पर क्रू लिमिट बढ़ाने का आरोप लगा है।

- **पायलट की थकान:** DGCA को दिल्ली हाई कोर्ट (2025) में कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा, जिसके कारण "इंसानी गलती" से होने वाले हादसों को रोकने के लिए हर हफ़्ते ज़रूरी आराम को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ)

ओवरव्यू: ICAO **यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है, जिसे शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन (1944)** द्वारा ग्लोबल सिविल एविएशन की सुरक्षित और सही ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।

मूलभूत प्रकार्य:

- **SARPs:** एयर नेविगेशन, सुरक्षा निगरानी और दुर्घटना जांच के लिए स्टैंडर्ड और सुझाए गए तरीके बनाता है (Annex 13)।
- **ग्लोबल एविएशन सेफ्टी प्लान (GASP):** यह प्लान सदस्य देशों के लिए 2050 तक ज़ीरो मौत का लक्ष्य हासिल करने का रोडमैप तय करता है।
- **ऑडिट: यह जांचने के लिए** यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम (USOAP) चलाता है कि देश सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन कर रहे हैं या नहीं।

भारत की स्थिति:

- भारत शिकागो कन्वेंशन का **संस्थापक सदस्य** और सिग्नेटरी है।
- भारत मॉन्ट्रियल में ICAO हेडक्वार्टर में एक परमानेंट डेलीगेशन रखता है।
- 2025-2026 में, भारत अपना **नेशनल एविएशन सेफ्टी प्लान (2024-2028) लागू कर रहा है** , जो ICAO के ग्लोबल सेफ्टी लक्ष्यों के साथ अलाइन है।

सुरक्षा निरीक्षण में चुनौतियाँ

- **पायलट की कमी:** भारत में हर साल लगभग 800 जॉब-रेडी पायलट बनते हैं, जबकि डिमांड 2,000+ की है, जिससे मौजूदा क्रू रोस्टर पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है।
- **टेक्निकल खतरे:** 2025 में दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर "GPS स्पूफिंग" की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई, जहाँ गलत नेविगेशन डेटा ने कॉकपिट सिस्टम में दखल दिया।
- **रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस:** इस बात को लेकर चिंता है कि क्या DGCA और AAIB को मिनिस्ट्री ऑफ़ सिविल एविएशन से सरकारी या बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों की जांच करने और उन्हें सज़ा देने के लिए काफ़ी आज़ादी है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **ज़रूरी ट्रांसपेरेंसी:** ICAO Annex 13 के अनुसार, भारत को यह पक्का करना चाहिए कि फ़ाइनल एक्सीडेंट रिपोर्ट किसी घटना के 12 महीने के अंदर पब्लिक कर दी जाए, ताकि इंडस्ट्री में सभी को जानकारी मिल सके।
- **फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (FRMS):** ICAO के सुझाव के अनुसार, सख्त ड्यूटी घंटों से डेटा-ड्रिवन सॉफ्टवेयर में बदलाव, जो रियल-टाइम क्रू अलर्टनेस को मॉनिटर करता है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक:** GPS स्पूफिंग और सिग्नल इंटरफेरेंस जैसे साइबर खतरों से निपटने के लिए ग्राउंड-बेस्ड नेविगेशन सिस्टम को अपग्रेड करना।

निष्कर्ष

अहमदाबाद एयर क्रैश एक गंभीर याद दिलाता है कि तेज़ी से इंडस्ट्रियल विस्तार को सेफ्टी प्रोटोकॉल से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ICAO के एक लीडिंग मेंबर के तौर पर, 2026-2028 ग्लोबल एविएशन सेफ्टी प्लान को अपनाने का भारत का कमिटमेंट लोगों **का** भरोसा वापस लाने और "ज़ीरो फैटेलिटी" टारगेट को सच बनाने में बहुत ज़रूरी होगा।

मोनरो सिद्धांत

प्रसंग

जनवरी 2026 में, **वेनेजुएला** में US के बड़े मिलिट्री दखल के बाद ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में **मोनरो डॉक्ट्रिन फिर से सामने आया। जिसे "ट्रंप कोरोलरी"** (जिसे आम तौर पर *"डॉन-रो डॉक्ट्रिन" कहा जाता है)* कहा गया है, उसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ने विदेशी असर को खत्म करने और नार्को -टेररिज्म जैसे ट्रांसनेशनल खतरों का मुकाबला करने के लिए वेस्टर्न हेमिसफेयर में मिलिट्री दखल देने के अपने बढ़े हुए अधिकार पर ज़ोर दिया।

नव गतिविधि

पृष्ठभूमि

3 जनवरी, 2026 को US स्पेशल फोर्स ने वेनेजुएला में एक कोऑर्डिनेटेड एयर-लैंड-सी ऑपरेशन किया। ऑपरेशन का नतीजा प्रेसिडेंट **निकोलस को पकड़ना था। मादुरो** और उनकी पत्नी **सिलिया फ्लोरेस । दोनों को ड्रग ट्रैफिकिंग और** नार्को -टेररिज्म से जुड़े आरोपों पर मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में ट्रायल का सामना करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ट्रांसफर कर दिया गया।

प्रमुख घटनाक्रम

- **रिजीम चेंज** : US ने एक टेम्परारी ट्रांज़िशन अरेंजमेंट की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि वह इस बीच के समय में वेनेज़ुएला को "चलाएगा"। एक डी फैक्टो लीडरशिप काउंसिल का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कथित तौर पर US सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट **मार्को रुबियो** और सेक्रेटरी ऑफ़ वॉर **पीट हेगसेथ शामिल होंगे** ।

- **भू-राजनीतिक तर्क** : व्हाइट हाउस ने पश्चिमी गोलार्ध को "विदेशी दुश्मनों" से बचाने के लिए हस्तक्षेप को आवश्यक बताया, लैटिन अमेरिका में चीनी और रूसी सैन्य गतिविधियों का स्पष्ट रूप से संदर्भ दिया।
- **सिद्धांत का आह्वान** : राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रम्प ने** स्पष्ट रूप से इस कार्रवाई को मोनरो सिद्धांत से जोड़ा, यह दावा करते हुए कि अमेरिकी गोलार्ध के प्रभुत्व ने सिद्धांत के मूल दायरे को "हटा" दिया है।

ऐतिहासिक और कानूनी ढांचा

मूल मोनरो सिद्धांत (1823)

राष्ट्रपति **जेम्स मोनरो द्वारा घोषित** यह सिद्धांत चार बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित था:

1. **नॉन-कॉलोनाइज़ेशन** : यूरोपियन ताकतों को अमेरिका में नई कॉलोनियां बनाने से रोक दिया गया।
2. **दो अलग-अलग क्षेत्र** : यूरोप और अमेरिका अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं बने रहेंगे।
3. **दखल न देना** : US मौजूदा यूरोपियन कॉलोनियों या यूरोप के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देगा।
4. **सुरक्षा सिद्धांत** : पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी यूरोपीय विस्तार को US की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा।

सिद्धांत का विकास

- **रूजवेल्ट कोरोलरी (1904)** : लैटिन अमेरिकी राज्यों में पुराने गलत कामों के मामलों में "अंतर्राष्ट्रीय पुलिस शक्ति" का प्रयोग करने के अमेरिकी अधिकार पर जोर दिया।
- **ट्रंप कोरोलरी (2025–26) : नशीली दवाओं के खिलाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा के बैनर तले पूर्व-शासन परिवर्तन** , विदेशी नेताओं को पकड़ने और चीनी और रूसी प्रभाव को हटाने को
उचित ठहराने के लिए सिद्धांत का और विस्तार करता है।

तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य: भारत और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)

US के सख्त हेमिस्फेरिक अप्रोच के उलट, **भारत** ने अपने समुद्री पड़ोस के लिए कोई फॉर्मल, एक्सक्लूज़नरी डॉक्ट्रिन नहीं अपनाया है।

विशेषता	संयुक्त राज्य अमेरिका (मोनरो सिद्धांत)	भारत (आईओआर रणनीति)
रणनीतिक दर्शन	बहिष्कारवादी – "अमेरिकियों के लिए अमेरिका"	समावेशी – **सागर**
कार्रवाई की विधी	एकतरफा हस्तक्षेप, "पुलिस शक्ति"	सहकारी सुरक्षा और HADR
प्राथमिक चिंता	चीनी/रूसी उपस्थिति हटाना	"मोतियों की माला" का मुकाबला
नया फ्रेमवर्क (2025)	डॉन-रो सिद्धांत (मजबूत राष्ट्रवाद)	**महासागर** - समग्र वैश्विक दक्षिण आउटरीच

चुनौतियाँ और आलोचना

- **अंतरराष्ट्रीय कानून**

  संयुक्त **राष्ट्र** महासचिव और **स्पेन** , **ब्राज़ील** और **मैक्सिको समेत कई राज्यों ने इस हस्तक्षेप की निंदा करते हुए इसे संप्रभुता और** संयुक्त राष्ट्र चार्टर के **अनुच्छेद 2(4)** का उल्लंघन बताया ।

- **क्षेत्रीय प्रतिक्रिया**

  कोलंबिया जैसे पड़ोसी देशों को चिंतित कर दिया है , और संभावित रूप से उन्हें आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा के लिए चीन के करीब धकेल दिया है।

- **आर्थिक चिंताएँ**

  वेनेजुएला के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को "ठीक करने और चलाने" की अमेरिकी कंपनियों को इजाज़त देने की US की योजना की आलोचना की गई है, इसे लड़ाई के बाद के पुनर्निर्माण के बजाय **संसाधनों का गलत इस्तेमाल बताया गया है ।**

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कूटनीतिक समाधान** : वेनेजुएला ने "सशस्त्र आक्रमण" से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलाने का अनुरोध किया है।
- **भारत का मैरीटाइम रीकैलिब्रेशन** : अगस्त 2025 की एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट में चीनी विस्तार का मुकाबला करने के लिए **बिना किसी एक्सक्लूज़नरी डॉक्ट्रिन को अपनाए एक ज़्यादा कोहेसिव IOR स्ट्रैटेजी की सिफारिश की गई है** ।
- **ग्लोबल मिसाल** : इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक अहम सवाल है, क्या 19वीं सदी के "प्रभाव वाले इलाके" 21वीं सदी के नियम-आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ रह सकते हैं?

निष्कर्ष

निकोलस का 2026 में कब्जा मादुरो **एक सदी से भी ज़्यादा समय में मोनरो डॉक्ट्रिन का सबसे मज़बूत इस्तेमाल** दिखाते हैं । जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स वेस्टर्न हेमिस्फ़ेयर में अपनी "बिग

स्टिक" डिप्लोमेसी को फिर से शुरू कर रहा है, इस घटना का ग्लोबल ऑर्डर पर बड़े असर पड़ सकते हैं। क्या दूसरी रीजनल ताकतें, खासकर इंडिया, मज़बूत लेकिन मिलकर काम करने वाले ऑप्शन चुनेंगी, यह भविष्य में सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉ के बीच बैलेंस को काफी हद तक बदल देगा।

आपदा प्रबंधन और अर्थव्यवस्था

प्रसंग

डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंसिंग पर एक एनालिसिस ने भारत की सेंट्रल पॉलिसी की दुविधा को दिखाया: प्राकृतिक खतरों के प्रति बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हुए भी तेज़ी से आर्थिक विकास बनाए रखना। तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और क्लाइमेट में बदलाव ने **भारत में आपदा से होने वाले नुकसान को फ़ाइनेंशियल प्लानिंग, इंफ़्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन और लॉन्ग-टर्म डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के मुख्य हिस्से में ला दिया है** ।

आर्थिक असर: GDP पर 0.4% का असर

- **औसत सालाना नुकसान: भारत को हर साल** प्राकृतिक आपदाओं से GDP का लगभग **0.4% का नुकसान होता है।**
- **ऐतिहासिक ट्रेंड (1990–2024):** बार-बार आने वाली बाढ़ और लैंडस्लाइड ने डेवलपमेंट के फ़ायदों को लगातार कम किया है।
- **कुछ न करने की कीमत: 2018 की केरल बाढ़** या **2015 की चेन्नई बाढ़** जैसे मुश्किल सालों में , लोकल नुकसान **कुछ ही दिनों में अरबों डॉलर** तक पहुँच गया , जिससे राज्य का फाइनेंस भर गया।
- **इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र: गुजरात** , **महाराष्ट्र** और **तमिलनाडु** जैसे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़्ड राज्य GDP में बड़ा हिस्सा देते हैं, फिर भी उन्हें साइक्लोन और शहरी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। **भारत का लगभग 36% इंडस्ट्रियल आउटपुट** आपदा-प्रोन ज़ोन में है।

वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स: एशिया में दूसरा सबसे ज़्यादा रिस्क

वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2025/26 के अनुसार , एशिया में फिलीपींस के बाद भारत **दूसरे सबसे ज़्यादा रिस्क वाले देश में है।**

आयाम	भारत की स्थिति
क्षेत्रीय रैंक	एशिया में दूसरा
वैश्विक संदर्भ	लंबे समय के क्लाइमेट रिस्क के लिए रेगुलर तौर पर ग्लोबल टॉप 10 में (जर्मनवॉच इंडेक्स)
जोखिम तर्क	उच्च जोखिम × उच्च भेद्यता (ज्यामितीय माध्य)

रिस्क इतना ज़्यादा क्यों है?

- **असर: हर साल 80 मिलियन** से ज़्यादा लोग आपदाओं से प्रभावित होते हैं; बाढ़ के मैदानों और तटीय इलाकों में घनी आबादी असर को बढ़ा देती है।
- **वल्नरेबिलिटी टाइप:** ज़्यादातर **हाइड्रोलॉजिकल** जैसे नदी में बाढ़, अचानक बाढ़, और लैंडस्लाइड, न कि कभी-कभी आने वाले बड़े तूफ़ान।
- **रिकवरी में देरी:** लगातार बना रहने वाला **"निरंतर खतरा"** , घरों, कंपनियों और सरकारों के पिछले झटकों से पूरी तरह उबरने से पहले ही नई आपदाओं का आना जोखिम को लगातार ऊंचा बनाए रखता है।

पहल और नीति परिवर्तन

- **डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंस (DRF):** भारत रिएक्टिव रिलीफ से **डेटा-ड्रिवन, प्री-अरेंज्ड फाइनेंसिंग की ओर बढ़ रहा है** , जिसमें रिस्क पूलिंग और इंश्योरेंस मैकेनिज्म शामिल हैं।
- **आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI):** भारत द्वारा 2019 में नई दिल्ली में अपने सचिवालय के साथ शुरू किया गया, CDRI अब **50 से अधिक देशों में लचीले बुनियादी ढांचे के मानकों को आकार देता है** ।
- **एनडीपी में परिवर्तन: 2029-30** तक , भारत विकास की *वास्तविक लागत* को पकड़ने के लिए **शुद्ध घरेलू उत्पाद (एनडीपी) पर जोर देने की योजना बना रहा है, जिसमें आपदा से संबंधित** पूंजीगत हानि और पर्यावरणीय गिरावट का हिसाब रखा जाएगा।

निष्कर्ष

भारत की आर्थिक तरक्की लगातार आपदा के जोखिम से रुकी हुई है। GDP में 0.4% की स्ट्रक्चरल **गिरावट के साथ** , पॉलिसी का फोकस आपदा के बाद राहत से हटकर रेज़िलिएंस-फर्स्ट डेवलपमेंट पर आ गया है—इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना, तैयारी के लिए फाइनेंसिंग करना, और यह पक्का करना कि ग्रोथ टिकाऊ, सबको साथ लेकर चलने वाली और क्लाइमेट-रेज़िलिएंट बनी रहे।

रिमोट सेंसिंग

प्रसंग

2026 तक, रिमोट सेंसिंग **पृथ्वी के डिजिटल नर्वस सिस्टम के तौर पर काम करेगा** । सेंसर रिज़ॉल्यूशन, सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन और AI-ड्रिवन एनालिटिक्स में हुई तरक्की से अब हर फसल पर पड़ने वाले तनाव से लेकर कॉन्टिनेंटल लेवल पर ग्राउंडवाटर की कमी और क्लाइमेट से होने वाले बदलाव तक, लगभग रियल-टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन हो गई है।

परिभाषा

रिमोट सेंसिंग , बिना सीधे संपर्क के, रिफ्लेक्टेड और एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मापकर , आमतौर पर सैटेलाइट या एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके, पृथ्वी की सतह के बारे में जानकारी हासिल करने का विज्ञान है।

प्रमुख संकेतक और वर्णक्रमीय सूचकांक

पर्यावरण की खासियतों के अलग-अलग **स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होते हैं** । वैज्ञानिक इन सिग्नल को इंडेक्स में मिलाते हैं जो छिपे हुए पैटर्न दिखाते हैं।

एनडीवीआई (सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक)

- **मकसद:** पेड़-पौधों की हरियाली और पौधों की सेहत को मापना।
- **मैकेनिज्म:** हेल्दी पौधे **नियर-इंफ्रारेड (NIR)** लाइट को तेज़ी से रिफ्लेक्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए **रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं।**
- **सूत्र:**
  NDVI=(NIR−Red)(NIR+Red)NDVI = \frac{(NIR - Red)}{(NIR + Red)}NDVI=(NIR+Red)(NIR−Red)
- **रेंज:** −1 से +1
  - घने जंगल: **0.6–0.9**
  - बंजर ज़मीन / पानी: लगभग 0 या नेगेटिव

एनडीडब्ल्यूआई (सामान्यीकृत अंतर जल सूचकांक)

- **मकसद:** खुले पानी और पत्तियों में नमी का पता लगाना।
- **मैकेनिज्म:** पानी **ग्रीन** लाइट को रिफ्लेक्ट करता है लेकिन ज़्यादातर **NIR** रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है।
- **सूत्र:**
  NDWI=(ग्रीन−NIR)(ग्रीन+NIR)NDWI = \frac{(ग्रीन - NIR)}{(ग्रीन + NIR)}NDWI=(ग्रीन+NIR)(ग्रीन−NIR)

सेंसर प्रौद्योगिकियां

सेंसर का प्रकार	क्षमताओं	प्रमुख अनुप्रयोग
ऑप्टिकल	विज़िबल और इंफ़्रारेड इमेजरी, हाई स्पेशल डिटेल	शहरी नियोजन, फसल निगरानी (साफ़ आसमान)
एसएआर (सिंथेटिक एपर्चर रडार)	एक्टिव सेंसर; दिन/रात, बादलों और धुएं के बीच भी काम करता है	बाढ़ मैपिंग, चक्रवात से नुकसान, समुद्री बर्फ ट्रैकिंग
हाइपरस्पेक्ट्रल	सैकड़ों संकीर्ण वर्णक्रमीय बैंड	मिनरल मैपिंग (सोना, तांबा), चट्टान और मिट्टी की केमिस्ट्री
थर्मल	सतही ऊष्मा उत्सर्जन का पता लगाता है	शहरी हीट आइलैंड्स, जंगल की आग के मोर्चे, ज्वालामुखी

विशेष मिशन: GRACE

NASA और **DLR** द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले GRACE **(ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट) ने धरती की इमेजिंग के बजाय उसका वज़न करके** धरती को देखने के तरीके में क्रांति ला दी ।

- **यह कैसे काम करता है:** दो जुड़वां सैटेलाइट एक साथ उड़ते हैं। धरती की ग्रेविटी में बदलाव, ग्राउंडवाटर या बर्फ जैसे मास में बदलाव की वजह से होता है, जिससे उनके बीच की दूरी बदल जाती है।
- **महत्व:**
  - **ग्राउंडवॉटर की कमी** (खासकर **उत्तर भारत में**) को ट्रैक करने के लिए प्राइमरी ग्लोबल टूल ।
  - **पिघलती बर्फ की चादरों** और बड़े पैमाने पर हाइड्रोलॉजिकल बदलावों को मापता है ।

निष्कर्ष

रिमोट सेंसिंग, सिंपल स्पेस फोटोग्राफी से एक पावरफुल प्लैनेटरी डायग्नोस्टिक सिस्टम बन गया है। ऑप्टिकल, रडार, हाइपरस्पेक्ट्रल, थर्मल और ग्रेविटी डेटा को इंटीग्रेट करके, यह पृथ्वी का एक पूरा व्यू देता है—डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंस और सस्टेनेबल रिसोर्स प्लानिंग में मदद करता है।

वेनेजुएला संकट

प्रसंग

वेनेजुएला में जियोपॉलिटिकल टकराव, विवादित चुनावों और पुरानी US फॉरेन पॉलिसी के सिद्धांतों के "फिर से शुरू" होने के बाद और बढ़ गया है। जबकि मानवीय संकट लैटिन अमेरिका में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन को बढ़ावा दे रहा है, इंटरनेशनल फोकस दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर कंट्रोल और वेस्टर्न हेमिस्फ़ेयर में चीन और रूस जैसी ग्लोबल ताकतों के असर की ओर शिफ्ट हो गया है।

भूगोल और सामरिक विशेषताएं

वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है, जो कैरिबियन और अमेज़न के बीच एक गेटवे के रूप में काम करता है।

- **सीमाएं:** कोलंबिया (पश्चिम), ब्राज़ील (दक्षिण), और गुयाना (पूर्व)।
- **वॉटर बॉडीज़: कैरेबियन सागर** और **अटलांटिक महासागर** से घिरा हुआ ।
- **मुख्य स्थल:**
  - **काराकास:** देश की राजधानी और राजनीतिक केंद्र।
  - **ओरिनोको नदी:** दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदियों में से एक, जो ट्रांसपोर्ट और इकोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है।
  - **एंजल फॉल्स:** दुनिया का सबसे ऊंचा बिना रुकावट वाला झरना (979 मीटर)।
  - **माराकाइबो झील:** कैटाटुम्बो बिजली गिरने की घटना के कारण इसे **"दुनिया की बिजली राजधानी"** के रूप में जाना जाता है ।
  - **पिको बोलिवर:** देश की सबसे ऊंची चोटी, जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है।

"संसाधन अभिशाप" और तेल अर्थव्यवस्था

दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार (लगभग **303 बिलियन बैरल)** होने के बावजूद , वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था ढह गई है - यह "संसाधन अभिशाप" का एक क्लासिक मामला है।

- **हेवी क्रूड चैलेंज:** सऊदी अरब के "लाइट" तेल के उलट, वेनेजुएला का तेल **हेवी क्रूड है** । यह चिपचिपा (गुड़ जैसा गाढ़ा) होता है, इसमें सल्फर ज़्यादा होता है, और इसे रिफाइन करने के लिए मुश्किल और महंगे प्रोसेस की ज़रूरत होती है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी:** सालों से कम इन्वेस्टमेंट और पाबंदियों की वजह से सरकारी तेल कंपनी, PDVSA कमज़ोर हो गई है, जिससे प्रोडक्शन में भारी गिरावट आई है।

वैश्विक शक्तियों पर प्रभाव

देश	प्रभाव स्तर	कारण
चीन	**उच्च**	चीन अपनी इकॉनमी को चलाने और पिछले अरबों डॉलर के लोन चुकाने के लिए **वेनेजुएला का लगभग 80% तेल इंपोर्ट करता है।**
भारत	**नगण्य**	**भारत के इंपोर्ट का** सिर्फ़ 0.3% हिस्सा वेनेजुएला से आता है; भारत ने अपने एनर्जी सोर्स (जैसे, रूस, मिडिल ईस्ट) को सफलतापूर्वक अलग-अलग तरह का बनाया है।

अमेरिका-वेनेजुएला संबंध और अंतर्राष्ट्रीय कानून

वाशिंगटन और काराकास के बीच तनाव कानूनी विवादों और सदियों पुरानी विदेश नीति के सिद्धांतों, दोनों में निहित है।

- **अंतर्राष्ट्रीय कानून:** आलोचकों का तर्क है कि शासन परिवर्तन के लिए अमेरिकी प्रयास (राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लक्ष्य बनाना) **संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 2(4) का उल्लंघन करता है** , जो आत्मरक्षा या सुरक्षा परिषद प्राधिकरण के अलावा, किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल के प्रयोग या धमकी पर रोक लगाता है।
- **मोनरो डॉक्ट्रिन (1823): यह** एक ऐतिहासिक US पॉलिसी थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में बाहरी ताकतों (असल में यूरोप) का कोई भी दखल US के खिलाफ एक दुश्मनी भरा काम हो सकता है।
- **"डोनरो" डॉक्ट्रिन: ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत मोनरो डॉक्ट्रिन के फिर से शुरू होने को** बताने वाला एक आजकल का शब्द (और 2026 तक एक स्ट्रेटेजिक थीम के तौर पर जारी रहा)। इसका मकसद लैटिन अमेरिका में **चीन और रूस** की बढ़ती आर्थिक और मिलिट्री मौजूदगी का सख्ती से मुकाबला करना है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **डिप्लोमैटिक मीडिएशन: ब्राज़ाविल ग्रुप या न्यूट्रल पड़ोसियों** जैसे रीजनल ग्रुप्स द्वारा मादुरो सरकार और विपक्ष के बीच "नेशनल डायलॉग" को आसान बनाने की कोशिशें।
- **सैंक्शन कैलिब्रेशन:** मानवीय संकट को कम करने के लिए "स्मार्ट सैंक्शन" की ओर एक बदलाव, जो आम लोगों के बजाय खास अधिकारियों को टारगेट करता है।
- **डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग:** ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के बदले वेनेजुएला की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए चीन और प्राइवेट क्रेडिटर्स के साथ जुड़ना।

निष्कर्ष

वेनेजुएला संकट एक हाई-स्टेक जियोपॉलिटिकल रस्साकशी है, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार को गंभीर आर्थिक गिरावट से बैलेंस करने की कोशिश है। जबकि भारत इससे बचा हुआ है, US के सिद्धांतों और चीनी हितों का तालमेल वेनेजुएला के स्टेबिलिटी या और अकेलेपन की ओर जाने का रास्ता तय करेगा।

पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी

प्रसंग

नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेक्सिको (UNAM) की अगुवाई में एक बड़ी साइंटिफिक कामयाबी पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी के **पहले 3D अंदरूनी मैप के** तौर पर सामने आई । पांच साल के खतरनाक फील्डवर्क और बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करने के बाद, रिसर्चर्स ने **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके** किलोमीटरों तक फैली ठोस चट्टानों को देखा, जिससे यह पता चला कि ज्वालामुखियों को कैसे समझा और मॉनिटर किया जाता है।

पोपोकाटेपेटल के बारे में

- **टाइप:** एक बहुत बड़ा **स्ट्रैटोज्वालामुखी (कम्पोजिट ज्वालामुखी)** , जो खड़ी ढलानों और ज़बरदस्त विस्फोटों के लिए जाना जाता है।
- **लोकेशन: सेंट्रल मेक्सिको, मेक्सिको सिटी** से लगभग 70 km दक्षिण-पूर्व में ।
- **रिस्क एक्सपोज़र:** लगभग **25 मिलियन लोग** 100 km के खतरे के दायरे में रहते हैं।
- **उपनाम:** "एल पोपो" या "डॉन गोयो।"
- **एक्टिविटी: 1994** से लगातार एक्टिव , जिससे यह दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले ज्वालामुखियों में से एक बन गया है।

वैज्ञानिक सफलता: AI और 3D इमेजिंग

पारंपरिक नज़रिया: ज्वालामुखी को लंबे समय से एक सीधी नाली के रूप में माना जाता था जो एक मैग्मा चैंबर को सतह से जोड़ती थी।

नई AI-ड्रिवन रियलिटी:

- **कार्यप्रणाली:**
  - ज्वालामुखी के चारों ओर **22 सिस्मोग्राफ (12 से ज़्यादा)** लगाए गए ।
  - **हर सेकंड 100 बार** ज़मीन के वाइब्रेशन रिकॉर्ड करते हैं , और हल्के सीस्मिक सिग्नल कैप्चर करते हैं।
- **AI प्रोसेसिंग:**
  - मशीन-लर्निंग एल्गोरिदम ने बहुत बड़े भूकंपीय डेटासेट को तेज़ी से सॉर्ट और इंटरप्रेट किया।
  - पहले जिस काम में महीनों लगते थे, अब पूरे साल का डेटा इकट्ठा करने में **तीन घंटे लगते हैं।**
- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - क्रेटर से **लगभग 18 km नीचे** तक, अलग-अलग गहराई पर कई **मैग्मा रिज़र्वॉयर मौजूद हैं।**
  - जलाशय ठोस और अर्ध-ठोस चट्टान परतों से अलग होते हैं।
  - एक विशिष्ट **"मशरूम के आकार" वाला मैग्माटिक सिस्टम** दक्षिण-पूर्वी किनारे के नीचे स्थित है - जो कि अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र है।

उत्सर्जन और पर्यावरणीय प्रभाव

पोपोकाटेपेटल एक बहुत ज़्यादा **डीगैसर है** , जो विस्फोट के बाद भी गैसें छोड़ता है।

- **प्राथमिक गैसें:** जल वाष्प (H_2O), कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2)।
- **ट्रेस कंपाउंड:** हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S), हाइड्रोजन क्लोराइड (HCl), हाइड्रोजन फ्लोराइड (HF), नाइट्रोजन कंपाउंड।
- **ऐश की बनावट:** इसमें सिलिका (SiO_2), एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड भरपूर मात्रा में हैं; मिनरल्स में प्लेजियोक्लेज़, पाइरोक्सिन और ओलिविन शामिल हैं।
- **कृषि विरोधाभास:**
  - राख इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है।
  - समय के साथ, यह **पोषक तत्वों से भरपूर ज्वालामुखी मिट्टी बनाती है,** जो पोटेशियम और फास्फोरस की भरपूर मात्रा के कारण **अच्छी क्वालिटी वाली कॉफी** जैसी फसलों के लिए आदर्श है ।

महत्व

- **पहले चेतावनी देने की क्षमता:** मैग्मा जमा होने वाले इलाकों की सही मैपिंग से विस्फोट का ज़्यादा सही अनुमान और लोगों को निकालने की प्लानिंग हो पाती है, जिससे लाखों लोगों की जान बच सकती है।
- **प्राकृतिक प्रयोगशाला:** "एल पोपो" एआई-आधारित ज्वालामुखी निगरानी के लिए एक वास्तविक दुनिया परीक्षण स्थल के रूप में कार्य करता है, जिसमें **इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च जोखिम वाले ज्वालामुखियों के लिए अनुप्रयोग शामिल हैं** ।

निष्कर्ष

फ्लैट, टेक्स्टबुक डायग्राम से AI से बनी 3D "रेडियोग्राफी" में बदलाव ज्वालामुखी विज्ञान में एक बड़ा बदलाव है। मैग्मा की हलचल को दिखने लायक और अंदाज़ा लगाने लायक बनाकर, पोपोकाटेपेटल एक ऐसे खतरे से बदल रहा है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, एक वैज्ञानिक तरीके से मैनेज किया जा सकने वाला प्राकृतिक सिस्टम बन रहा है।

RACE IAS

ऑलिव रिडले कछुए

प्रसंग

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर ओलिव रिडले कछुओं की मौत में बढ़ोतरी के बाद पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है। **विशाखापत्तनम** और **चेन्नई के पास किनारे पर बहकर आए शवों से** पता चलता है कि इसका मुख्य कारण घोंसले बनाने के पीक सीज़न के दौरान मछली **पकड़ना है ।**

ओलिव रिडले कछुए के बारे में

- **शारीरिक गुण:** इसका नाम इसके जैतून-हरे, दिल के आकार के कवच के कारण पड़ा; यह सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला समुद्री कछुआ है।
- **आकार और वजन:** ~60–70 cm; 35–45 kg.
- **डाइट:** जेलीफ़िश, झींगा, घोंघे, केकड़े, एल्गी जैसे सब खाने वाले।
- **माइग्रेशन:** लंबी दूरी के माइग्रेंट; इंडियन नेस्टर साउथ इंडियन ओशन और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया से भी हजारों किलोमीटर का सफर करते हैं।

अरिबाडा की घटना

- **परिभाषा:** सामूहिक घोंसला बनाना ("आगमन") जहां हजारों मादाएं लगातार रातों में एक साथ घोंसला बनाती हैं।
- **भारतीय हब (ओडिशा):**
  - **गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य**
  - **रुशिकुल्या नदी का मुहाना**
  - **देवी नदी का मुहाना**
- **मौसम:** नवंबर-अप्रैल; इन्क्यूबेशन ~45-60 दिन।

खतरे और संरक्षण की स्थिति

कानूनी सुरक्षा

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I।
- **IUCN रेड लिस्ट:** कमज़ोर
- CITES: परिशिष्ट I।

प्रमुख खतरे

- **मछली पकड़ने में बायकैच:** हवा में सांस लेने वाले कछुए ट्रॉल/गिल जाल में फंसने पर डूब जाते हैं।
- **कोस्टल लाइटिंग:** आर्टिफिशियल लाइट से बच्चे समुद्र से दूर भटक जाते हैं।
- **हैबिटैट लॉस:** इरोजन और कंस्ट्रक्शन से नेस्टिंग बीच खराब हो रहे हैं।

संरक्षण प्रयास

- **ऑपरेशन ओलिविया: इंडियन कोस्ट गार्ड** का सालाना तटीय मिशन, ताकि घोंसले बनाने वाली जगहों के पास मौसमी मछली पकड़ने पर रोक लगाई जा सके।
- **टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (TEDs):** नेट अटैचमेंट जो कछुओं को मछलियों को रोकते हुए भागने देते हैं; ज़रूरी लेकिन ठीक से लागू नहीं होते।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **सख्ती से लागू करें:** ब्रीडिंग के महीनों में मशीन वाले ट्रॉलर को 8 km के नो-फिशिंग ज़ोन से बाहर रखें।
- **समुदाय के नेतृत्व में संरक्षण:** घोंसलों की रक्षा और हैचरी का प्रबंधन करने के लिए मछुआरों को "कछुआ संरक्षक" के रूप में शामिल करें।
- **इको-फ्रेंडली लाइटिंग:** बच्चों का भटकाव कम करने के लिए शील्ड वाली, नीचे की ओर वाली कोस्टल लाइटें।

निष्कर्ष

ऑलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए मिलकर काम करने, मछुआरों की भागीदारी और रहने की जगह के हिसाब से तटीय प्लानिंग की ज़रूरत है। घोंसले बनाने के मौसम में लगातार कार्रवाई से बायकैच को रोका जा सकता है, अरिबाडा बीच को सुरक्षित किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की ज़रूरी समुद्री बायोडायवर्सिटी को बचाया जा सकता है।

कश्मीर मार्खोर

प्रसंग

वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स और **डाउन टू अर्थ** ने कश्मीर मार्खोर के लिए एक गंभीर संकट की रिपोर्ट दी है। भारत की सबसे दुर्लभ जंगली बकरी **स्थानीय रूप से विलुप्त होने की कगार पर है** , और अनुमान है कि जंगल में **इसकी 200-300 प्रजातियां ही बची हैं। जम्मू और कश्मीर** में **काज़ीनाग रेंज** अब देश में इस प्रजाति का आखिरी गढ़ है।

कश्मीर मार्खोर के बारे में

- **यह क्या है:** एक बड़ी, चट्टान पर रहने वाली जंगली बकरी; मार्खोर (*कैपरा फाल्केनेरी*) की एक सब-स्पीशीज़, जो अपने शानदार स्पाइरल (कॉर्कस्क्रू) सींगों के लिए मशहूर है।
- **व्युत्पत्ति:** फ़ारसी से - *मार* (साँप) + *खोर* (खाने वाला)। लोककथाओं के बावजूद, मारखोर पूरी तरह शाकाहारी होते हैं।
- **भारत में एंडेमिज़्म:** जम्मू और कश्मीर के उत्तर-पश्चिमी हिमालय तक सीमित।

आवास और वितरण

600–3,600 m ऊंचाई पर लगभग सीधी चट्टानों और अल्पाइन घास के मैदानों के लिए अनुकूल ।

- **काज़िनाग नेशनल पार्क:** ज़्यादातर बची हुई आबादी के लिए मुख्य शरणस्थली।
- **हिरपोरा वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी:** कभी एक मुख्य हैबिटैट, अब बहुत ज़्यादा दबाव में है।
- **तत्ताकुटी वाइल्डलाइफ़ सैंक्चुअरी** और **खारा गली:** टूटे-फूटे, ऊंचाई पर बचे हुए हिस्से।

मुख्य विशेषताएं

विशेषता	विवरण
सींग का	**160 cm** तक (नर)।
निर्माण	**~100 kg** तक होता है ।
परत	गर्दन/छाती पर लंबी रफ; सर्दियों में मोटी हो जाती है।
चपलता	फटे खुरों से खड़ी चट्टानों पर चढ़ना आसान हो जाता है।
समाज	नर ज़्यादातर अकेले रहते हैं; मादाएं बच्चों के साथ छोटे झुंड में रहती हैं।

संरक्षण स्थिति और खतरे

कानूनी स्थिति

- **IUCN रेड लिस्ट:** दुनिया भर में खतरे में; **भारत में स्थानीय रूप से गंभीर रूप से खतरे में** ।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची। (उच्चतम संरक्षण)।
- **CITES:** परिशिष्ट ।.

प्रमुख खतरे

- **पशुधन प्रतियोगिता:** भेड़ और बकरियों की मौसमी आमद (अक्सर **30:1** बनाम मार्खोर) **मई-जून के दौरान चारे को कम कर देती है** ।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर का बंटवारा:** हिरपोरा से होकर जाने वाली मुगल रोड और हाई-टेंशन लाइनें कॉरिडोर में रुकावट डालती हैं।
- **पोचिंग:** दूर-दराज के बॉर्डर इलाकों में मीट और ट्रॉफी हॉर्न के लिए बचा हुआ दबाव।
- **मिलिटराइज़ेशन:** LoC और फेंसिंग के पास होने से मूवमेंट और जीन फ्लो में रुकावट आती है।

महत्व

- **इकोलॉजिकल इंडिकेटर:** मौजूदगी एक हेल्दी हाई-एल्टीट्यूड इकोसिस्टम का संकेत देती है।
- **मुख्य भूमिका:** संरक्षण से हिमालय में रहने वाले जीवों को फ़ायदा होता है।
- **ट्रॉफिक महत्व:** एक मुख्य शिकार बेस जो सबसे बड़े शिकारियों को बनाए रखता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **चराई का नियमन:** खास फॉनिंग जगहों (खासकर काज़िनाग) में
रोटेशनल चराई और **एंटी-ग्रेजिंग कैंप ।**
- **ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर:** सड़कों और लीनियर प्रोजेक्ट्स के असर को कम करने के लिए वाइल्डलाइफ कॉरिडोर।
- **कम्युनिटी एंगेजमेंट:** गुज्जर और बकरवाल चरवाहों के साथ पार्टनरशिप; लोकल **"मरखोर वॉचर्स" को शामिल करें।**
- **इंटरनेशनल पहचान: दुनिया भर से सपोर्ट जुटाने के लिए यूनाइटेड नेशंस** ने 2024 में **इंटरनेशनल मार्खोर डे (24 मई)** मनाने का ऐलान किया।

ज़ेहनपोरा स्तूप

प्रसंग

जम्मू और कश्मीर के बारामूला में **ज़ेहनपोरा** में आर्कियोलॉजिकल खुदाई से **2,000 साल पुराना एक बड़ा बौद्ध कॉम्प्लेक्स मिला है। कुषाण काल** की यह खोज, पुराने कश्मीर के मठों की बनावट और शहरी बस्तियों की एक दुर्लभ साइंटिफिक झलक दिखाती है।

साइट के बारे में

- **लोकेशन:** पुराने **सिल्क रूट** कॉरिडोर के साथ, बारामूला जिले (उत्तरी कश्मीर) के ज़ेहनपोरा गांव में स्थित है।
- **बनावट:** 10 एकड़ की एक बड़ी जगह जिसमें कई स्तूप, **अर्द्धवृत्ताकार चैत्य** (प्रार्थना हॉल), **विहार** (भिक्षुओं के घर), और रहने की जगहें हैं।
- **ज्योग्राफिकल लिंक:** कश्मीर और **गांधार इलाके** (आज का अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान) के बीच एक ज़रूरी लिंक के तौर पर मौजूद है।

ऐतिहासिक महत्व

- **कुषाण शिखर (पहली-तीसरी शताब्दी ई.): यह स्थल कनिष्क और हुविष्क** जैसे शासकों के अधीन फला-फूला , यह वह समय था जब कश्मीर **महायान बौद्ध धर्म** के लिए एक वैश्विक शक्ति बन गया था ।

- **बौद्ध धर्म का प्रसार:** कुषाणों के समय, ज़ेहनपोरा जैसी जगहों से बौद्ध दर्शन पहाड़ी दर्रों के ज़रिए **मध्य एशिया और चीन में फैला** ।
- **पुरानी विरासत:** हालांकि ये इमारतें कुषाण काल की हैं, लेकिन ये कश्मीर में बौद्ध परंपरा को दिखाती हैं, जिसे असल में **सम्राट अशोक ने** तीसरी सदी BCE में शुरू किया था।

वास्तुकला संबंधी विशेषताएँ

- **स्तूप जैसे पठार:** इस जगह पर इंसानों के बनाए हुए खास ऊंचे प्लेटफॉर्म हैं जो बड़े स्तूपों के बेस के तौर पर काम करते थे।
- **क्लस्टर्ड लेआउट:** अलग-अलग मंदिरों के उलट, यह नज़ारा एक **मठ जैसे शहर जैसा लगता है** जिसमें आपस में जुड़ी हुई बहुत सारी इमारतें हैं।
- **लकड़ी के सुपरस्ट्रक्चर:** आर्कियोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि पत्थर/मिट्टी के टीलों के ऊपर लकड़ी के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता था, जो हिमालय और गांधार आर्किटेक्चर में एक आम बात है।

आधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषण

साइट को बिना नुकसान पहुंचाए डॉक्यूमेंट करने के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने हाई-टेक टूल्स का इस्तेमाल किया:

- **एरियल मैपिंग:** साइट के लेआउट को समझने के लिए **ड्रोन और एरियल फोटोग्राफी** का इस्तेमाल ।
- **रिमोट सेंसिंग:** दबी हुई दीवारों और नींव की पहचान करने के लिए ज़मीन में गहराई से सर्वे।
- **कम्पेरेटिव एनालिसिस:** रिसर्चर कश्मीर-गांधार सर्किट के खास आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट को मैप करने के लिए ज़ेहनपोरा के "कंस्ट्रक्शन सिग्नेचर" की तुलना दूसरी रीजनल साइट्स से कर रहे हैं।

महत्व

- **बेजोड़ स्केल:** एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस इलाके में कोई दूसरी जगह ज़ेहनपोरा के स्केल से मेल नहीं खाती, जिससे यह कश्मीर के मटीरियल इतिहास के लिए एक "सिग्नेचर" खोज बन जाती है।
- **पढ़ाई का हब:** विहार और शहरी बस्तियों, दोनों की मौजूदगी यह पक्का करती है कि यह सिर्फ़ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि तीर्थयात्रियों, विद्वानों और व्यापारियों के लिए एक **ट्रांस-रीजनल हब था ।**
- **कल्चरल मैपिंग:** यह कश्मीर की भूमिका को "मेल्टिंग पॉट" के तौर पर मज़बूत करता है, जहाँ भारतीय, ग्रीक और फ़ारसी कला का असर यूनिक गांधारन-कश्मीरी स्टाइल में मिल गया।

निष्कर्ष

ज़ेहनपोरा की खुदाई **कुषाण साम्राज्य के** कल्चरल निशान को फिर से बनाने में एक अहम हिस्सा है। इस जगह को बचाकर और उसकी स्टडी करके, भारत सिल्क रूट से अपने ऐतिहासिक लिंक को मज़बूत करता है, और कश्मीर को दुनिया भर में बौद्धिक और धार्मिक लेन-देन के एक पुराने सेंटर के तौर पर दिखाता है।

भारत का पीवी विनिर्माण

प्रसंग

जनवरी 2026 में, **द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) ने भारत क्लाइमेट फोरम 2026** में **"इंडियाज़ PV मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स"** नाम से एक लैंडमार्क रिपोर्ट जारी की । यह रिलीज़ **नेशनल क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन प्लान** के अनावरण के साथ हुई , जिसका मकसद ग्लोबल सोलर सप्लाई चेन में भारत की लीडरशिप को सुरक्षित करना है।

रिपोर्ट के बारे में

- **परिभाषा:** सोलर फोटोवोल्टिक (PV) वैल्यू चेन का एक स्ट्रेटेजिक असेसमेंट, जो पॉलीसिलिकॉन और इनगॉट/वेफर्स से लेकर सेल्स और मॉड्यूल तक फैला हुआ है, और पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी "इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स" की पहचान करता है।
- **मुख्य ट्रेंड्स पर प्रकाश डाला गया:**
  - **चीन की अपस्ट्रीम मोनोपॉली:** ग्लोबल सप्लाई ज़्यादातर चीन में ही है, जो **~98% वेफर्स** और **~92% पॉलीसिलिकॉन** प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है।
  - **भारत की डाउनस्ट्रीम सफलता: भारत ने ~120–144 GW/साल** की कैपेसिटी के साथ "मॉड्यूल लड़ाई जीत ली है" , जो सालाना घरेलू डिमांड से कहीं ज़्यादा है।
  - **"अपस्ट्रीम युद्ध":** मॉड्यूल ग्रोथ के बावजूद, भारत अभी भी लगभग **90% वेफर्स** और लगभग सभी **पॉलीसिलिकॉन इम्पोर्ट करता है** ।
  - **इक्विपमेंट की दिक्कतें: 90%** से ज़्यादा **ज़रूरी मैन्युफैक्चरिंग टूल्स** (जैसे हाई-एंड फर्नेस और डायमंड-वायर आरी) इम्पोर्ट किए जाते हैं, जिससे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज (FX) का खतरा होता है।

मूल्य अधिग्रहण के अवसर

- **अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन:** भारत की बड़ी मॉड्यूल कैपेसिटी (~280 GW 2030 तक अनुमानित) घरेलू पॉलीसिलिकॉन और वेफर यूनिट्स के लिए एक तैयार मार्केट देती है।

- **कम लागत वाली पूंजी:** रिपोर्ट में **4-5% ब्याज** पर पूंजी देने के लिए **"ग्रीन PV बॉन्ड" का प्रस्ताव है** , जिससे पूंजी-गहन "गीगा-फैब्स" अधिक बैंकेबल बन जाएंगे।
- **इनोवेशन हब:** कमर्शियलाइज़ेशन में तेज़ी लाने के लिए शेयर्ड क्लीन रूम और पायलट लैब (HJT/TOPCon टेक्नोलॉजी के लिए) के साथ **सोलर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी पार्क** बनाना ।
- **ESG और सर्कुलरिटी: एक मज़बूत PV रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री** बनाकर और EU/US ट्रेड नॉर्म्स को पूरा करने के लिए "मेड-इन-इंडिया" मॉड्यूल्स के लिए डिजिटल ट्रेसेबिलिटी का इस्तेमाल करके नए मार्केट्स में पहुँचना।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **सप्लाई चेन की कमज़ोरी:** चीनी अपस्ट्रीम इनपुट पर लगभग पूरी तरह से निर्भरता भारतीय डिप्लॉयमेंट को जियोपॉलिटिकल रुकावटों के लिए कमज़ोर बनाती है।
- **ज़्यादा रिस्क की सोच:** पॉलीसिलिकॉन प्लांट के लिए ज़रूरी भारी कैपिटल खर्च, पारंपरिक कमर्शियल फाइनेंसिंग को बहुत महंगा बना देता है।
- **टेक्नोलॉजिकल लैग:** सेल टेक्नोलॉजी में तेज़ी से हो रहे बदलाव (जैसे, PERC से TOPCon/Perovskites तक) से लगातार R&D के बिना मौजूदा घरेलू लाइनें बेकार हो सकती हैं।
- **रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर:** एंड-ऑफ-लाइफ पैनल के लिए स्ट्रक्चर्ड "टेक-बैक" प्रोग्राम की कमी से लंबे समय तक पर्यावरण और रिसोर्स का खतरा रहता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **इकोसिस्टम बनाना:** मैन्युफैक्चरर्स के लिए "टाइम-टू-मार्केट" कम करने के लिए **गुजरात और तमिलनाडु** जैसे राज्यों में खास इंडस्ट्रियल पार्क बनाएं ।
- **फाइनेंशियल डी-रिस्किंग:** कैपिटल की लागत कम करने के लिए सॉवरेन बॉन्ड और **ब्लेंडेड फाइनेंस (NIIF/DFIs के ज़रिए) का इस्तेमाल करें।**
- **वर्कफ़ोर्स रेडीनेस:** एडवांस्ड फ़ैब ऑपरेशन के लिए खास तौर पर ट्रेंड टेक्नीशियन और इंजीनियर की एक पाइपलाइन बनाने के लिए एक **PV-सेमीकंडक्टर स्किल काउंसिल** बनाएं ।
- **सर्कुलर इकॉनमी: MNRE के नेतृत्व वाले कंसोर्टिया** के ज़रिए PV रीसाइक्लिंग को औपचारिक रूप दें ताकि चांदी, सिलिकॉन और हाई-ग्रेड ग्लास जैसी कीमती चीज़ें निकाली जा सकें।

निष्कर्ष

आत्मनिर्भर क्लीनटेक के अगले चरण के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सस्ते फाइनेंस और टेक्नोलॉजी क्लस्टर पर ध्यान देकर, भारत इम्पोर्ट रिस्क को कम कर सकता है और एक कंज्यूमर से सोलर टेक्नोलॉजी के लिए ग्लोबल हब में बदल सकता है।

भारत के डेयरी सेक्टर का डिजिटलीकरण

प्रसंग

नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) ने डेयरी इंडस्ट्री के डिजिटलाइज़ेशन में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, खास तौर पर ट्रेसेबिलिटी और एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए **35.68 करोड़ से ज़्यादा "पशु आधार" ID बनाए हैं।**

समाचार के बारे में

- **दूसरी श्वेत क्रांति:** भारत दूध प्रोडक्शन में दुनिया का लीडर है (दुनिया के प्रोडक्शन का 25%)। डिजिटलाइज़ेशन, सिंपल प्रोडक्शन वॉल्यूम से ट्रेसेबिलिटी, एफिशिएंसी और वैल्यू एडिशन पर फोकस करने की ओर एक बदलाव है।
- **मुख्य रुझान और डेटा:**
  - **प्रोडक्शन ग्रोथ:** 221.06 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ (2021-22), जो पिछले दशक से 73% ज़्यादा है।
  - **डिजिटल इंटीग्रेशन:** 17.3 लाख से ज़्यादा प्रोड्यूसर अब **ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (AMCS) से जुड़ गए हैं** ।
  - **खपत: प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर 444 ग्राम प्रति दिन** हो गई है , जो ग्लोबल औसत से ज़्यादा है।
  - **मार्केट का अनुमान:** यह सेक्टर 2027 तक कई अरब डॉलर के वैल्यूएशन तक पहुंचने की राह पर है।

भारत में डेयरी क्षेत्र का महत्व

- **ग्रामीण आजीविका सुरक्षा: 80 मिलियन** से ज़्यादा परिवारों को रेगुलर इनकम देती है , और फसल खराब होने पर सुरक्षा कवच का काम करती है (जैसे, विदर्भ और मराठवाड़ा में)।
- **आर्थिक योगदान:** अक्सर खेती की GDP में चावल और गेहूं की कुल कीमत से भी ज़्यादा होता है; गुजरात में **अमूल मॉडल** इस कमर्शियल पावर का एक बड़ा उदाहरण है।
- **न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी:** ज़्यादातर शाकाहारी लोगों के लिए ज़रूरी प्रोटीन सोर्स; **मिड-डे मील जैसे सरकारी प्रोग्राम में** विटामिन की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
- **महिला सशक्तिकरण:** डेयरी का काम मुख्य रूप से महिलाएं ही संभालती हैं। ओडिशा जैसे राज्यों में सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) ने कलेक्शन सेंटर्स को मैनेज करके समाज में अपनी पहचान बनाई है।

- **सबको साथ लेकर चलना:** ज़मीन के मालिकाना हक के मुकाबले जानवरों का बंटवारा ज़्यादा बराबर है; **75% ग्रामीण परिवारों के** पास सिर्फ़ 2-4 जानवर हैं, फिर भी वे देश का उत्पादन बढ़ाते हैं।

डिजिटलीकरण के लिए पहल

- **नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन (NDLM):** ब्रीडिंग, हेल्थ और वैक्सीनेशन के लिए एक सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस "भारत पशुधन" बनाता है।
- **पशु आधार:** जानवरों के लिए 12-डिजिट का यूनिक ID ईयर टैग, ताकि जानवरों की पूरी लाइफसाइकल ट्रेसेबिलिटी पक्की हो सके।
- **ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम (AMCS):** फैट टेस्टिंग और पेमेंट को डिजिटाइज़ करता है, जिससे किसानों को सही और तुरंत ट्रांसपेरेंसी मिलती है।
- **NDDB डेयरी ERP (NDERP):** "गाय से लेकर कंज्यूमर तक" पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (ERPNext) का इस्तेमाल करता है।
- **GIS रूट ऑप्टिमाइज़ेशन:** कोऑपरेटिव के लिए खरीद की दूरी और फ्यूल कॉस्ट कम करने के लिए सैटेलाइट मैपिंग का इस्तेमाल करता है।

चुनौतियां

- **कम प्रोडक्टिविटी:** देसी नस्लों के जेनेटिक प्रोफ़ाइल की वजह से औसत पैदावार (987 kg प्रति लैक्टेशन) ग्लोबल औसत (2,038 kg) के आधे से भी कम है।
- **टूटी-फूटी सप्लाई चेन:** 75-85% सरप्लस अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर से होकर जाता है, जहाँ अक्सर खराब होने से बचाने के लिए ज़रूरी कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है।
- **इनपुट कॉस्ट:** मक्का और सोयाबीन (चारा) की बढ़ती कीमतें और चरागाहों की घटती ज़मीन किसानों के प्रॉफ़िट मार्जिन को कम कर रही हैं।
- **क्वालिटी स्टैंडर्ड:** ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा **<1% है** क्योंकि कई प्रोडक्ट्स को यूरोपियन या US के सख्त फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स को पूरा करने में मुश्किल होती है।
- **क्रेडिट एक्सेस:** छोटे किसान अक्सर ज़्यादा ब्याज वाले लोकल साहूकारों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि बैंक जानवरों को ज़्यादा रिस्क वाला एसेट मानते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **नस्ल सुधार:** पैदावार बढ़ाने के लिए सीमेन स्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम (SSMS) के ज़रिए **आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन (AI) और जीनोमिक सिलेक्शन को** बढ़ाना ।
- **कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर:** गांव-लेवल पर बल्क मिल्क चिलर बढ़ाएं और रियल-टाइम में दूध के टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए AMCS का इस्तेमाल करें।
- **वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स:** शहरी मांग को पूरा करने के लिए लिक्विड दूध से पनीर, प्रोबायोटिक्स और ऑर्गेनिक योगर्ट जैसे हाई-मार्जिन आइटम्स पर फोकस करें।
- **एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस:** इंडियन स्टैंडर्ड्स को **कोडेक्स एलिमेंटेरियस के साथ अलाइन करें** और मिडिल ईस्टर्न और साउथ एशियन मार्केट्स में पहुंचने के लिए स्पेशल एक्सपोर्ट ज़ोन बनाएं।
- **फिनटेक इंटीग्रेशन: लाइवस्टॉक क्रेडिट स्कोर** बनाने के लिए "पशु आधार" डेटा का इस्तेमाल करें , जिससे बैंक लोन के लिए डिजिटल रिकॉर्ड को कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकें।

निष्कर्ष

व्हाइट रेवोल्यूशन की पारंपरिक कोऑपरेटिव ताकत को NDLM और AI जैसे कटिंग-एज टूल्स के साथ मिलाकर, भारत एक ट्रांसपेरेंट डेयरी सुपरपावर बन रहा है। यह डिजिटल बदलाव यह पक्का करता है कि टेक्नोलॉजी का फायदा सबसे छोटे किसान तक पहुंचे, जिससे ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन के लिए एक सस्टेनेबल और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन भविष्य पक्का हो।

NASA का आर्टेमिस II मिशन

प्रसंग

जनवरी 2026 तक, NASA ने आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले क्रू मिशन, आर्टेमिस **II के लिए फ़ाइनल इंटीग्रेशन फ़ेज़ में एंट्री कर ली है। स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को जनवरी के आखिर में केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39B पर रोलआउट करने का शेड्यूल है** , और प्राइमरी लॉन्च विंडो **6 फरवरी, 2026 को खुलेगी** ।

मिशन के बारे में

मकसद: चार लोगों के क्रू को चांद के चारों ओर 10 दिन की यात्रा पर भेजना और सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाना। यह मिशन इंसानों वाली जगहों पर ओरियन के लाइफ-सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन और हीट शील्ड परफॉर्मेंस का एक ज़रूरी "लाइव टेस्ट" है।

मिशन प्रोफ़ाइल:

- **टाइप:** क्रू वाला चांद पर उड़ना (कोई लैंडिंग नहीं)।
- **ट्रैजेक्टरी:** एक **हाइब्रिड फ्री-रिटर्न ट्रैजेक्टरी** । ओरियन, ट्रांस-लूनर इंजेक्शन (TLI) बर्न से पहले सिस्टम को चेक करने के लिए पृथ्वी का दो बार चक्कर

लगाएगा, जो इसे चांद के दूर वाले हिस्से के चारों ओर भेजेगा।

- **ऊंचाई: अपने सबसे करीब, ओरियन** चांद की सतह से लगभग **7,400 km ऊपर** उड़ेगा ।
- **वापसी:** स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके धरती की ओर "स्लिंगशॉट" करेगा, और आखिर में तेज़ रफ़्तार से वापस आएगा और **प्रशांत महासागर में उतरेगा** ।

कर्मीदल

इस मिशन ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और इतिहास में सबसे अलग-अलग तरह के लूनर क्रू को ले गया है:

- **रीड वाइसमैन (NASA):** कमांडर; ISS के अनुभवी।
- **विक्टर ग्लोवर (NASA): पायलट;** चांद के आस-पास जाने वाले **पहले अश्वेत व्यक्ति** होंगे ।
- **क्रिस्टीना कोच (NASA): मिशन स्पेशलिस्ट;** चांद पर जाने वाली **पहली महिला** होंगी ।
- **जेरेमी हैनसेन (CSA): मिशन स्पेशलिस्ट;** लो-अर्थ ऑर्बिट छोड़ने वाले **पहले गैर-अमेरिकी** होंगे ।

प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा

- **स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS):** NASA का बनाया अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट, अपने **ब्लॉक 1 कॉन्फ़िगरेशन में** , 8.8 मिलियन पाउंड का थ्रस्ट देता है।
- **ओरियन स्पेसक्राफ्ट:** इसमें क्रू मॉड्यूल (निकनेम **"इंटीग्रिटी"**) और यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल (ESM) शामिल हैं, जो हवा, पानी और प्रोपल्शन देते हैं।
- **O2O सिस्टम: आर्टेमिस II ओरियन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम** दिखाएगा , जिसमें चांद की दूरी से हाई-डेफिनिशन वीडियो भेजने के लिए लेज़र का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पारंपरिक रेडियो तरंगों की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड है।

सामरिक महत्व

- **ब्रिज टू आर्टेमिस III: NASA के लूनर साउथ पोल** पर इंसानी लैंडिंग की कोशिश से पहले सफलता ज़रूरी है (अभी 2027/2028 के लिए टारगेट किया गया है)।
- **डीप स्पेस टेस्टिंग:** बिना क्रू वाले आर्टेमिस I के उलट , यह फ़्लाइट इंसानों को डीप-स्पेस रेडिएशन के संपर्क में लाती है और ओरियन कैप्सूल की "मैनुअल पायलटिंग" क्षमताओं को जांचती है।
- **मंगल ग्रह की शुरुआत:** यह साबित करना कि इंसान सिस्लूनर वॉइड में भी फल-फूल सकते हैं, **मंगल ग्रह** की कई साल की यात्रा के लिए पहला कदम है ।

निष्कर्ष

आर्टेमिस II, डीप स्पेस में लौटने के लिए इंसानियत का "प्रूफ़ ऑफ़ कॉन्सेप्ट" है। जहाँ अपोलो मिशन "वहाँ पहुँचने" के बारे में थे, वहीं आर्टेमिस "वहाँ रहने" के बारे में है। 2026 में चाँद के चारों ओर अलग-अलग तरह के क्रू को भेजकर, NASA एक्सप्लोरेशन के दौर से सस्टेनेबल लूनर प्रेजेंस के दौर में जा रहा है।

"डिजिटल अरेस्ट" स्कैम से निपटना

प्रसंग

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **स्वतः संज्ञान लिया मोटू कोर्ट ने "डिजिटल अरेस्ट" के खतरे को संज्ञान में लेते हुए , लगभग ₹3,000 करोड़** की हेराफेरी को "चौंकाने वाला" बताया। कोर्ट ने **CBI को** पूरे भारत में अधिकार दिया है ताकि वह एक साथ मिलकर कार्रवाई कर सके, और राज्यों की पारंपरिक सहमति की ज़रूरतों को दरकिनार करते हुए तेज़ी से और मिलकर कार्रवाई सुनिश्चित कर सके।

मुद्दे के बारे में

"डिजिटल अरेस्ट" क्या है?

यह एक एडवांस्ड **साइबर-एक्सटॉर्शन स्कैम है** जिसमें धोखेबाज़ कानून लागू करने वाले अधिकारियों (CBI, ED, पुलिस, या जज भी) का रूप धारण करके वीडियो कॉल के ज़रिए पीड़ितों को यकीन दिलाते हैं कि वे "गिरफ्तार" हैं।

कार्यप्रणाली:

1. **शुरुआती खतरा:** पीड़ितों को एक कॉल आता है जिसमें उन पर गैर-कानूनी कामों (जैसे, ड्रग्स से भरे पार्सल, मनी लॉन्ड्रिंग, या "खून से सने कपड़े") में शामिल होने का आरोप लगाया जाता है।
2. **धोखा: धोखेबाज़ लोग** नकली पुलिस स्टेशन के बैकग्राउंड के सामने बैठकर और नकली यूनिफॉर्म पहनकर कॉल को **Skype या WhatsApp वीडियो पर ले जाते हैं।**
3. **एक्सटॉर्शन:** वे विक्टिम को "डिजिटल तरीके से अरेस्ट" करते हैं, और उनसे घंटों या दिनों तक कैमरे पर रहने की मांग करते हैं, और आखिर में उन्हें फिजिकल अरेस्ट से बचने के लिए "सिक्योरिटी डिपॉजिट" या "फाइन" को नकली RBI/एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते हैं।

कानूनी तथ्य:

भारत में "डिजिटल अरेस्ट" कोई कानूनी कॉन्सेप्ट नहीं है। कानून लागू करने वाली एजेंसियां वीडियो कॉल के ज़रिए गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई नहीं करती हैं। **BNSS (भारतीय कानून) के तहत नागरिक सुरक्षा**

संहिता के अनुसार , सभी गिरफ्तारियों में सख्त फिजिकल प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है।

सरकार और न्यायिक प्रतिक्रिया

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:

- **पूरे भारत में CBI जांच:** CBI को पूरे देश में इन सिंडिकेट की जांच करने का अधिकार है, जो **"गोल्डन ट्राएंगल"** (लाओस, म्यांमार, कंबोडिया) में ऑफशोर नेटवर्क को टारगेट करते हैं।
- **बैंक की जवाबदेही:** कोर्ट ने म्यूल अकाउंट की इजाज़त देने में बैंक की गलतियों को **"सर्विस में कमी" बताया** और RBI **को** रियल-टाइम फ्रॉड का पता लगाने के लिए AI/ML टूल्स इस्तेमाल करने के लिए कहा ।
- **टेलीकॉम नॉर्म्स:** डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स (DoT) को **KYC नॉर्म्स को कड़ा करने** और एक ही ID पर कई SIM जारी करने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया।

इंटर-डिपार्टमेंटल कमिटी (IDC): 26 दिसंबर, 2025 को रियल-टाइम इम्प्लीमेंटेशन गैप की जांच के लिए बनाई जाएगी ।

- **अध्यक्ष:** विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय (एमएचए)।
- **सदस्य:** MeitY , DoT , RBI, CBI, NIA और भारत के अटॉर्नी जनरल के वरिष्ठ अधिकारी ।
- **सदस्य सचिव:** भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के CEO।

I4C (भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) की भूमिका

I4C साइबर क्राइम के खिलाफ नेशनल लड़ाई को कोऑर्डिनेट करने के लिए सेंट्रल नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है।

- **हेल्पलाइन 1930: पीड़ितों के लिए "गोल्डन आवर"** के दौरान धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने का मुख्य टूल, ताकि बैंकिंग सिस्टम से निकलने से पहले निकाले गए पैसे को फ्रीज किया जा सके।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लॉक करना:** अब तक, I4C ने इन स्कैम से जुड़े **83,000 से ज़्यादा WhatsApp अकाउंट** और **3,900 Skype ID को एक्टिवली ब्लॉक किया है।**
- **समन्वय और प्रतिबिम्ब :** साइबर क्रिमिनल्स की लोकेशन मैप करने और क्राइम सिंडिकेट के इंटर-स्टेट लिंकेज को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म।

कार्य योजना और आगे का रास्ता

- **रियल-टाइम ब्लॉकिंग:** DoT और टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के बीच एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो इंडियन नंबर के तौर पर दिखने वाली इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल्स को ब्लॉक करता है।
- **मध्यस्थ जवाबदेही:** MeitY , AI फिल्टर का इस्तेमाल करके फ्रॉड ID का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए **Google, WhatsApp और Microsoft** जैसे प्लेटफॉर्म को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है ।
- **जन जागरूकता:** एक विशाल "रुको, सोचो, कार्रवाई करो" अभियान (*मन की बात* में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आगे बढ़ाया गया) *Baat*) का मकसद सीनियर सिटिज़न जैसे कमज़ोर ग्रुप्स पर है।
- **सस्पेक्ट रजिस्ट्री:** साइबर-फ्रॉड के जाने-पहचाने आइडेंटिफायर का एक शेयर्ड डेटाबेस, जो सभी बैंकों के लिए उपलब्ध है ताकि संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन को तुरंत मना किया जा सके।

निष्कर्ष

"डिजिटल अरेस्ट" स्कैम कानून और व्यवस्था के डर का इस्तेमाल करके मासूम नागरिकों का फ़ायदा उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का "आयरन हैंड" तरीका, I4C के टेक्नोलॉजी वाले दखल के साथ मिलकर, इन ट्रांसनेशनल सिंडिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने और डिजिटल गवर्नेंस में लोगों का भरोसा वापस लाने का मकसद रखता है।

पैक्स सिलिका पहल

प्रसंग

अमेरिका ने घोषणा की है कि **भारत को फरवरी 2026 में पैक्स सिलिका पहल में फुल मेंबर के तौर पर** शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा । यह दिसंबर 2025 में ग्रुप के लॉन्च से भारत को शुरुआती तौर पर बाहर रखने के बाद हुआ है और यह ग्लोबल AI और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में भारत को "भरोसेमंद पार्टनर" के तौर पर शामिल करने के लिए अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पहल का संकेत है।

पैक्स सिलिका पहल के बारे में

यह क्या है?

पैक्स सिलिका एक US-लेड इकोनॉमिक सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है। इसका मकसद **सिलिकॉन** , **सेमीकंडक्टर** , **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** , **ज़रूरी मिनरल्स** और **एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सुरक्षित, मज़बूत और इनोवेशन पर आधारित ग्लोबल सप्लाई चेन बनाना है। "** पैक्स सिलिका" नाम एक नियम-आधारित टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर (पैक्स) को दिखाता है जो सिलिकॉन-बेस्ड कंप्यूटिंग (सिलिका) पर केंद्रित है।

लॉन्च किया गया: इस पहल को US डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट लीड कर रहा है और इसका औपचारिक उद्घाटन **12 दिसंबर,**

2025 को वाशिंगटन, DC में पहले पैक्स सिलिका समिट में किया गया था।

शामिल राष्ट्र:

- **संस्थापक सदस्य:** संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड।
- **नए/संभावित सदस्य: भारत** (जनवरी 2026 को बुलाया गया), संयुक्त अरब अमीरात (UAE), और कतर।
- **स्पेशल गेस्ट/पार्टनर:** ताइवान, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और OECD.

पहल की मुख्य विशेषताएं

- **पूर्ण-स्टैक कवरेज:** संकीर्ण चिप गठबंधनों के विपरीत, पैक्स सिलिका संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करता है - **महत्वपूर्ण खनिजों** और ऊर्जा इनपुट के निष्कर्षण से लेकर उच्च अंत **निर्माण** , एआई बुनियादी ढांचे (डेटा सेंटर) और लॉजिस्टिक्स तक।
- **भरोसेमंद इकोसिस्टम: सहयोग सिर्फ़ उन देशों तक सीमित है जो डेटा सिक्योरिटी के ऊंचे स्टैंडर्ड के लिए कमिटेड हैं,** जिससे "दुश्मनों" द्वारा **जासूसी , तोड़-फोड़ या टेक्नोलॉजी चोरी** का खतरा कम होता है ।
- **नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी:** यह फ्रेमवर्क इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि "कंप्यूट" और उसे खिलाने वाले मिनरल्स को कंट्रोल करना 21वीं सदी में नेशनल पावर के लिए ज़रूरी है।
- **एंटी-कोर्शियन कोऑर्डिनेशन:** सदस्य **एक्सपोर्ट कंट्रोल , इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग, और डंपिंग** जैसे नॉन-मार्केट तरीकों पर जवाब देने के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं , ताकि किसी एक देश को सप्लाई चेन पर निर्भरता को हथियार बनाने से रोका जा सके।
- **इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज़ेशन:** यह जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक को-इन्वेस्टमेंट को आसान बनाता है, जैसे पार्टनर देशों में नए सेमीकंडक्टर " फैब्स " और प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट कैपिटल को एक साथ लाना।

भारत के लिए महत्व

- **स्ट्रेटेजिक "हाई टेबल":** भारत का शामिल होना, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए एक भरोसेमंद अल्टरनेटिव हब के तौर पर उसकी पहचान दिखाता है, जो ईस्ट एशिया में कंसन्ट्रेटेड प्रोडक्शन से हट रहा है।
- **सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा:** पैक्स सिलिका में शामिल होने से भारत को हाई-एंड चिप टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) में तेज़ी आएगी** ।
- **क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी:** क्योंकि भारत अभी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए इम्पोर्ट पर निर्भर है, यह पार्टनरशिप सोर्स को अलग-अलग करने और EV और डिफेंस सेक्टर के लिए रॉ मटीरियल सुरक्षित करने में मदद करती है।
- **रिश्ते सुधारना:** इस न्योते को US का एक बड़ा डिप्लोमैटिक कदम माना जा रहा है ताकि ट्रेड रिश्तों में अनिश्चितता के दौर के बाद नई दिल्ली के साथ स्ट्रेटेजिक रिश्तों को स्थिर और गहरा किया जा सके।

चुनौतियां

- **कैपेसिटी गैप:** नीदरलैंड (ASML) या साउथ कोरिया (Samsung) जैसे पहले से मौजूद देशों के मुकाबले भारत में अभी भी कटिंग-एज लॉजिक फाउंड्री और बड़े पैमाने पर मिनरल रिफाइनिंग कैपेसिटी की कमी है।
- **पॉलिसी अलाइनमेंट:** इस ग्रुप में शामिल होने के लिए भारत को US के **एक्सपोर्ट कंट्रोल** और इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग स्टैंडर्ड के साथ और करीब से जुड़ना पड़ सकता है, जिससे दूसरे ट्रेड रिश्तों पर असर पड़ सकता है।
- **लागू करने की स्पीड:** आलोचकों का कहना है कि हाई-लेवल घोषणाएं ज़रूरी हैं, लेकिन असली टेस्ट यह होगा कि जॉइंट वेंचर और फैब कंस्ट्रक्शन ज़मीन पर कितनी तेज़ी से होते हैं।

निष्कर्ष

पैक्स सिलिका पारंपरिक ग्लोबलाइज़ेशन से **"फ्रेंड-शोरिंग" और भरोसेमंद ब्लॉक्स** के सिस्टम में बदलाव को दिखाता है । भारत के लिए, इस पहल में शामिल होना सिर्फ़ एक आर्थिक मौका नहीं है, बल्कि यह पक्का करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है कि वह AI से चलने वाले वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे आगे रहे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की "बैकबोन" को सुरक्षित करके, भारत का मकसद ग्लोबल सिलिकॉन वैल्यू चेन में एक कंज्यूमर से एक मुख्य प्रोवाइडर में बदलना है।

एरोसोल

प्रसंग

IIT मद्रास की एक बड़ी स्टडी, जो *साइंस एडवांसेज़* में छपी है, से पता चला है कि एरोसोल प्रदूषण पूरे उत्तर भारत में सर्दियों में बढ़ते कोहरे का मुख्य कारण है। रिसर्च एक "दुष्चक्र" पर रोशनी डालती है, जहाँ एरोसोल न केवल कोहरे को बढ़ाते हैं, बल्कि इसे काफी घना और लंबे समय तक चलने वाला भी बनाते हैं, जिससे गंगा के मैदानी इलाकों में एविएशन और पब्लिक हेल्थ पर असर पड़ता है।

एरोसोल के बारे में

क्या रहे हैं?

एरोसोल वायुमंडल में मौजूद छोटे ठोस या लिक्विड कण होते हैं। इनका आकार कुछ नैनोमीटर से लेकर कई माइक्रोमीटर तक होता है और ये कई दिनों या हफ़्तों तक हवा में रह सकते हैं।

उत्पत्ति और प्रकार:

- **नेचुरल सोर्स:** रेगिस्तान से मिनरल डस्ट, समुद्री स्प्रे (नमक), ज्वालामुखी की राख, और जंगल की आग से निकलने वाला धुआं।
- **इंसानी सोर्स:** गाड़ियों का धुआँ, इंडस्ट्रियल धुआँ, बायोमास जलाना (फसल का बचा हुआ हिस्सा), और कोयला जलाना।
- **गठन:**
  - **प्राइमरी एरोसोल:** सीधे पार्टिकल्स के रूप में निकलते हैं (जैसे, कालिख/ब्लैक कार्बन)।
  - **सेकेंडरी एरोसोल: सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन** ऑक्साइड जैसी गैसों के केमिकल रिएक्शन से हवा में बनते हैं ।

मुख्य निष्कर्ष: आईआईटी मद्रास अध्ययन (2026)

स्टडी में **AODFOG** (एयरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ अबव फॉग) नाम का एक नया मेट्रिक बताया गया है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोहरे की परत के ऊपर का प्रदूषण उसके व्यवहार पर कैसे असर डालता है।

- **फॉग इनविगोरेशन:** ज़्यादा एरोसोल कंसंट्रेशन "बीज" (क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्ली) की तरह काम करते हैं, जिससे ज़्यादा पानी की भाप कंडेंस हो जाती है।
- **गाढ़ा होने का तरीका: बहुत ज़्यादा प्रदूषण वाले दिनों में, उत्तर भारत में कोहरे की परतें 15–20% ज़्यादा मोटी** पाई गईं (400–600 मीटर की ऊंचाई तक)।
- **वर्टिकल मिक्सिंग:** कोहरे की परत के ऊपर मौजूद एरोसोल रेडिएटिव कूलिंग और लेटेंट हीट रिलीज़ को बढ़ाते हैं, जिससे बॉयन्सी बनती है और कोहरे को "हिलाती" है, जिससे वह फैल नहीं पाता।
- **रात में तेज़ी:** यह "ताज़गी" रात में सबसे ज़्यादा होती है, जिससे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर अक्सर ज़ीरो-विज़िबिलिटी की स्थिति देखी जाती है।

एरोसोल के निहितार्थ

1. पर्यावरण और मौसम

- **बादल बनना:** एरोसोल बादलों के लिए ज़रूरी हैं; उनके बिना, पानी की भाप के पास कंडेंस होने के लिए कोई सतह नहीं होगी।
- **एल्बेडो इफ़ेक्ट:** रिफ्लेक्टिव एरोसोल (जैसे सल्फेट) सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में भेज देते हैं, जिससे **दुनिया भर में रोशनी कम हो जाती है** और सतह ठंडी हो जाती है।
- **वार्मिंग इफ़ेक्ट:** एब्ज़ॉर्प्टिव एरोसोल (जैसे ब्लैक कार्बन या कालिख) सोलर एनर्जी को सोख लेते हैं, जिससे ऊपरी एटमॉस्फियर गर्म हो जाता है और सरफेस ठंडा हो जाता है—इससे हवा स्टेबल हो जाती है और पॉल्यूटेंट्स ज़मीन के पास फंस जाते हैं।

2. सार्वजनिक स्वास्थ्य

- **सांस पर असर:** छोटे कण ($PM _{ 2.5}$) फेफड़ों में गहराई तक घुस जाते हैं और खून में मिल जाते हैं, जिससे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस बिगड़ जाता है।
- **कार्डियोवैस्कुलर समस्याएं:** लंबे समय तक संपर्क में रहने से दिल की बीमारी और स्ट्रोक हो सकता है।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

- **फीडबैक लूप:** कोहरा एरोसोल को ज़मीन के पास फंसा लेता है, जिससे कोहरा और घना हो जाता है, जिससे "बहुत ज़्यादा धुंधलेपन" की स्थिति बनती है, जहाँ प्रदूषण का लेवल 30–40% तक बढ़ जाता है।
- **रीजनल ट्रांसपोर्ट:** रिसर्च से पता चलता है कि उत्तर भारत से एरोसोल दक्षिण-पूर्वी तट (चेन्नई) तक जा सकते हैं, जिससे हज़ारों किलोमीटर दूर हवा की क्वालिटी खराब हो सकती है।
- **पॉलिसी की ज़रूरतें:** सर्दियों के कोहरे से निपटने के लिए सिर्फ़ "विज़िबिलिटी मैनेज करने" के बजाय बायोमास जलाने और गाड़ियों से होने वाले एयरोसोल एमिशन को तेज़ी से कम करने की ज़रूरत है।

निष्कर्ष

एरोसोल को अब सिर्फ़ प्रदूषण का बायप्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक्टिव "वेदर मेकर्स" के तौर पर देखा जाता है। इन छोटे पार्टिकल्स की कोहरे को घना करने और लोकल टेम्परेचर को बदलने की काबिलियत उन्हें भारत के क्लाइमेट और पब्लिक सेफ्टी स्ट्रेटेजी में एक ज़रूरी फैक्टर बनाती है।

भाषिणी समुदाये

प्रसंग

जनवरी 2026 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत **डिजिटल इंडिया भाषा विभाग (DIBD) ने नई दिल्ली में "भाषा समुदाय : भारत के भाषा AI इकोसिस्टम को मजबूत करना" वर्कशॉप** आयोजित की । इस इवेंट का फोकस डिजिटल रुकावटों को खत्म करने के लिए एक सहयोगी, स्वतंत्र और समावेशी भाषा AI लैंडस्केप बनाने पर था।

भाषिनी समुदाये के बारे में

यह क्या है?

भाषिनी समुदाय (मतलब "कम्युनिटी") एक मिलकर काम करने वाला इकोसिस्टम है जिसे भारतीय भाषा के AI टूल्स को मिलकर बनाने, चलाने और बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस मॉडल के तौर पर काम करता है जो सरकारी एजेंसियों, एकेडेमिया, स्टार्टअप्स और सिविल सोसाइटी को भाषाओं के लिए **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) बनाने के लिए जोड़ता है।**

इसे **डिजिटल इंडिया भाषा विभाग (DIBD) ने डेवलप किया है, जो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन (NLTM)** की एक मुख्य इम्प्लीमेंटेशन ब्रांच है ।

मुख्य विशेषताएं और पहल

- **पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस:** टॉप-डाउन पॉलिसी से हटकर कम्युनिटी-लेड मॉडल की ओर बढ़ता है जिसमें भाषा एक्सपर्ट, डेटा प्रैक्टिशनर और रिसर्चर शामिल होते हैं।
- **भाषादान :** एक क्राउडसोर्सिंग प्लेटफॉर्म जहां नागरिक अपनी मूल भाषाओं (शेड्यूल और नॉन-शेड्यूल दोनों बोलियों) में AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए वॉइस और टेक्स्ट डेटा देते हैं।
- **डेटासेट ऑनबोर्डिंग सपोर्टिंग टीम (DOST): गेट्स फाउंडेशन** के सहयोग से 2026 में लॉन्च किया गया , DOST BHASHINI और AI Kosh में इंटीग्रेशन के लिए हाई-वैल्यू डेटासेट को पहचानने और तैयार करने में मदद करता है ।
- **वॉइस-फर्स्ट गवर्नेंस:** यह कम पढ़े-लिखे या डिजिटल रूप से वंचित लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए स्पीच-टू-स्पीच ट्रांसलेशन को प्राथमिकता देता है।
- **मल्टीमॉडल क्षमताएं:** इसमें 22+ भाषाओं में रियल-टाइम ट्रांसलेशन, ऑटोमेटेड स्पीच रिकग्निशन (ASR), और टेक्स्ट-टू-स्पीच (TTS) शामिल हैं।

महत्व

- **डिजिटल इन्क्लूजन:** यह पक्का करता है कि टेक्नोलॉजी 1,300+ मातृभाषाओं में उपलब्ध हो, ताकि भाषा डिजिटल सेवाओं में रुकावट न बने।
- **सॉवरेन AI:** देसी, बायस-अवेयर और एथिकल सोर्स वाले डेटासेट बनाकर विदेशी भाषा के मॉडल पर निर्भरता कम करता है।
- **सेक्टोरल इम्पैक्ट:** AI मॉडल्स को **जस्टिस** (सुप्रीम कोर्ट के फैसले), **एजुकेशन** (लर्निंग मटीरियल), **हेल्थ** और **एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा रहा है** ।
- **कल्चरल प्रिजर्वेशन:** यह उन क्षेत्रीय बोलियों और आदिवासी भाषाओं को डिजिटाइज़ और सुरक्षित रखने में मदद करता है जिन्हें अक्सर मेनस्ट्रीम टेक कंपनियां नज़रअंदाज़ कर देती हैं।

निष्कर्ष

भाषानी समुदाय AI को डेमोक्रेटाइज़ करने की भारत की इच्छा को दिखाता है। भाषा को प्राइवेट एसेट के बजाय एक साझा पब्लिक गुड मानकर, यह मिशन यह पक्का करता है कि डिजिटल इकॉनमी के फ़ायदे आखिरी मील तक पहुँचें, और **" भाषा " के विज़न को पूरा करें। अनेक , भारत एक "** ।

झारखंड में 25 साल बाद पेसा कानून लागू हुआ

प्रसंग

झारखंड ने **झारखंड PESA रूल्स, 2025 को नोटिफाई किया** , जिससे राज्य बनने के बाद से 25 साल की देरी खत्म हो गई। झारखंड हाई कोर्ट के लगातार न्यायिक दबाव और आदिवासी संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद, इस कदम से राज्य के **पांचवें शेड्यूल वाले इलाकों में औपचारिक आदिवासी स्व-शासन का विस्तार हुआ है।**

समाचार के बारे में

पेसा क्या है?

पंचायत **(शेड्यूल एरिया तक विस्तार) एक्ट, 1996 (PESA)** एक सेंट्रल कानून है जो संविधान के पार्ट IX (पंचायती राज) के नियमों को पांचवीं शेड्यूल एरिया तक बढ़ाता है। यह **ग्राम सभा को लोकल** गवर्नेंस, आदिवासी कल्चर और रिसोर्स की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी मानता है ।

PESA एक्ट का मुख्य इतिहास:

- **कॉलोनियल विरासत:** ऐतिहासिक रूप से, ब्रिटिश ज़मीन और जंगल के कानूनों ने आदिवासी समुदायों को हटा दिया, और उनके पुरखों की ज़मीन के पारंपरिक इस्तेमाल को अपराध बना दिया।
- **भूरिया समिति (1994-95): सिफारिश की गई कि जनजातीय क्षेत्रों को एक विशेष शासन मॉडल की आवश्यकता है जहां** नौकरशाही के बजाय ग्राम सभा संसाधनों को नियंत्रित करती है।
- **73वें अमेंडमेंट में कमी:** 1992 के अमेंडमेंट में पंचायती राज की शुरुआत हुई, लेकिन उनके खास सामाजिक ताने-बाने को बचाने के लिए शुरू में शेड्यूल्ड एरिया को इससे बाहर रखा गया, जिससे 1996 में PESA कानून बना।

झारखंड पेसा नियमों की मुख्य विशेषताएं

- **ग्राम सभा की प्राथमिकता: हर रेवेन्यू गांव के लिए** एक ग्राम सभा को मान्यता दी जाती है । प्रेसिडेंट ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे गांव **पारंपरिक रीति-रिवाजों**

(जैसे, मानकी-मुंडा या माझी-परगना सिस्टम) के अनुसार मान्यता देता हो।

- **नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट:** ग्राम सभाओं के पास अब **माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (MFP)** , गांव के वॉटर बॉडीज़ और **माइनर मिनरल्स** (जैसे रेत और पत्थर) पर अधिकार होगा ।
- **ज़मीन की सुरक्षा: किसी भी ज़मीन अधिग्रहण से पहले** ग्राम सभा से सलाह लेना ज़रूरी है। इन नियमों का मकसद गैर-कानूनी ज़मीन ट्रांसफर को रोकना और उसे पलटना है।
- **विवाद सुलझाना:** गांवों को लोकल झगड़े सुलझाने का अधिकार है और वे सोशल या छोटे-मोटे अपराधों के लिए जुर्माना (₹2,000 तक) लगा सकते हैं।
- **पुलिस की जवाबदेही: अधिकारियों को** अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी गिरफ्तारी के **48 घंटे** के अंदर ग्राम सभा को सूचित करना होगा।
- **फाइनेंशियल ऑटोनॉमी:** ग्राम सभाएं अपने फंड (फूड, लेबर और कैश फंड) खुद मैनेज कर सकती हैं और **डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT)** फंड के इस्तेमाल में उनकी राय हो सकती है।

सफलताएँ और संभावित प्रभाव

- **पहचान की बहाली:** यह मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से पहले के पारंपरिक गवर्नेंस सिस्टम को कानूनी तौर पर सही ठहराता है।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** MFP की ओनरशिप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कम्युनिटी को देने से इकट्ठा करने वाले स्टेकहोल्डर बन जाते हैं।
- **डेमोक्रेटिक इन्क्लूजन:** नियमों के मुताबिक कोरम पूरा करने के लिए **हर घर में एक पुरुष और एक महिला का होना ज़रूरी है** , जिससे जेंडर-इन्क्लूसिव फैसले लेना पक्का हो सके।
- **रिसोर्स सॉवरिन्टी:** सफल मॉडल (जैसे गढ़चिरौली में) दिखाते हैं कि कम्युनिटी के नेतृत्व में रेत या बांस का मैनेजमेंट लोकल स्कूलों और हेल्थकेयर के लिए अच्छा-खासा रेवेन्यू पैदा कर सकता है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **ब्यूरोक्रेटिक निगरानी:** आलोचकों का कहना है कि नियम अभी भी गांव की सीमाओं के नोटिफिकेशन के बारे में **डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर को बहुत ज़्यादा पावर देते हैं।**
- **"अस्पष्टताओं का चक्रव्यूह":** कानूनी जानकारों का कहना है कि ग्राम सभा "सर्वोच्च" है, लेकिन कई झगड़ों में आखिरी आर्बिट्रेशन का अधिकार जिला प्रशासन के पास ही रहता है।
- **बड़े प्रोजेक्ट्स से बाहर रखना:** ये नियम ज़्यादातर *छोटे* मिनरल्स और जंगल की पैदावार पर फोकस करते हैं, जिससे अक्सर *बड़े* माइनिंग या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में ग्राम सभाओं को किनारे कर दिया जाता है।
- **खंडित शासन: पीईएसए और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006** के बीच सामंजस्य की कमी है , जिसके कारण अधिकार क्षेत्र में ओवरलैप और भ्रम की स्थिति पैदा होती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **लीगल कन्वर्जेंस:** PESA नियमों को FRA और **समता जजमेंट के साथ सिंक्रोनाइज़ करें** ताकि यह पक्का हो सके कि सभी एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज़ के लिए कम्युनिटी की सहमति पर कोई समझौता नहीं हो सकता।
- **कैपेसिटी बिल्डिंग:** ग्राम सभाओं को बजट और डेवलपमेंट प्लानिंग मैनेज करने के लिए इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट और टेक्निकल ट्रेनिंग देना।
- **TAC को मज़बूत करना:** ट्राइब्स **एडवाइज़री काउंसिल (TAC) को** इसे राज्य की ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ने के बजाय, लागू करने की निगरानी में ज़्यादा एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए।
- **न्यायिक समाधान :** PESA उल्लंघन को आम अदालतों की देरी के बिना संभालने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में खास शिकायत निवारण निकाय बनाएं।

निष्कर्ष

PESA सिर्फ़ एक कानून से कहीं ज़्यादा है; यह भारत के आदिवासी इलाकों के लिए **"सेल्फ़-रूल" (ग्राम स्वराज) का एक संवैधानिक वादा है। झारखंड का नोटिफ़िकेशन एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ग्राम** सभा एक असली लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर काम करती है या सिर्फ़ एक प्रोसेस वाली फ़ॉर्मैलिटी है। असली एम्पावरमेंट के लिए पावर को " दिकु " (बाहरी लोग/ब्यूरोक्रेसी) से वापस कम्युनिटी को देना होगा।

बच्चों में जल्दी निवेश

प्रसंग

2026 की शुरुआत में, पॉलिसी एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत के लिए अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाने के लिए बेसिक लर्निंग गैप को दूर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे-जैसे भारत 2047 तक $30-ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का टारगेट बना रहा है, बचपन में इन्वेस्टमेंट पर बहस तेज़ हो गई है, जिससे यह पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ असल में शुरुआती ह्यूमन डेवलपमेंट पर निर्भर करती है।

समाचार के बारे में

परिभाषा: अर्ली इन्वेस्टमेंट का मतलब है गर्भधारण से पहले से लेकर आठ साल की उम्र तक (पहले 3,000 दिन) सिस्टमैटिक पब्लिक और सोशल सपोर्ट। इसमें न्यूट्रिशन, हेल्थ, इमोशनल केयर और कॉग्निटिव स्टिम्युलेशन शामिल हैं।

मुख्य रुझान:

- **फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी (FLN):** ग्रेड 3 तक बेसिक रीडिंग और मैथ पक्का करने की दिशा में एक बदलाव; लोकल मातृभाषा में पढ़ाने से बोलने में 12% की बढ़ोतरी हुई है।
- **एकीकृत पोषण और शिक्षा:** मिशन सक्षम के तहत आंगनवाड़ी के दो लाख से ज़्यादा सेंटर्स को डिजिटल टूल्स से अपग्रेड किया गया है ताकि " पोषण " को "पढ़ाई" के साथ मिलाया जा सके।
- **सीखने में कमी:** लगभग सभी स्टूडेंट्स के एडमिशन के बावजूद, ASER की रिपोर्ट बताती है कि कुछ इलाकों में ग्रेड 5 के लगभग 40% स्टूडेंट्स को अभी भी ग्रेड 2 लेवल के सुधार वाले सपोर्ट की ज़रूरत है।
- **नए ज़माने के रिस्क:** ज़्यादा स्क्रीन टाइम और आराम वाली लाइफस्टाइल की वजह से शहरी बच्चों में डिजिटल आई स्ट्रेन और इमोशनल अकेलेपन में 15% की बढ़ोतरी हुई है।

प्रारंभिक निवेश का महत्व

- **बायोलॉजिकल विंडो:** लगभग 85% दिमाग का विकास छह साल की उम्र तक हो जाता है। शुरुआती बातचीत से पांच साल की उम्र तक वोकैबुलरी तीन गुना बढ़ सकती है।
- **हेकमैन कर्व:** इकोनॉमिक रिसर्च से पता चलता है कि बचपन में खर्च पर रिटर्न बाद के इलाज से कहीं ज़्यादा होता है। नीति आयोग का अनुमान है कि बचपन में खर्च किए गए ₹1 से भविष्य में इलाज के खर्च में ₹11 की बचत होती है।
- **इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी:** अच्छी प्रीस्कूलिंग का संबंध बड़े होने पर एंट्री-लेवल सैलरी में लगभग 20% ज़्यादा होने से है।
- **सामाजिक बराबरी:** जल्दी दखल देने से पीढ़ियों के बीच गरीबी को बढ़ने से रोका जा सकता है और भरोसेमंद चाइल्डकेयर देकर महिलाओं की लेबर फ़ोर्स में हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है।
- **पब्लिक सेविंग्स:** अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ECCE) में ज़्यादा कवरेज से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों और जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में 25% की कमी आई है।

नीति और संस्थागत ढांचा

वर्तमान पहल:

- **आई.सी.डी.एस. (1975):** आंगनवाड़ी के माध्यम से पोषण और स्वास्थ्य जांच प्रदान करने वाली आधारभूत योजना ।
- **NEP 2020:** 5+3+3+4 स्ट्रक्चर पेश किया गया, जिससे ECCE को फॉर्मल स्कूलिंग फ्रेमवर्क में फॉर्मल तौर पर शामिल किया गया।
- **NIPUN भारत:** एक मिशन-मोड प्रोजेक्ट जिसका मकसद ग्रेड 3 के आखिर तक सभी को बुनियादी साक्षरता और गिनती सिखाना है।
- **मिशन पोषण 2.0:** पोषण पर केंद्रित भी , पढ़ाई भी "होली ग्रोथ के लिए फिलॉसफी।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- **गवर्नेंस साइलो:** माँ-बच्चे के हेल्थ रिकॉर्ड और स्कूल एनरोलमेंट डेटाबेस के बीच तालमेल की कमी।
- **शैक्षणिक अंतराल:** आंगनवाड़ी वर्कर अक्सर प्राइमरी हेल्थ/न्यूट्रिशन प्रोवाइडर होती हैं और उन्हें बचपन की पढ़ाई-लिखाई में खास ट्रेनिंग की कमी होती है।
- **स्कूल की तैयारी:** गांव के एक-तिहाई बच्चे Grade 1 में बिना बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स जैसे आकार या रंग पहचानने के आते हैं।
- **बजट की कमी:** ECCE पर खर्च कुल शिक्षा बजट का एक छोटा सा हिस्सा है, जो GDP के लगभग 0.1% के आस-पास है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **नेशनल ECCD मिशन:** एक ऐसा मिशन बनाना जो पॉलिसी के बिखराव को रोकने के लिए गर्भधारण से पहले से लेकर आठ साल की उम्र तक हेल्थ, न्यूट्रिशन और लर्निंग को जोड़े।
- **स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन:** बच्चों के लिए आसान ट्रांज़िशन और शेयर्ड रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन पक्का करने के लिए आंगनवाड़ी को प्राइमरी स्कूलों के साथ को-लोकेशन करें ।
- **माता-पिता की सहभागिता:** माता-पिता को रिस्पॉन्सिव केयरगिविंग और "एक्टिव प्ले" की ट्रेनिंग देने के लिए पूरे देश में प्रोग्राम शुरू करें , ताकि घर के माहौल में स्टिम्युलेशन बनी रहे ।
- **कानूनी अधिकार:** 3-6 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार (RTE) एक्ट के तहत लाने पर विचार करें, ताकि अच्छी प्रीस्कूल तक पहुंच एक कानूनी अधिकार बन सके।
- **पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप:** आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने और हाई-क्वालिटी लर्निंग किट देने के

लिए CSR और समाज सेवा के लिए फंडिंग का इस्तेमाल करें ।

निष्कर्ष

भारत के भविष्य के वर्कफ़ोर्स की दिशा आंगनवाड़ियों और शुरुआती क्लासरूम में तय होती है। पहले 3,000 दिनों में इन्वेस्ट करना सोशल वेलफेयर का मामला नहीं है, बल्कि देश बनाने के लिए एक ज़रूरी स्ट्रेटेजिक बात है। एक मज़बूत बुनियाद के बिना, भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षा की ऊंचाई को बनाए नहीं रखा जा सकता।

इच्छामृत्यु

प्रसंग

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है । हरीश राणा एक 31 साल के आदमी हैं जो गिरने के बाद 13 साल से ज़्यादा समय से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट (PVS) में हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने परिवार से पर्सनली बात की ताकि उनके लंबे संघर्ष और क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन के आर्थिक बोझ को समझा जा सके, जिससे यह भारत के जीवन के आखिरी दौर के न्यायशास्त्र में एक अहम पल बन गया।

इच्छामृत्यु को समझना

यूथेनेशिया ग्रीक शब्द *यू* ("अच्छा") + *थानाटोस ("मौत")* से आया है । इसे इस तरह बांटा गया है:

1. **सक्रिय इच्छामृत्यु**
   - जीवन समाप्त करने के लिए सीधा कार्य (जैसे, घातक इंजेक्शन)
   - **भारत में गैर-कानूनी** (**हत्या माना जाता है**)
2. **निष्क्रिय इच्छामृत्यु**
   - लाइफ सपोर्ट (वेंटिलेटर, फीडिंग सपोर्ट, वगैरह) हटाना/रोकना
   - **भारत में** सख्त सुरक्षा उपायों के तहत कानूनी
3. **सहायता प्राप्त आत्महत्या**
   - किसी व्यक्ति को जीवन समाप्त करने का साधन उपलब्ध कराना (जैसे, प्रिस्क्रिप्शन दवाएं)
   - **भारत में IPC की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना)** के तहत गैर-कानूनी

भारत में कानूनी ढांचा

भारत में यूथेनेशिया के लिए कोई खास कानून नहीं है; इसका फ्रेमवर्क मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आधारित है:

- **अरुणा शानबाग केस (2011)**
  - PVS मरीज़ों के लिए **पैसिव यूथेनेशिया** की पहली पहचान
- **कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018)**
  - सुप्रीम कोर्ट ने माना कि **सम्मान के साथ मरने का अधिकार आर्टिकल 21 (जीवन के अधिकार)** का हिस्सा है।
  - **लिविंग विल की** मान्यता प्राप्त वैधता (एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स)
- **2023 गाइडलाइंस में बदलाव (लिविंग विल प्रक्रिया आसान)**
  - **न्यायिक मजिस्ट्रेट के काउंटरसिग्नेचर** की ज़रूरत खत्म कर दी गई
  - सुरक्षा उपायों के तहत अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकार प्राप्त **मेडिकल बोर्ड**

दो-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली (निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए)

अवस्था	शामिल शरीर	समारोह
प्रथम चरण	**प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड**	3 डॉक्टर (कम से कम **20 साल का अनुभव**) सर्टिफ़ाई करते हैं कि इलाज **बेकार है**
चरण 2	**माध्यमिक चिकित्सा बोर्ड**	इंडिपेंडेंट रिव्यू बोर्ड (जिसमें **डिस्ट्रिक्ट-नॉमिनेटेड डॉक्टर शामिल हैं**) ने नतीजों की पुष्टि की

नैतिक और आर्थिक आयाम

1. व्यर्थ उपचार बहस

हरीश राणा मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना **किसी रिकवरी संभावना के मैकेनिकल लाइफ सपोर्ट जारी रखना अपने आप में मानवीय गरिमा का** उल्लंघन हो सकता है ।

2. आर्थिक संकट (हेल्थकेयर कॉस्ट बर्डन)

परिवार ने कहा कि **13 साल की देखभाल में** बचत खत्म हो गई। भारत में, ज़्यादा **आउट-ऑफ़-पॉकेट खर्च (OOPE)** की वजह से अक्सर मिडिल-क्लास परिवारों के लिए लंबे समय तक वेजिटेटिव केयर आर्थिक रूप से नामुमकिन हो जाती है।

3. स्वायत्तता बनाम जीवन की पवित्रता

- **समर्थक:** ज़ोर देना **रोगी स्वायत्तता** और गरिमा-आधारित विकल्प

- **विरोधी: जीवन की पवित्रता** पर ज़ोर देते हैं , एक **"फिसलन भरी ढलान" की चेतावनी देते हैं** जहाँ कमज़ोर बुज़ुर्ग/विकलांग लोगों को दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

वैश्विक स्थिति (तुलना)

- **एक्टिव यूथेनेशिया की अनुमति: नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, स्पेन, कनाडा**
- **सहायता प्राप्त आत्महत्या की अनुमति: स्विट्जरलैंड (1942** से कानूनी), और कुछ अमेरिकी राज्य (जैसे, **ओरेगन**)
- **भारत का बीच का रास्ता: सुरक्षा उपायों के तहत पैसिव यूथेनेशिया की** इजाज़त देता है , लेकिन **एक्टिव यूथेनेशिया** और **असिस्टेड सुसाइड को मना करता है** , जिसका मकसद **गलत इस्तेमाल रोकने** के साथ **इज्ज़त का बैलेंस बनाना है** ।

निष्कर्ष

हरीश राणा केस (2026) 2023 की आसान गाइडलाइंस के बाद पहला बड़ा कानूनी टेस्ट है। यह कोर्ट को यह साफ़ करने के लिए मजबूर करता है कि क्या फीडिंग ट्यूब/क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन ज़िंदगी बचाने वाले इलाज के तौर पर क्वालिफ़ाई करते हैं जिन्हें पैसिव यूथेनेशिया के तहत वापस लिया जा सकता है । इस फ़ैसले से यह तय होने की उम्मीद है कि भारत संवैधानिक गरिमा (आर्टिकल 21), मेडिकल एथिक्स, परिवार की तकलीफ़ और लंबे समय तक देखभाल की इकोनॉमिक्स के बीच कैसे बैलेंस बनाएगा।

शक्सगाम घाटी

प्रसंग

शक्सगाम घाटी एक बड़ा डिप्लोमैटिक विवाद का मुद्दा बन गई, जब चीन ने अपने इलाके पर दावों को फिर से पक्का किया और इलाके में अपने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बचाव किया। इसके बाद 9 जनवरी, 2026 को भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने कड़ा विरोध जताया, जिसमें कहा गया कि घाटी भारत का "एकदम और अटूट" हिस्सा है और नई दिल्ली के पास अपने हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाने का अधिकार है।

शक्सगाम घाटी के बारे में

- **यह क्या है: इसे ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट** के नाम से भी जाना जाता है , यह लगभग 5,180 sq. km में फैला एक दूर, ऊंचाई वाला इलाका है। इसकी पहचान ऊबड़-खाबड़ इलाका है और इसमें यारकंद नदी की एक सहायक नदी शक्सगाम बहती है।
- **स्थान और भूगोल:**
  - **सियाचिन ग्लेशियर** के उत्तर में, पूर्वी **काराकोरम रेंज में स्थित है** ।
  - इसके उत्तर में चीन का शिनजियांग इलाका और दक्षिण और पश्चिम में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) की सीमा लगती है।
  - **काराकोरम दर्रे** के पास स्ट्रेटेजिक जगह पर है , जो साउथ और सेंट्रल एशिया के बीच एक ऐतिहासिक गेटवे है।
- **अभी का एडमिनिस्ट्रेशन: शिनजियांग उइगर ऑटोनॉमस रीजन** (तक्षकोरगन और येचेंग काउंटी) के हिस्से के तौर पर चीन का एडमिनिस्ट्रेशन है , लेकिन भारत इसे पूरी तरह से **लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बताता है** ।

ऐतिहासिक विकास और विवाद

- **1947 से पहले: यह घाटी जम्मू और कश्मीर** रियासत का हिस्सा थी । बाल्टी और लद्दाखी जगहों के नामों सहित ऐतिहासिक सबूत , इस इलाके के साथ इसके गहरे सभ्यतागत संबंधों को दिखाते हैं।
- **पाकिस्तान का कब्ज़ा:** 1947-48 की लड़ाई के बाद, यह इलाका पाकिस्तान के गैर-कानूनी कब्ज़े में आ गया।
- **1963 का चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता:**
  - **2 मार्च 1963** को साइन किए गए इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने गैर-कानूनी तरीके से शक्सगाम घाटी चीन को सौंप दी थी।
  - **भारत का रुख:** भारत ने लगातार इस समझौते को "गैर-कानूनी और अमान्य" बताकर खारिज कर दिया है, और कहा है कि पाकिस्तान को भारतीय इलाके को ट्रांसफर करने का कोई सॉवरेन अधिकार नहीं है ।
  - **आर्टिकल 6 प्रोविज़न:** एग्रीमेंट में खुद लिखा है कि बाउंड्री **प्रोविजनल है** और कश्मीर विवाद के फाइनल सेटलमेंट के बाद इस पर फिर से बातचीत होनी चाहिए।

नव गतिविधि

- **इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़ोर: चीन ने** घाटी से होकर गुज़रने वाली एक **ऑल-वेदर रोड (लगभग 75 km लंबी और 10 मीटर चौड़ी)** के कंस्ट्रक्शन में तेज़ी ला दी है , जो 4,805 मीटर **लंबे अधिल दर्रे को पार करेगी** ।
- **सियाचिन से नज़दीकी :** खबर है कि नई सड़क **भारत के इंदिरा कोल (** सियाचिन ग्लेशियर का सबसे उत्तरी पॉइंट) से 50 km से भी कम दूरी पर है, जिससे मिलिट्री सर्विलांस की चिंता बढ़ गई है।

- **डिप्लोमैटिक बहस:** * **भारत (जनवरी 2026):** MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फिर से कहा कि भारत 1963 के समझौते या इस क्षेत्र से गुजरने वाले **CPEC 2.0 प्रोजेक्ट्स को** मान्यता नहीं देता है ।
    - **चीन (Jan 2026):** बीजिंग ने भारत के एतराज़ को "बेबुनियाद" बताते हुए कहा कि "अपने इलाके" पर उसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ गलत नहीं हैं।

सामरिक महत्व

पहलू	प्रभाव
दो मोर्चों से खतरा	चीन और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे भारत के उत्तरी डिफेंस पर कोऑर्डिनेटेड प्रेशर बन सकता है।
सियाचिन सुरक्षा	सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सैनिकों की हरकतों पर नज़र रखने के लिए उत्तरी जगह देता है ।
सीपीईसी विस्तार	यह घाटी चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) के लिए एक ज़रूरी लिंक का काम करती है, समुद्री रुकावटों को बायपास करती है, और PoK में चीन की पकड़ को मज़बूत करती है ।
सलामी स्लाइसिंग	एनालिस्ट सड़क बनाने को चीन की ज़मीनी हकीकत बदलने और विवादित इलाकों में अपनी मौजूदगी को नॉर्मल बनाने की बढ़ती हुई स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानते हैं।

निष्कर्ष

शक्सगाम घाटी का विवाद अब कोई "भूला हुआ" बॉर्डर का मुद्दा नहीं रहा; यह आज के भारत-चीन स्ट्रेटेजिक मुकाबले का एक अहम हिस्सा है। जैसे-जैसे चीन परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए अपनी जगह पक्की कर रहा है, यह इलाका ऊंचे हिमालय में अपनी ज़मीन की हिफ़ाज़त करने की भारत की काबिलियत के लिए एक लिटमस टेस्ट बन गया है। भारत के लिए, कानूनी और डिप्लोमैटिक अधिकारों का दावा करते हुए "लगातार नज़र" रखना सबसे ज़रूरी है।

एमएस साहू समिति

प्रसंग

पेंशन **फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने MS साहू** (पूर्व चेयरपर्सन, **IBBI**) की अध्यक्षता में एक **15 सदस्यों वाली हाई-लेवल एक्सपर्ट कमिटी बनाई है। यह कमिटी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पक्की पेंशन पेमेंट के लिए एक रेगुलेटरी और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क डिजाइन करने के लिए बनाई गई है, जो पूरी तरह से मार्केट-लिंक्ड पेंशन मॉडल से अनुमानित रिटायरमेंट इनकम** की ओर एक बदलाव है ।

समाचार के बारे में

मकसद :
NPS के तहत **एश्योर्ड/गारंटीड पेंशन पेमेंट प्रोडक्ट्स** के लिए एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाना ।

समिति का स्वरूप:

- **15 सदस्यीय पैनल**
- **कानून, एक्चुअरियल साइंस, फाइनेंस, इंश्योरेंस और एकेडेमिया** के एक्सपर्ट्स
- स्ट्रक्चर्ड पेंशन पेमेंट पर एक **स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी बनाई गई**

मुख्य विजन:
बुढ़ापे में नागरिकों के लिए **वित्तीय स्वतंत्रता, सम्मान और स्थिर आय सुरक्षा** सुनिश्चित करने के लिए **" विकसित भारत 2047"** के साथ संरेखित ।

प्राथमिक अधिदेश: एनपीएस को "केवल बचत" उत्पाद से कानूनी रूप से लागू, बाजार आधारित गारंटी के माध्यम से एक **विश्वसनीय आजीवन आय प्रणाली में** बदलना ।

मुख्य संदर्भ शर्तें (ToR)

1. **फ्रेमवर्क विकास**
    - **सुनिश्चित भुगतान उत्पादों** के लिए मसौदा नियम
    - **सितंबर 2025 के कंसल्टेशन पेपर** में सुझाई गई स्कीम्स देखें , जिनमें शामिल हैं:
        - **न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना (MARS)**
2. **निर्बाध संक्रमण (संचय → विसंग्रहण)**
    - आसान मूवमेंट सुनिश्चित करें:
        - **संचय चरण** (बचत/निवेश)
        - **डीक्यूम्यूलेशन चरण** (पेंशन भुगतान)
3. **परिचालन मानकों को परिभाषित किया जाना है**
    - **लॉक-इन पीरियड:** एश्योरेंस के लिए क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम
    - **प्राइसिंग मैकेनिज्म:** सब्सक्राइबर के लिए "एश्योरेंस" की कॉस्ट

- **विड्रॉल लिमिट:** गारंटीड पेआउट को बचाने के लिए पार्शियल विड्रॉल नियम
- **रिस्क मैनेजमेंट:** लंबे समय में पेमेंट करने की क्षमता के लिए कैपिटल + सॉल्वेंसी के नियम
- **टैक्सेशन और कानूनी स्पष्टता:** NPS के अंदर सुनिश्चित भुगतान पर टैक्स ट्रीटमेंट
- **उपभोक्ता संरक्षण:**
  - मानक प्रकटीकरण
  - गलत बिक्री की रोकथाम
  - **पूरी तरह से गारंटी** के बीच स्पष्टता बनाम **बाजार-संबंधी सुरक्षा**

तुलना: मौजूदा NPS बनाम प्रस्तावित एश्योर्ड पेआउट फ्रेमवर्क

विशेषता	वर्तमान एनपीएस (मार्केट-लिंक्ड)	प्रस्तावित सुनिश्चित भुगतान ढांचा
रिटर्न	मार्केट परफॉर्मेंस (इक्विटी/डेट) पर निर्भर करता है	अनुमानित न्यूनतम रिटर्न / सुनिश्चित पेंशन
जोखिम	पूरी तरह से ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा	रिस्क को प्रोवाइडर/रिज़र्व मैकेनिज्म के ज़रिए थोड़ा शेयर किया जाता है
निकास नियम	रिटायरमेंट पर 40% एन्युइटी खरीदना ज़रूरी है	स्ट्रक्चर्ड, हाइब्रिड, फेज़्ड पेमेंट की गुंजाइश
पूर्वानुमान	अनिश्चित पेंशन राशि	टारगेट इनकम पर ज़्यादा क्लैरिटी (जैसे, ₹50,000/महीना)

महत्व

- **मार्केट में उतार-चढ़ाव के रिस्क को ठीक करता है:** रिटायर लोगों को रिटायरमेंट से ठीक पहले मार्केट क्रैश से बचाता है (NPS की एक बड़ी बुराई)।
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा:**
  निजी क्षेत्र के श्रमिकों और स्वरोजगार वालों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है , जो "परिभाषित लाभ जैसी" निश्चितता पसंद करते हैं।
- **सोशल सिक्योरिटी को मज़बूत करता है: भारत की बढ़ती उम्र वाली आबादी के लिए यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि**
  2050 तक सीनियर सिटिज़न्स की संख्या दोगुनी होने का अनुमान है ।

निष्कर्ष

एमएस **साहू कमेटी** भारत के पेंशन सुधारों में एक बड़ा बदलाव है। **NPS के तहत पक्का पेमेंट देकर, PFRDA का मकसद मार्केट-बेस्ड ग्रोथ को रिटायरमेंट इनकम की निश्चितता** के साथ जोड़ना है , **जिससे** भारत के वर्कफोर्स के लिए पेंशन कवरेज, स्टेबिलिटी और लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेहतर होगी।

ब्रिक्स इंडिया 2026 लोगो

प्रसंग

13 जनवरी 2026 को , भारत के विदेश मंत्री **डॉ. एस. जयशंकर ने नई दिल्ली** में **भारत की BRICS चेयरशिप 2026** के लिए **लोगो, थीम और ऑफिशियल वेबसाइट** लॉन्च की । यह लॉन्च **कैलेंडर साल 2026 के लिए भारत की BRICS प्रेसीडेंसी को दिखाता है** और ग्रुप की **20वीं सालगिरह (2006–2026) के साथ मेल खाता है** ।

समाचार के बारे में

यह क्या है:
18वें BRICS समिट और भारत की चेयरपर्सनशिप के दौरान हुई **मिनिस्टीरियल मीटिंग्स और एंगेजमेंट्स** की सीरीज़ के लिए ऑफिशियल **विज़ुअल आइडेंटिटी** ।

इसे कैसे चुना गया:
सुदीप द्वारा बनाए गए एक **ओपन नेशनल डिज़ाइन कॉन्टेस्ट के ज़रिए चुना गया सुभाष गांधी** .

अध्यक्षता का समय:

- **अवधि: 1 जनवरी – 31 दिसंबर 2026**
- **अतिथि देश: भारत (चौथी बार BRICS की मेज़बानी)**

स्ट्रेटेजिक विज़न:
प्रधानमंत्री मोदी के साथ अलाइन्ड **"मानवता पहले"** और **जन-केंद्रित विकास** दृष्टिकोण।

लोगो थीम और टैगलाइन

- **टैगलाइन:**
  "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण।"
- **मूल दर्शन:**
  वसुधैव कुटुम्बकम से प्रेरित **कुटुम्बकम (दुनिया एक परिवार है)** , जो **एकता, सामूहिक भलाई और ग्लोबल पार्टनरशिप पर ज़ोर देता है** ।

लोगो डिज़ाइन के तत्व और प्रतीकवाद

तत्व	अर्थ
कमल का आकार	भारत का राष्ट्रीय फूल; **पवित्रता, मज़बूती और मुश्किल हालात में आगे बढ़ने का प्रतीक**
केंद्र में नमस्ते मुद्रा	**सम्मान, बातचीत, सद्भाव और दुनिया भर में स्वागत करने वाली पहुंच को** दिखाता है
बहुरंगी पंखुड़ियाँ	**ब्रिक्स सदस्य झंडों के रंगों को** दर्शाता है , जो प्रतीक है **अनेकता में एकता**
आधुनिक + पारंपरिक डिज़ाइन मिश्रण	भारत की **सभ्यता की पहचान को** उसके **मॉडर्न, टेक-ड्रिवन लीडरशिप के साथ जोड़ता है**

रणनीतिक महत्व (भारत का ब्रिक्स एजेंडा)

भारत BRICS को एक **डेवलपमेंट-ओरिएंटेड और रिफॉर्म-ड्रिवन प्लेटफॉर्म के तौर पर देखता है** , खासकर **ग्लोबल साउथ के लिए** ।

चार रणनीतिक स्तंभ:

1. **हेल्थ, एनर्जी और सप्लाई चेन** में ग्लोबल झटकों के खिलाफ़ क्षमता को मज़बूत **करना** ।
2. **इनोवेशन:**
   डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) , **AI** और **स्टार्टअप्स** के ज़रिए इनक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देना ।
3. **सहयोग**
   मल्टीलेटरलिज़्म को फिर से शुरू करना और **ग्लोबल गवर्नेंस सुधारों को आगे बढ़ाना** ।
4. **स्थिरता:**
   जलवायु कार्रवाई , **हरित वित्त** और **LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली)** पर जोर ।

विस्तारित BRICS संदर्भ (2026 क्यों मायने रखता है)

BRICS के विस्तार के बाद भारत की 2026 की चेयरपर्सनशिप पहली है , जिसमें **मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया** जैसे नए सदस्य शामिल हैं । इससे BRICS एक बड़े आर्थिक समूह के रूप में मज़बूत होता है, जो मिलकर **ग्लोबल GDP में लगभग 40% का** योगदान देता है ।

वैश्विक और सामरिक निहितार्थ

भारत के लिए:

- **ग्लोबल साउथ के लिए**
  एक पुल बनाने वाले के तौर पर स्थापित करता है
- **ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस**
  में भारत की डिप्लोमैटिक लीडरशिप को बढ़ाता है
- **टेक्नोलॉजी-लेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन**
  में भारत की भूमिका को मज़बूत करता है

वैश्विक स्तर पर:

- **ट्रेड, फाइनेंस, डेवलपमेंट और क्लाइमेट से जुड़ी बातों को**
  आकार देने में BRICS का वज़न बढ़ रहा है
- विस्तार से उभरते **मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में BRICS का असर बढ़ा है**

आगे बढ़ने का रास्ता

- **आम सहमति से किए गए सुधार:** अलग-अलग राष्ट्रीय हितों के बावजूद BRICS में एकता को मज़बूत करना
- **समावेशी विकास पर ध्यान:** ग्लोबल साउथ के लिए नतीजे देने के लिए DPI, इनोवेशन और सहयोग का इस्तेमाल करें
- **सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा:** फाइनेंस और ग्रीन पार्टनरशिप के ज़रिए क्लाइमेट-रेज़िलिएंट ग्रोथ मॉडल को बढ़ावा दें
- **संस्थागत मजबूती:** BRICS सिस्टम को ज़्यादा एक्शन-ओरिएंटेड और असरदार बनाएं

निष्कर्ष

BRICS इंडिया 2026 के लोगो और थीम का लॉन्च एक प्रोएक्टिव और लीडरशिप से चलने वाली चेयरशिप का संकेत है । भारत के पारंपरिक सिंबल (**कमल, नमस्ते**) को आगे की सोच वाली प्राथमिकताओं (**लचीलापन, इनोवेशन, सहयोग, सस्टेनेबिलिटी**) के साथ मिलाकर, भारत का लक्ष्य BRICS को एक मॉडर्न, सबको साथ लेकर चलने वाला और सॉल्यूशन पर आधारित प्लेटफॉर्म बनाना है जो आज की ग्लोबल चुनौतियों का सामना कर सके।

ईरानी पहेली

प्रसंग

दिसंबर 2025 के आखिर में, ईरान में देश भर में बहुत ज़्यादा अशांति फैल गई, जो नेशनल करेंसी (रियाल) के अचानक गिरने से शुरू हुई, जो USD के मुकाबले लगभग 1.45 मिलियन रियाल तक गिर गई । ये विरोध प्रदर्शन तेहरान में ऐतिहासिक बाज़ार बंद के साथ शुरू हुए और जल्द ही देश के स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के खिलाफ एक बड़ी चुनौती बन गए।

समाचार के बारे में

- **"पहेली " :** एक ऐसा चक्र जो खुद-ब-खुद चलता रहता है, जिसमें आर्थिक तंगी, राजनीतिक मान्यता की कमी और बाहरी पाबंदियां एक साथ आती हैं। हालांकि सरकार अक्सर अशांति को रोकने के लिए थोड़े समय के लिए ताकत का इस्तेमाल करती है, लेकिन अंदरूनी वजहों पर ध्यान नहीं दिया जाता।
- **प्रमुख घटनाएँ (2025–2026):**
    - **बाज़ार हड़ताल:** पारंपरिक व्यापारी वर्ग, जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक स्थिरता का आधार रहे हैं, ने हाइपरइन्फ्लेशन का विरोध करने के लिए दुकानें बंद कर दीं।
    - **पूरे देश में आंदोलन:** आंदोलन सिर्फ़ आर्थिक शिकायतों से हटकर कई राज्यों में सरकार विरोधी नारों में बदल गए।
    - **इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर:** सरकारी कैजुअल्टी रिपोर्ट और इंडिपेंडेंट ट्रैकर्स के बीच काफी अंतर हैं, जो सख्त डिजिटल कम्युनिकेशन कंट्रोल की वजह से मुश्किल हैं।
- **नेतृत्व संकट:** राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन , अपने 2024 के कार्यकाल के बावजूद, एक "डुअल-पावर" सिस्टम का सामना कर रहे हैं, जहाँ एग्जीक्यूटिव ब्रांच का सिक्योरिटी सिस्टम और क्लर्क की देखरेख वाली बॉडीज़ पर कंट्रोल नहीं है।

ईरानी राज्य का ऐतिहासिक विकास

- **संवैधानिक युग (1905–1911):** संसद (*मजलिस*) और कानून के शासन के लिए पहला जन आंदोलन, जो बाद में विदेशी हस्तक्षेप से कमजोर हो गया।
- **पहलवी राजशाही (1925–1979):** यह तेज़ वेस्टर्नाइज़ेशन और तेल से होने वाली ग्रोथ का दौर था, जो पॉलिटिकल दबाव और बढ़ती गैर-बराबरी से खराब हो गया था।
- **1953 का तख्तापलट:** CIA-MI6 ने PM मोहम्मद मोसादेग को हटाने का समर्थन किया , जब उन्होंने तेल का नेशनलाइज़ेशन किया, जिससे पश्चिमी दखल पर ईरान का लंबे समय से चला आ रहा अविश्वास और पक्का हो गया।
- **1979 की क्रांति:** अयातुल्ला खुमैनी के राज में राजशाही से इस्लामिक रिपब्लिक में बदलाव, "आज़ादी, स्वतंत्रता और एक इस्लामिक रिपब्लिक" की इच्छा से प्रेरित।
- **आज का प्रोटेस्ट साइकिल:** 2009, 2019, 2022 और अब 2025 में बड़े पैमाने पर अशांति, सरकार की सोच और युवा, डिजिटल-नेटिव आबादी की उम्मीदों के बीच लगातार टकराव को दिखाता है।

शासन संरचना और शक्ति केंद्र

शरीर	कार्य और शक्ति
सर्वोच्च नेता	आखिरी अथॉरिटी; मिलिट्री, ज्यूडिशियरी और सरकारी मीडिया को कंट्रोल करती है। फॉरेन और न्यूक्लियर पॉलिसी के लिए आखिरी टोन सेट करती है।
संरक्षक परिषद	12 सदस्यों वाली यह बॉडी सभी चुनाव उम्मीदवारों की जांच करती है और यह पक्का करती है कि कानून इस्लामी सिद्धांतों के हिसाब से हों।
आईआरजीसी और बोन्याड्स	रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और धार्मिक संस्थाएं "डीप स्टेट" को कंट्रोल करती हैं, जिसमें इकॉनमी और इंटरनल सिक्योरिटी के बड़े सेक्टर शामिल हैं।
निर्वाचित सरकार	राष्ट्रपति और *मजलिस* रोज़ाना का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करते हैं लेकिन क्लर्क वाली संस्थाओं के अंडर रहते हैं।

वैश्विक और सामरिक निहितार्थ

- **भारत पर प्रभाव:**
    - **एनर्जी सिक्योरिटी:** फारस की खाड़ी में उतार-चढ़ाव से तेल की कीमतों की स्थिरता को खतरा है, जिससे भारत की घरेलू महंगाई पर असर पड़ रहा है।
    - **कनेक्टिविटी:** लंबे समय से अस्थिरता इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) और सेंट्रल एशिया के रूट के डेवलपमेंट में रुकावट डाल रही है।
    - **डायस्पोरा:** बड़े वेस्ट एशियाई इलाके में भारतीय वर्कर्स की सेफ्टी के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है।
- **वैश्विक स्तर:**

RACE IAS

- **शिपिंग रिस्क:** होर्मुज स्ट्रेट के पास संभावित बढ़ोतरी से ग्लोबल इंश्योरेंस और फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाती है।
- **जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट:** US के बैन और रीजनल ग्रुप के बीच टकराव में ईरान एक सेंट्रल सेंटर बना हुआ है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **इकोनॉमिक नॉर्मलाइज़ेशन:** ट्रांसपेरेंट फिस्कल रिफॉर्म के ज़रिए महंगाई और करेंसी डीवैल्यूएशन की स्ट्रक्चरल जड़ों को ठीक करें, हालांकि इसके लिए बाहरी पाबंदियों में ढील देनी होगी।
- **गवर्नेंस सुधार:** चुने हुए एग्जीक्यूटिव और बिना चुने हुए क्लर्क के बीच की दूरी को कम करना ताकि रिस्पॉन्सिव पॉलिसी बनाई जा सके।
- **डिप्लोमैटिक बफर्स:** भारत जैसे पार्टनर्स के लिए, फोकस "रिस्क इंसुलेशन", एनर्जी रिज़र्व बनाए रखने, डायस्पोरा की सुरक्षा पक्का करने और बैलेंस्ड रीजनल डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने पर होना चाहिए।

निष्कर्ष

मौजूदा संकट इस्लामिक रिपब्लिक के लिए एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेस टेस्ट है। हालांकि सरकार सुरक्षा उपायों के ज़रिए थोड़े समय के लिए काबू पा सकती है, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों का बार-बार होना बताता है कि टिकाऊ आर्थिक राहत और राजनीतिक विकास के बिना, "ईरानी पहेली" तेज़ी से बदलते हुए साइकिल में सामने आती रहेगी।

डुगोंग (समुद्री गाय)

प्रसंग

जनवरी 2026 में , केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की **एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमिटी (EAC)** ने तमिलनाडु सरकार को **मनोरा** , तंजावुर में प्रस्तावित **इंटरनेशनल डुगोंग कंज़र्वेशन सेंटर के डिज़ाइन को बदलने का निर्देश दिया। कमिटी ने पर्यावरण के लिए सेंसिटिव कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ)** में भारी कंक्रीट के इस्तेमाल पर चिंता जताई और कम असर वाले, इको-फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन तरीके की सलाह दी ।

डुगोंग की विशेषताएं

- **शारीरिक लक्षण:** एक बड़ा, मोटा समुद्री मैमल जिसके फ्लिपर्स चप्पू जैसे होते हैं और **व्हेल जैसी फ़्लूक्ड पूंछ होती है** (मैनेटी की गोल पूंछ के विपरीत)।
- **डाइट:** यह एकमात्र पूरी तरह से शाकाहारी समुद्री मैमल है, जो ज़्यादातर **समुद्री घास खाता है** ।
- **"इकोसिस्टम इंजीनियर" के तौर पर भूमिका:** चराई करके, वे समुद्री घास को ज़्यादा बढ़ने से रोकते हैं और ज़्यादा पौष्टिक नई टहनियों को बढ़ने में मदद करते हैं, जिससे दूसरे समुद्री जीवों के लिए एक हेल्दी रहने की जगह बनी रहती है।
- **धीमा प्रजनन:** वे देर से (9-10 वर्ष) यौन परिपक्वता तक पहुंचते हैं और हर 3-7 साल में बच्चे को जन्म देते हैं, जिससे उनकी आबादी में गिरावट का खतरा बहुत अधिक हो जाता है।

आवास और वितरण

- **पर्यावरण: हिंद और पश्चिमी प्रशांत महासागरों** का गर्म, उथला तटीय पानी ।
- **पूरी तरह समुद्री:** मैनेटी के विपरीत, डुगोंग **कभी भी मीठे पानी की** नदियों या झीलों में नहीं जाते हैं।
- **भारत में:** चार मुख्य जगहों पर पाया जाता है:
  1. **पाक खाड़ी** (भारत के पहले डुगोंग कंज़र्वेशन रिज़र्व का घर)।
  2. **मन्नार की खाड़ी** .
  3. **कच्छ की खाड़ी** .
  4. **अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह** ।

संरक्षण की स्थिति

- **IUCN रेड लिस्ट: वल्नरेबल** (ग्लोबल स्टेटस को 2025 वर्ल्ड कंज़र्वेशन कांग्रेस में ऑफिशियली मान्यता दी गई)।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: शेड्यूल I** (भारत में सबसे ज़्यादा कानूनी सुरक्षा)।
- **उद्धरण: अपेंडिक्स I** (इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड पर बैन)।
- **CMS (बॉन कन्वेंशन): भारत** 2008 से **CMS डुगोंग MoU** पर साइन कर रहा है ।

धमकियाँ

- **हैबिटैट लॉस:** कोस्टल ड्रेजिंग, प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के कारण सीग्रास मैदानों का खराब होना ।
- **अचानक पकड़ा जाना:** मछली पकड़ने के जाल में गलती से फंस जाना (बाई-कैच)।
- **वेसल स्ट्राइक:** कम गहरे पानी में नावों से टक्कर।
- **प्रदूषण:** इंडस्ट्रियल रनऑफ से उनके टिशू में हेवी मेटल्स का बायोएक्युमुलेशन।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **इको-फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर:** कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए मनोरा सेंटर के लिए **लकड़ी या पहले से बने मटीरियल** के लिए EAC के सुझाव को अपनाना ।

- **कम्युनिटी की भागीदारी:** गलती से पकड़े गए डुगोंग को बचाने और छोड़ने वाले तमिलनाडु के मछुआरों के लिए मौजूदा "रिवॉर्ड सिस्टम" को बढ़ाना।
- **क्रॉस-बॉर्डर कोऑपरेशन:** शिकार रोकने और सुरक्षित माइग्रेटरी कॉरिडोर पक्का करने के लिए श्रीलंका (पाल्क बे रीजन) के साथ मिलकर काम करना।
- **टेक्नोलॉजिकल मॉनिटरिंग: पाक खाड़ी और** मन्नार की खाड़ी के बीच मूवमेंट पैटर्न को ट्रैक करने के लिए **ड्रोन और सैटेलाइट टेलीमेट्री का** इस्तेमाल करना ।

निष्कर्ष

ग्लोबल **पहचान, समुद्री संरक्षण में भारत की लीडरशिप को दिखाती है। हालांकि,** मनोरा सेंटर की सफलता एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और उस कोस्टल इकोसिस्टम के बीच बैलेंस बनाने पर निर्भर करती है जिसे वह बचाना चाहता है।

गिलियन-बैरे सिंड्रोम (GBS)

प्रसंग

जनवरी 2026 में , मध्य प्रदेश में हेल्थ अधिकारियों ने **मनासा शहर (नीमच ज़िले)** में **गुइलेन-बैरे सिंड्रोम** फैलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया। 18 जनवरी, 2026 तक, इस बीमारी से **दो लोगों की मौत हो चुकी है** और कम से कम **18 लोग प्रभावित हुए हैं** , जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने खास वार्ड बनाए हैं और 150 से ज़्यादा हेल्थ टीमों के साथ घर-घर जाकर स्क्रीनिंग शुरू की है।

परिभाषा और पैथोफिज़ियोलॉजी

GBS क्या है?

GBS एक रेयर **ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है** जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से **पेरिफेरल नर्वस सिस्टम** (दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की नसें) पर हमला कर देता है।

यह काम किस प्रकार करता है:

- **माइलिन शीथ अटैक:** इम्यून सिस्टम **माइलिन शीथ को नुकसान पहुंचाता है** , जो नर्व फाइबर के आसपास का प्रोटेक्टिव इंसुलेशन है।
- **सिग्नल में रुकावट:** जब माइलिन खराब हो जाता है, तो नसें सिग्नल ठीक से नहीं भेज पातीं। इससे दिमाग का मसल्स पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और शरीर से कम सेंसरी सिग्नल मिलते हैं।

कारण और ट्रिगर

इसका सही कारण पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह **वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन** (पोस्ट-इन्फेक्शियस पॉलीन्यूरोपैथी) के कारण होता है।

- **जीवाणु:** *कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी* (सबसे आम, अक्सर अधपके पोल्ट्री या दूषित पानी से)।
- **वायरल:** ज़ीका वायरस, इन्फ्लूएंजा, एपस्टीन-बार वायरस और साइटोमेगालोवायरस।
- **अन्य:** सर्जरी की वजह से या कुछ वैक्सीनेशन के बहुत कम साइड इफ़ेक्ट के तौर पर होता है।

लक्षण

लक्षण आमतौर पर जल्दी (कुछ घंटों या दिनों में) दिखते हैं और अक्सर एक "बढ़ते" पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं:

- **शुरुआती लक्षण:** उंगलियों और पैर की उंगलियों में "सुइयां चुभने" जैसा एहसास; **पैरों से कमज़ोरी शुरू होना** ।
- **प्रोग्रेशन:** कमजोरी हाथों और शरीर के ऊपरी हिस्से तक फैल जाती है (**एसेंडिंग पैरालिसिस**)।
- **गंभीर लक्षण: निगलने, बोलने या चबाने में दिक्कत; दिल की धड़कन तेज़ होना; और** सांस की मांसपेशियों के लकवाग्रस्त होने की वजह से जानलेवा **सांस की बीमारी ।**

उपचार और प्रबंधन

इसका कोई पता "इलाज" नहीं है, लेकिन इलाज से रिकवरी में काफ़ी तेज़ी आती है और गंभीरता कम होती है:

- **इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन (IVIG):** डोनर के खून से हेल्दी एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट की जाती हैं ताकि नसों पर हमला करने वाले नुकसानदायक एंटीबॉडीज़ को ब्लॉक किया जा सके।
- **प्लाज़्मा एक्सचेंज (प्लाज़्माफेरेसिस):** खून का लिक्विड हिस्सा (प्लाज़्मा) निकाल दिया जाता है, खराब एंटीबॉडी को फिल्टर करने के लिए "धोया" जाता है, और शरीर में वापस भेज दिया जाता है।
- **सपोर्टिव केयर:** गंभीर मामलों में सांस लेने में मदद के लिए ICU में **वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत होती है।**

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश में 2026 में फैलने वाला यह वायरस जल्दी पता लगाने और पब्लिक हाइजीन की बहुत ज़रूरत को दिखाता है। GBS बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ समय पर मेडिकल मदद से ठीक हो जाते हैं। नीमच में अभी की जांच में **पानी और खाने की चीज़ों के खराब होने को** इसके मुख्य कारण के तौर पर देखा जा रहा है ।

परिसीमन आयोग

प्रसंग

84वें संशोधन (2001) के बाद लोकसभा में सीटों की कुल संख्या पर रोक लगा दी गई विधानसभा **2026** के बाद खत्म होने वाली है । डिलिमिटेशन, यानी सीमाएं फिर से बनाने और आबादी के आधार पर सीटों को फिर से बांटने का प्रोसेस 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद शुरू होने की उम्मीद है।

उत्तर-दक्षिण संघर्ष

मुख्य मुद्दा पिछले पांच दशकों में भारतीय राज्यों के बीच **डेमोग्राफिक अंतर में है:**

- **"सज़ा" फैक्टर:** दक्षिणी राज्यों (जैसे, केरल, तमिलनाडु) ने जनसंख्या कंट्रोल के उपाय सफलतापूर्वक लागू किए। इसके उलट, उत्तरी राज्यों (जैसे, UP, बिहार) में जनसंख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है।
- **रिप्रेजेंटेशन में बदलाव:** आबादी के आधार पर सख्ती से रीएलोकेशन से पॉलिटिकल पावर का बड़ा हिस्सा नॉर्थ की तरफ जा सकता है, जिससे GDP और सोशल डेवलपमेंट में साउथ के ज़्यादा योगदान के बावजूद, उनकी पार्लियामेंट्री आवाज़ कम हो सकती है।

प्रस्तावित समाधान: डाइग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी

"एक व्यक्ति, एक वोट" को फ़ेडरल स्थिरता के साथ बैलेंस करने के लिए, एक्सपर्ट्स **यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट** मॉडल से उधार लेने का सुझाव देते हैं:

- **यह क्या है:** एक ऐसा सिस्टम जिसमें छोटे राज्यों को बड़े राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति ज़्यादा सीटें दी जाती हैं।
- **मैकेनिज्म:** यह पक्का करता है कि बड़े राज्यों में कुल सीटें ज़्यादा हों, लेकिन आबादी बढ़ने पर सीटों और आबादी का रेश्यो कम हो जाए।
- **लक्ष्य:** कुछ ज़्यादा आबादी वाले राज्यों को नेशनल लेजिस्लेचर पर पूरी तरह से हावी होने से रोकना।

आयोग की संरचना और शक्तियाँ

डिलिमिटेशन कमीशन एक हाई-पावर, इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे **भारत के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं** :

- **संरचना:** * एक रिटायर्ड **सुप्रीम कोर्ट जज** (चेयरपर्सन)।
  - मुख्य **चुनाव आयुक्त** (या चुनाव आयुक्त)।
  - संबंधित राज्यों के **राज्य चुनाव आयुक्त ।**
- **बिना चुनौती वाला अधिकार:** कमीशन के आदेश कानूनी तौर पर मान्य हैं और उन्हें **किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती** ।
- **अंतिम निर्णय:** एक बार इसकी रिपोर्ट लोक सभा के समक्ष रख दी जाए विधानसभा या राज्य विधानसभाओं द्वारा किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है।

परिसीमन अधिनियमों का इतिहास

अधिनियम वर्ष	जनगणना के आधार पर	मुख्य परिणाम
1952	1951	आज़ादी के बाद पहला औपचारिक डिलिमिटेशन।
1963	1961	सीटें 494 से बढ़कर 522 हो गईं।
1973	1971	सीटें बढ़कर 543 हो गईं; बाद में 42वें संशोधन द्वारा फ़्रीज़ कर दी गईं।
2002	2001	राज्यों के अंदर सीमाएं फिर से तय की गईं लेकिन कुल सीटें स्थिर रखी गईं।

निष्कर्ष

2026 के बाद का डिलिमिटेशन सिर्फ़ एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज़ नहीं है, बल्कि एक बड़ी **फ़ेडरल चुनौती है** । सफल सोशल पॉलिसीज़ के लिए राज्यों को इनाम देते हुए डेमोक्रेटिक बराबरी बनाए रखने के लिए "कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिएटिविटी" और पॉलिटिकल आम सहमति की ज़रूरत होगी।

POCSO अधिनियम और फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय

प्रसंग

प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस (POCSO) एक्ट, 2012 के हाल के ज्यूडिशियल रिव्यू में , एक चिंता की बात सामने आई है: **फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs)** के ज़रिए केस निपटाने की स्पीड तो बढ़ी है , लेकिन न्याय की क्वालिटी जांच के दायरे में है। कानूनी जानकारों के बीच आम बात यह है कि **"फ़ास्टर इज़ नॉट ऑलवेज फेयरर ।"**

वर्तमान स्थिति और सांख्यिकी

- **निपटान बनाम दोषसिद्धि:** आंकड़े बताते हैं कि जहां मामले अधिक बार बंद किए जा रहे हैं, वहीं दोषसिद्धि की दर **35% से घटकर 29% हो गई है** ।
- **इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क:** FTSCs को टाइम-बाउंड ट्रायल (आइडियली एक साल के अंदर) पक्का करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, फिर भी "पेंडेंसी क्लियर करने" पर फोकस अक्सर प्रोसीजरल डेप्थ से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है।

प्रभावी न्याय की चुनौतियाँ

- **जांच की क्वालिटी:** खराब फोरेंसिक डेटा कलेक्शन और जल्दबाजी में की गई पुलिस जांच से अक्सर आरोपी

को "बेनिफिट ऑफ़ डाउट" मिलता है। बिना पक्के साइंटिफिक सबूत के चलने वाले ट्रायल में अक्सर आरोपी बरी हो जाते हैं।

- **सपोर्ट सिस्टम की कमी:** कई पुलिस स्टेशनों में **पैरालीगल वॉलंटियर्स (PLVs) की कमी होती है** । उनके बिना, पीड़ित अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से अनजान रहते हैं, जिससे उनके बयान एक जैसे नहीं होते या ट्रायल की तैयारी में कमी होती है।
- **शादी में समझौते:** एक विवादित ट्रेंड है जहाँ कोर्ट या परिवार "समझौता" करवाते हैं, जिससे अगर अपराधी नाबालिग पीड़िता के 18 साल की होने पर उससे शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं तो वे बरी हो जाते हैं।
    - **कानूनी झगड़ा:** यह POCSO की मुख्य सोच को कमज़ोर करता है, जो ऐसे कामों को बच्चे के खिलाफ़ नॉन-कम्पाउंडेबल अपराध मानता है।
- **दोबारा ट्रॉमा :** रैपिड ट्रायल में कभी-कभी बच्चों के लिए सही माहौल की ज़रूरत को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है, जिससे क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान बच्चों को दोबारा परेशान किया जा सकता है।

संरचनात्मक बाधाएं

- **ज़्यादा पेंडेंसी:** "फ़ास्ट ट्रैक" लेबल के बावजूद, केस की बहुत ज़्यादा संख्या की वजह से जजों और प्रॉसिक्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम का बोझ पड़ता है।
- **गवाह का विरोध:** देरी, फास्ट-ट्रैक मामलों में भी, अक्सर अपराधी के परिवार या समुदाय के दबाव के कारण गवाहों के अपने बयान से पलट जाने का कारण बनती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **स्पेशल ट्रेनिंग:** जजों और सरकारी वकीलों को खास तौर पर बच्चों की साइकोलॉजी और POCSO एक्ट की बारीकियों के बारे में जागरूक करना।
- **मिडस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना:** सभी पुलिस स्टेशनों में परमानेंट PLV तैनात करना ताकि यह पक्का हो सके कि FIR दर्ज होने के समय से ही पीड़ितों के पास एक लीगल "बडी" हो।
- **न्यायिक एकरूपता:** सुप्रीम कोर्ट को "शादी के समझौतों" के खिलाफ साफ गाइडलाइन देने की ज़रूरत है, ताकि यह पक्का हो सके कि अपराध का क्रिमिनल नेचर सामाजिक व्यवस्थाओं से कमज़ोर न हो।
- **फोरेंसिक सबूत पर ध्यान दें:** फोरेंसिक लैब रिपोर्ट की क्वालिटी और स्पीड में सुधार करके मौखिक गवाही पर निर्भरता कम करें।

निष्कर्ष

POCSO एक्ट की सफलता सिर्फ़ हथौड़े की रफ़्तार से नहीं मापी जा सकती। सही मायने में न्याय मिले, इसके लिए लीगल सिस्टम को एफिशिएंसी **और एंपैथी के बीच बैलेंस बनाना होगा** , यह पक्का करना होगा कि फ़ाइल बंद करने की जल्दबाज़ी में बच्चे की सुरक्षा में नाकामी न हो।

लोकतांत्रिक संस्थाओं में जवाबदेही

प्रसंग

लोक सभा स्पीकर **ओम बिरला ने नई दिल्ली में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के कॉन्फ्रेंस (CSPOC) को** संबोधित किया । उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि डेमोक्रेटिक संस्थाओं की लेजिटिमेसी उनके ट्रांसपेरेंट, इनक्लूसिव और अकाउंटेबल बने रहने की काबिलियत पर निर्भर करती है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के ज़माने में।

लोकतांत्रिक संस्थाओं में जवाबदेही के बारे में

परिभाषा: अकाउंटेबिलिटी सत्ता में बैठे लोगों की नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वे अपने कामों का हिसाब दें, फ़ैसलों को सही ठहराएँ और नतीजों का सामना करें। यह एक रिलेशनल कॉन्सेप्ट है जहाँ **एजेंट** (सरकार) **प्रिंसिपल** (नागरिकों) के प्रति जवाबदेह होता है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **जवाबदेही:** फैसलों को समझाने और जनता को भरोसेमंद जानकारी देने की ज़िम्मेदारी।
- **लागू करने की क्षमता:** गलत काम के लिए सज़ा देने या इंस्टीट्यूशनल कमियों को ठीक करने के तरीके।
- **रिस्पॉन्सिवनेस:** नागरिकों की बदलती ज़रूरतों और फ़ीडबैक के हिसाब से ढलने की संस्थाओं की क्षमता।

जवाबदेही का महत्व

- **पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ावा देना:** शासकों और शासितों के बीच की खाई को पाटना।
    - *उदाहरण के लिए,* राष्ट्रीय **महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025)** में निष्पक्ष संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता खंड शामिल हैं।
- **भ्रष्टाचार पर रोक:** लगातार जांच से अधिकार का गलत इस्तेमाल रुकता है।
    - *उदाहरण के लिए, 130* वें **संविधान संशोधन विधेयक (2025) में** गंभीर अपराधों के लिए हिरासत में लिए गए मंत्रियों को अपने आप हटाने का प्रस्ताव है।

- **सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना:** यह पक्का करता है कि वेलफेयर बेनिफिट्स बिना किसी लीकेज के बेनिफिशियरी तक पहुँचें।
    - *उदाहरण के लिए* MGNREGA में **सोशल ऑडिट से** ज़मीनी स्तर पर फंड बांटने में गड़बड़ियों की पहचान की गई है और उन्हें ठीक किया गया है।
- **हाशिए पर पड़ी आवाज़ों की रक्षा:** जवाबदेह सिस्टम सबको साथ लेकर चलने वाली बातचीत पक्का करते हैं।
    - *उदाहरण के लिए,* स्पीकर ओम बिरला ने इस बात पर ज़ोर दिया कि डिजिटल गलत जानकारी से होने वाले सामाजिक ध्रुवीकरण को रोकने के लिए सबको साथ लेकर चलना ज़रूरी है।
- **कानून का राज बनाए रखना:** यह पक्का करता है कि कोई भी व्यक्ति कानूनी दायरे से ऊपर न हो।
    - *जैसे, राज्य के गवर्नरों की वीटो पावर पर* सुप्रीम कोर्ट के **2025 के फैसले** ने इस बात की पुष्टि की कि संवैधानिक प्रमुख लेजिस्लेटिव इच्छा के प्रति जवाबदेह हैं।

जवाबदेही की चुनौतियाँ

- **टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल:** AI और डीपफेक लोगों की राय को बदल सकते हैं और सच्चाई से बच सकते हैं।
- **साफ़-साफ़ फ़ैसले लेना:** नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में बहुत ज़्यादा सीक्रेसी पब्लिक ओवरसाइट में रुकावट डालती है (जैसे, **RTI एप्लीकेशन में देरी**)।
- **पार्लियामेंट्री सिस्टम का खत्म होना:** बार-बार रुकावट और मेंबर्स के रिकॉर्ड सस्पेंशन से एग्जीक्यूटिव स्क्रूटनी के लिए मिलने वाला समय कम हो जाता है।
- **स्ट्रक्चरल देरी:** 2025 तक **5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग होने** के साथ धीमी न्यायिक प्रक्रिया , कानूनी सज़ा के रोकने वाले असर को कमज़ोर कर देती है।
- **इन्फॉर्मेशन ओवरलोड:** सोशल मीडिया अक्सर एक्यूरेसी से ज़्यादा एंगेजमेंट को प्रायोरिटी देता है, जिससे लोगों के लिए सच और गलत इन्फॉर्मेशन में फर्क करना मुश्किल हो जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **स्टैंडिंग कमेटियों को मज़बूत करना:** हर बड़े बिल और बजट की टेक्निकल जांच करने के लिए "मिनी-पार्लियामेंट" को मज़बूत बनाना।
- **एथिकल AI फ्रेमवर्क अपनाना:** कानूनी काम में AI के ज़िम्मेदार इस्तेमाल के लिए साफ़ गाइडलाइन बनाना।
- **सोशल ऑडिट को इंस्टीट्यूशनल बनाना:** अलग-अलग वेलफेयर स्कीम के अलावा सभी पब्लिक डिपार्टमेंट के लिए सोशल ऑडिट को ज़रूरी बनाना।
- **न्यायिक और चुनावी सुधार:** सरकारी अधिकारियों से जुड़े मामलों का तेज़ी से निपटारा पक्का करना ताकि कानून को लागू करना आसान हो सके।
- **नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना: MyGov** जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, ड्राफ्ट पॉलिसी को कानून बनने से पहले उन पर सीधा फीडबैक मांगा जा सकता है।

निष्कर्ष

सच्चा लोकतंत्र सिर्फ़ वोट देने से कहीं ज़्यादा है; इसके लिए चुने हुए प्रतिनिधियों का लगातार नैतिक व्यवहार ज़रूरी है। जैसा कि CSPOC में बताया गया, ट्रांसपेरेंसी और सबको साथ लेकर चलने को प्राथमिकता देने से पावर **लोगों के भरोसे में बदल जाती है** , जिससे यह पक्का होता है कि शासन एक खास अधिकार के बजाय एक सेवा बना रहे।

भारत की खनिज कूटनीति

प्रसंग

2025 में , भारत ने अपनी ग्लोबल मिनरल स्ट्रैटेजी को रीकैलिब्रेट करने के लिए **नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) लॉन्च किया** । यह कदम चीन द्वारा रेयर अर्थ्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल को कड़ा करने के बाद उठाया गया है और इसका मकसद ग्रीन एनर्जी ट्रांज़िशन और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है।

भारत की खनिज कूटनीति के बारे में

परिभाषा: मिनरल्स डिप्लोमेसी इंटरनेशनल पार्टनरशिप और मल्टीलेटरल मिनरल क्लब (जैसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप) का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल है, ताकि **लिथियम** और **कोबाल्ट** जैसे मिनरल्स की भरोसेमंद सप्लाई पक्की की जा सके । यह नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी पक्की करने के लिए अपस्ट्रीम माइनिंग, मिडस्ट्रीम प्रोसेसिंग और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग कोलेबोरेशन को इंटीग्रेट करता है।

खनिज संसाधनों की स्थिति:

- **रिफाइनिंग ग्रोथ: FY26 की** शुरुआत में घरेलू रिफाइंड कॉपर प्रोडक्शन में **43.5% की बढ़ोतरी हुई** , जो लोकल स्मेल्टिंग कैपेसिटी में सुधार का संकेत है।
- **इम्पोर्ट पर निर्भरता:** EV बैटरी के लिए ज़रूरी लिथियम और कोबाल्ट समेत 10 ज़रूरी मिनरल्स के लिए भारत **100% इम्पोर्ट पर निर्भर है।**
- **ग्लोबल स्टैंडिंग:** 2025 तक, भारत दुनिया भर में एल्युमीनियम का **दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर** और आयरन ओर का **तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है।**

- **एक्सप्लोरेशन में तेज़ी:** जियोलॉजिकल **सर्वे ऑफ़ इंडिया (GSI) ने** पिछले तीन सालों में **368** से ज़्यादा ज़रूरी मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं ।
- **फाइनेंशियल खर्च:** NCMM के लिए 2031 तक **₹34,300 करोड़** का सॉवरेन फंड दिया गया है।

भारत की खनिज कूटनीति की ज़रूरत

- **एनर्जी ट्रांज़िशन गोल्स: 500 GW नॉन-फॉसिल फ्यूल टारगेट को** पूरा करने के लिए बड़े लिथियम रिज़र्व को सुरक्षित करना ।
- **चीन के रिस्क को कम करना: एक "चाइना-प्लस-वन"** सप्लाई चेन बनाना । **2025 का इंडिया-जापान मेमोरेंडम** चीनी प्रोसेसिंग दबदबे को बायपास करने के लिए तीसरे देशों में जॉइंट एक्सट्रैक्शन पर फोकस करता है।
- **टेक्नोलॉजिकल सॉवरिन्टी:** रेयर-अर्थ प्रोसेसिंग और बैटरी रीसाइक्लिंग के लिए **TRUST इनिशिएटिव (USA)** जैसे इनिशिएटिव के ज़रिए रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी तक पहुँचना ।
- **इकोनॉमिक रेजिलिएंस: ग्लोबल प्राइस वोलैटिलिटी को मैनेज करना। KABIL** के ज़रिए अर्जेंटीना के साथ भारत का **₹200 करोड़ का एग्रीमेंट** घरेलू बैटरी बनाने वालों के लिए लॉन्ग-टर्म कॉस्ट को ठीक करने के मकसद से है।
- **ग्लोबल साउथ लीडरशिप:** भारत को मिनरल से भरपूर देशों के लिए एक पार्टनर के तौर पर पेश करना। **नामीबिया के साथ हाल की डील** सिर्फ़ निकालने के बजाय लोकल वैल्यू बनाने पर फोकस करती हैं।

की गई पहल

- **नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) 2025:** 7 साल का, **₹34,300 करोड़** एंड-टू-एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए मिशन ।
- **माइंस एंड मिनरल्स (अमेंडमेंट) एक्ट 2025:** यह एक्ट केंद्र सरकार को **24 स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी मिनरल्स के लिए माइनिंग लीज़ की नीलामी का खास अधिकार देता है** ।
- **काबिल (खनिज) बिदेश इंडिया लिमिटेड): एक PSU जॉइंट वेंचर जो "लिथियम ट्राएंगल"** (अर्जेंटीना और चिली) में विदेशी एसेट्स खरीदने पर फोकस करता है ।
- **मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP):** भारत, सस्टेनेबल ग्लोबल सप्लाई चेन पर US और EU के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए इस 14 देशों के क्लब में शामिल हुआ।
- **रीसाइक्लिंग इंसेंटिव स्कीम:** ई-वेस्ट से "अर्बन माइनिंग" को बढ़ावा देने के लिए 2025 में ₹1,500 करोड़ की स्कीम शुरू की **गई ।**

संबंधित चुनौतियाँ

- **प्रोसेसिंग में रुकावटें:** भारत को अक्सर ओर तो मिल जाता है, लेकिन हाई-टेक रिफाइनरियों की कमी है, जिससे विदेशी मिडस्ट्रीम कैपेसिटी पर निर्भर रहना पड़ता है।
- **बहुत ज़्यादा ग्लोबल कॉम्पिटिशन:** चीनी कंपनियों के बड़े खजाने से मुकाबला करना, खासकर ज़ाम्बिया जैसे रिसोर्स से भरपूर अफ्रीकी देशों में।
- **पॉलिसी में उतार-चढ़ाव:** "रिसोर्स नेशनलिज़्म" और विदेशी सब्सिडी (जैसे, US इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट) "फ्रेंड-शोरिंग" की कोशिशों को मुश्किल बना सकती हैं।
- **पर्यावरण और सामाजिक चिंताएँ:** भारतीय माइनिंग को **EU के सख्त पर्यावरण स्टैंडर्ड्स** और ग्लोबल ESG ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स के साथ अलाइन करना।
- **लंबा लीड टाइम:** माइनिंग प्रोजेक्ट्स को डिस्कवरी से प्रोडक्शन तक आम तौर पर **10 से 15 साल लगते हैं।**

आगे बढ़ने का रास्ता

- **इंटीग्रेटेड वैल्यू-चेन मैपिंग:** कच्चे माल के भंडार को भारतीय मैन्युफैक्चरिंग स्केल से जोड़ने के लिए तीन तरफ़ा समझौतों (जैसे, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ) को अंतिम रूप देना।
- **सॉवरेन वेल्थ सपोर्ट:** प्रस्तावित **क्रिटिकल मिनरल्स ओवरसीज एक्विजिशन अथॉरिटी के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर में एंट्री के रिस्क को कम करने के लिए NCMM फंड का इस्तेमाल करना** ।
- **सर्कुलर इकॉनमी पर फोकस: 2030 तक हर साल 40 किलो टन** मिनरल निकालने के लिए रीसाइक्लिंग स्कीम को बढ़ाना।
- **ESG स्टैंडर्ड्स को मज़बूत करना:** वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए **इंडियन मिनरल इंडस्ट्री कोड को** अपनाना ।
- **डिप्लोमैटिक विस्तार: एक डेडिकेटेड मिनरल डिप्लोमेसी डिवीज़न** बनाना और पर्थ और सैंटियागो जैसे स्ट्रेटेजिक हब में मिनरल अटैची नियुक्त करना।

निष्कर्ष

2047 के विकसित भारत विज़न की नींव रख रहा है। सफलता साइन किए गए MoUs को ऑपरेशनल रिफाइनरियों और स्टेबल सप्लाई लाइनों में बदलने पर निर्भर करती है ।

RACE IAS

डुगोंग (समुद्री गाय)

प्रसंग

जनवरी 2026 में , केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की **एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमिटी (EAC)** ने तमिलनाडु सरकार को **मनोरा** , तंजावुर में प्रस्तावित **इंटरनेशनल डुगोंग कंज़र्वेशन सेंटर के डिज़ाइन को बदलने का निर्देश दिया। कमिटी ने पर्यावरण के लिए सेंसिटिव कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ)** में भारी कंक्रीट के इस्तेमाल पर चिंता जताई और कम असर वाले, इको-फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन तरीके की सलाह दी ।

डुगोंग की विशेषताएं

- **शारीरिक लक्षण:** एक बड़ा, मोटा समुद्री मैमल जिसके फ्लिपर्स चप्पू जैसे होते हैं और **व्हेल जैसी फ़्लूक्ड पूंछ होती है** (मैनेटी की गोल पूंछ के विपरीत)।
- **डाइट:** यह एकमात्र पूरी तरह से शाकाहारी समुद्री मैमल है, जो ज़्यादातर **समुद्री घास खाता है** ।
- **"इकोसिस्टम इंजीनियर" के तौर पर भूमिका:** चराई करके, वे समुद्री घास को ज़्यादा बढ़ने से रोकते हैं और ज़्यादा पौष्टिक नई टहनियों को बढ़ने में मदद करते हैं, जिससे दूसरे समुद्री जीवों के लिए एक हेल्दी रहने की जगह बनी रहती है।
- **धीमा प्रजनन:** वे देर से (9-10 वर्ष) यौन परिपक्वता तक पहुंचते हैं और हर 3-7 साल में बच्चे को जन्म देते हैं, जिससे उनकी आबादी में गिरावट का खतरा बहुत अधिक हो जाता है।

आवास और वितरण

- **पर्यावरण: हिंद और पश्चिमी प्रशांत महासागरों** का गर्म, उथला तटीय पानी ।
- **पूरी तरह समुद्री:** मैनेटी के विपरीत, डुगोंग **कभी भी मीठे पानी की** नदियों या झीलों में नहीं जाते हैं।
- **भारत में:** चार मुख्य जगहों पर पाया जाता है:
  1. **पाक खाड़ी** (भारत के पहले डुगोंग कंज़र्वेशन रिज़र्व का घर)।
  2. **मन्नार की खाड़ी** .
  3. **कच्छ की खाड़ी** .
  4. **अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह** ।

संरक्षण की स्थिति

- **IUCN रेड लिस्ट: वल्नरेबल** (ग्लोबल स्टेटस को 2025 वर्ल्ड कंज़र्वेशन कांग्रेस में ऑफिशियली मान्यता दी गई)।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: शेड्यूल I** (भारत में सबसे ज़्यादा कानूनी सुरक्षा)।
- **उद्धरण: अपेंडिक्स I** (इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड पर बैन)।
- **CMS (बॉन कन्वेंशन): भारत** 2008 से **CMS डुगोंग MoU** पर साइन कर रहा है ।

धमकियाँ

- **हैबिटैट लॉस:** कोस्टल ड्रेजिंग, प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के कारण सीग्रास मैदानों का खराब होना ।
- **अचानक पकड़ा जाना:** मछली पकड़ने के जाल में गलती से फंस जाना (बाई-कैच)।
- **वेसल स्ट्राइक:** कम गहरे पानी में नावों से टक्कर।
- **प्रदूषण:** इंडस्ट्रियल रनऑफ से उनके टिशू में हेवी मेटल्स का बायोएक्युमुलेशन।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **इको-फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर:** कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए मनोरा सेंटर के लिए **लकड़ी या पहले से बने मटीरियल** के लिए EAC के सुझाव को अपनाना ।
- **कम्युनिटी की भागीदारी:** गलती से पकड़े गए डुगोंग को बचाने और छोड़ने वाले तमिलनाडु के मछुआरों के लिए मौजूदा "रिवॉर्ड सिस्टम" को बढ़ाना।
- **क्रॉस-बॉर्डर कोऑपरेशन:** शिकार रोकने और सुरक्षित माइग्रेटरी कॉरिडोर पक्का करने के लिए श्रीलंका (पाल्क बे रीजन) के साथ मिलकर काम करना।
- **टेक्नोलॉजिकल मॉनिटरिंग: पाक खाड़ी और** मन्नार की खाड़ी के बीच मूवमेंट पैटर्न को ट्रैक करने के लिए **ड्रोन और सैटेलाइट टेलीमेट्री का** इस्तेमाल करना ।

निष्कर्ष

ग्लोबल **पहचान, समुद्री संरक्षण में भारत की लीडरशिप को दिखाती है। हालांकि,** मनोरा सेंटर की सफलता एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और उस कोस्टल इकोसिस्टम के बीच बैलेंस बनाने पर निर्भर करती है जिसे वह बचाना चाहता है।

गिलियन-बैरे सिंड्रोम (GBS)

प्रसंग

जनवरी 2026 में , मध्य प्रदेश में हेल्थ अधिकारियों ने **मनासा शहर (नीमच ज़िले)** में **गुइलेन-बैरे सिंड्रोम** फैलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया। 18 जनवरी, 2026 तक, इस बीमारी से **दो लोगों की मौत हो चुकी है** और कम से कम **18 लोग प्रभावित हुए हैं** , जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने खास वार्ड बनाए हैं और 150 से ज़्यादा हेल्थ टीमों के साथ घर-घर जाकर स्क्रीनिंग शुरू की है।

परिभाषा और पैथोफिज़ियोलॉजी

GBS क्या है?

GBS एक रेयर **ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है** जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से **पेरिफेरल नर्वस सिस्टम** (दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की नसें) पर हमला कर देता है।

यह काम किस प्रकार करता है:

- **माइलिन शीथ अटैक:** इम्यून सिस्टम **माइलिन शीथ को नुकसान पहुंचाता है** , जो नर्व फाइबर के आसपास का प्रोटेक्टिव इंसुलेशन है।
- **सिग्नल में रुकावट:** जब माइलिन खराब हो जाता है, तो नसें सिग्नल ठीक से नहीं भेज पातीं। इससे दिमाग का मसल्स पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और शरीर से कम सेंसरी सिग्नल मिलते हैं।

कारण और ट्रिगर

इसका सही कारण पता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह **वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन** (पोस्ट-इन्फेक्शियस पॉलीन्यूरोपैथी) के कारण होता है।

- **जीवाणु:** *कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी* (सबसे आम, अक्सर अधपके पोल्ट्री या दूषित पानी से)।
- **वायरल:** ज़ीका वायरस, इन्फ्लूएंजा, एपस्टीन-बार वायरस और साइटोमेगालोवायरस।
- **अन्य:** सर्जरी की वजह से या कुछ वैक्सीनेशन के बहुत कम साइड इफ़ेक्ट के तौर पर होता है।

लक्षण

लक्षण आमतौर पर जल्दी (कुछ घंटों या दिनों में) दिखते हैं और अक्सर एक "बढ़ते" पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं:

- **शुरुआती लक्षण:** उंगलियों और पैर की उंगलियों में "सुइयां चुभने" जैसा एहसास; **पैरों से कमज़ोरी शुरू होना** ।
- **प्रोग्रेशन:** कमजोरी हाथों और शरीर के ऊपरी हिस्से तक फैल जाती है (**एसेंडिंग पैरालिसिस**)।
- **गंभीर लक्षण: निगलने, बोलने या चबाने में दिक्कत; दिल की धड़कन तेज़ होना; और** सांस की मांसपेशियों के लकवाग्रस्त होने की वजह से जानलेवा **सांस की बीमारी ।**

उपचार और प्रबंधन

इसका कोई पता "इलाज" नहीं है, लेकिन इलाज से रिकवरी में काफ़ी तेज़ी आती है और गंभीरता कम होती है:

- **इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन (IVIG):** डोनर के खून से हेल्दी एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट की जाती हैं ताकि नसों पर हमला करने वाले नुकसानदायक एंटीबॉडीज़ को ब्लॉक किया जा सके।
- **प्लाज़्मा एक्सचेंज (प्लाज़्माफेरेसिस):** खून का लिक्विड हिस्सा (प्लाज़्मा) निकाल दिया जाता है, खराब एंटीबॉडी को फिल्टर करने के लिए "धोया" जाता है, और शरीर में वापस भेज दिया जाता है।
- **सपोर्टिव केयर:** गंभीर मामलों में सांस लेने में मदद के लिए ICU में **वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत होती है।**

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश में 2026 में फैलने वाला यह वायरस जल्दी पता लगाने और पब्लिक हाइजीन की बहुत ज़रूरत को दिखाता है। GBS बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ समय पर मेडिकल मदद से ठीक हो जाते हैं। नीमच में अभी की जांच में **पानी और खाने की चीज़ों के खराब होने को** इसके मुख्य कारण के तौर पर देखा जा रहा है ।

परिसीमन आयोग

प्रसंग

84वें संशोधन (2001) के बाद लोकसभा में सीटों की कुल संख्या पर रोक लगा दी गई विधानसभा **2026** के बाद खत्म होने वाली है। डिलिमिटेशन, यानी सीमाएं फिर से बनाने और आबादी के आधार पर सीटों को फिर से बांटने का प्रोसेस 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद शुरू होने की उम्मीद है।

उत्तर-दक्षिण संघर्ष

मुख्य मुद्दा पिछले पांच दशकों में भारतीय राज्यों के बीच **डेमोग्राफिक अंतर में है:**

- **"सज़ा" फैक्टर:** दक्षिणी राज्यों (जैसे, केरल, तमिलनाडु) ने जनसंख्या कंट्रोल के उपाय सफलतापूर्वक लागू किए। इसके उलट, उत्तरी राज्यों (जैसे, UP, बिहार) में जनसंख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है।
- **रिप्रेजेंटेशन में बदलाव:** आबादी के आधार पर सख्ती से रीएलोकेशन से पॉलिटिकल पावर का बड़ा हिस्सा नॉर्थ की तरफ जा सकता है, जिससे GDP और सोशल डेवलपमेंट में साउथ के ज़्यादा योगदान के बावजूद, उनकी पार्लियामेंट्री आवाज़ कम हो सकती है।

प्रस्तावित समाधान: डाइग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी

"एक व्यक्ति, एक वोट" को फ़ेडरल स्थिरता के साथ बैलेंस करने के लिए, एक्सपर्ट्स **यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट** मॉडल से उधार लेने का सुझाव देते हैं:

- **यह क्या है:** एक ऐसा सिस्टम जिसमें छोटे राज्यों को बड़े राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति ज़्यादा सीटें दी जाती हैं।
- **मैकेनिज्म:** यह पक्का करता है कि बड़े राज्यों में कुल सीटें ज़्यादा हों, लेकिन आबादी बढ़ने पर सीटों और आबादी का रेश्यो कम हो जाए।

- **लक्ष्य:** कुछ ज़्यादा आबादी वाले राज्यों को नेशनल लेजिस्लेचर पर पूरी तरह से हावी होने से रोकना।

आयोग की संरचना और शक्तियाँ

डिलिमिटेशन कमीशन एक हाई-पावर, इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे **भारत के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं** :

- **संरचना:** * एक रिटायर्ड **सुप्रीम कोर्ट जज** (चेयरपर्सन)।
    - मुख्य **चुनाव आयुक्त** (या चुनाव आयुक्त)।
    - संबंधित राज्यों के **राज्य चुनाव आयुक्त ।**
- **बिना चुनौती वाला अधिकार:** कमीशन के आदेश कानूनी तौर पर मान्य हैं और उन्हें **किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती** ।
- **अंतिम निर्णय:** एक बार इसकी रिपोर्ट लोक सभा के समक्ष रख दी जाए विधानसभा या राज्य विधानसभाओं द्वारा किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है।

परिसीमन अधिनियमों का इतिहास

अधिनियम वर्ष	जनगणना के आधार पर	मुख्य परिणाम
1952	1951	आज़ादी के बाद पहला औपचारिक डिलिमिटेशन।
1963	1961	सीटें 494 से बढ़कर 522 हो गईं।
1973	1971	सीटें बढ़कर 543 हो गईं; बाद में 42वें संशोधन द्वारा फ़्रीज़ कर दी गईं।
2002	2001	राज्यों के अंदर सीमाएं फिर से तय की गईं लेकिन कुल सीटें स्थिर रखी गईं।

निष्कर्ष

2026 के बाद का डिलिमिटेशन सिर्फ़ एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज़ नहीं है, बल्कि एक बड़ी **फ़ेडरल चुनौती है** । सफल सोशल पॉलिसीज़ के लिए राज्यों को इनाम देते हुए डेमोक्रेटिक बराबरी बनाए रखने के लिए "कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिएटिविटी" और पॉलिटिकल आम सहमति की ज़रूरत होगी।

POCSO अधिनियम और फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय

प्रसंग

प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफ़ेंस (POCSO) एक्ट, 2012 के हाल के ज्यूडिशियल रिव्यू में , एक चिंता की बात सामने आई है: **फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs)** के ज़रिए केस निपटाने की स्पीड तो बढ़ी है , लेकिन न्याय की क्वालिटी जांच के दायरे में है। कानूनी जानकारों के बीच आम बात यह है कि **"फ़ास्टर इज़ नॉट ऑलवेज फेयरर ।"**

वर्तमान स्थिति और सांख्यिकी

- **निपटान बनाम दोषसिद्धि:** आंकड़े बताते हैं कि जहां मामले अधिक बार बंद किए जा रहे हैं, वहीं दोषसिद्धि की दर **35% से घटकर 29% हो गई है** ।
- **इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क:** FTSCs को टाइम-बाउंड ट्रायल (आइडियली एक साल के अंदर) पक्का करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, फिर भी "पेंडेंसी क्लियर करने" पर फोकस अक्सर प्रोसीजरल डेप्थ से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है।

प्रभावी न्याय की चुनौतियाँ

- **जांच की क्वालिटी:** खराब फोरेंसिक डेटा कलेक्शन और जल्दबाजी में की गई पुलिस जांच से अक्सर आरोपी को "बेनिफिट ऑफ़ डाउट" मिलता है। बिना पक्के साइंटिफिक सबूत के चलने वाले ट्रायल में अक्सर आरोपी बरी हो जाते हैं।
- **सपोर्ट सिस्टम की कमी:** कई पुलिस स्टेशनों में **पैरालीगल वॉलंटियर्स (PLVs) की कमी होती है** । उनके बिना, पीड़ित अक्सर अपने कानूनी अधिकारों से अनजान रहते हैं, जिससे उनके बयान एक जैसे नहीं होते या ट्रायल की तैयारी में कमी होती है।
- **शादी में समझौते:** एक विवादित ट्रेंड है जहाँ कोर्ट या परिवार "समझौता" करवाते हैं, जिससे अगर अपराधी नाबालिग पीड़िता के 18 साल की होने पर उससे शादी करने के लिए राज़ी हो जाते हैं तो वे बरी हो जाते हैं।
    - **कानूनी झगड़ा:** यह POCSO की मुख्य सोच को कमज़ोर करता है, जो ऐसे कामों को बच्चे के खिलाफ़ नॉन-कम्पाउंडेबल अपराध मानता है।
- **दोबारा ट्रॉमा :** रैपिड ट्रायल में कभी-कभी बच्चों के लिए सही माहौल की ज़रूरत को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है, जिससे क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान बच्चों को दोबारा परेशान किया जा सकता है।

संरचनात्मक बाधाएं

- **ज़्यादा पेंडेंसी:** "फ़ास्ट ट्रैक" लेबल के बावजूद, केस की बहुत ज़्यादा संख्या की वजह से जजों और प्रॉसिक्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम का बोझ पड़ता है।
- **गवाह का विरोध:** देरी, फास्ट-ट्रैक मामलों में भी, अक्सर अपराधी के परिवार या समुदाय के दबाव के कारण गवाहों के अपने बयान से पलट जाने का कारण बनती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **स्पेशल ट्रेनिंग:** जजों और सरकारी वकीलों को खास तौर पर बच्चों की साइकोलॉजी और POCSO एक्ट की बारीकियों के बारे में जागरूक करना।
- **मिडस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना:** सभी पुलिस स्टेशनों में परमानेंट PLV तैनात करना ताकि यह पक्का हो सके कि FIR दर्ज होने के समय से ही पीड़ितों के पास एक लीगल "बडी" हो।
- **न्यायिक एकरूपता:** सुप्रीम कोर्ट को "शादी के समझौतों" के खिलाफ साफ गाइडलाइन देने की ज़रूरत है, ताकि यह पक्का हो सके कि अपराध का क्रिमिनल नेचर सामाजिक व्यवस्थाओं से कमज़ोर न हो।
- **फोरेंसिक सबूत पर ध्यान दें:** फोरेंसिक लैब रिपोर्ट की क्वालिटी और स्पीड में सुधार करके मौखिक गवाही पर निर्भरता कम करें।

निष्कर्ष

POCSO एक्ट की सफलता सिर्फ़ हथौड़े की रफ़्तार से नहीं मापी जा सकती। सही मायने में न्याय मिले, इसके लिए लीगल सिस्टम को एफिशिएंसी **और एंपैथी के बीच बैलेंस बनाना होगा** , यह पक्का करना होगा कि फ़ाइल बंद करने की जल्दबाज़ी में बच्चे की सुरक्षा में नाकामी न हो।

लोकतांत्रिक संस्थाओं में जवाबदेही

प्रसंग

लोक सभा स्पीकर **ओम बिरला ने नई दिल्ली में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के कॉन्फ्रेंस (CSPOC) को** संबोधित किया । उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि डेमोक्रेटिक संस्थाओं की लेजिटिमेसी उनके ट्रांसपेरेंट, इनक्लूसिव और अकाउंटेबल बने रहने की काबिलियत पर निर्भर करती है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के ज़माने में।

लोकतांत्रिक संस्थाओं में जवाबदेही के बारे में

परिभाषा: अकाउंटेबिलिटी सत्ता में बैठे लोगों की नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वे अपने कामों का हिसाब दें, फ़ैसलों को सही ठहराएँ और नतीजों का सामना करें। यह एक रिलेशनल कॉन्सेप्ट है जहाँ **एजेंट** (सरकार) **प्रिंसिपल** (नागरिकों) के प्रति जवाबदेह होता है।

प्रमुख विशेषताऐं:

- **जवाबदेही:** फैसलों को समझाने और जनता को भरोसेमंद जानकारी देने की ज़िम्मेदारी।
- **लागू करने की क्षमता:** गलत काम के लिए सज़ा देने या इंस्टीट्यूशनल कमियों को ठीक करने के तरीके।
- **रिस्पॉन्सिवनेस:** नागरिकों की बदलती ज़रूरतों और फ़ीडबैक के हिसाब से ढलने की संस्थाओं की क्षमता।

जवाबदेही का महत्व

- **पब्लिक ट्रस्ट को बढ़ावा देना:** शासकों और शासितों के बीच की खाई को पाटना।
  - *उदाहरण के लिए,* राष्ट्रीय **महत्वपूर्ण खनिज मिशन (2025)** में निष्पक्ष संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता खंड शामिल हैं।
- **भ्रष्टाचार पर रोक:** लगातार जांच से अधिकार का गलत इस्तेमाल रुकता है।
  - *उदाहरण के लिए, 130* वें **संविधान संशोधन विधेयक (2025) में** गंभीर अपराधों के लिए हिरासत में लिए गए मंत्रियों को अपने आप हटाने का प्रस्ताव है।
- **सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना:** यह पक्का करता है कि वेलफेयर बेनिफिट्स बिना किसी लीकेज के बेनिफिशियरी तक पहुँचें।
  - *उदाहरण के लिए* MGNREGA में **सोशल ऑडिट से** ज़मीनी स्तर पर फंड बांटने में गड़बड़ियों की पहचान की गई है और उन्हें ठीक किया गया है।
- **हाशिए पर पड़ी आवाज़ों की रक्षा:** जवाबदेह सिस्टम सबको साथ लेकर चलने वाली बातचीत पक्का करते हैं।
  - *उदाहरण के लिए,* स्पीकर ओम बिरला ने इस बात पर ज़ोर दिया कि डिजिटल गलत जानकारी से होने वाले सामाजिक ध्रुवीकरण को रोकने के लिए सबको साथ लेकर चलना ज़रूरी है।
- **कानून का राज बनाए रखना:** यह पक्का करता है कि कोई भी व्यक्ति कानूनी दायरे से ऊपर न हो।
  - *जैसे, राज्य के गवर्नरों की वीटो पावर पर* सुप्रीम कोर्ट के **2025 के फैसले** ने इस बात की पुष्टि की कि संवैधानिक प्रमुख लेजिस्लेटिव इच्छा के प्रति जवाबदेह हैं।

जवाबदेही की चुनौतियाँ

- **टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल:** AI और डीपफेक लोगों की राय को बदल सकते हैं और सच्चाई से बच सकते हैं।
- **साफ़-साफ़ फ़ैसले लेना:** नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में बहुत ज़्यादा सीक्रेसी पब्लिक ओवरसाइट में रुकावट डालती है (जैसे, **RTI एप्लीकेशन में देरी**)।
- **पार्लियामेंट्री सिस्टम का खत्म होना:** बार-बार रुकावट और मेंबर्स के रिकॉर्ड सस्पेंशन से एग्जीक्यूटिव स्क्रूटनी के लिए मिलने वाला समय कम हो जाता है।
- **स्ट्रक्चरल देरी:** 2025 तक **5 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग होने** के साथ धीमी न्यायिक प्रक्रिया , कानूनी सज़ा के रोकने वाले असर को कमज़ोर कर देती है।

- **इन्फॉर्मेशन ओवरलोड:** सोशल मीडिया अक्सर एक्यूरेसी से ज़्यादा एंगेजमेंट को प्रायोरिटी देता है, जिससे लोगों के लिए सच और गलत इन्फॉर्मेशन में फर्क करना मुश्किल हो जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **स्टैंडिंग कमेटियों को मज़बूत करना:** हर बड़े बिल और बजट की टेक्निकल जांच करने के लिए "मिनी-पार्लियामेंट" को मज़बूत बनाना।
- **एथिकल AI फ्रेमवर्क अपनाना:** कानूनी काम में AI के ज़िम्मेदार इस्तेमाल के लिए साफ़ गाइडलाइन बनाना।
- **सोशल ऑडिट को इंस्टीट्यूशनल बनाना:** अलग-अलग वेलफेयर स्कीम के अलावा सभी पब्लिक डिपार्टमेंट के लिए सोशल ऑडिट को ज़रूरी बनाना।
- **न्यायिक और चुनावी सुधार:** सरकारी अधिकारियों से जुड़े मामलों का तेज़ी से निपटारा पक्का करना ताकि कानून को लागू करना आसान हो सके।
- **नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना: MyGov** जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, ड्राफ्ट पॉलिसी को कानून बनने से पहले उन पर सीधा फीडबैक मांगा जा सकता है।

निष्कर्ष

सच्चा लोकतंत्र सिर्फ़ वोट देने से कहीं ज़्यादा है; इसके लिए चुने हुए प्रतिनिधियों का लगातार नैतिक व्यवहार ज़रूरी है। जैसा कि CSPOC में बताया गया, ट्रांसपेरेंसी और सबको साथ लेकर चलने को प्राथमिकता देने से पावर **लोगों के भरोसे में बदल जाती है** , जिससे यह पक्का होता है कि शासन एक खास अधिकार के बजाय एक सेवा बना रहे।

भारत की खनिज कूटनीति

प्रसंग

2025 में , भारत ने अपनी ग्लोबल मिनरल स्ट्रैटेजी को रीकैलिब्रेट करने के लिए **नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) लॉन्च किया** । यह कदम चीन द्वारा रेयर अर्थ्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल को कड़ा करने के बाद उठाया गया है और इसका मकसद ग्रीन एनर्जी ट्रांज़िशन और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है।

भारत की खनिज कूटनीति के बारे में

परिभाषा: मिनरल्स डिप्लोमेसी इंटरनेशनल पार्टनरशिप और मल्टीलेटरल मिनरल क्लब (जैसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप) का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल है, ताकि **लिथियम** और **कोबाल्ट** जैसे मिनरल्स की भरोसेमंद सप्लाई पक्की की जा सके । यह नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी पक्की करने के लिए अपस्ट्रीम माइनिंग, मिडस्ट्रीम प्रोसेसिंग और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग कोलेबोरेशन को इंटीग्रेट करता है।

खनिज संसाधनों की स्थिति:

- **रिफाइनिंग ग्रोथ: FY26 की** शुरुआत में घरेलू रिफाइंड कॉपर प्रोडक्शन में **43.5% की बढ़ोतरी हुई** , जो लोकल स्मेल्टिंग कैपेसिटी में सुधार का संकेत है।
- **इम्पोर्ट पर निर्भरता:** EV बैटरी के लिए ज़रूरी लिथियम और कोबाल्ट समेत 10 ज़रूरी मिनरल्स के लिए भारत **100% इम्पोर्ट पर निर्भर है।**
- **ग्लोबल स्टैंडिंग:** 2025 तक, भारत दुनिया भर में एल्युमीनियम का **दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर** और आयरन ओर का **तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है।**
- **एक्सप्लोरेशन में तेज़ी:** जियोलॉजिकल **सर्वे ऑफ़ इंडिया (GSI) ने** पिछले तीन सालों में **368** से ज़्यादा ज़रूरी मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं ।
- **फाइनेंशियल खर्च:** NCMM के लिए 2031 तक **₹34,300 करोड़** का सॉवरेन फंड दिया गया है।

भारत की खनिज कूटनीति की ज़रूरत

- **एनर्जी ट्रांज़िशन गोल्स: 500 GW नॉन-फॉसिल फ्यूल टारगेट को** पूरा करने के लिए बड़े लिथियम रिज़र्व को सुरक्षित करना ।
- **चीन के रिस्क को कम करना: एक "चाइना-प्लस-वन"** सप्लाई चेन बनाना । **2025 का इंडिया-जापान मेमोरेंडम** चीनी प्रोसेसिंग दबदबे को बायपास करने के लिए तीसरे देशों में जॉइंट एक्सट्रैक्शन पर फोकस करता है।
- **टेक्नोलॉजिकल सॉवरिन्टी:** रेयर-अर्थ प्रोसेसिंग और बैटरी रीसाइक्लिंग के लिए **TRUST इनिशिएटिव (USA)** जैसे इनिशिएटिव के ज़रिए रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी तक पहुँचना ।
- **इकोनॉमिक रेजिलिएंस: ग्लोबल प्राइस वोलैटिलिटी को मैनेज करना। KABIL** के ज़रिए अर्जेंटीना के साथ भारत का **₹200 करोड़ का एग्रीमेंट** घरेलू बैटरी बनाने वालों के लिए लॉन्ग-टर्म कॉस्ट को ठीक करने के मकसद से है।
- **ग्लोबल साउथ लीडरशिप:** भारत को मिनरल से भरपूर देशों के लिए एक पार्टनर के तौर पर पेश करना। **नामीबिया के साथ हाल की डील** सिर्फ़ निकालने के बजाय लोकल वैल्यू बनाने पर फोकस करती हैं।

की गई पहल

- **नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) 2025:** 7 साल का, **₹34,300 करोड़** एंड-टू-एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए मिशन ।
- **माइंस एंड मिनरल्स (अमेंडमेंट) एक्ट 2025:** यह एक्ट केंद्र सरकार को **24 स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी**

मिनरल्स के लिए माइनिंग लीज़ की नीलामी का खास अधिकार देता है ।

- **काबिल (खनिज) बिदेश इंडिया लिमिटेड): एक PSU जॉइंट वेंचर जो "लिथियम ट्राएंगल"** (अर्जेंटीना और चिली) में विदेशी एसेट्स खरीदने पर फोकस करता है ।
- **मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP):** भारत, सस्टेनेबल ग्लोबल सप्लाई चेन पर US और EU के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए इस 14 देशों के क्लब में शामिल हुआ।
- **रीसाइक्लिंग इंसेंटिव स्कीम:** ई-वेस्ट से "अर्बन माइनिंग" को बढ़ावा देने के लिए 2025 में ₹1,500 करोड़ की स्कीम शुरू की **गई ।**

संबंधित चुनौतियाँ

- **प्रोसेसिंग में रुकावटें:** भारत को अक्सर ओर तो मिल जाता है, लेकिन हाई-टेक रिफाइनरियों की कमी है, जिससे विदेशी मिडस्ट्रीम कैपेसिटी पर निर्भर रहना पड़ता है।
- **बहुत ज़्यादा ग्लोबल कॉम्पिटिशन:** चीनी कंपनियों के बड़े खजाने से मुकाबला करना, खासकर ज़ाम्बिया जैसे रिसोर्स से भरपूर अफ्रीकी देशों में।
- **पॉलिसी में उतार-चढ़ाव:** "रिसोर्स नेशनलिज़्म" और विदेशी सब्सिडी (जैसे, US इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट) "फ्रेंड-शोरिंग" की कोशिशों को मुश्किल बना सकती हैं।
- **पर्यावरण और सामाजिक चिंताएँ:** भारतीय माइनिंग को **EU के सख्त पर्यावरण स्टैंडर्ड्स** और ग्लोबल ESG ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स के साथ अलाइन करना।
- **लंबा लीड टाइम:** माइनिंग प्रोजेक्ट्स को डिस्कवरी से प्रोडक्शन तक आम तौर पर **10 से 15 साल लगते हैं।**

आगे बढ़ने का रास्ता

- **इंटीग्रेटेड वैल्यू-चेन मैपिंग:** कच्चे माल के भंडार को भारतीय मैन्युफैक्चरिंग स्केल से जोड़ने के लिए तीन तरफ़ा समझौतों (जैसे, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ) को अंतिम रूप देना।
- **सॉवरेन वेल्थ सपोर्ट:** प्रस्तावित **क्रिटिकल मिनरल्स ओवरसीज एक्विजिशन अथॉरिटी के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर में एंट्री के रिस्क को कम करने के लिए NCMM फंड का इस्तेमाल करना** ।
- **सर्कुलर इकॉनमी पर फोकस: 2030 तक हर साल 40 किलो टन** मिनरल निकालने के लिए रीसाइक्लिंग स्कीम को बढ़ाना।
- **ESG स्टैंडर्ड्स को मज़बूत करना:** वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए **इंडियन मिनरल इंडस्ट्री कोड को** अपनाना ।
- **डिप्लोमैटिक विस्तार: एक डेडिकेटेड मिनरल डिप्लोमेसी डिवीज़न** बनाना और पर्थ और सैंटियागो जैसे स्ट्रेटेजिक हब में मिनरल अटैची नियुक्त करना।

निष्कर्ष

2047 के विकसित भारत विज़न की नींव रख रहा है। सफलता साइन किए गए MoUs को ऑपरेशनल रिफाइनरियों और स्टेबल सप्लाई लाइनों में बदलने पर निर्भर करती है ।

आर्टेमिस II मिशन

प्रसंग

जनवरी 2026 तक , **आर्टेमिस II** मिशन अपने **आखिरी प्री-लॉन्च फेज़ में आ गया है। 17 जनवरी, 2026** को , **स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS)** रॉकेट और **ओरियन स्पेसक्राफ्ट को केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39B** में सफलतापूर्वक रोल आउट किया गया । यह मिशन रोबोटिक टेस्टिंग से **क्रू वाले चांद की खोज** में बदलाव को दिखाता है ।

मिशन विवरण

- **एजेंसियां:** NASA (लीड) कैनेडियन स्पेस एजेंसी (CSA) के साथ पार्टनरशिप में
- **मुख्य लक्ष्य: अपोलो 17 (1972)** के बाद चांद के आस-पास पहला क्रू मिशन।
- **मिशन टाइप:** ~ **10-दिन का लूनर फ्लाईबाई** मिशन
- **प्रक्षेप पथ: हाइब्रिड फ्री-रिटर्न** , चांद की कक्षा में घुसे बिना या लैंड किए बिना चांद के दूसरी तरफ का चक्कर लगाना

मुख्य उद्देश्य

- ओरियन के **लाइफ सपोर्ट, कम्युनिकेशन और नेविगेशन** सिस्टम को ह्यूमन क्रू के साथ वैलिडेट करें
- **हाई-स्पीड री-एंट्री (~25,000 mph)** और **पैसिफिक ओशन में स्प्लैशडाउन का** टेस्ट करें
- हाई-रेट डेटा ट्रांसफर के लिए **डीप-स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन (O2O)** का प्रदर्शन करें

लॉन्च समयरेखा

- **सबसे पहले लॉन्च विंडो: 6 फरवरी, 2026**
- **बैकअप के मौके: अप्रैल 2026** तक

मिशन प्रोफ़ाइल

1. **लॉन्च और अर्थ ऑर्बिट: SLS ने** शुरुआती जांच के लिए ओरियन को **हाई एलिप्टिकल अर्थ ऑर्बिट** में लॉन्च किया
2. **ट्रांस-लूनर इंजेक्शन (TLI):** ओरियन चांद की ओर बढ़ने के लिए बर्न करता है
3. **लूनर फ्लाईबाई:** चांद की सतह से ~ **6,400 मील (10,300 km) ऊपर; अपोलो 13 के** इंसानी दूरी के रिकॉर्ड को पार कर सकता है
4. **रिटर्न और स्प्लैशडाउन:** ग्रेविटी ने वापसी में मदद की; **पैसिफिक ओशन स्प्लैशडाउन**

चुनौतियाँ और वर्तमान स्थिति

- **हीट शील्ड की चिंता: आर्टेमिस I** के दौरान ओरियन हीट शील्ड के "जलने" के बाद 2025 तक जांच जारी रही
- **मौजूदा फ़ेज़ (जनवरी 2026 के आखिर में): वेट ड्रेस रिहर्सल** चल रही है (फ्यूलिंग + फुल काउंटडाउन सिमुलेशन)

निष्कर्ष

आर्टेमिस II, आर्टेमिस कैंपेन के लिए **प्रूफ़ ऑफ़ कॉन्सेप्ट है। इसकी सफलता आर्टेमिस III** के लिए ज़रूरी है , जिसे **2027/2028 के लिए टारगेट किया गया है, जिसका मकसद चांद के साउथ पोल** पर **पहली महिला** और **पहले पर्सन ऑफ़ कलर** को उतारना है ।

किशोर न्याय अधिनियम

प्रसंग

एक **प्राइवेट मेंबर बिल** पेश किया गया जिसमें "जघन्य अपराधों" के लिए एक नाबालिग पर बड़ों की तरह मुकदमा चलाने की उम्र **16 साल से घटाकर 14 साल करने का प्रस्ताव** है। इससे पब्लिक सेफ्टी और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के रिहैबिलिटेशन के लक्ष्यों के बीच बैलेंस को लेकर देश भर में तीखी बहस फिर से शुरू हो गई है।

पृष्ठभूमि: 2015 का विकास

2012 के दिल्ली गैंग रेप केस के बाद, **जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015** ने 2000 के एक्ट की जगह ले ली।

- **मुख्य बदलाव: इसमें एक प्रावधान पेश किया गया है जिसके तहत 16-18 साल के बच्चों** पर जघन्य अपराधों (कम से कम 7 साल की सज़ा वाले अपराध) के लिए बड़ों की तरह मुकदमा चलाने की इजाज़त दी गई है।
- **मैकेनिज्म:** यह ऑटोमैटिक नहीं है; जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) को बच्चे की क्राइम करने की मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी और नतीजों के बारे में उसकी समझ के बारे में एक **शुरुआती असेसमेंट करना होगा।**

उम्र घटाकर 14 करने के पक्ष में तर्क

- **क्राइम का नेचर:** सपोर्टर्स का कहना है कि 14 और 15 साल के बच्चों द्वारा किए गए कुछ क्राइम (जैसे, मर्डर, गैंग रेप) की क्रूरता के लिए एक रोकथाम की ज़रूरत होती है, जो जुवेनाइल सिस्टम, जो सुधार पर फोकस करता है, नहीं दे सकता।
- **बढ़ती भागीदारी:** यह माना जा रहा है कि कम उम्र के टीनएजर्स ऑर्गनाइज़्ड क्राइम और घिनौने कामों में शामिल हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि अभी 16 साल की उम्र का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

विपक्ष में तर्क (आलोचना)

आलोचकों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि उम्र को और कम करना कई कारणों से एक पिछड़ा कदम है:

- **देखभाल और सुरक्षा का सिद्धांत:** जेजे एक्ट का मूल सिद्धांत यह है कि बच्चे " डोली " हैं इनकैपेक्स " (आपराधिक इरादा बनाने में असमर्थ) कुछ हद तक और सज़ा के बजाय **पुनर्वास के हकदार हैं।**
- **साइकोलॉजिकल असर:** बड़ों के लिए जेल "क्राइम की यूनिवर्सिटी" हैं। 14 साल के बच्चों को खतरनाक क्रिमिनल्स के सामने रखने से उनका मेंटल ग्रोथ रुक जाता है और सोशल रीइंटीग्रेशन का कोई भी मौका खत्म हो जाता है।
- **क्लास में भेदभाव: इसमें सोशियो-इकोनॉमिक भेदभाव** का काफी खतरा होता है । अमीर परिवार बच्चे को "मेंटल असेसमेंट" पास करने में मदद के लिए कानूनी सलाह और साइकोलॉजिस्ट का खर्च उठा सकते हैं, जबकि गरीब बच्चे, जो अक्सर खराब माहौल के शिकार होते हैं, उन्हें ज़्यादातर बड़ों वाली जेलों में भेजा जाएगा।
- **अनुभवजन्य सबूतों का अभाव:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (**एनसीआरबी) के आंकड़े 14-16 आयु** वर्ग द्वारा किए गए जघन्य अपराधों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं दिखाते हैं जो इस तरह के कठोर विधायी बदलाव को उचित ठहरा सके।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **रिहैबिलिटेशन को मज़बूत करना:** उम्र कम करने के बजाय, स्पेशल होम्स और ऑब्ज़र्वेशन होम्स की कंडीशन और असर को बेहतर बनाने पर ध्यान दें।

- **रूट कॉज़ एनालिसिस:** उन सोशियो-इकोनॉमिक वजहों पर ध्यान देना, जैसे शिक्षा की कमी और गरीबी, जो बच्चों को क्राइम की ओर ले जाती हैं।
- **न्यायिक जांच:** यह पक्का करना कि 16-18 साल के बच्चों के लिए "शुरुआती असेसमेंट" साइंटिफिक तरीके से सख्त हो और लोगों के गुस्से से प्रभावित न हो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग-अलग फैसलों में ज़ोर दिया है।

निष्कर्ष

UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन होने का खतरा है । हालांकि जघन्य अपराधों में न्याय की मांग सही है, लेकिन कानून को एक "हार्ड क्रिमिनल" और एक "वल्नरेबल बच्चे" के बीच फर्क करना चाहिए जो अपने हालात की वजह से बना है।

न्यायाधीशों को हटाना

प्रसंग

जुलाई 2025 में , "इंडिया" विपक्षी गुट ने लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया **मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन** को हटाने की मांग करते हुए सभा में प्रस्ताव पेश किया गया । प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि जज के कुछ न्यायिक काम सेक्युलरिज़्म और व्यक्तिगत गरिमा के सिद्धांतों के खिलाफ थे।

संवैधानिक प्रावधान

- **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश: अनुच्छेद 124(4)** द्वारा शासित ।
- **हाई कोर्ट के जज: आर्टिकल 217 और 218** के तहत आते हैं , जो यह तय करते हैं कि हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जाता है।
- **टर्मिनोलॉजी नोट: "इंपीचमेंट"** शब्द टेक्निकली संविधान में सिर्फ़ प्रेसिडेंट (आर्टिकल 61) के लिए रिज़र्व है। जजों के लिए, ऑफिशियल शब्द **"रिमूवल" है,** हालांकि "इंपीचमेंट" बोलचाल और मीडिया में आम है।

निष्कासन के आधार

संविधान के तहत, किसी जज को सिर्फ़ दो खास वजहों से हटाया जा सकता है:

1. **साबित गलत व्यवहार:** इसमें भ्रष्टाचार, ईमानदारी की कमी, या ऐसा व्यवहार शामिल है जिससे न्यायपालिका में लोगों का भरोसा कम होता है।
2. **अक्षमता:** न्यायिक काम करने में शारीरिक या मानसिक अक्षमता।

निष्कासन प्रक्रिया (न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968)

यह प्रक्रिया एक सख्त मल्टी-स्टेज प्रोसेस है जिसे ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है:

1. **प्रस्ताव पर** लोक सभा के कम से कम **100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।** सभा या राज्य के **50 सदस्य** सभा में पेश किया जाएगा और स्पीकर/चेयरमैन को सौंपा जाएगा।
2. **अपनी मर्ज़ी से मंज़ूरी:** स्पीकर या चेयरमैन ज़रूरी चीज़ों को देखने के बाद प्रस्ताव को मंज़ूर या नामंज़ूर कर सकते हैं। उन्हें नामंज़ूरी का कारण बताना कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं है।
3. **जांच कमेटी:** अगर मान लिया जाता है, तो आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है:
   - सुप्रीम कोर्ट के जज (या भारत के चीफ जस्टिस)।
   - एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस।
   - एक जाने-माने न्यायविद।
4. **फैसला:** * अगर कमिटी जज को **दोषी नहीं पाती है** , तो प्रोसेस तुरंत खत्म हो जाता है।
   - अगर कमिटी जज को **दोषी पाती है** , तो मोशन को उस हाउस में बहस और वोटिंग के लिए लाया जाता है जहां से यह शुरू हुआ था।
5. **स्पेशल मेजॉरिटी:** प्रस्ताव पास होने के लिए **हर** हाउस में "स्पेशल मेजॉरिटी" की ज़रूरत होती है:
   - सदन की **कुल सदस्यता का 50%** से ज़्यादा ।
   - मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों में से कम से कम **दो-तिहाई ।**
6. **प्रेसिडेंशियल ऑर्डर:** एक ही सेशन में दोनों हाउस से पास होने के बाद, प्रेसिडेंट को एक एड्रेस दिया जाता है, जो फिर हटाने का फ़ाइनल ऑर्डर जारी करते हैं।

मुख्य तथ्य और न्यायिक मिसालें

- **कोई सफल निष्कासन नहीं:** आज तक भारत में **किसी भी जज को** इस पूरी प्रक्रिया से सफलतापूर्वक नहीं हटाया गया है।
- **जस्टिस वी. रामास्वामी (1993):** यह पहला ऐसा मामला था; हालांकि जांच कमेटी ने उन्हें दोषी पाया, लेकिन लोकपाल के पास यह प्रस्ताव खारिज हो गया। सभा में इसलिए मतदान नहीं हुआ क्योंकि रूलिंग पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
- **इस्तीफ़ा एक "बचने" के तौर पर:** कई मामलों में (जैसे, **जस्टिस सौमित्र सेन (** 2011 में) और **जस्टिस पीडी दिनाकरन**) ने जांच कमिटी के दोषी पाए जाने के बाद, लेकिन पार्लियामेंट में आखिरी वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया, जिससे कार्रवाई असल में खत्म हो गई।

निष्कर्ष

जजों को हटाने की ऊँची लिमिट एक दोधारी तलवार है: यह पक्का करता है कि जज बिना किसी राजनीतिक बदले की कार्रवाई के डर के नापसंद फैसले दे सकें, लेकिन इससे न्यायिक जवाबदेही हासिल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ मौजूदा कदम एक बार फिर इस प्रोसेस के "राजनीतिक बनाम न्यायिक" नेचर को नेशनल स्पॉटलाइट में ले आया है।

भारतीय न्याय संहिता और झूठे वादे पर यौन संबंध

प्रसंग

भारतीय संविधान के लागू होने के साथ **न्याय संहिता (BNS)** , जिसने 2024 में इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह ली, **सेक्शन 69 को** एक अलग कानूनी अपराध के तौर पर पेश किया गया था। यह खास तौर पर "धोखेबाज़ी" से किए गए सेक्सुअल इंटरकोर्स से जुड़ा है, एक ऐसा मामला जो पहले रेप के कानून के तहत "सहमति" के कोर्ट के मतलब पर निर्भर था।

प्रावधान के बारे में

- **अपराध:** सेक्शन 69 किसी भी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स को अपराध मानता है, जब सहमति "धोखेबाज़ी" या "शादी का झूठा वादा" करके ली गई हो।
- **"धोखेबाज़ तरीकों" की परिभाषा:** इस नियम में साफ़ तौर पर यह बताया गया है कि इसमें ये शामिल हैं:
  - नौकरी या प्रमोशन का झूठा वादा।
  - किसी की असली पहचान को दबाकर लालच देना।
  - शादी का झूठा वादा, जिसे पूरा करने का इरादा न हो।
- **कानूनी अंतर:**
  - **रेप के खिलाफ:** सेक्शन 63 (रेप) के उलट, जो सहमति की कमी या ज़बरदस्ती पर फोकस करता है, सेक्शन 69 उन मामलों से निपटता है जहाँ **फिजिकल सहमति तो है** लेकिन कानूनी तौर पर गलत है क्योंकि इसे फ्रॉड या गलत जानकारी से हासिल किया गया था।
- **सज़ा:** इस जुर्म के लिए **10 साल तक की जेल हो सकती है** और जुर्माना भी देना होगा।

न्यायिक और कानूनी पृष्ठभूमि

- **ऐतिहासिक संदर्भ:** IPC के तहत, ऐसे मामलों में अक्सर रेप के तौर पर मुकदमा चलाया जाता था, इस थ्योरी के तहत कि "गलतफहमी" (सेक्शन 90 IPC) के तहत दी गई सहमति कोई सहमति नहीं है।
- **बदलाव:** एक अलग कैटेगरी बनाकर, BNS यह मानता है कि "धोखे से" सहमति से सेक्स करना एक अलग गलत बात है, जो हिंसक या बिना सहमति के रेप से अलग है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

- **इरादे का सबूत:** एक मुख्य कानूनी मुश्किल "वादे का उल्लंघन" (जहां कोई आदमी शादी करना चाहता था लेकिन कर नहीं सका) और "झूठा वादा" (जहां शादी करने का कभी इरादा ही नहीं था) के बीच फर्क करना है। शुरुआती इरादे को साबित करना सबूतों के हिसाब से मुश्किल है।
- **जेंडर न्यूट्रैलिटी:** आलोचना करने वालों का कहना है कि यह नियम जेंडर-स्पेसिफिक है, जो सिर्फ़ पुरुषों पर लागू होता है। जेंडर ज्यूरिस्प्रूडेंस के बदलते दौर में, कई लोग जेंडर-न्यूट्रल सेक्सुअल ऑफेंस कानूनों की वकालत करते हैं।
- **गलत इस्तेमाल की संभावना:** कानूनी एक्टिविस्ट ने चिंता जताई है कि इस सेक्शन का इस्तेमाल आपसी सहमति से बने रोमांटिक रिश्तों के टूटने के बाद हैरेसमेंट के लिए एक टूल के तौर पर किया जा सकता है।
- **साफ़ नहीं:** "धोखेबाज़ तरीके" शब्द बहुत बड़ा है, जिससे अलग-अलग कानूनी मतलब निकाले जा सकते हैं, जिससे कानूनी उलझन पैदा हो सकती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **साफ़ सबूत के स्टैंडर्ड:** गलत सज़ा को रोकने के लिए, कोर्ट को असली मन बदलने और पहले से सोची-समझी धोखाधड़ी के बीच फ़र्क करने के लिए सख़्त गाइडलाइन बनानी चाहिए।
- **सेंसिटाइजेशन:** कानूनी और पुलिस अधिकारियों को इन सेंसिटिव मामलों को संभालने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें सब्जेक्टिव रिलेशनशिप नैरेटिव के बजाय ऑब्जेक्टिव सबूतों पर फोकस किया जाता है।
- **लेजिस्लेटिव रिव्यू:** समय के साथ, लेजिस्लेचर को आज की सामाजिक हकीकत के हिसाब से इस प्रोविज़न को जेंडर-न्यूट्रल बनाने पर विचार करना पड़ सकता है।

निष्कर्ष

BNS का सेक्शन 69 भारत के क्रिमिनल लॉ में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जिसमें "धोखे से सेक्स" को एक अलग अपराध के तौर पर कोड किया गया है। हालांकि इसका मकसद महिलाओं को शोषण और धोखाधड़ी से बचाना है, लेकिन इसकी सफलता ज्यूडिशियरी की इस काबिलियत पर निर्भर करती है कि वह पीड़ितों की सुरक्षा और नाकाम रिश्तों में डिफेंडेंट्स के खिलाफ संभावित गलत इस्तेमाल को रोकने के बीच बैलेंस बनाए रखे।

MSMEs के ग्रीन ट्रांज़िशन के लिए रोडमैप

प्रसंग

नीति आयोग ने "MSMEs के ग्रीन ट्रांज़िशन के लिए रोडमैप" नाम की एक बड़ी रिपोर्ट जारी की । सीमेंट और एल्युमीनियम सेक्टर के लिए डीकार्बोनाइज़ेशन स्ट्रेटेजी के साथ शुरू की गई यह पहल, भारत के **विकसित भारत 2047 विज़न और 2070 तक नेट-ज़ीरो एमिशन** हासिल करने के उसके कमिटमेंट की दिशा में एक ज़रूरी कदम है ।

रोडमैप के बारे में

- **परिभाषा:** एक स्ट्रेटेजिक **10-साल का एक्शन प्लान** जिसका मकसद भारत के 63-69 मिलियन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को लो-कार्बन इकॉनमी की ओर ले जाना है।
- **तीन लीवर: इस प्लान में** डीकार्बोनाइजेशन के लिए तीन मुख्य पिलर पहचाने गए हैं :
  1. **एनर्जी एफिशिएंसी:** मॉडर्न मशीनरी से वेस्ट कम करना।
  2. **ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी:** रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की ओर बढ़ना।
  3. **अल्टरनेटिव फ्यूल:** कोयला/तेल से बायोमास या नेचुरल गैस पर ट्रांज़िशन।
- **इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क:** इम्प्लीमेंटेशन और डिमांड एग्रीगेशन की देखरेख के लिए एक **नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (NPMA)** बनाने का प्रस्ताव है ।

मुख्य रुझान: आर्थिक और पर्यावरणीय पदचिह्न

MSME सेक्टर को अक्सर भारत का "साइलेंट इंजन" कहा जाता है, लेकिन इसका पर्यावरण पर असर बहुत ज़्यादा है:

मीट्रिक	डेटा पॉइंट
जीडीपी योगदान	भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग **30%**
रोज़गार	**250 मिलियन** से ज़्यादा लोग (कृषि के बाद दूसरे नंबर पर)
निर्यात	कुल राष्ट्रीय निर्यात का लगभग **45.7%**
उत्सर्जन	~ **135 मिलियन टन** CO_2e (2022 तक)
ऊर्जा घनत्व	कुल औद्योगिक ऊर्जा का **25%** से ज़्यादा खपत करता है

ज़रूरत: ग्रीन ट्रांज़िशन क्यों?

- **ग्लोबल मार्केट एक्सेस:** EU के **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे मैकेनिज्म** , जो 2026 में लागू होंगे, स्टील और टेक्सटाइल जैसे एक्सपोर्ट पर "कार्बन कॉस्ट" लगाएंगे। ग्रीन प्रैक्टिस अब ग्लोबल ट्रेड के लिए एक ज़रूरी शर्त है।
- **क्लाइमेट रेजिलिएंस:** MSMEs पर आपदाओं का बहुत ज़्यादा असर होता है। उदाहरण के लिए, **साइक्लोन मिचांग (2023)** से तमिलनाडु में 4,800 यूनिट्स को ~$360 मिलियन का नुकसान हुआ।
- **रेगुलेटरी कम्प्लायंस:** BRSR **(बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग)** फ्रेमवर्क के तहत अब टॉप 1,000 लिस्टेड कंपनियों को अपने **स्कोप 3 एमिशन** (वैल्यू चेन) को ट्रैक करना होगा, जिससे उनके MSME सप्लायर्स को ग्रीन होना पड़ेगा।
- **लाभप्रदता: आधुनिक ग्रीन टेक में आम तौर पर 1-5 साल** की पेबैक अवधि होती है , जिसके बाद ऊर्जा बचत सीधे लाभ मार्जिन बढ़ाती है।

प्रमुख पहल और योजनाएँ

सरकार ने इस बदलाव को आसान बनाने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं:

- **ADEETIE स्कीम:** एनर्जी-एफिशिएंट टेक में अपग्रेड करने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन देती है।
- **GIFT स्कीम:** वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीन ट्रांसपोर्ट के लिए रियायती इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस।
- **ZED सर्टिफिकेशन:** "ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफ़ेक्ट" स्कीम ज़ीरो एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट के साथ हाई-क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है।
- **SPICE पहल:** प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्कुलर इकॉनमी प्रैक्टिस को सपोर्ट करता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **फाइनेंस गैप:** ज़्यादा रिस्क और कोलैटरल की कमी की वजह से ग्रीन लोन पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाते हैं।
- **जागरूकता का अंतर:** अभी, **25 में से सिर्फ़ 1** छोटा बिज़नेस ही अपना कार्बन फुटप्रिंट मापता है।
- **ज़्यादा शुरुआती लागत:** सोलर या एफिशिएंट बॉयलर के लिए शुरुआती कैपिटल एक्सपेंडिचर (CAPEX) अक्सर एक माइक्रो-यूनिट के सालाना टर्नओवर से ज़्यादा होता है।

- **भरोसे की कमी: एनर्जी सर्विस कंपनियों (ESCOs)** के साथ "पे-एज़-यू-सेव" मॉडल के बारे में समझ की कमी ।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **NPMA ऑपरेशनलाइज़ेशन :** सब्सिडी बांटने के लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर को अच्छे से मैनेज करना।
- **डिमांड एग्रीगेशन:** "क्लस्टर-बेस्ड" प्रोक्योरमेंट के ज़रिए अलग-अलग यूनिट्स की लागत कम करने के लिए सोलर पैनल और मोटर की बल्क-खरीद।
- **क्लाइमेट सिस्टर इम्पैक्ट फंड (CSIF): यह** एक हाइब्रिड डेट/इक्विटी फंड है जो उभरती हुई लो-कार्बन टेक्नोलॉजी के लिए कम लागत वाली कैपिटल देता है।
- **स्टैंडर्ड MRV:** MSMEs को ग्लोबल खरीदारों के लिए अपने एमिशन में कमी को सर्टिफ़ाई करने में मदद करने के लिए एक आसान **मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफ़िकेशन टूल लागू करना।**

निष्कर्ष

ग्रीन ट्रांज़िशन अब कोई चॉइस नहीं बल्कि इंडियन MSMEs की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है। NPMA और टारगेटेड फंड्स के ज़रिए फाइनेंशियल और टेक्निकल गैप्स को पूरा करके, इंडिया यह पक्का कर सकता है कि उसके सबसे छोटे एंटरप्राइज **2047 तक एक मज़बूत और विकसित भारत की ओर लीड करें** ।

इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार (2025)

प्रसंग

इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने अपने मशहूर सालाना अवॉर्ड के पाने वाले की घोषणा की, जो ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन और ग्लोबल शांति के मेल को दिखाता है। यह प्राइज़ उन लोगों या ऑर्गनाइज़ेशन को सम्मानित करने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाता है जिन्होंने इंटरनेशनल शांति और डेवलपमेंट में बहुत अच्छा योगदान दिया है।

समाचार के बारे में

- **विजेता: ग्रैसा मैकल** , मोज़ाम्बिक के मशहूर **राजनेता** और सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
- **महत्व:** वह इतिहास में अकेली ऐसी महिला हैं जो दो अलग-अलग देशों (मोज़ाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका) की फर्स्ट लेडी रहीं, और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सिस्टम में बदलाव लाए।

पुरस्कार का कारण:

- **एजुकेशनल रिफॉर्म:** लिटरेसी रेट बढ़ाने और अफ्रीका में अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन तक सबकी पहुंच की वकालत करने में उनके बदलाव लाने वाले काम के लिए उन्हें पहचान मिली।
- **महिलाओं और बच्चों के अधिकार:** बच्चों को हथियारबंद लड़ाई के असर से बचाने और महिलाओं के कानूनी अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दशकों से चले आ रहे उनके संघर्ष के लिए उन्हें सम्मानित किया गया।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** ग्राका के ज़रिए उनकी पहलों के लिए पहचान मिली मैकहेल ट्रस्ट, जो अफ्रीकी महिलाओं की लीडरशिप और फाइनेंशियल इनक्लूजन को बढ़ावा देने पर फोकस करता है।
- **ग्लोबल एडवोकेसी:** "द एल्डर्स" (पब्लिक हस्तियों का एक इंटरनेशनल नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन) में उनकी लीडरशिप को उनके सिलेक्शन का एक अहम कारण बताया गया।

इंदिरा गांधी पुरस्कार की पृष्ठभूमि

- **स्थापना:** भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की याद में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा **1986** में शुरू किया गया ।
- **उद्देश्य:** इंटरनेशनल शांति, निरस्त्रीकरण और एक नए इंटरनेशनल आर्थिक सिस्टम को बढ़ावा देने में किए गए खास प्रयासों को पहचान देना।
- **अवॉर्ड: इसमें ₹2.5 मिलियन** (25 लाख रुपये) का इनाम और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है।
- **सिलेक्शन प्रोसेस:** जाने-माने नेशनल और इंटरनेशनल लोगों की एक जूरी, जिसके चेयरमैन जाने-माने लीडर होते हैं (पहले इसमें पूर्व वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस शामिल थे), विनर को चुनती है।

भारत में मगरमच्छ की प्रजातियाँ

प्रसंग

गंगा नदी बेसिन में किए गए एक इकोलॉजिकल सर्वे में **337 घड़ियालों** की आबादी दर्ज की गई है । हालांकि, इन नंबरों में लोकल रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन यह प्रजाति अभी भी बहुत ज़्यादा दबाव में है, और IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस **क्रिटिकली एंडेंजर्ड बना हुआ है।**

घड़ियाल प्रोफ़ाइल (*गेवियलिस गैंगेटिकस*

घड़ियाल दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छों में से एक है, जो खास तौर पर पानी में रहने वाली लाइफ़स्टाइल के लिए बना है ।

- **शारीरिक बनावट:** इनकी थूथन बहुत **लंबी और पतली होती है,** जिसमें दांत आपस में जुड़े होते हैं, और ये

लगभग सिर्फ़ मछली खाने के लिए पूरी तरह से बने होते हैं।

- **" घारा ":** बड़े नर नरों की थूथन के सिरे पर एक बड़ा, कार्टिलाजिनस उभार होता है जो घड़े जैसा दिखता है (हिंदी में *इसे घरा कहते हैं*)। इसका इस्तेमाल प्यार के दौरान आवाज़ें तेज़ करने और बुलबुले उड़ाने के लिए किया जाता है। यह खूबी मादाओं में नहीं होती।

- **आवास और वितरण:**
  - **मूल क्षेत्र:** ऐतिहासिक रूप से भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान की नदी प्रणालियों में पाया जाता है।
  - **मुख्य गढ़: भारत में** चंबल **नदी** इस प्रजाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुरक्षित प्राकृतिक निवास स्थान बनी हुई है।
  - **अन्य नदियाँ:** गिरवा , राप्ती और नारायणी (नेपाल) नदियों में अच्छी-खासी आबादी रहती है ।
- **लाइफ़ साइकिल:** मेटिंग नवंबर और जनवरी के बीच होती है। छेद में घोंसला बनाने वाले होने के कारण, वे मार्च से मई तक **नदी के रेतीले किनारों पर अंडे देते हैं** , जिससे वे स्थिर, बिना किसी रुकावट वाले नदी के किनारों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं।
- **बड़े खतरे: डैम बनने** से रहने की जगह का नुकसान , गैर-कानूनी **रेत माइनिंग** (जिससे घोंसले बनाने की जगहें खत्म हो जाती हैं), और नायलॉन मछली पकड़ने के जाल में फंसना।

भारतीय मगरमच्छ प्रजातियों की तुलना

भारत में तीन अलग-अलग मगरमच्छ की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से हर एक एक खास इकोलॉजिकल जगह पर रहती है।

विशेषता	घड़ियाल	मगर (मार्श मगरमच्छ)	खारे पानी का मगरमच्छ
आईयूसीएन स्थिति	**गंभीर रूप से संकटग्रस्त**	असुरक्षित	कम से कम चिंता का विषय
थूथन का आकार	बेहद लंबा और पतला	चौड़ा और कुंद	बड़ा और भारी
प्राकृतिक वास	स्वच्छ, तेज बहने वाला ताजा पानी	दलदल, झीलें और धीमी नदियाँ	मुहाना और खारे तटीय जल
स्थानों	चंबल, गिरवा , गंगा	पूरे भारत में (जैसे, गुजरात)	भीतरकनिका , सुंदरबन , अंडमान और निकोबार
मुख्य विशेषता	मुख्य रूप से मछली खाने वाला	ज़मीन पर लंबी दूरी तक चल सकते हैं	नमक को बहुत ज़्यादा सहन करने वाला; तीनों में सबसे बड़ा

कानूनी सुरक्षा

उनके अलग-अलग कंज़र्वेशन स्टेटस के बावजूद, भारत सरकार उनके बचने को पक्का करने के लिए एक जैसी हाई-लेवल सुरक्षा देती है:

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972):** तीनों प्रजातियों को **अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध किया गया है** , जो उन्हें शिकार, अवैध शिकार और व्यापार के खिलाफ उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- **CITES: अपेंडिक्स I** के तहत लिस्टेड है , जो इन स्पीशीज़ के स्पेसिमेन में इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड पर रोक लगाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कम्युनिटी के नेतृत्व में संरक्षण:** इंसान-मगरमच्छ टकराव को कम करने और जाल में उलझने से रोकने के लिए स्थानीय नदी समुदायों को शामिल करना।
- **सैंडबैंक प्रोटेक्शन:** ब्रीडिंग के मौसम में घोंसले बनाने की ज़रूरी जगहों को बचाने के लिए रेत माइनिंग पर कड़े नियम लागू करना।
- **नदी का कायाकल्प:** गंगा और चंबल जैसी नदियों में पर्यावरण के बहाव (ई-फ्लो) को बनाए रखना ताकि मछलियों की आबादी के लिए ज़रूरी पानी की सेहत बनी रहे, जो घड़ियाल का मुख्य खाना है।

निष्कर्ष

घड़ियाल का ज़िंदा रहना भारत के नदी सिस्टम की सेहत का संकेत है। हालांकि कानूनी सुरक्षा मज़बूत है, लेकिन इस प्रजाति का भविष्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उन खास नदी के किनारे के हैबिटैट के बचाव के बीच बैलेंस बनाने पर निर्भर करता है, जिन्हें वे अपना घर कहते हैं।

RACE IAS

राष्ट्रीय विधायी सूचकांक (एनएलआई)

प्रसंग

21 जनवरी, 2026 को लखनऊ में **86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (एआईपीओसी)** के समापन सत्र के दौरान , लोक सभा स्पीकर **ओम बिरला ने नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स (NLI)** बनाने की घोषणा की । अपनी तरह की इस पहली पहल का मकसद भारत की लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के परफॉर्मेंस को स्टैंडर्डाइज़ और रैंक करना है।

नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स (NLI) के बारे में

- **परिभाषा: संसद और राज्य विधानसभाओं** दोनों में संवाद की उत्पादकता, जवाबदेही और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक डेटा-संचालित बेंचमार्किंग ढांचा ।
- **मैकेनिज्म:** इंडेक्स के लिए खास पैरामीटर और ऑपरेशनल गाइडलाइंस को फाइनल करने के लिए पीठासीन अधिकारियों की एक डेडिकेटेड कमिटी बनाई गई है।
- **मुख्य उद्देश्य:** राज्यों के बीच **"हेल्दी कॉम्पिटिशन"** की भावना को बढ़ावा देना , और उन्हें कानूनी कामकाज में नए तरीकों और सबसे अच्छे तरीकों को अपनाने के लिए बढ़ावा देना।

प्रदर्शन पैरामीटर (संकेतक)

NLI लेजिस्लेटिव इवैल्यूएशन को सब्जेक्टिव पॉलिटिकल राय से ऑब्जेक्टिव मेट्रिक्स में बदल देगा:

वर्ग	प्रमुख मेट्रिक्स
बैठकें और समय	सालाना बैठकों की कुल संख्या (साल में कम से कम **30 दिन का प्रस्ताव**), बहस के लिए दिए जाने वाले घंटे, और हाउस के समय का इस्तेमाल।
विधायी गुणवत्ता	बातचीत की क्वालिटी, पास हुए कानूनों की संख्या, और बिलों की जांच में लगा समय।
समिति की दक्षता	**विभाग-संबंधित स्थायी समितियों (डीआरएससी)** में सक्रिय भागीदारी और आउटपुट ।
सदस्य भागीदारी	प्रश्नकाल का इस्तेमाल, प्राइवेट मेंबर के प्रस्तावों की संख्या, और अटेंडेंस रिकॉर्ड।
तकनीकी एकीकरण	**डिजिटल संसद** या **ई- विधान मॉडल** को लागू करना , और कानूनी पारदर्शिता के लिए AI का इस्तेमाल करना।

पहल का महत्व

- **रुकावटों को रोकना:** परफॉर्मेंस को पब्लिक करके, इंडेक्स "प्लान्ड रुकावटों" को रोकता है और मेंबर्स को कंस्ट्रक्टिव बातचीत में शामिल होने के लिए बढ़ावा देता है।
- **आउटकम-ओरिएंटेड गवर्नेंस: यह कानूनी काम को विकसित भारत @2047** के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ जोड़ता है , यह पक्का करता है कि कानून बनाने का सीधा असर जनता की भलाई पर पड़े।
- **जवाबदेही:** प्रतिनिधि की जवाबदेही को "हर पांच साल में एक बार" से बदलकर "हर बैठक और हर पल" कर दिया गया है।
- **संस्थाओं को मज़बूत करना:** यह पीठासीन अधिकारियों की भूमिका को "संविधान के पहरेदार" के तौर पर बढ़ाता है, उन्हें सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है।

86वीं AIPOC: मुख्य प्रस्ताव

NLI लखनऊ कॉन्फ्रेंस में अपनाए गए **छह बड़े प्रस्तावों में से एक था:**

1. **विकसित भारत 2047:** कानूनी काम को देश के विकास के साथ जोड़ने का वादा।
2. **30 बैठकों का आदेश:** राज्य विधानसभाओं की सालाना कम से कम 30 दिन की बैठक सुनिश्चित करने के लिए आम सहमति बनाना।
3. **टेक्नोलॉजी अपनाना:** डिजिटल टूल्स के ज़रिए "कानूनी काम करने में आसानी" को मज़बूत करना।
4. **कैपेसिटी बिल्डिंग:** लेजिस्लेटर के लिए लगातार ट्रेनिंग, खासकर रिसर्च और डिजिटल टेक्नोलॉजी में।

निष्कर्ष

नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स **सबूतों पर आधारित लोकतंत्र की ओर एक बदलाव को दिखाता है** । लेजिस्लेचर को बेंचमार्क करके, भारत का मकसद अपने बहस के सदनों को ज़्यादा कुशल, पारदर्शी और लोगों पर केंद्रित संस्थानों में बदलना है, ताकि यह पक्का हो सके कि आखिरी व्यक्ति की आवाज़ असर और सम्मान के साथ सुनी जाए।

मियावाकी विधि

अवलोकन

मियावाकी मेथड एक खास तरह का पेड़ लगाने का तरीका है जिसे रिकॉर्ड समय में, खासकर तंग शहरी माहौल में, देसी जंगलों को ठीक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ।

- **परिभाषा:** अर्बन फॉरेस्ट्री का एक साइंटिफिक तरीका जो "छोटे जंगल" बनाता है जो घने, कई लेयर वाले और मज़बूत होते हैं।
- **ओरिजिन: इसे** 1970 के दशक में स्वर्गीय जापानी बॉटनिस्ट **अकीरा मियावाकी ने डेवलप किया था।**
- **दूसरा नाम:** पौधे तैयार करने के शुरुआती स्टेज की वजह से इसे अक्सर **पॉट प्लांटेशन मेथड भी कहा जाता है।**

मुख्य विशेषताएं

यह तरीका जंगल को फिर से उगाने के नैचुरल प्रोसेस की नकल करता है, लेकिन खास तरीकों से इसे तेज़ करता है।

- **घना प्लांटेशन:** पारंपरिक प्लांटेशन के उलट, जहाँ पेड़ दूर-दूर होते हैं, मियावाकी जंगल एक ही जगह पर 30 से 50 गुना ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। इससे सूरज की रोशनी के लिए ज़बरदस्त मुकाबला होता है, जिससे पेड़ एक तरफ़ बढ़ने के बजाय **ऊपर की ओर बढ़ते हैं।**
- **सिर्फ़ देसी प्रजातियाँ:** इस तरीके में सिर्फ़ **पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन (PNV) का इस्तेमाल किया जाता है** — ऐसी प्रजातियाँ जो बिना इंसानी दखल के उस इलाके में अपने आप मौजूद होंगी। इससे ज़िंदा रहने की दर ज़्यादा रहती है और स्थानीय जानवरों को सहारा मिलता है।
- **तेज़ी से विकास:** इस तरह से उगाए गए जंगल पारंपरिक जंगलों की तुलना में **10 गुना तेज़ी से बढ़ते हैं।**
- **आत्मनिर्भर: 2-3 साल** के शुरुआती रखरखाव (पानी देना और निराई) के बाद, जंगल एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बन जाता है जिसमें आगे इंसानी दखल की ज़रूरत नहीं होती।

फ़ायदे

यह तरीका शहरी पर्यावरण की गिरावट के लिए "क्विक फिक्स" के तौर पर दुनिया भर में पॉपुलर हो गया है।

- **अर्बन कूलिंग:** यह एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, और **अर्बन हीट आइलैंड** इफ़ेक्ट से निपटने के लिए लोकल टेम्परेचर को काफ़ी कम करता है।
- **प्रदूषण और शोर कंट्रोल:** जंगल का घनापन इसे बहुत ज़्यादा **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** और धूल सोखने देता है। यह ट्रैफ़िक के शोर के खिलाफ़ एक हाई-डेंसिटी साउंड बैरियर का भी काम करता है।
- **मिट्टी की सेहत:** ऑर्गेनिक मल्च और माइक्रोबियल एक्टिविटी का इस्तेमाल मिट्टी के कटाव को रोकता है और खराब ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को वापस लाता है।
- **ज़मीन का सही इस्तेमाल:** "बंजर ज़मीन" या सड़क के किनारे, स्कूल के कोनों और इंडस्ट्रियल बफ़र ज़ोन जैसी अनदेखी जगहों के लिए बहुत अच्छी तरह से ढलने वाली।
- **बायोडायवर्सिटी हब:** एक छोटा सा हिस्सा भी लोकल कीड़ों, पक्षियों और पॉलिनेटर्स के लिए एक सुरक्षित जगह बन सकता है, जिससे लोकल इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलता है।

तुलना: पारंपरिक बनाम मियावाकी फ़ॉरेस्ट्री

विशेषता	पारंपरिक वृक्षारोपण	मियावाकी विधि
अंतर	2–3 मीटर की दूरी पर	0.5–1 मीटर की दूरी पर (घना)
विकास दर	सामान्य (दशकों)	त्वरित (10 गुना तेज़)
रखरखाव	दीर्घकालिक (5+ वर्ष)	अल्पकालिक (2-3 वर्ष)
विविधता	अक्सर एकल-कृषि	बहु-स्तरित (देशी मिश्रण)

निष्कर्ष

मियावाकी मेथड "पेड़ लगाने" से "इकोसिस्टम बनाने" की तरफ एक बदलाव दिखाता है। छोटे शहरी खाली जगहों को फलते-फूलते हरे-भरे फेफड़ों में बदलकर, यह शहरों को क्लाइमेट गोल पूरे करने और रहने वालों की ज़िंदगी की क्वालिटी सुधारने का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है ।

भारतीय बाइसन (गौर)

प्रसंग

देबरीगढ़ वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी में इंडियन बाइसन , जिसे आमतौर पर **गौर के नाम से जाना जाता है,** की आबादी में

काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। यह बढ़ोतरी इस इलाके में लोकल कंज़र्वेशन की कोशिशों और हैबिटैट मैनेजमेंट के असर को दिखाती है।

समाचार के बारे में

- **लोकेशन फोकस:** ओडिशा में हीराकुड डैम के पास मौजूद देबरीगढ़ वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी, इस प्रजाति के लिए एक अहम गढ़ बनकर उभरा है।
- **आबादी का ट्रेंड:** सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग से पता चलता है कि अच्छी ग्रोथ रेट है, जिसका कारण शिकार से बेहतर सुरक्षा और घास के मैदानों के इकोसिस्टम का ठीक होना है।
- **वैज्ञानिक वर्गीकरण:** * **वैज्ञानिक नाम:** *बोस गौरस*
    - **खासियतें:** यह जंगली मवेशियों और बोविड्स में सबसे बड़ी प्रजाति है, जो अपने बड़े शरीर और माथे पर उभरी हुई ऊंची लकीर के लिए जानी जाती है।

संरक्षण और कानूनी ढांचा

गौर को हैबिटैट के नुकसान और शिकार से बचाने के लिए सबसे ऊंचे लेवल की कानूनी सुरक्षा दी जाती है।

- **IUCN रेड लिस्ट: कमज़ोर** श्रेणी में रखा गया । यह स्थिति, रहने की जगह के बंटवारे और पालतू जानवरों से बीमारी फैलने की संभावना के कारण दुनिया भर में आबादी में कमी के ट्रेंड को दिखाती है।
- **सीआईटीईएस: परिशिष्ट ।** के तहत सूचीबद्ध । यह वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों को छोड़कर, प्रजातियों या उसके शरीर के अंगों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है।
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972): अनुसूची ।** के तहत सूचीबद्ध । यह भारत में इस प्रजाति को पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, और उनके खिलाफ किए गए अपराधों के लिए उच्चतम दंड का प्रावधान करता है।

डार्विन की छाल मकड़ी

प्रसंग

डार्विन की बार्क स्पाइडर (*कैरोस्ट्रिस डार्विनी*) की खोज ने बायोलॉजिकल चीज़ों के बारे में हमारी समझ में बड़ा बदलाव किया है। जहाँ कई मकड़ियाँ अपने मुश्किल जालों के लिए जानी जाती हैं, वहीं यह खास किस्म ऐसा रेशम बनाती है जो मज़बूती के मामले में लगभग हर दूसरे जाने-माने नैचुरल या सिंथेटिक फ़ाइबर से बेहतर होता है।

डिस्कवरी के बारे में

- **स्पीशीज़ प्रोफ़ाइल: 2009 में मेडागास्कर** में खोजी गई यह मकड़ी दुनिया में सबसे बड़े गोल जाल बनाने के लिए मशहूर है, जो कभी-कभी नदियों और झीलों तक फैल जाते हैं।
- **रिकॉर्ड होल्डर:** बड़ी मादाओं से बनने वाला सिल्क धरती पर सबसे **मज़बूत बायोलॉजिकल मटीरियल माना जाता है** । यह केवलर से लगभग दस गुना ज़्यादा मज़बूत है और उतने ही वज़न के स्टील से काफ़ी ज़्यादा मज़बूत है।
- **वेब आर्किटेक्चर:** इनके जाल 2.8 स्क्वेयर मीटर तक फैल सकते हैं, और पानी को जोड़ने के लिए एंकर लाइनें 25 मीटर तक लंबी हो सकती हैं।

जैविक तंत्र

मकड़ी के "सुपर-मटीरियल" का राज़ उसकी मॉलिक्यूलर बनावट और खास घूमने वाली ग्लैंड्स में है।

- **अमीनो एसिड की बनावट:** सिल्क में **प्रोलाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में** होता है। यह अमीनो एसिड एक "मॉलिक्यूलर स्प्रिंग" की तरह काम करता है, जो सिल्क को टेंसाइल स्ट्रेंथ से समझौता किए बिना बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी देता है।
- **एनर्जी एब्जॉर्प्शन:** अपनी खास केमिस्ट्री की वजह से, सिल्क टूटने से पहले बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। इससे वेब बड़े शिकार या खुले पानी में तेज़ हवाओं के असर को झेल पाता है।
- **यूनिक प्रोटीन:** रिसर्च से दो प्राइमरी प्रोटीन (MaSp1 और MaSp2) की पहचान हुई है, जो इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि उनमें स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ज़्यादा से ज़्यादा हो।

भौगोलिक महत्व

- **एंडेमिसिटी:** डार्विन की बार्क स्पाइडर **मेडागास्कर की एंडेमिक है** , जिसका मतलब है कि यह धरती पर और कहीं नहीं पाई जाती।
- **रहने की जगह:** यह मुख्य रूप से रानोमाफाना नेशनल पार्क और अंडासिबे-मंटाडिया नेशनल पार्क के नदी किनारे के इलाकों में रहता है।
- **इवोल्यूशनरी अडैप्टेशन:** नदियों में जाल बुनने की क्षमता मकड़ी को एक खास इकोलॉजिकल जगह बनाने में मदद करती है, जिससे वह पानी के ऊपर उड़ने वाले उन कीड़ों को पकड़ लेती है, जहाँ दूसरी मकड़ियाँ नहीं पहुँच सकतीं।

अनुप्रयोग

बायोमिमेटिक्स के फील्ड में दिलचस्पी जगाई है , जिसके पोटेंशियल इस्तेमाल ये हैं:

- **बॉडी आर्मर:** हल्के, लचीले वेस्ट बनाना जो मौजूदा बैलिस्टिक मटीरियल के परफॉर्मेंस से बेहतर हों।
- **मेडिकल टांके:** मुश्किल सर्जरी के लिए बहुत मज़बूत, बायोकम्पैटिबल धागे बनाना।
- **एयरोस्पेस:** हाई-टेंशन केबल और पार्ट्स की इंजीनियरिंग, जिन्हें बहुत ज़्यादा टिकाऊपन और कम वज़न की ज़रूरत होती है।

निष्कर्ष

डार्विन की बार्क स्पाइडर इवोल्यूशनरी स्पेशलाइज़ेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रोलाइन की खास खूबियों को बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग के साथ मिलाकर, इस प्रजाति ने एक ऐसा मटीरियल बनाया है जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल क्षमताओं को चुनौती देता है, और मेडागास्कर की खास बायोडायवर्सिटी को बचाने की अहमियत को दिखाता है।

रूट विल्ट डिजीज (RWD)

प्रसंग

कोकोनट रूट विल्ट डिज़ीज़ (RWD) भारत में कोकोनट इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है। यह बीमारी पहली बार **केरल में लगभग 150 साल पहले** 1882 की बड़ी बाढ़ के बाद सामने आई थी, और तब से यह इस इलाके में आम हो गई है, जिससे लाखों किसानों की रोज़ी-रोटी पर बहुत असर पड़ा है।

रोगज़नक़ और संचरण

यह बीमारी अनोखी है क्योंकि यह किसी आम फंगस या बैक्टीरिया से नहीं, बल्कि एक खास पैथोजन से होती है।

- **कारण:** यह **फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है** , जो एक सूक्ष्म, बिना दीवार वाला जीव है जो पौधे के फ्लोएम (वह टिशू जो शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है) में रहता है।
- **बीमारी के वाहक:** पैथोजन इन्फेक्टेड ताड़ के पेड़ों से हेल्दी ताड़ के पेड़ों में रस चूसने वाले कीड़ों के ज़रिए फैलता है।
    - **लेस बग** (*स्टेफ़नाइटिस टाइपिका*)
    - **सफेद मक्खी**
- **लक्षण:** पत्तियों का "ढीलापन" या झुकना, पीला पड़ना और नेक्रोसिस। कुछ जानलेवा बीमारियों के उलट, RWD एक कमज़ोर करने वाली बीमारी है जो धीरे-धीरे पैदावार कम कर देती है जब तक कि ताड़ का पेड़ कमर्शियली बेकार न हो जाए।

भारतीय नारियल उद्योग

नारियल की खेती तटीय भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है, जिससे RWD का मैनेजमेंट एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गया है।

- **ग्लोबल स्टैंडिंग:** भारत दुनिया में नारियल का **तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है।**
- **सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य:**
    1. **केरल** (प्रोडक्शन का केंद्र और RWD से सबसे ज़्यादा प्रभावित)
    2. **तमिलनाडु**
    3. **कर्नाटक**
- **न्यूट्रिशनल फैक्ट: नारियल तेल में लॉरिक एसिड** होने की वजह से यह बहुत कीमती है । यह मीडियम-चेन फैटी एसिड तेल को लंबी शेल्फ लाइफ देता है और इसे खाना बनाने और इंडस्ट्रियल दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए पसंद किया जाता है।

संस्थागत शासन

प्रोडक्शन को मैनेज करने और बीमारियों से लड़ने के लिए, भारत सरकार एक खास फ्रेमवर्क के ज़रिए काम करती है।

- **नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी):**
    - **स्टेटस:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक **कानूनी संस्था ।**
    - **हेडक्वार्टर: कोच्चि, केरल** में है ।
    - **भूमिका:** नारियल की खेती और इंडस्ट्री के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लागू करना, जिसमें बीमारी से प्रभावित बगीचों को फिर से लगाने के लिए फाइनेंशियल मदद शामिल है।

चुनौतियाँ और प्रबंधन

- **जानलेवा नहीं लेकिन नुकसानदायक:** क्योंकि ताड़ का पेड़ तुरंत नहीं मरता, इसलिए किसान अक्सर इन्फेक्टेड पेड़ों को रखते हैं, जो फाइटोप्लाज्मा के फैलने के लिए एक जगह का काम करते हैं।
- **प्रबंधन रणनीतियाँ:**
    - **उन्मूलन:** बुरी तरह प्रभावित, बेकार ताड़ के पेड़ों को हटाना।
    - **पोषण:** पेड़ की मज़बूती बढ़ाने के लिए मिट्टी के पोषक तत्वों को बैलेंस करना (मैग्नीशियम और पोटाश मिलाना)।
    - **इंटरक्रॉपिंग:** नारियल की पैदावार कम होने पर इनकम बनाए रखने के लिए किसानों को कोको, काली मिर्च या केला उगाने के लिए बढ़ावा देना।
    - **रेसिस्टेंट किस्में: कल्प रक्षा** और **कल्प श्री** जैसी हाइब्रिड किस्में बनाना और लगाना जो RWD के प्रति रेसिस्टेंस दिखाती हैं।

निष्कर्ष

रूट विल्ट डिज़ीज़ भारत में "कल्पवृक्ष" (स्वर्ग का पेड़) के लिए लगातार खतरा बनी हुई है। नारियल डेवलपमेंट बोर्ड और रिसर्च इंस्टीट्यूशन्स की मिलकर की गई कोशिशों से, बेहतर मैनेजमेंट तरीकों और रेसिस्टेंट किस्मों के डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए, इसे पूरी तरह खत्म करने से हटकर "बीमारी के साथ जीने" पर ध्यान दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

प्रसंग

जनवरी 2026 में, **इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने** भारत के लिए अपने ग्रोथ अनुमानों को ऊपर की ओर बढ़ाया, जो देश की मज़बूत आर्थिक रफ़्तार को दिखाता है। भारत ग्लोबल माहौल में एक "ब्राइट स्पॉट" बना हुआ है, जो दूसरे बड़े उभरते बाज़ारों से बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है।

समाचार के बारे में

- **ग्रोथ प्रोजेक्शन:** IMF ने फिस्कल ईयर **2025–26 के लिए भारत के लिए अपने GDP ग्रोथ फोरकास्ट को अपग्रेड करके 7.3% कर दिया है** (पहले के 6.6% के अनुमान से ज़्यादा)।
- **मुख्य कारण:** यह 0.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी तीसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में मजबूत गति को दर्शाती है।
- **महंगाई:** रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि खाने की चीज़ों की कीमतों में गिरावट से महंगाई **4% के टारगेट लेवल पर वापस आ जाएगी।**
- **ग्लोबल संदर्भ:** हालांकि भारत आगे है, IMF का अनुमान है कि 2026 तक ग्लोबल ग्रोथ लगभग **3.3% पर मज़बूत रहेगी, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** और टेक्नोलॉजी में निवेश से बढ़ावा मिलेगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

IMF एक ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग के तौर पर काम करता है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए लोन और इकोनॉमिक एनालिसिस देता है।

- **शुरुआत:** 1944 में **ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस** (वर्ल्ड बैंक के साथ) के ज़रिए शुरू हुई।
- **मेंबरशिप: इसमें 190+ देश** शामिल हैं ।
    1. *नोट:* वर्ल्ड बैंक में शामिल होने के लिए IMF की मेंबरशिप ज़रूरी है।
- **मुख्य रिपोर्ट:**
    1. **वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO):** साल में दो बार पब्लिश होता है, जिसमें समय-समय पर अपडेट होते हैं (जैसे जनवरी 2026 का अपडेट)।
    2. **ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट (GFSR):** ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए रिस्क का आकलन करती है।
    3. **फिस्कल मॉनिटर:** पब्लिक फाइनेंस डेवलपमेंट का सर्वे करता है।
    4. **एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट:** एक्सचेंज रेट और एक्सटर्नल इम्बैलेंस का एनालिसिस करती है।

चुनौतियाँ और भविष्य का दृष्टिकोण

- **आगे नरमी: 2026-27 में विकास दर 6.4%** तक कम होने का अनुमान है क्योंकि चक्रीय और अस्थायी कारक (जैसे महामारी के बाद मांग का सामान्य होना) कम होने लगेंगे।
- **बाहरी जोखिम:** IMF ने चेतावनी दी कि ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी में बदलाव, टैरिफ और जियोपॉलिटिकल तनाव उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ी "मुश्किलें" बने हुए हैं।
- **AI का असर: IMF का अनुमान है कि AI अपनाने से** मीडियम टर्म में ग्लोबल ग्रोथ हर साल **0.8 परसेंटेज पॉइंट** तक बढ़ सकती है ।

निष्कर्ष

IMF का नया ऊपर की ओर बदलाव दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़ी इकॉनमी के तौर पर भारत की जगह को दिखाता है। मज़बूत घरेलू डिमांड और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट के बीच बैलेंस बनाकर, भारत ग्लोबल ट्रेड की अनिश्चितताओं से अच्छे से निपट रहा है और खुद को इंटरनेशनल ग्रोथ के मेन इंजन के तौर पर बना रहा है।

कॉपर क्रंच

प्रसंग

2026 में, ग्लोबल इकॉनमी एक गंभीर **"कॉपर क्रंच" का सामना कर रही है** , यह एक स्ट्रक्चरल कमी है जहाँ सिर्फ़ **28 मिलियन टन** की सप्लाई के मुकाबले डिमांड **30 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान है** । यह असंतुलन मुख्य रूप से "ग्रीन ट्रांज़िशन" की वजह से है, क्योंकि कॉपर डीकार्बोनाइज़ेशन टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी है।

समाचार के बारे में

- **प्रेरक कारक:**
    - **इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs):** एक EV को ट्रेडिशनल इंटरनल कम्बशन इंजन वाली गाड़ी के मुकाबले **4 से 5 गुना ज़्यादा कॉपर की ज़रूरत होती है।**

- **रिन्यूएबल्स:** सोलर और विंड फार्म को फॉसिल फ्यूल प्लांट्स की तुलना में पावर जेनरेशन और ग्रिड इंटीग्रेशन के लिए प्रति मेगावाट काफी ज़्यादा कॉपर की ज़रूरत होती है।
- **डेटा सेंटर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** में बढ़ोतरी से हाई-कैपेसिटी कूलिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मांग बढ़ गई है, जो कॉपर वायरिंग पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं।

- **आर्थिक असर: 2026 में** कॉपर की कीमतें औसतन **$12,075/mt रहने का अनुमान है** , जिससे ग्रीन टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सीधे तौर पर बढ़ जाएगी।

भौतिक और रासायनिक गुण

कॉपर की खासियतों की वजह से इसे बड़े पैमाने पर बदलना लगभग नामुमकिन है।

- **कंडक्टिविटी:** इसमें किसी भी नॉन-प्रेशियस मेटल की तुलना में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है।
- **टिकाऊपन:** जंग से बचाने वाला और बहुत लचीला।
- **रीसायकल करने की क्षमता:** यह बिना किसी परफॉर्मेंस में कमी के **100% रीसायकल हो सकता है** । अभी, रीसाइक्लिंग दुनिया भर की लगभग 30% मांग को पूरा करती है, लेकिन "बहुत ज़्यादा कमी" को पूरा करने के लिए प्राइमरी माइनिंग अभी भी ज़रूरी है।
- **अयस्क:** * **चाल्कोपाइराइट:** सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कॉपर अयस्क (कॉपर और आयरन का सल्फाइड)।
    - **चाल्कोसाइट** और **बोर्नाइट** : दूसरे हाई-वैल्यू सल्फाइड ओर।

संसाधन वितरण

"कॉपर क्रंच" रिज़र्व के ज्योग्राफ़िकल कंसंट्रेशन और घटते ओर ग्रेड की वजह से और बढ़ गया है।

क्षेत्र	मुख्य खनन विवरण
भारत	**मध्य प्रदेश** प्रोडक्शन में सबसे आगे है (~52%)। **मलंजखंड माइन** (बालाघाट) भारत की सबसे बड़ी ओपन-पिट कॉपर माइन है। दूसरे हब में **खेतड़ी बेल्ट** (राजस्थान) और **सिंहभूम** (झारखंड) शामिल हैं।
वैश्विक	**चिली** दुनिया का टॉप प्रोड्यूसर है (ग्लोबल आउटपुट का ~24%)। दूसरे बड़े प्लेयर्स में **पेरू** , **ऑस्ट्रेलिया** और **रूस शामिल हैं** ।
चिली प्रोफ़ाइल	**पोर्फिरी कॉपर डिपॉज़िट** के लिए जाना जाता है , जो बड़े, कम ग्रेड के ओर बॉडी हैं। हालांकि ग्रेड कम हो रहा है (अब ~0.65–0.85%), लेकिन इन डिपॉज़िट का बड़ा साइज़ उन्हें ग्लोबल सप्लाई की रीढ़ बनाता है।

भारत के लिए चुनौतियाँ

- **इम्पोर्ट पर निर्भरता:** भारत आत्मनिर्भर नहीं है, वह अपनी रिफाइंड कॉपर की ज़रूरत का **50% से ज़्यादा इम्पोर्ट करता है।**
- **स्मेल्टिंग की दिक्कतें: हालांकि अडानी के कच्छ कॉपर प्लांट** (0.5 मिलियन टन कैपेसिटी) जैसी नई फैसिलिटी 2026 में ऑनलाइन आ रही हैं, फिर भी रॉ मटीरियल (कॉपर कंसन्ट्रेट) को अभी भी ग्लोबली सोर्स करना होगा।
- **एक्सप्लोरेशन:** कॉपर एक "गहरा" मिनरल है, जिससे एक्सप्लोरेशन आयरन ओर जैसे सरफेस मिनरल्स की तुलना में ज़्यादा महंगा और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ज़्यादा मुश्किल होता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप:** भारत लंबे समय तक सप्लाई पक्का करने के लिए अर्जेंटीना और चिली जैसे कॉपर से अमीर देशों में "फ्रेंड-शोरिंग" और जॉइंट वेंचर पर एक्टिव रूप से काम कर रहा है।
- **अर्बन माइनिंग:** इलेक्ट्रॉनिक कचरे से कॉपर की रिकवरी बढ़ाने के लिए **नॉन-फेरस मेटल स्क्रैप रीसाइक्लिंग फ्रेमवर्क को** बेहतर बनाना ।
- **पॉलिसी सुधार:** गहरे मिनरल एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए **MMDR अमेंडमेंट एक्ट** का इस्तेमाल करना ।

निष्कर्ष

2026 का "कॉपर क्रंच" हमें याद दिलाता है कि डिजिटल और ग्रीन क्रांति फिजिकल नींव पर बनी हैं। भारत के लिए, एक मज़बूत कॉपर सप्लाई चेन अब सिर्फ़ एक इंडस्ट्रियल लक्ष्य नहीं है, बल्कि अपने नेट-ज़ीरो और "मेक इन इंडिया" EV लक्ष्यों को पाने के लिए एक ज़रूरी शर्त है।

सीबीडीसी और ब्रिक्स

प्रसंग

जैसे ही भारत **2026 में BRICS की अध्यक्षता करने की तैयारी कर रहा है** , भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने औपचारिक रूप से एक नई पहल का प्रस्ताव दिया है: सदस्य देशों के बीच **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs) को आपस में जोड़ना** । इस प्रस्ताव

का मकसद ट्रेड और टूरिज्म के लिए एक सुरक्षित, सॉवरेन डिजिटल ब्रिज बनाना है, जो थ्योरेटिकल चर्चाओं से आगे बढ़कर फंक्शनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की ओर बढ़ेगा।

समाचार के बारे में

- **प्रस्ताव: आने वाले 2026 समिट में, भारत "BRICS CBDC ब्रिज"** के डेवलपमेंट को लीड करना चाहता है । यह 2025 के रियो डिक्लेरेशन पर आधारित है, जिसमें पेमेंट सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी पर ज़ोर दिया गया था।
- **स्कोप:** यह सिस्टम शुरू में कोर मेंबर्स (ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका) और UAE, ईरान और इंडोनेशिया जैसे नए मेंबर्स की डिजिटल करेंसी को लिंक करेगा।
- **टेक्नोलॉजिकल बदलाव:** पुराने सिस्टम के उलट, जो बीच के बैंकों की चेन पर निर्भर करते हैं, इससे सेंट्रल बैंकों के बीच **सीधे लेजर-टू-लेजर ट्रांसफर हो सकेगा।**

मुख्य विशेषता

CBDC (खासकर भारत का **ई-रुपी**) की सबसे बड़ी बदलाव लाने वाली बातों में से एक है इसकी "प्रोग्रामेबिलिटी।" इससे करेंसी पैसिव कैश के बजाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करती है।

- **सेक्टर-स्पेसिफिक इस्तेमाल:** पैसे को खास मकसद के लिए "टैग" किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ट्रेड क्रेडिट को सिर्फ़ BRICS ब्लॉक के अंदर खास चीज़ों (जैसे तेल या अनाज) को खरीदने के लिए ही वैलिड बनाया जा सकता है।
- **टाइम-बाउंड वैलिडिटी:** डिजिटल करेंसी की **एक्सपायरी डेट हो सकती है** , जिससे तेज़ी से सर्कुलेशन को बढ़ावा मिलता है और खास इकोनॉमिक स्टिमुलस सिनेरियो में जमाखोरी को रोका जा सकता है।
- **ऑटोमेटेड कम्प्लायंस:** टैक्स कटौती, कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी चेक सीधे डिजिटल कॉइन में एम्बेड किए जा सकते हैं, जो ट्रांज़ैक्शन पर ऑटोमैटिकली ट्रिगर हो जाते हैं।

रणनीतिक लक्ष्य: डी-डॉलराइज़ेशन और लचीलापन

हालांकि RBI इस प्रोजेक्ट को "एफिशिएंसी" की ओर एक कदम के तौर पर देखता है, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर के लिए इसके स्ट्रेटेजिक असर बहुत अहम हैं।

- **SWIFT को बायपास करना:** पारंपरिक इंटरनेशनल पेमेंट **SWIFT** मैसेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादातर डॉलर पर आधारित है। CBDC ब्रिज देशों को US डॉलर को छुए बिना लोकल डिजिटल करेंसी (जैसे, ई-रुपी से डिजिटल युआन) में ट्रेड सेटल करने की सुविधा देता है।
- **सैंक्शन शील्डिंग:** एक इंडिपेंडेंट पेमेंट "रेल" बनाकर, देश ट्रेड जारी रख सकते हैं, भले ही वे वेस्टर्न कंट्रोल वाले फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से कट जाएं।
- **सेटलमेंट टाइम कम करना:** ट्रेडिशनल क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसफर में 3–5 दिन लगते हैं; CBDC सेटलमेंट **लगभग तुरंत होते हैं** , जिससे एक्सपोर्टर्स के लिए लिक्विडिटी में काफी सुधार होता है।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

- **जियोपॉलिटिकल टकराव:** US ने "एंटी-डॉलर" पॉलिसी पर चिंता जताई है, कुछ पॉलिटिकल हस्तियों ने उन देशों पर टैरिफ लगाने का सुझाव दिया है जो डॉलर से दूर जा रहे हैं।
- **भरोसे की कमी:** सदस्य देशों को एक कॉमन टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड और गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर सहमत होना होगा, जो डिजिटल मैच्योरिटी के अलग-अलग लेवल को देखते हुए मुश्किल हो सकता है (जैसे, चीन का एडवांस्ड e-CNY बनाम दूसरे पायलट)।
- **साइबर सिक्योरिटी:** एक जुड़ा हुआ डिजिटल नेटवर्क, सरकार के साइबर हमलों के लिए एक बड़ा "अटैक सरफेस" बनाता है, जिसके लिए हाई-लेवल क्रिप्टोग्राफ़िक सिंक्रोनाइज़ेशन की ज़रूरत होती है।

निष्कर्ष

भारत में 2026 का BRICS समिट डिजिटल युग के लिए एक संभावित "ब्रेटन वुड्स मोमेंट" है। CBDC ब्रिज का प्रस्ताव देकर, भारत न केवल तेज़ पेमेंट चाहता है, बल्कि एक **मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम डिज़ाइन करने में भी मदद कर रहा है** जो क्षेत्रीय संप्रभुता और टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी को प्राथमिकता देता है।

द्वितीयक प्रदूषक

प्रसंग

2026 में हुई हाल की एनवायरनमेंटल स्टडीज़ से शहरी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में बदलाव का पता चलता है। जहाँ टेलपाइप से निकलने वाले धुएं जैसे "प्राइमरी" एमिशन दिख रहे हैं, वहीं **सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का दिखाई न देने वाला** बनना दिल्ली और बीजिंग जैसे बड़े ग्लोबल शहरों में गंभीर PM 2.5 एपिसोड का मुख्य कारण बन गया है।

परिभाषा और तंत्र

प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के उलट, जो सीधे किसी सोर्स (जैसे चिमनी या एग्जॉस्ट पाइप) से निकलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हवा में "पकते" हैं।

- **प्रोसेस:** ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और एटमोस्फेरिक गैसों के बीच कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन से बनते हैं।
- **केमिकल ट्रिगर:** इंडस्ट्रियल और गाड़ियों के जलने से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड (**NOx**) और सल्फर ऑक्साइड (**SOx)** सूरज की रोशनी और नमी की मौजूदगी में **अमोनिया (NH_3) के साथ रिएक्ट करते हैं।**
- **नतीजा:** इस रिएक्शन से सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एरोसोल बनते हैं, मुख्य रूप से **अमोनियम नाइट्रेट** और **अमोनियम सल्फेट** ।

अमोनिया कारक

इस केमिकल चेन में एक ज़रूरी, जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है, वह है अमोनिया (NH-3)।

- **खेती की भूमिका: दुनिया भर में होने वाले अमोनिया एमिशन का** लगभग **80%** हिस्सा खेती से आता है।
- **प्राथमिक स्रोत:**
    - **फर्टिलाइज़र:** यूरिया और दूसरे नाइट्रोजन-बेस्ड फर्टिलाइज़र का टूटना।
    - **पशुधन:** जानवरों के वेस्ट से वोलेटाइलाइजेशन और गोबर मैनेजमेंट।
- **शहरी संपर्क:** जब खेती से मिला अमोनिया शहरी इलाकों में आता है और शहर में पैदा हुए NOx/SOx के साथ मिल जाता है, तो यह एक "बाइंडर" की तरह काम करता है, जिससे बारीक पार्टिकुलेट मैटर बनने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव: फेफड़ों से परे

इससे बनने वाले सेकेंडरी पार्टिकल्स को आम तौर पर **PM 2.5** (2.5 माइक्रोमीटर से कम डायमीटर वाले बारीक पार्टिकल्स) की कैटेगरी में रखा जाता है। उनका छोटा साइज़ उन्हें खास तौर पर जानलेवा बनाता है।

- **डीप पेनेट्रेशन:** ये पार्टिकल्स नाक और गले में शरीर के नैचुरल फिल्टर को बायपास कर देते हैं, और फेफड़ों की एल्वियोलर थैलियों में गहराई तक बस जाते हैं।
- **ब्लडस्ट्रीम में एंट्री:** अपने माइक्रोस्कोपिक स्केल के कारण, वे **ब्लडस्ट्रीम में ट्रांसलोकेट हो सकते हैं** , जिससे सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है।
- **ऑर्गन डैमेज:** यह कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों, स्ट्रोक और सोचने-समझने की क्षमता में कमी के साथ-साथ अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की पुरानी बीमारियों से भी जुड़ा है।

विनियमन में चुनौतियाँ

- **क्रॉस-सेक्टोरल मुद्दा:** एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए अब "फार्म-टू-सिटी" अप्रोच की ज़रूरत है, क्योंकि शहरी एयर क्वालिटी सीधे तौर पर ग्रामीण खेती के तरीकों से जुड़ी हुई है।
- **मॉनिटरिंग में कमी:** ज़्यादातर एयर क्वालिटी सेंसर PM 2.5 की *मौजूदगी को मापते हैं*, लेकिन हमेशा प्राइमरी धूल और सेकेंडरी केमिकल एरोसोल के बीच फर्क नहीं कर पाते, जिससे टारगेटेड पॉलिसी बनाना मुश्किल हो जाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **प्रेसिजन फार्मिंग:** कोटेड फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को बढ़ावा देना जो नाइट्रोजन को धीरे-धीरे छोड़ते हैं, जिससे NH-3 का बहाव कम होता है।
- **एरोसोल मैनेजमेंट:** भारी इंडस्ट्रीज़ के लिए NOx और SOx स्टैंडर्ड्स को कड़ा करना ताकि अमोनिया के साथ रिएक्ट करने वाले "प्रीकर्सर्स" को हटाया जा सके।
- **इंटीग्रेटेड पॉलिसी:** होलिस्टिक "एयर शेड" मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए कृषि और पर्यावरण मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेट करना।

निष्कर्ष

साफ़ हवा की लड़ाई में सेकेंडरी पॉल्यूटेंट एक "छिपे हुए" खतरे को दिखाते हैं। यह समझना कि शहर के ऊपर धुंध अक्सर खेत में फर्टिलाइज़र से शुरू होती है, अगली पीढ़ी के एनवायरनमेंटल रेगुलेशन बनाने के लिए ज़रूरी है।

बाल तस्करी

प्रसंग

2024 के आखिर में और पूरे 2025 में, **भारत के सुप्रीम कोर्ट** ने बच्चों की तस्करी की "बहुत परेशान करने वाली सच्चाई" को सुलझाने के लिए अहम बातें और गाइडलाइंस जारी कीं। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ट्रैफिकिंग सिर्फ़ एक कानूनी जुर्म नहीं है, बल्कि यह **आर्टिकल 21** (जीवन और निजी आज़ादी का अधिकार) और **आर्टिकल 23** (इंसानों की तस्करी और ज़बरदस्ती मज़दूरी पर रोक) का सीधा उल्लंघन है, जो संवैधानिक गरिमा और शारीरिक मज़बूती पर चोट करता है।

समाचार के बारे में

- **न्यायिक टिप्पणी:** *के.पी. किरण कुमार बनाम राज्य (2025) मामले* में , सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तस्करी किए गए बच्चों को साथी के बजाय **"घायल गवाह" माना जाना चाहिए।**
- **गवाही के लिए गाइडलाइंस:** कोर्ट ने निचली अदालतों को पीड़ितों की गवाही को सेंसिटिविटी के साथ जांचने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि रिपोर्टिंग में छोटी-मोटी गड़बड़ियां या देरी ट्रॉमा के आम नतीजे हैं और

इन्हें केस खारिज करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

- **ऑर्गनाइज़्ड क्राइम लिंक:** कोर्ट ने ट्रैफिकिंग को एक **लेयर्ड ऑर्गनाइज़्ड क्राइम माना है** , जिससे पीड़ितों के लिए अपने शोषण की सीधी कहानी बताना मुश्किल हो जाता है।

अभियोजन अंतर

ज़्यादा सतर्कता के बावजूद, भारत की एंटी-ट्रैफिकिंग कोशिशों में "दोषसिद्धि में काफ़ी कमी" बनी हुई है।

- **बचाव में बढ़ोतरी: अप्रैल 2024 और मार्च 2025 के बीच, ऑपरेशन AAHT** (रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा) और **ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जैसे ऑपरेशन के ज़रिए देश भर में 53,000** से ज़्यादा बच्चों को बचाया गया ।
- **सज़ा की दर:** ट्रैफिकिंग के अपराधों के लिए सज़ा की दर लगभग **4.8% पर चिंताजनक रूप से कम बनी हुई है** (2018–2022 के डेटा के आधार पर)।
- **कम विश्वास के कारण:**
    - धमकियों के कारण गवाहों के मुकरने की दर बहुत ज़्यादा है।
    - राज्यों के बीच तालमेल की कमी (क्योंकि ट्रैफिकिंग में अक्सर पीड़ितों को राज्य की सीमाओं के पार ले जाया जाता है)।
    - सामाजिक-आर्थिक कमज़ोरियाँ जो पिछड़े परिवारों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने से रोकती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानक: पलेर्मो प्रोटोकॉल

भारत **पलेर्मो प्रोटोकॉल** (जिसे 2011 में मंज़ूरी मिली) का साइन करने वाला देश है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को डिफाइन करने और उससे लड़ने के लिए ग्लोबल बेंचमार्क देता है।

- **परिभाषा:** ट्रैफिकिंग को तीन चीज़ों से समझा जाता है: **काम** (भर्ती/ट्रांसपोर्ट), **तरीका** (धमकी/ज़बरदस्ती/धोखाधड़ी), और **मकसद** (शोषण)।
- **सहमति का नियम:** प्रोटोकॉल का एक ज़रूरी क्लॉज़ कहता है कि ट्रैफिकिंग का अपराध तय करने में **बच्चे की सहमति ज़रूरी नहीं है** । अगर कोई नाबालिग काम करने या कहीं और जाने के लिए "सहमत" भी हो, लेकिन अगर मकसद शोषण है, तो इसे कानूनी तौर पर ट्रैफिकिंग माना जाएगा।
- **3P फ्रेमवर्क: यह प्रोटोकॉल रोकथाम** , पीड़ितों की **सुरक्षा** और तस्करों को सज़ा दिलाने **पर** आधारित रणनीति को ज़रूरी बनाता है ।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **फास्ट-ट्रैक न्याय:** POCSO और ट्रैफिकिंग के मामलों को तय समय में निपटाने के लिए **400+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) को** मजबूत करना ।
- **विक्टिम-सेंट्रिक इन्वेस्टिगेशन:** एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (AHTUs) को ट्रेनिंग देना कि वे **ट्रॉमा-इनफॉर्म्ड सवाल पूछें** ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बच्चे दोबारा विक्टिम न बनें।
- **DMs को मज़बूत बनाना:** यह पक्का करना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल के खत्म होने का इंतज़ार किए बिना तुरंत बचाव का आदेश देने और बीच में मेडिकल और पैसे की मदद देने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करें।
- **स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs):** ट्रैफिकर्स को रियल-टाइम में पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों पर ट्रांजिट-पॉइंट मॉनिटरिंग को एक जैसा लागू करना।

निष्कर्ष

बच्चों की तस्करी एक संवैधानिक नाकामी है जिसके लिए कई सेक्टरों से जवाब की ज़रूरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का "घायल गवाह" सिद्धांत पीड़ितों को एक मज़बूत कानूनी आधार देता है, लेकिन ज़्यादा बचाव संख्या और कम सज़ा दर के बीच के अंतर को कम करना भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए मुख्य चुनौती बनी हुई है।

पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार

प्रसंग

जनवरी 2026 में 77वें गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले, भारत सरकार ने मशहूर **पद्म अवॉर्ड्स** और **गैलेंट्री अवॉर्ड्स की घोषणा की** । ये सम्मान अलग-अलग फील्ड में बेहतरीन सेवा और बहादुरी को पहचान देते हैं, और 1954 से चली आ रही परंपरा को बनाए रखते हैं।

पद्म पुरस्कार 2026: आंकड़े और मुख्य प्राप्तकर्ता

भारत के राष्ट्रपति ने साल 2026 के लिए **131 पद्म अवॉर्ड देने को मंज़ूरी दी, जिसमें दो डुओ केस भी शामिल हैं।**

- **पद्मा विभूषण (5):** असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया।
    - **धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत):** कला (महाराष्ट्र)
    - **वी.एस. अच्युतानंदन (मरणोपरांत):** पब्लिक अफेयर्स (केरल)
    - **के.टी. थॉमस:** पब्लिक अफेयर्स (केरल)
    - **एन. राजम :** कला (उत्तर प्रदेश)
    - **पी. नारायणन:** साहित्य और शिक्षा (केरल)

- **पद्मा भूषण (13):** उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित।
    - **मुख्य नाम:** अलका याग्निक (कला), ममूटी (कला), उदय कोटक (व्यापार और उद्योग), और शिबू सोरेन (मरणोपरांत)।
- **पद्मा श्री (113):** किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित।
    - **उल्लेखनीय पुरस्कार विजेता:** रोहित शर्मा (खेल), हरमनप्रीत कौर भुल्लर (खेल), और अंके सहित 45 "गुमनाम नायक" गौड़ा (सामाजिक कार्य) और अर्मिडा फर्नांडीज (चिकित्सा)।

नोट: 2026 की लिस्ट में **19 महिलाएं** और **16 मरणोपरांत** पुरस्कार विजेता शामिल हैं, जो भारतीय समाज में अलग-अलग तरह के योगदान को दिखाते हैं।

संवैधानिक ढांचा और वैधता

नेशनल अवॉर्ड्स का स्टेटस खास कानूनी नियमों और कानूनी सफाई से तय होता है, ताकि यह पक्का हो सके कि वे कोई खास अमीर वर्ग न बनाएं।

- **अनुच्छेद 18(1):** स्पष्ट रूप से उपाधियों को समाप्त करता है। राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टताओं के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है।
- **आर्टिकल 14:** नेशनल अवॉर्ड्स को "आर्टिफिशियल भेदभाव" करके बराबरी के अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
- **न्यायिक मिसाल - बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996):**
    - सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल अवॉर्ड्स की **संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।**
    - **फैसला:** ये अवॉर्ड आर्टिकल 18 के हिसाब से "डेकोरेशन" हैं, "टाइटल" नहीं।
    - **रोक: पाने वाले इन अवॉर्ड्स को अपने नाम के आगे या पीछे** नहीं लगा सकते (जैसे, लेटरहेड, नेमप्लेट या किताबों में)। ऐसा कोई भी इस्तेमाल करने पर अवॉर्ड ज़ब्त किया जा सकता है।

वीरता पुरस्कार: बहादुरी पर फोकस

बहादुरी और बलिदान के कामों को सम्मान देने के लिए साल में दो बार रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर गैलेंट्री अवॉर्ड्स की घोषणा की जाती है।

- **वर्गीकरण:**
    - **युद्ध का समय:** परम वीर चक्र, महा वीर चक्र, वीर चक्र।
    - **शांति काल:** अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र।
- **2026 की खास बातें:**
    - **अशोक चक्र: ग्रुप कैप्टन शुभांशु** को दिया गया **शुक्ला को** इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए एक्सिओम मिशन 4 के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए यह सम्मान दिया गया। वह स्पेस मिशन के लिए यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं।
    - **कीर्ति चक्र:** मेजर अर्शदीप सिंह और ग्रुप कैप्टन प्रशांत को दिया गया बालकृष्णन नायर.

ऐतिहासिक संदर्भ

- **शुरुआत:** 1954 में मेरिट और सर्विस को पहचान देने के लिए शुरू किया गया।
- **सस्पेंशन:** पॉलिटिकल बदलावों और ज्यूडिशियल रिव्यू की वजह से दो समय में अवॉर्ड नहीं दिए गए:
    - **1978-1979:** मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा निलंबित ।
    - **1993–1997:** *बालाजी मामले* के लंबित रहने के दौरान निलंबित *राघवन* केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **ट्रांसपेरेंसी:** गुमनाम हीरो को खोजने के लिए पब्लिक नॉमिनेशन के ज़रिए "पीपुल्स पद्म " पर लगातार ज़ोर दिया गया।
- **ईमानदारी:** यह पक्का करना कि अवॉर्ड पाने वाले लोग सम्मान को टाइटल के तौर पर इस्तेमाल न करने के कानूनी आदेश का पालन करें।
- **ग्लोबल पहचान:** इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके साइंस में भारत की तरक्की को दिखाना, जैसे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में मिली कामयाबी को पारंपरिक बहादुरी सम्मान से पहचान देना।

निष्कर्ष

2026 की ऑनर्स लिस्ट, सर्विस के लिए भारत की पारंपरिक तारीफ़ और स्पेस और टेक्नोलॉजी में उसकी मॉडर्न उम्मीदों के बीच एक पुल का काम करती है। हालांकि ये अवॉर्ड्स पर्सनल एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये भारतीय संविधान के बराबरी के सिद्धांतों पर मज़बूती से टिके हुए हैं।

एक्सोमाइनर ++

प्रसंग

2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत में, NASA के एम्स रिसर्च सेंटर ने **ExoMiner ++ पेश किया** , जो इसके डीप लर्निंग

AI मॉडल का एक बड़ा अपग्रेड है। ओरिजिनल ExoMiner (2021) पर आधारित, "++" वर्शन को खास तौर पर TESS जैसे मौजूदा मिशनों से आने वाली बड़ी, मुश्किल डेटा स्ट्रीम को संभालने के लिए बनाया गया है, साथ ही इसमें रिटायर हो चुके केप्लर मिशन से सीखे गए सबक भी शामिल हैं।

समाचार के बारे में

- **परिभाषा: संभावित** एक्सोप्लैनेट के ऑटोमेटेड क्लासिफिकेशन और जांच के लिए डिज़ाइन किया गया एक बेहतर डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल।
- **सफलता: ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS)** के डेटा पर अपने शुरुआती रन में , एक्सोमाइनर ++ ने **7,000 से ज़्यादा नए एक्सोप्लेनेट कैंडिडेट को** सफलतापूर्वक फ़्लैग किया ।
- **ओपन साइंस:** ग्लोबल रिसर्च में तेज़ी लाने के लिए, NASA ने GitHub पर ExoMiner ++ को **ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर के तौर पर रिलीज़ किया** , जिससे इंडिपेंडेंट एस्ट्रोनॉमर्स को नतीजों को वेरिफ़ाई करने और पब्लिक आर्काइव्ज़ में ग्रहों को खोजने में मदद मिली।

कार्यप्रणाली:

ExoMiner ++ इंसानी एक्सपर्ट्स के फैसले लेने के प्रोसेस की नकल करता है, लेकिन इतने बड़े लेवल और स्पीड पर जो अकेले लोगों के लिए नामुमकिन है।

- **डेटा स्रोत: यह केप्लर** , **K2** और **TESS** से उच्च-ताल डेटा (जैसे, 2 मिनट की ताल) का उपयोग करता है ।
- **ट्रांज़िट मेथड :**
  यह मॉडल "लाइट कर्व्स" को मॉनिटर करता है, जो समय के साथ तारे की चमक का ग्राफ़ होता है। चमक में समय-समय पर होने वाली गिरावट यह बताती है कि कोई ग्रह तारे के सामने से गुज़र रहा है।
- **मल्टी-ब्रांच न्यूरल नेटवर्क:** "ब्लैक बॉक्स" AI के विपरीत, ExoMiner ++ खास डायग्नोस्टिक टेस्ट का इस्तेमाल करता है:
  - **फ्लक्स ट्रेंड एनालिसिस:** यह चेक करना कि लाइट डिप किसी प्लैनेटरी ट्रांज़िट शेप से मैच करता है या नहीं।
  - **डिफरेंस इमेजिंग:** यह पक्का करना कि सिग्नल टारगेट तारे से आ रहा है, न कि किसी चमकीले पड़ोसी तारे से।
  - **सेंट्रॉइड मोशन:** यह ट्रैक करना कि क्या तारा ट्रांज़िट के दौरान "डगमगाता" है या अपनी जगह बदलता है।

महत्व और चुनौतियाँ

विशेषता	महत्त्व
शुद्धता	पिछले ML मॉडल्स की तुलना में ज़्यादा सटीकता के साथ असली ग्रहों को "नकली" (जैसे, एक्लिप्सिंग बाइनरी स्टार्स या इंस्ट्रूमेंटल नॉइज़) से अलग करता है।
पैमाना	लाखों सिग्नल प्रोसेस कर सकता है , जो ज़रूरी है क्योंकि TESS लगभग पूरे आसमान को स्कैन करता है।
व्याख्यात्मकता	रिसर्चर ठीक से देख सकते हैं कि किन फीचर्स (जैसे, ट्रांज़िट डेप्थ या ड्यूरेशन) ने AI को उसके नतीजे पर पहुंचाया, जिससे साइंटिफिक "गोल्ड-स्टैंडर्ड" ट्रांसपेरेंसी पक्की होती है।
स्थानांतरण अधिगम	केप्लर के गहरे, नैरो फील्ड ऑफ़ व्यू से मिली जानकारी को TESS के वाइड-एरिया सर्वे में सफलतापूर्वक लागू करता है ।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **रॉ डेटा इंटीग्रेशन:** भविष्य के वर्जन (ExoMiner 2.0/3.0) का मकसद रॉ सैटेलाइट डेटा से सीधे ट्रांज़िट का पता लगाना है, जिससे पहले से फ़िल्टर की गई कैंडिडेट लिस्ट की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।
- **आने वाले मिशन:** यह मॉडल **नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप** (जो 2020 के बीच में लॉन्च होगा) के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे हज़ारों और ट्रांज़िट सिग्नल मिलने की उम्मीद है।
- **जीवन का पता लगाना:** अभी तो "vetting" (किसी ग्रह के होने की पुष्टि) पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अगला कदम AI बनाना है जो एटमोस्फेरिक डेटा को एनालाइज़ करके रहने लायक होने के संकेतों का पता लगा सके।

निष्कर्ष

ExoMiner ++ मैनुअल "प्लैनेट हंटिंग" से ऑटोमेटेड "प्लैनेट माइनिंग" की ओर एक बदलाव दिखाता है। डीप लर्निंग को ओपन-सोर्स सहयोग के साथ जोड़कर, NASA यह पक्का कर रहा है कि उसके डेटा आर्काइव में छिपी हज़ारों दुनियाओं को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से सामने लाया जाए।

RACE IAS

फॉरएवर केमिकल्स

प्रसंग

पेर- और पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस (PFAS) की जांच तेज कर दी है । अक्सर "फॉरएवर केमिकल्स" कहे जाने वाले ये सब्सटेंस इंडस्ट्रियल चमत्कार से पब्लिक हेल्थ की प्राथमिकता बन गए हैं, क्योंकि ग्लोबल वॉटर सप्लाई और इंसानी खून में इनकी मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता।

समाचार के बारे में

- **कंटैमिनेशन का लेवल:** 2025-2026 में हुई हालिया स्टडीज़ में अंटार्कटिका और तिब्बती पठार समेत धरती के कुछ सबसे दूर के इलाकों में बारिश के पानी में PFAS का पता चला है, जिससे पता चलता है कि इन सिंथेटिक्स से कोई भी एनवायरनमेंट सच में "साफ़" नहीं है।
- **रेगुलेटरी बदलाव:** EU और कई US राज्यों समेत बड़ी इकॉनमी ने पीने के पानी में PFAS के लिए सख्त "मैक्सिमम कंटैमिनेंट लेवल्स" (MCLs) लागू करना शुरू कर दिया है, जिससे वॉटर ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर बदलाव करने पड़ रहे हैं।

केमिस्ट्री: "हमेशा के लिए" मैकेनिज्म

PFAS की ड्यूरेबिलिटी उनके यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का नतीजा है।

- **CF बॉन्ड:** PFAS को फ्लोरीन एटम से जुड़े कार्बन एटम की एक चेन से डिफाइन किया जाता है। **कार्बन-फ्लोरीन (CF) बॉन्ड** ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मजबूत बॉन्ड में से एक है।
- **गुण:** यह बंधन कुदरती तरीकों (बैक्टीरिया, सूरज की रोशनी या पानी) से लगभग टूटता नहीं है, जिससे केमिकल गर्मी, तेल और पानी से बच जाते हैं।
- **सर्फैक्टेंट नेचर:** मॉलिक्यूल का एक सिरा हाइड्रोफोबिक (पानी को दूर भगाने वाला) और लिपोफोबिक (तेल को दूर भगाने वाला) होता है, जबकि दूसरा हाइड्रोफिलिक (पानी को खींचने वाला) होता है, जिससे वे इंडस्ट्रियल कोटिंग्स में बहुत असरदार होते हैं।

सामान्य उपयोग और जोखिम मार्ग

PFAS 1940 के दशक से ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो गए हैं।

- **कंज्यूमर गुड्स:** नॉन-स्टिक कुकवेयर (PTFE/Teflon), ग्रीस-रेसिस्टेंट फूड रैपर, दाग-रोधी कालीन, और "ब्रीदेबल" वॉटरप्रूफ कपड़े (Gore-Tex)।
- **इंडस्ट्रियल इस्तेमाल:** एक्स फिल्म-फॉर्मिंग फोम (AFFF) का इस्तेमाल एयरपोर्ट और मिलिट्री बेस पर हाई-हीट जेट फ्यूल की आग बुझाने के लिए किया जाता है।
- **पर्सनल केयर:** शैंपू, डेंटल फ्लॉस, और कॉस्मेटिक्स (खासकर "लॉन्ग-वियर" या "वॉटरप्रूफ" वैरायटी)।

स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिम

क्योंकि PFAS टूटते नहीं हैं, वे **बायो-एक्युमुलेट होते हैं** , जिसका मतलब है कि जैसे-जैसे वे फूड चेन में ऊपर जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है।

- **इंसानों पर असर:** ये खून में प्रोटीन से जुड़ जाते हैं और लिवर और किडनी में सालों तक रह सकते हैं।
- **मेडिकल लिंक:** एक्सपोज़र क्लिनिकली इनसे जुड़ा है:
  - **इम्यून सप्रेशन:** बच्चों में वैक्सीन का असर कम होना।
  - **हार्मोनल गड़बड़ी:** थायरॉइड की बीमारी और फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं।
  - **ऑन्कोलॉजी:** किडनी और टेस्टिकुलर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
  - **डेवलपमेंटल:** बच्चों का जन्म के समय कम वज़न और डेवलपमेंट में देरी।

नियामक ढांचा

यंत्र	भूमिका
स्टॉकहोम कन्वेंशन	एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो खास PFAS (जैसे PFOS और PFOA) को **परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POPs) के तौर पर लिस्ट करती है** , और उन्हें खत्म करने को ज़रूरी बनाती है।
रीच (ईयू)	एक "एहतियाती सिद्धांत" लागू करता है, जो पूरे PFAS क्लास के सभी गैर-ज़रूरी इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने पर ज़ोर देता है।
ईपीए (यूएसए)	2024-2025 तक पब्लिक पीने के पानी के सिस्टम में PFAS के लिए कानूनी तौर पर लागू होने वाली लिमिट तय की गईं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **सुधार टेक्नोलॉजी:** CF बॉन्ड को असल में खत्म करने के लिए **ग्रेन्युलर एक्टिवेटेड कार्बन (GAC) , आयन एक्सचेंज रेजिन, और नए "सुपरक्रिटिकल वॉटर ऑक्सीडेशन" (SCWO)** जैसे हाई-टेक फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल ।

- **ग्रीन केमिस्ट्री:** इंडस्ट्रीज़ को PFAS-फ्री ऑप्शन की ओर ले जाना, जैसे सिलिकॉन-बेस्ड कोटिंग्स या वैक्स-बेस्ड वॉटर रिपेलेंट्स।
- **यूनिवर्सल स्क्रीनिंग:** एयरपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के पास रहने वाली हाई-रिस्क आबादी के लिए ब्लड-सीरम टेस्टिंग बढ़ाना।

निष्कर्ष

PFAS की चुनौती उनके हर जगह होने और लंबे समय तक चलने में है। जहाँ उन्होंने 20वीं सदी की इंडस्ट्रीज़ को बेमिसाल सुविधा दी, वहीं 21वीं सदी का काम धरती को "डी-फ्लोरिनेट" करना है ताकि कई पीढ़ियों तक चलने वाले हेल्थ संकट को रोका जा सके।

अगरवुड : भारत की "लिक्विड गोल्ड" पहल

प्रसंग

2026 की शुरुआत में, भारत सरकार ने **अगरवुड मिशन के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दीं** , और नॉर्थईस्ट इंडिया में अगरवुड वैल्यू चेन को बढ़ावा देने के लिए **₹80 करोड़ दिए। यह प्रोजेक्ट खास तौर पर त्रिपुरा पर फोकस करता है** , जिसका मकसद राज्य के अच्छे एग्रो-क्लाइमैटिक हालात का फ़ायदा उठाकर अगर-ऑयल प्रोसेसिंग के लिए एक ग्लोबल हब बनना है।

समाचार के बारे में

- **"देवताओं की लकड़ी":** अगरवुड (जिसे *अवध भी कहा जाता है*) दुनिया के सबसे महंगे नेचुरल रॉ मटीरियल में से एक है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से हाई-एंड परफ्यूमरी, पारंपरिक दवा और धार्मिक समारोहों में किया जाता है।
- **आर्थिक बदलाव:** पहले, यह व्यापार ज़्यादातर अनऑर्गनाइज़्ड था और इसे कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। नई पॉलिसी का मकसद इंडस्ट्री को फॉर्मल बनाना, **"एक्ट ईस्ट "** पॉलिसी को सपोर्ट करना और इलाके के किसानों की इनकम को दोगुना करना है।

बायोलॉजिकल प्रोसेस: इन्फेक्शन से रेजिन तक

अगरवुड का बनना एक अनोखी बायोलॉजिकल घटना है जहाँ "स्ट्रेस से वैल्यू मिलती है।"

- **मेज़बान: एक्विलरिया पेड़** से प्राप्त (*एक्विलरिया मैलाक्केंसिस*)।
- **कैटेलिस्ट:** एक हेल्दी एक्विलेरिया पेड़ बिना गंध वाला और हल्का पीला होता है। अगरवुड तभी बनता है जब हार्टवुड किसी खास फंगल मोल्ड (**एस्परगिलस** या **फ्यूजेरियम** स्पीशीज़) से इंफेक्टेड हो या उसे फिजिकल चोट लगे (जैसे, कीड़ों से छेद होना या इंसानों की वजह से "घाव")।
- **बचाव का तरीका:** इन्फेक्शन के जवाब में, पेड़ खुद को बचाने के लिए एक गहरा, खुशबूदार और बहुत घना **ओलियोरेसिन बनाता है** । इस रेज़िन वाली लकड़ी को हम अगरवुड कहते हैं ।
- **निकालना:** खुशबूदार तेल आमतौर पर **स्टीम डिस्टिलेशन से निकाला जाता है** , जिसमें कुछ ml तेल बनाने के लिए अक्सर सैकड़ों kg लकड़ी की ज़रूरत होती है।

संरक्षण और कानूनी स्थिति

जंगल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से, इस प्रजाति पर इंटरनेशनल और घरेलू कानूनों के तहत सख्ती से नज़र रखी जाती है।

मीट्रिक	स्थिति	महत्व
आईयूसीएन लाल सूची	**गंभीर रूप से संकटग्रस्त**	जंगल में विलुप्त होने के बहुत ज़्यादा खतरे को दिखाता है।
सीआईटीईएस	**परिशिष्ट II**	इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करता है ताकि यह पक्का हो सके कि यह स्पीशीज़ के ज़िंदा रहने के लिए नुकसानदायक न हो।
निर्यात नीति	**उदारीकृत (2025-26)**	लीगल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा और असम से "खेती" की गई अगरवुड पर एक्सपोर्ट पाबंदियों में हाल ही में ढील दी गई है ।

वितरण और पारिस्थितिकी

- **प्राइमरी रेंज: यह नॉर्थईस्ट इंडिया** (असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश) और **साउथईस्ट एशिया** (वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया) के कुछ हिस्सों के रेनफॉरेस्ट में पाया जाता है ।
- **माहौल:** यह पहाड़ी, अच्छी पानी निकलने वाली जगह और ज़्यादा नमी वाली जगहों पर उगता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन:** बागानों के पेड़ों में रेजिन बनाने के लिए "फंगल इनोक्युलेंट्स" के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, जिससे जंगली पेड़ों को काटने की ज़रूरत कम हो।

- **जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI):** मिडिल ईस्ट और यूरोपियन मार्केट में प्रीमियम प्राइसिंग पक्का करने के लिए **त्रिपुरा अगरवुड** के लिए GI टैग हासिल करने की कोशिशें चल रही हैं ।
- **एथिकल सोर्सिंग:** इंटरनेशनल खरीदारों के लिए अगर-ऑयल की शुद्धता को वेरिफाई करने के लिए अगरतला में टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन लैब्स बनाना ।

निष्कर्ष

अगरवुड पहल पर्यावरण संरक्षण और हाई-वैल्यू कॉमर्स का एक परफेक्ट मेल दिखाती है । जंगली कटाई से सस्टेनेबल प्लांटेशन-बेस्ड इनोक्यूलेशन की ओर शिफ्ट होकर, भारत ग्लोबल लक्ज़री परफ्यूम मार्केट में अपना पुराना दबदबा फिर से हासिल करने के लिए तैयार है।

संघीय तनाव और संवैधानिक जनादेश

प्रसंग

तमिलनाडु और **केरल** जैसे विपक्ष शासित राज्यों में गवर्नर की संवैधानिक भूमिका फिर से एक मुद्दा बन गई। विवाद इस बात पर था कि गवर्नर या तो आम भाषण छोड़ देते थे, असेंबली से बाहर चले जाते थे, या चुनी हुई राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण के खास हिस्सों को पढ़ने से मना कर देते थे।

20 जनवरी, 2026 को एक खास विवाद में , तमिलनाडु के गवर्नर ने राष्ट्रगान और तैयार भाषण के कंटेंट पर विवाद के बाद वॉकआउट कर दिया, जिससे राज्य में इस तरह का टकराव लगातार चौथे साल हुआ।

समाचार के बारे में

- **घटना:** गवर्नरों ने आरोप लगाया है कि सरकार के तैयार किए गए भाषणों में "गुमराह करने वाले दावे" या "तथ्यों में गलतियाँ" होती हैं, जिसकी वजह से वे पैराग्राफ छोड़ देते हैं या भाषण को पूरी तरह से मना कर देते हैं।
- **राज्य का जवाब:** सरकारों का तर्क है कि गवर्नर का भाषण **कैबिनेट पॉलिसी का एक बयान है** , और गवर्नर द्वारा कोई भी बदलाव एक "गैर-संवैधानिक गलती" है जो लोगों की इच्छा को कमज़ोर करती है।
- **माइक विवाद:** 2026 के तमिलनाडु सेशन के दौरान, राजभवन ने आरोप लगाया कि गवर्नर का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था, जबकि सरकार ने सिर्फ़ कैबिनेट से मंज़ूर टेक्स्ट रिकॉर्ड करने का प्रस्ताव रखा था ।

संवैधानिक ढांचा

संविधान दो मुख्य आर्टिकल के ज़रिए लेजिस्लेचर में गवर्नर की भूमिका बताता है:

- **आर्टिकल 176 (स्पेशल एड्रेस):** यह ज़रूरी बनाता है कि गवर्नर **हर साल के पहले सेशन** की शुरुआत में और हर आम चुनाव के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस **करेंगे ।**
    - यह एक ज़रूरी संवैधानिक कर्तव्य है, ऑप्शनल नहीं।
- **आर्टिकल 175 (बोलने का अधिकार):** यह गवर्नर को किसी भी दूसरे समय सदन को संबोधित करने या पेंडिंग बिलों के बारे में मैसेज भेजने का अधिकार देता है।
- **आर्टिकल 163 (मदद और सलाह):** यह तय करता है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स की **मदद और सलाह पर काम करना होगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ संविधान में साफ़ तौर पर अपनी मर्ज़ी का अधिकार दिया गया हो। आर्टिकल 175 और 176** अपनी मर्ज़ी के अधिकार के तहत **नहीं आते हैं।**

न्यायिक मिसालें और कानूनी व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के अधिकार का दायरा लगातार कम किया है, ताकि ऑफिस को "पैरेलल पावर सेंटर" बनने से रोका जा सके।

मामला	वर्ष	मुख्य निर्णय
शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य	1974	7 जजों की बेंच ने कहा कि गवर्नर एक फॉर्मल हेड है और उसे मिनिस्टर की सलाह पर काम करना चाहिए। कैबिनेट पॉलिसी की पब्लिकली आलोचना करना "गलती" है।
नबाम रेबिया बनाम उप सभापति	2016	यह कन्फर्म किया गया कि आर्टिकल 175 और 176 के तहत काम **एग्जीक्यूटिव नेचर के हैं** और गवर्नर को लेजिस्लेटिव एजेंडा बनाने की पूरी आज़ादी नहीं है।
टीएन राज्य बनाम टीएन के राज्यपाल	2025	कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गवर्नर चुनी हुई सरकार के अधिकार को खत्म करने या "लेजिस्लेटिव स्टेग्नेंसी" पैदा करने के लिए "डिस्क्रिशन" का इस्तेमाल नहीं कर सकता।

महत्व: संघवाद पर प्रभाव

- **न्यूट्रैलिटी का खत्म होना:** गवर्नर का मकसद "न्यूट्रल संवैधानिक पहरेदार" होना है। लगातार टकराव इस

ऑफिस को यूनियन के पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर दिखाता है।

- **फेडरल स्ट्रक्चर:** क्योंकि गवर्नर को केंद्र अपॉइंट करता है, इसलिए राज्य के प्रोग्राम को रोकने के लिए "एड्रेस" का इस्तेमाल करना, राज्य की ऑटोनॉमी पर **असल में केंद्र का वीटो माना जाता है।**
- **संवैधानिक नैतिकता:** भाषण न देना "खेल के नियमों" का उल्लंघन माना जाता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **कन्वेंशन का कोड बनाना:** एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि "वेस्टमिंस्टर कन्वेंशन" को ज़रूरी गाइडलाइंस में औपचारिक रूप दिया जाए ताकि यह पक्का हो सके कि गवर्नर कैबिनेट से मंज़ूर टेक्स्ट को बिना किसी बदलाव के पढ़ें।
- **इंटर-स्टेट काउंसिल:** गवर्नर के झगड़ों को असेंबली में पहुंचने से पहले सुलझाने के लिए इंटर-स्टेट काउंसिल का इस्तेमाल करना।
- **न्यायिक स्पष्टीकरण:** यह तय करने के लिए एक पक्के फैसले की ज़रूरत हो सकती है कि वॉकआउट करना या बात करने से मना करना आर्टिकल 356 के तहत "संवैधानिक ब्रेकडाउन" माना जाएगा या नहीं।

निष्कर्ष

गवर्नर का भाषण कोई पर्सनल मैनिफेस्टो नहीं होता, बल्कि सरकार के प्रोग्राम का एक फॉर्मल रिले होता है। आर्टिकल 176 की पवित्रता बनाए रखना पार्लियामेंट्री स्पिरिट को बचाने के लिए ज़रूरी है, जहाँ "सम्मानित" हेड ऑफ़ स्टेट (गवर्नर) सरकार के "एफिशिएंट" हिस्से (कैबिनेट) का सम्मान करता है।

मलेरिया

प्रसंग

2026 की शुरुआत में, भारत को मलेरिया कम करने में अपनी ऐतिहासिक कामयाबी के लिए पहचाना जाता रहेगा। 2015 और 2023 के बीच, देश में **मलेरिया के मामलों में 80.5% की कमी आई** और **मौतों में 78.3% की कमी आई** । 2025 के आखिर में एक बड़ी बात यह बताई गई कि 23 राज्यों और UTs के **160 जिलों ने लगातार तीन साल (2022–2024) तक कामयाबी से ज़ीरो देसी मामले बनाए रखे** , जिससे वे ऑफिशियल सबनेशनल वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो गए।

समाचार के बारे में

- **HBHI से बाहर निकलना (2024):** एक बड़ी कामयाबी यह थी कि भारत 2024 में WHO के **"हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट" (HBHI)** ग्रुप से ऑफिशियली बाहर हो गया, जिससे यह पता चला कि यह एक हाई-एंडेमिक देश से एलिमिनेशन-फेज़ वाले देश में बदल रहा है।
- **उन्मूलन बनाम उन्मूलन: खत्म करना:** किसी खास इलाके (जैसे, भारत) में लोकल ट्रांसमिशन में रुकावट (ज़ीरो देसी केस)।
  - **खत्म करना:** दुनिया भर में मामलों को हमेशा के लिए ज़ीरो तक कम करना (जैसे, स्मॉलपॉक्स)।
- **टारगेट:** भारत का लक्ष्य **2027 तक ज़ीरो लोकल केस और 2030** तक WHO मलेरिया-फ्री सर्टिफ़िकेशन हासिल करना है ।

प्रमुख रुझान और सांख्यिकी

सूचक	2015 की स्थिति	2023/24 स्थिति	रुझान
वे केस जिनकी पुष्टि हो चुकी है	11.69 लाख	~2.27 लाख	**80.5% की कमी**
मलेरिया से होने वाली मौतें	385	83	**78.3% की कमी**
एबर (निगरानी)	9.58	11.62	**बढ़ती हुई** (बेहतर पहचान)

- **प्रजाति परिवर्तन: प्लास्मोडियम विवैक्स** अब लगभग **40% मामलों के लिए ज़िम्मेदार है।** *पी. फाल्सीपेरम* के उलट , यह लिवर में " हिप्नोज़ोइट्स " के रूप में निष्क्रिय रह सकता है, जिससे महीनों बाद बीमारी फिर से हो सकती है।
- **ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन: 85%** से ज़्यादा **केस** अब ज़्यादा बोझ वाले राज्यों में हैं: **ओडिशा , छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल** । 2026 तक, सिर्फ़ **त्रिपुरा और मिज़ोरम** ही हर 1000 आबादी पर 1 केस (API > 1) की लिमिट से ऊपर हैं।

उन्मूलन की चुनौतियाँ

प्रोग्रेस के बावजूद, 2030 के लक्ष्य के लिए कई "रुकावटें" खतरा हैं:

- **बिना लक्षण वाला और बार-बार होने वाला मलेरिया:** *पी. विवैक्स* के लिवर में सोए हुए स्टेज एक छिपे हुए भंडार की तरह काम करते हैं।
- **अर्बन मलेरिया और एनोफेलीज स्टेफेंसी :** यह घुसपैठ करने वाला, शहरों में पैदा होने वाला मच्छर इंसानों के बनाए कंटेनर (ओवरहेड टैंक, टायर, कंस्ट्रक्शन साइट) में पनपता है। यह **दिल्ली और चेन्नई**

जैसी घनी शहरी बस्तियों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है ।

- **दवा और कीटनाशक रेजिस्टेंस:** नॉर्थईस्ट में **आर्टेमिसिनिन -बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी (ACT)** के लिए उभरता रेजिस्टेंस और मच्छरों में **सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड्स के लिए रेजिस्टेंस के कारण** ज़्यादा महंगे डुअल-इंसेक्टिसाइड नेट की ज़रूरत है ।
- **माइग्रेशन: बीमारी वाले राज्यों (जैसे** ओडिशा) से कम फैलने वाले राज्यों (जैसे तमिलनाडु) में काम करने वालों का आना-जाना अक्सर "बाहर से" फैलने वाले आउटब्रेक को बढ़ावा देता है।

पहल और रणनीतियाँ

- **राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2023-2027):** हर केस की पहचान हो और उस पर नज़र रखी जाए, यह पक्का करने के लिए **"टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक" (3Ts)** स्ट्रेटेजी को लागू करना ।
- **एकीकृत वेक्टर प्रबंधन (आईवीएम): इनडोर अवशिष्ट छिड़काव (आईआरएस) को लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल (एलएलआईएन)** के वितरण के साथ जोड़ता है ।
- **MERA इंडिया:** मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस (ICMR का) इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस की मैपिंग जैसे ऑपरेशनल रिसर्च पर फोकस करता है।
- **ग्लोबल टूल्स: RTS , S और R21 वैक्सीन** (जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है) के आने से रोकथाम के नए रास्ते खुले हैं, खासकर बच्चों के लिए।

आगे बढ़ने का रास्ता

1. **ज़रूरी रिपोर्टिंग:** प्राइवेट सेक्टर के नोटिफ़िकेशन को मज़बूत करना, जहाँ लगभग 70% आबादी देखभाल चाहती है।
2. **1-3-7 सर्विलांस नियम:** केस नोटिफ़ाई करने के लिए 1 दिन, जांच करने के लिए 3 दिन, और फोकल वेक्टर कंट्रोल पूरा करने के लिए 7 दिन।
3. **शहरी-खास कंट्रोल: मलेरिया की रोकथाम को स्वच्छ भारत मिशन और कंस्ट्रक्शन-साइट के नियमों** से जोड़कर *एनोफ़ेलीज़ स्टेफ़ेंसी को* टारगेट करना ।
4. **रेडिकल क्योर एडहेरेंस:** यह पक्का करना कि मरीज़ 14-दिन का प्राइमाक्विन कोर्स पूरा करें, जो लिवर में सोए हुए *P. vivax* स्टेज को मारने के लिए ज़रूरी है ।

निष्कर्ष

भारत "हाई बर्डन" से "प्री-एलिमिनेशन" फेज़ में आ गया है। अब सफलता 160 जिलों में ज़ीरो-केस स्टेटस बनाए रखने और बाकी "फॉरेस्ट-ट्राइबल" और "अर्बन-इनवेसिव" हॉटस्पॉट से तेज़ी से निपटने पर निर्भर करती है। **इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म (IHIP) के ज़रिए सटीक रियल-टाइम डेटा के साथ** , मलेरिया-फ्री भारत पहुंच में है।

भारत और यूरोपीय संघ साझेदारी

प्रसंग

भारत-ईयू संबंध **जनवरी 2026 में ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गए** । पहली बार, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष **उर्सुला वॉन डेर लेयेन** और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट **एंटोनियो कोस्टा** भारत के **77वें रिपब्लिक डे** परेड में **चीफ गेस्ट** के तौर पर शामिल हुए ।

समारोहों के बाद, **16वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन (27 जनवरी, 2026 को आयोजित) ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** के लिए बातचीत के औपचारिक समापन को चिह्नित किया , जिसका वर्णन वॉन डेर ने किया लेयेन को "सभी डील्स की मां" और एक नई **सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप पर साइन किया** ।

साझेदारी के बारे में

- **यह क्या है: स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी** पर आधारित एक "फिट पार्टनरशिप" । दोनों एंटिटीज़ डिपेंडेंस कम करना चाहती हैं: EU चीन से "डी-रिस्किंग" कर रहा है, जबकि इंडिया रशियन डिफेंस इक्विपमेंट पर अपनी हिस्टॉरिकल डिपेंडेंस से दूर जा रहा है।
- **आर्थिक पैमाना:** FTA **2 अरब लोगों का मिला-जुला बाज़ार बनाता है, जो दुनिया की GDP का** लगभग एक-चौथाई हिस्सा है ।
- **मुख्य शिखर सम्मेलन परिणाम (जनवरी 2026):**
  - **FTA का नतीजा:** EU ऑटोमोबाइल (40% तक) और स्पिरिट पर टैरिफ कम करने का एग्रीमेंट, जबकि भारत को टेक्सटाइल और लेदर के लिए ड्यूटी-फ्री एक्सेस देना।
  - **सिक्योरिटी और डिफेंस पैक्ट:** समुद्री सहयोग (खासकर ATALANTA और ASPIDES मिशन) का विस्तार और डिफेंस टेक्नोलॉजी में जॉइंट R&D।
  - **मोबिलिटी फ्रेमवर्क:** भारतीय छात्रों और ICT प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ा को आसान बनाने के लिए एक नया एग्रीमेंट।

व्यापार और निवेश में वर्तमान रुझान

भारत और EU "दूर के लोकतंत्र" से "ज़रूरी आर्थिक इंजन" बन गए हैं।

सूचक	स्थिति (2025-26)	महत्व
द्विपक्षीय वस्तु व्यापार	~136 बिलियन अमेरिकी डॉलर	EU भारत का सबसे बड़ा गुड्स ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है।
सेवा व्यापार	~53 बिलियन अमेरिकी डॉलर	इंडियन IT और यूरोपियन फाइनेंशियल सर्विसेज़ से प्रेरित।
एफडीआई स्टॉक	€140 बिलियन	भारत में अब 6,000 से ज़्यादा यूरोपियन कंपनियाँ काम करती हैं।
रणनीतिक बदलाव	मूल्य-वर्धित फोकस	इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में ग्रोथ, रॉ कमोडिटीज़ से आगे।

अवसर और रणनीतिक स्तंभ

- **टेक्सटाइल और अपैरल:** 10% EU टैरिफ खत्म होने से भारतीय गारमेंट एक्सपोर्ट में हर साल **US$5-7 बिलियन की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है** , जो बांग्लादेश को टक्कर देगा।
- **डिफेंस को-प्रोडक्शन:** बायर-सेलर मॉडल से जॉइंट प्रोडक्शन की ओर बदलाव। भारत ने पहले ही **पोलैंड और जर्मनी जैसे देशों को** स्ट्रेटेजिक स्टॉक को फिर से भरने के लिए गोला-बारूद एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है।
- **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI):** EU अपनी क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल इकॉनमी के लिए "इंडिया स्टैक" (जैसे UPI और डिजिटल आइडेंटिटी) के एलिमेंट्स को अपनाने पर विचार कर रहा है।
- **कनेक्टिविटी (IMEC):** इंडिया -**मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को** "ग्रीन और डिजिटल ब्रिज" के तौर पर तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि मुंबई और पिरियस के बीच ट्रांज़िट टाइम 40% तक कम किया जा सके।

महत्वपूर्ण चुनौतियाँ

2026 की सफलताओं के बावजूद, महत्वपूर्ण "नॉन-टैरिफ" घर्षण बिंदु बने हुए हैं:

- **कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM): 1 जनवरी, 2026** से पूरी तरह से चालू। स्टील और एल्युमीनियम पर यह 20%-35% कार्बन टैक्स भारतीय मेटल एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी रुकावट है।
- **EU डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन (EUDR):** भारतीय कॉफी, लेदर और रबर एक्सपोर्टर्स के लिए नई कम्प्लायंस कॉस्ट, जिन्हें यह साबित करना होगा कि उनके प्रोडक्ट्स डिफॉरेस्टेशन वाली ज़मीन से नहीं लिए गए हैं।
- **डेटा सॉवरेनिटी: डेटा लोकलाइज़ेशन** पर मतभेद बने हुए हैं, क्योंकि EU "डेटा एडिक्वेसी" स्टेटस के लिए ज़ोर दे रहा है, जबकि भारत फाइनेंशियल डेटा के लिए सख्त लोकल स्टोरेज नियम बनाए हुए है।
- **खेती और स्पिरिट्स:** यूरोपियन वाइन पर भारत के ऊंचे टैरिफ (150%) और भारतीय फलों के लिए EU के सख्त सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) स्टैंडर्ड सेंसिटिव एरिया बने हुए हैं।

आगे का रास्ता: 2026+ एजेंडा

- **TTC को ऑपरेशनल बनाना :** 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड्स में तालमेल बिठाने के लिए **ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का** इस्तेमाल करना ।
- **यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस:** यूरोप की पुरानी होती अर्थव्यवस्थाओं में लेबर गैप को भरने के लिए स्किल्ड इंडियन टैलेंट के लिए "ब्लू कार्ड्स" को फास्ट-ट्रैक करने के लिए भारत में एक ऑफिस का प्रस्ताव।
- **ग्रीन ट्रांज़िशन फंड:** भारतीय MSMEs को CBAM और दूसरे एनवायरनमेंटल टैक्स से बचने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में मदद करने के लिए एक जॉइंट फंड की संभावना।

निष्कर्ष

2026 समिट से यह संकेत मिलता है कि भारत और EU ने एक-दूसरे को भरोसेमंद "जियोपॉलिटिकल एंकर" के तौर पर चुना है। ट्रेड की महत्वाकांक्षाओं और क्लाइमेट रेगुलेशन के बीच की खाई को पाटकर, यह पार्टनरशिप अब सिर्फ़ कॉमर्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक टूटी-फूटी, मल्टीपोलर दुनिया में एक स्थिर विकल्प देने के बारे में है।

ड्रग नियम संशोधन

प्रसंग

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने **न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स (NDCT) रूल्स, 2019 में बड़े बदलावों को नोटिफाई किया है** । इन सुधारों को आम बोलचाल की भाषा में "क्विक पिल" पहल कहा जाता है, जिसका मकसद फार्मास्यूटिकल R&D में "लाइसेंस राज" को खत्म करना है, जिससे लैबोरेटरी

रिसर्च से क्लिनिकल एप्लीकेशन तक की टाइमलाइन में काफी तेजी आएगी।

मुख्य बदलाव: लाइसेंसिंग से लेकर सूचना तक

पहला बदलाव यह है कि नॉन-कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेडिशनल, टाइम लेने वाले अप्रूवल प्रोसेस की जगह ट्रस्ट-बेस्ड रेगुलेटरी सिस्टम लाया गया है।

- **पुराना नियम:** ट्रायल, टेस्टिंग या एनालिसिस के लिए दवा की बहुत कम मात्रा बनाने के लिए भी डेवलपर्स को **CDSCO** से एक ज़रूरी "टेस्ट लाइसेंस" लेना ज़रूरी था ।
- **नया नियम:** रिसर्च, टेस्टिंग या एनालिसिस के लिए कम मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर्मल लाइसेंस **खत्म कर दिए गए हैं।**
- **मैकेनिज्म: रिसर्चर्स को अब SUGAM पोर्टल के** ज़रिए सिर्फ़ **"Notice of Intent"** सबमिट करना होगा । ऑनलाइन मंज़ूरी मिलने के बाद, वे तुरंत दवा बनाने का काम शुरू कर सकते हैं।

नोट: यह छूट सिर्फ़ **नॉन-कमर्शियल** मैन्युफैक्चरिंग पर लागू होती है। इस तरीके से बनी कोई भी दवा न तो बेची जा सकती है और न ही कमर्शियली सप्लाई की जा सकती है।

दायरा और अपवाद

हालांकि नियमों का मकसद बिज़नेस को बड़े पैमाने पर आसान बनाना है, फिर भी कुछ हाई-रिस्क कैटेगरी पर अभी भी कड़ी निगरानी की ज़रूरत है।

विशेषता	लाइसेंस से छूट (सिर्फ़ सूचना)	फॉर्मल लाइसेंस ज़रूरी (टाइमलाइन आधी कर दी गई)
दवा के प्रकार	ज़्यादातर नई केमिकल एंटिटीज़, एनालिटिकल टेस्टिंग, और कम रिस्क वाली BA/BE स्टडीज़।	**भारी जोखिम:** साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, नारकोटिक्स, साइकोट्रोपिक पदार्थ, सेक्स हॉर्मोन और लाइव बायोलॉजिक्स।
टाइप करना सीखो	स्टैंडर्ड नॉन-क्लिनिकल रिसर्च और खास कम-रिस्क वाली बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़।	हाई-रिस्क क्लिनिकल ट्रायल या वे जिनमें खास कंट्रोल्ड सब्सटेंस शामिल हों।
वैधानिक समयरेखा	**तुरंत** (ऑनलाइन जानकारी मिलने पर)।	से घटाकर **45 दिन कर दिया गया** ।

सुगम पोर्टल और प्रौद्योगिकी एकीकरण

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन (CDSCO) द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया SUGAM पोर्टल, इन **सुधारों** के लिए डिजिटल बैकबोन का काम करता है।

- **सिंगल विंडो:** यह दवा से जुड़े सभी अप्रूवल के लिए सेंट्रल इंटरफ़ेस के तौर पर काम करता है, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल, एथिक्स कमेटी रजिस्ट्रेशन और अब, रिसर्च की जानकारी शामिल है।
- **ट्रांसपेरेंसी:** हर "Notice of Intent" को रियल-टाइम में ट्रैक किया जा सकता है , जिससे इंसानी दखल और मनमाने ढंग से देरी की संभावना कम हो जाती है।
- **जन विश्वास सिद्धांत :** यह कदम सरकार की बड़ी "ट्रस्ट-बेस्ड गवर्नेंस" सोच से मेल खाता है, जो कम रिस्क वाली एक्टिविटीज़ के लिए पहले से इजाज़त लेने के बजाय खुद से बताने को बढ़ावा देता है।

अपेक्षित लाभ

- **समय की बचत:** मंत्रालय को उम्मीद है कि दवा बनाने की पूरी लाइफसाइकल में कम से कम **90 दिन की कमी आएगी।**
- **आर्थिक असर:** CDSCO पर एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ कम होता है, जो हर साल लगभग **30,000 से 35,000** टेस्ट लाइसेंस एप्लीकेशन प्रोसेस करता है।
- **ग्लोबल पोजिशनिंग:** घरेलू नियमों को दुनिया के सबसे अच्छे तरीकों के साथ जोड़कर, फार्मास्यूटिकल R&D और क्लिनिकल रिसर्च के लिए एक पसंदीदा ग्लोबल जगह के तौर पर भारत की जगह को मज़बूत करता है।

निष्कर्ष

"क्विक पिल" अमेंडमेंट फार्मास्यूटिकल सेक्टर में "ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस" की तरफ़ एक बड़ी छलांग है। "परमिशन" की जगह "इंटिमेशन" लाकर, सरकार भारतीय रिसर्चर्स की ईमानदारी पर दांव लगा रही है ताकि वे कड़े डॉक्यूमेंटेशन और पोस्ट-फैक्टो ओवरसाइट के ज़रिए सुरक्षा बनाए रखते हुए इनोवेशन को आगे बढ़ा सकें।

उपकर और अधिभार

प्रसंग

2025-26 के फिस्कल साइकिल में , भारत में "फिस्कल फेडरलिज्म" को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। राज्य

सरकारों ने रेवेन्यू जुटाने के लिए **सेस और सरचार्ज पर केंद्र सरकार की बढ़ती निर्भरता पर चिंता जताई है** । क्योंकि इन लेवी को "डिविजिबल पूल" से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्यों का तर्क है कि फाइनेंस कमीशन द्वारा तय किए गए ऑफिशियल डिवोल्यूशन टारगेट के बावजूद, नेशनल टैक्स रेवेन्यू में उनका असरदार हिस्सा कम हो रहा है।

संघीय संघर्ष: घटता हुआ विभाज्य पूल

शिकायत की जड़ यह है कि टैक्स के पैसे को कैसे बांटा जाता है और केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बांटा जाता है।

- **डिविज़िबल पूल:** इसका मतलब है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू (GTR) का वह हिस्सा जिसे केंद्र को राज्यों के साथ बांटना कानूनी तौर पर ज़रूरी है। अभी, **15वें फाइनेंस कमीशन की** सिफारिशों के आधार पर, यह हिस्सा **41% है** ।
- **"लूपहोल": आर्टिकल 270** (जैसा कि **80वें अमेंडमेंट एक्ट, 2000 द्वारा बदला गया है**) के तहत , सेस और सरचार्ज को इस पूल से साफ़ तौर पर बाहर रखा गया है। केंद्र इन कलेक्शन का **100% अपने पास रखता है।**
- **ट्रेंड: डेटा बताता है कि** केंद्र के GTR में सेस और सरचार्ज का हिस्सा लगभग **5.9% (2015-16) से बढ़कर** लगभग **10.8% - 11% (2025-26) हो गया है। इससे राज्यों को "असल" असरदार हिस्सा लगभग 30-31%** तक कम हो जाता है , जो नॉमिनल 41% से काफी कम है।

परिभाषाएँ और मुख्य अंतर

हालांकि दोनों "टैक्स के ऊपर टैक्स" हैं, लेकिन वे अलग-अलग कानूनी और फ़ाइनेंशियल मकसद पूरे करते हैं:

विशेषता	उपकर	अधिभार
कानूनी आधार	अनुच्छेद 270	अनुच्छेद 271
उद्देश्य	**स्पेसिफिक:** किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए (जैसे, एजुकेशन, हेल्थ, स्वच्छ भारत)।	**सामान्य:** इसका इस्तेमाल किसी भी सरकारी खर्च या फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए किया जा सकता है।
लक्ष्य समूह	आम तौर पर सभी टैक्सपेयर्स या खास सामान (जैसे फ्यूल) पर लागू होता है।	**ज़्यादा इनकम वाले ग्रुप** या फ़ायदेमंद कॉर्पोरेशन (प्रोग्रेसिव) को टारगेट किया गया ।
जवाबदेही	निधियों को एक विशिष्ट **आरक्षित निधि** (जैसे, प्रारंभिक) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए शिक्षा कोश)।	आम इस्तेमाल के लिए सीधे **भारत के कंसोलिडेटेड फंड में जमा किया गया।**
शेयरिंग	राज्यों के साथ **शेयर नहीं किया गया ।**	राज्यों के साथ **शेयर नहीं किया गया ।**

वर्तमान मुद्दे और अवलोकन

1. पारदर्शिता की कमी (सीएजी निष्कर्ष):

कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) ने अक्सर देखा है कि सेस के तौर पर इकट्ठा किए गए अरबों रुपये अक्सर उनके तय रिज़र्व फंड में ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, FY20-22 के बीच, लगभग **₹2.19 लाख** सेस कलेक्शन का **100 करोड़ रुपये का** हिस्सा अपने खास मकसद (जैसे तेल इंडस्ट्री के विकास या रिसर्च) के लिए इस्तेमाल होने के बजाय कंसोलिडेटेड फंड में ही रह गया।

2. 2026-27 के लिए राज्य की मांगें:

वें **वित्त आयोग** (अरविंद की अध्यक्षता में) पनगढ़िया) ने 2026-2031 के लिए अपना रोडमैप तैयार किया है, कई राज्य मांग कर रहे हैं:

- सेस और सरचार्ज के ज़रिए GTR के कुल परसेंटेज पर एक **कैप लगाई गई है।**
- ये लेवी एक तय लिमिट (जैसे, कुल रेवेन्यू का 10%) से ज़्यादा हो, तो उन्हें **डिविज़िबल पूल में शामिल किया जाएगा।**
- सेस सुनिश्चित करने के लिए एक "सनसेट क्लॉज़" उनका खास मकसद पूरा होने पर उन्हें खत्म कर दिया जाता है।

निष्कर्ष

सेस और सरचार्ज का इस्तेमाल दोधारी तलवार बन गया है: यह केंद्र सरकार को नेशनल प्रायोरिटीज़ को फंड करने और घाटे को मैनेज करने के लिए फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन यह लोकल डेवलपमेंट (हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर) के लिए राज्यों के पास मौजूद रिसोर्स को कम करके "कोऑपरेटिव फेडरलिज्म" मॉडल पर दबाव डालता है।

RACE IAS

भारत और अरब लीग

प्रसंग

30-31 जनवरी, 2026 को , भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरी ऐतिहासिक **भारत-अरब विदेश मंत्रियों की मीटिंग (IAFMM) होस्ट कर रहा है** । यह हाई-लेवल समिट, जिसे भारत और UAE मिलकर होस्ट कर रहे हैं, 10 साल के गैप (पहली मीटिंग 2016 में बहरीन में हुई थी) के बाद इस डिप्लोमैटिक प्लेटफॉर्म की वापसी का प्रतीक है, जो पश्चिम एशिया में काफी अस्थिरता के बैकग्राउंड में हो रहा है।

अरब लीग (अरब राज्यों की लीग) के बारे में

बुनियादी तथ्य:

- **स्थापना:** 22 मार्च, 1945, काहिरा, मिस्र में।
- **मेंबरशिप:** नॉर्थ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ़ अफ्रीका और वेस्ट एशिया के 22 मेंबर देश।
- **उद्देश्य:** सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना, राजनीतिक गतिविधियों में तालमेल बिठाना और संप्रभुता की रक्षा करना।

भारत का कनेक्शन:

- **ऑब्ज़र्वर स्टेटस: भारत को 2007** में ऑब्ज़र्वर स्टेटस दिया गया , और वह लीग में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया, जिसकी कोई देसी अरबी बोलने वाली आबादी या अरब समुदाय नहीं था।
- **संस्थागत संवाद:** 2002 में औपचारिक रूप दिया गया MoU : **अरब-भारत सहयोग फोरम की** स्थापना 2008 में मल्टी- सेक्टोरल एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

साझेदारी के रणनीतिक आयाम

यह रिश्ता "बायर-सेलर" डायनामिक से बढ़कर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक अलायंस में बदल गया है:

1. ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा:

- **ट्रेड वॉल्यूम:** दोनों देशों का ट्रेड **$240 बिलियन से ज़्यादा है** ।
- **एनर्जी पर निर्भरता:** अरब देश **भारत की लगभग 60% क्रूड ऑयल** , 95% LPG और 50% से ज़्यादा फर्टिलाइज़र ज़रूरतें पूरी करते हैं।
- **इन्वेस्टमेंट:** तेल से टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर (जैसे, I2U2 पहल) की ओर शिफ्ट होना।

2. प्रवासी कारक:

- **ह्यूमन लिंक: 9 मिलियन** से ज़्यादा भारतीय अरब लीग देशों में रहते और काम करते हैं, और हर साल $40 बिलियन से ज़्यादा भेजते हैं।
- **सुरक्षा: इस** प्रवासी समुदाय की सुरक्षा पक्का करना भारत की "लुक वेस्ट" (अब "लिंक वेस्ट") पॉलिसी का मुख्य आधार है।

3. समुद्री और संपर्क:

- **ट्रेड रूट:** भारत का ज़्यादातर बाहरी ट्रेड **स्वेज़ कैनाल** , लाल सागर और अदन की खाड़ी से होकर गुज़रता है।
- **जियोपॉलिटिक्स: इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC)** जैसी पहल का मकसद भारत को अरब दुनिया के साथ और जोड़ना है।

भू-राजनीतिक रुख: फ़िलिस्तीन मुद्दा

अरब दुनिया के प्रति भारत का नज़रिया फ़िलिस्तीन पर उसके लंबे समय से चले आ रहे सैद्धांतिक रुख पर आधारित है:

- **ऐतिहासिक पायनियर:** भारत **पहला गैर-अरब देश था** जिसने फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (PLO) को फ़िलिस्तीनी लोगों के अकेले प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता दी (1974) और फ़िलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला पहला देश था (1988)।
- **टू-स्टेट सॉल्यूशन:** भारत लगातार एक सॉवरेन, इंडिपेंडेंट और वायबल फिलिस्तीन स्टेट की वकालत करता है जो इज़राइल के साथ शांति से साथ-साथ रहे।
- **हाल की एकजुटता:** 2026 की दिल्ली मीटिंग में, भारत ने फ़िलिस्तीन के साथ अपनी पार्टनरशिप को फिर से पक्का किया, और उनके विदेश मंत्री का स्वागत किया कि उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि गाज़ा में स्थिरता इलाके की शांति के लिए ज़रूरी है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

2026 समिट का फोकस 2016 में पहचाने गए पांच प्रायोरिटी वर्टिकल को बढ़ाने पर है:

खड़ा	**फोकस क्षेत्र**
अर्थव्यवस्था	सप्लाई चेन में लचीलापन, MSME इंटीग्रेशन, और डिजिटल ट्रेड।
ऊर्जा	ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर अलायंस, और लॉन्ग-टर्म LNG कॉन्ट्रैक्ट।
शिक्षा	डिग्रियों की आपसी मान्यता और भारत-अरब यूनिवर्सिटीज़ कॉन्फ्रेंस।

सुरक्षा	काउंटर-टेररिज्म (" पहलगाम अटैक" मॉडल को संबोधित करते हुए) और समुद्री सुरक्षा।
संस्कृति	हर दो साल में होने वाले अरब-इंडिया कल्चरल फेस्टिवल के ज़रिए साझी विरासत को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

नई दिल्ली में सभी 22 अरब देशों की मेज़बानी से पता चलता है कि भारत पश्चिम एशिया में एक "स्टेबलाइजिंग पावर" के तौर पर उभर रहा है। इज़राइल के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिश्तों और अरब लीग के साथ नई पार्टनरशिप को बैलेंस करके, भारत अपने एनर्जी हितों और डायस्पोरा को सुरक्षित करना चाहता है, साथ ही एक मल्टीपोलर , शांतिपूर्ण क्षेत्रीय व्यवस्था की वकालत भी कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी)

प्रसंग

नवंबर 2025 में, UN सिक्योरिटी काउंसिल ने **रेज़ोल्यूशन 2803 को अपनाया, जो गाजा में लड़ाई के बारे में एक अहम डेवलपमेंट था। भारत ने इलाके की स्थिरता पर अपना रुख बनाए रखते हुए, रेज़ोल्यूशन का सपोर्ट किया, जिसमें एक नए बोर्ड ऑफ़ पीस (BoP)** की देखरेख में गाजा को लड़ाई वाले इलाके से हटाकर डीमिलिटराइज़्ड इलाके में बदलने के लिए एक "कॉम्प्रिहेंसिव प्लान" को मंज़ूरी दी गई थी ।

समाचार के बारे में

संकल्प 2803 (2025):

- **वोट:** 13 वोट पक्ष में और 2 वोटों (चीन और रूस) के एब्सटेन्शन के साथ पास हुआ। किसी भी P5 सदस्य ने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया।
- **मुख्य जनादेश:** गाजा के पुनर्निर्माण और सुरक्षा को मैनेज करने के लिए एक **इंटरनेशनल स्टेबिलाइज़ेशन फ़ोर्स (ISF)** और एक **बोर्ड ऑफ़ पीस बनाने की मंज़ूरी दी गई।**
- **मुख्य उद्देश्य:** गाजा को "टेरर-फ्री ज़ोन" में बदलना और मानवीय मदद और रीडेवलपमेंट पक्का करते हुए इज़राइली सेना की वापसी को आसान बनाना।

भारत की स्थिति:

- भारत को अमेरिका ने **शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है** ।
- इस प्रस्ताव का समर्थन करना भारत की दो-राज्य समाधान की पुरानी नीति और एक मध्यस्थ और "ग्लोबल साउथ की आवाज़" के रूप में इसकी बढ़ती भूमिका के साथ मेल खाता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना

काउंसिल में 15 सदस्य हैं, जिन्हें उनके कार्यकाल और अधिकार के आधार पर बांटा गया है:

वर्ग	सीटों की संख्या	अवधि	वर्तमान सदस्य (स्थायी)
स्थायी (P5)	5	अनिश्चितकालीन	चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएसए
अस्थायी	10	2-वर्षीय कार्यकाल	(अलग-अलग; भारत ने 8 बार सर्व किया है)

वीटो शक्ति (अनुच्छेद 27)

"वीटो की शक्ति" P5 और अन्य सदस्यों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर है।

- **मैकेनिज्म:** ज़रूरी मामलों पर फैसले के लिए 9 पॉजिटिव वोट की ज़रूरत होती है, जिसमें सभी 5 परमानेंट मेंबर्स के **वोट भी शामिल होते हैं** । P5 मेंबर का एक नेगेटिव वोट भी किसी प्रस्ताव को रोक देता है।
- **अपवाद:** वीटो "प्रोसिजरल" फैसलों (जैसे, मीटिंग का एजेंडा तय करना) को रोक नहीं सकता या काउंसिल को किसी टॉपिक पर चर्चा करने से नहीं रोक सकता।
- **डबल वीटो:** एक P5 सदस्य यह तय करने के लिए वीटो का इस्तेमाल भी कर सकता है कि कोई मामला सब्सटेंटिव है या प्रोसिजरल।

चुनौतियाँ और आलोचना

1945 का कालक्रम:

- भारत का तर्क है कि मौजूदा स्ट्रक्चर WWII के बाद के वर्ल्ड ऑर्डर को दिखाता है और 21वीं सदी की जियोपॉलिटिकल असलियत को ध्यान में नहीं रखता है।
- **सुधार की मांग: भारत, G4 देशों** (ब्राजील, जर्मनी, जापान) के साथ मिलकर , क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए, खासकर अफ्रीका और एशिया के लिए, परमानेंट सीटों की मांग करता है।

वैश्विक मुद्दों पर बेअसर:

- **आतंकवाद:** काउंसिल को **आतंकवाद की एक परिभाषा तय करने में मुश्किल हुई है** , ऐसा अक्सर P5 सदस्यों के अलग-अलग स्ट्रेटेजिक हितों की वजह से होता है।
- **वीटो का गलत इस्तेमाल:** आलोचक अक्सर ऐसी रुकावटों की ओर इशारा करते हैं, जहाँ P5 सदस्य अपने

राष्ट्रीय हितों या सहयोगियों की रक्षा के लिए वीटो का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बड़े संकटों (जैसे, यूक्रेन, सीरिया) में कोई कार्रवाई नहीं होती।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन (IGN):** भारत परमानेंट और नॉन-परमानेंट, दोनों कैटेगरी को बढ़ाने के लिए टेक्स्ट-बेस्ड नेगोशिएशन पर ज़ोर दे रहा है।
- **"15-साल" का प्रस्ताव:** फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए, भारत और उसके G4 पार्टनर्स ने सुझाव दिया है कि नए परमानेंट मेंबर्स सुधार पर आम सहमति बनाने के लिए शुरुआती 15 साल के समय के लिए **अपनी वीटो पावर छोड़ सकते हैं।**

निष्कर्ष

रेज़ोल्यूशन 2803 का पास होना दिखाता है कि UNSC तब भी काम कर सकता है जब बड़ी ताकतों के हित एक जैसे हों, फिर भी वीटो और कम रिप्रेजेंटेशन जैसे सिस्टम से जुड़े मुद्दे बने हुए हैं। भारत के लिए, आगे का रास्ता मौजूदा UN फ्रेमवर्क में अपनी मौजूदा भूमिका को बैलेंस करना है, साथ ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव "UN 2.0" के लिए आगे बढ़ना है।

पिग्मी हॉग (*पोर्कुला साल्वेनिया*)

प्रसंग

पिग्मी हॉग, दुनिया का सबसे छोटा और सबसे दुर्लभ जंगली सूअर है , जो नॉर्थईस्ट इंडिया में कंजर्वेशन का सेंटर बन गया है। एक बहुत सेंसिटिव स्पीशीज़ होने के नाते, इसका ज़िंदा रहना साउथ एशियन एल्यूवियल घास के मैदानों के मैनेजमेंट से गहराई से जुड़ा हुआ है।

प्रजातियों के बारे में

मुख्य विशेषताएं:

- **साइज़:** यह जंगली सूअर की सबसे छोटी प्रजाति है, जिसकी लंबाई सिर्फ़ 25 cm होती है।
- **अनोखा व्यवहार:** ज़्यादातर दूसरे सूअरों से अलग , पिग्मी हॉग साल भर सोने के लिए छत के साथ एक **फूस का घर (घोंसला) बनाता है।**
- **इकोलॉजिकल भूमिका:** यह एक ज़रूरी **इंडिकेटर स्पीशीज़ है** । इसकी मौजूदगी लंबे, गीले घास के मैदान के इकोसिस्टम की हेल्थ और बायोडायवर्सिटी को दिखाती है।

आहार और मृदा स्वास्थ्य:

- **सर्वाहारी:** वे जड़ें, कंद, कीड़े और केंचुए खाते हैं।
- **नेचुरल टिलर:** खाने के लिए मिट्टी खोदकर, वे मिट्टी में हवा और उपजाऊपन बढ़ाते हैं, जिससे देसी घास उगने में आसानी होती है।

संरक्षण स्थिति और स्थान

कानूनी और जैविक स्थिति:

- **IUCN रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त**
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची। (उच्चतम संरक्षण)
- **CITES:** परिशिष्ट।

अभी फैला हुआ: पहले ये हिमालय की तलहटी (नेपाल, भूटान और भारत) में ऊंचे घास के मैदानों की एक पतली पट्टी में पाए जाते थे, अब ये इन जगहों तक ही सीमित हैं:

- **मानस नेशनल पार्क (असम):** मुख्य बचा हुआ गढ़।
- **ओरंग नेशनल पार्क (असम):** कंज़र्वेशन प्रोग्राम के ज़रिए फिर से शुरू किया गया।
- **बरनाडी वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी (असम):** खोज की असली जगह; रेस्टोरेशन का फोकस।

खतरे और चुनौतियाँ

पिग्मी हॉग का भविष्य खतरे में है क्योंकि इसकी रहने की जगह की ज़रूरतें बहुत खास हैं:

- **हैबिटैट लॉस:** खेती और इंसानी बस्तियों के लिए घास के मैदानों का बदलना।
- **गिरावट:** घास के मैदानों को गलत तरीके से जलाना (कंट्रोल्ड जलाना ज़रूरी है, लेकिन तेज़ आग से घोंसले नष्ट हो जाते हैं)।
- **अतिक्रमण:** खुले घास के मैदानों में लकड़ी वाले पेड़ों (एक के बाद एक) और खरपतवार का आना।
- **छोटी आबादी:** बीमारी या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्थानीय विलुप्ति का ज़्यादा खतरा।

संरक्षण प्रयास: PHCP

असम सरकार, डुरेल वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन ट्रस्ट और लोकल NGOs के बीच मिलकर चलाया गया पिग्मी हॉग **कंज़र्वेशन प्रोग्राम (PHCP) बहुत सफल रहा है।**

- **कैप्टिव ब्रीडिंग:** जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए कंट्रोल्ड माहौल में सूअर पालना।
- **पुनःप्रस्तुति:** बंदी-नस्ल के सूअरों को सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ना (उदाहरण के लिए, ओरंग और सोनाई-रुपाई)।
- **हैबिटैट मैनेजमेंट:** इनवेसिव स्पीशीज़ को हटाना और साइंटिफिक तरीके से घास के मैदान जलाने का साइकिल लागू करना।

निष्कर्ष

पिग्मी हॉग का ज़िंदा रहना पूरे हिमालयी घास के मैदान के इकोसिस्टम के ज़िंदा रहने के लिए एक लिटमस टेस्ट है। इस "छोटे हॉग" को बचाने से एक सींग वाले गैंडे और बंगाल फ्लोरिकन जैसी बड़ी प्रजातियों की सुरक्षा पक्की होती है , जो एक ही हैबिटैट शेयर करते हैं।

सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व

प्रसंग

डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने 2024–25 के लिए अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट 1 जनवरी, 2024 तक **32.52 लाख** सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई में शेड्यूल्ड कास्ट (SC), शेड्यूल्ड ट्राइब्स (ST), और अन्य बैकवर्ड क्लास (OBC) के रिप्रेजेंटेशन पर एक डिटेल्ड नज़र डालती है। यह 2018–19 के बाद से डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया पहला पूरा डेटासेट है।

समाचार के बारे में

व्यावसायिक एकाग्रता:

- **ग्रुप सी (स्वच्छता):** *सफ़ाई* का महत्वपूर्ण **66%** *कर्मचारी* (सफ़ाई कर्मचारी) SC, ST, या OBC कैटेगरी के हैं।
- **मतलब:** आलोचकों का कहना है कि यह पारंपरिक जाति व्यवस्था और हाथ से काम/सफ़ाई के काम के बीच एक लगातार लिंक को दिखाता है, और कुछ खास हिस्सों के लिए "बिना किसी वर्टिकल मोबिलिटी के रिज़र्वेशन" का सुझाव देता है।

पदानुक्रमिक असमानता:

- हालांकि निचले लेवल पर रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, लेकिन डिसीजन-मेकिंग रोल (ग्रुप A) में यह कम हो जाता है।
- **डेटा ट्रांसपेरेंसी:** खास बात यह है कि रिपोर्ट में **EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के रिप्रेजेंटेशन पर कोई डेटा नहीं दिया गया है** , जबकि 2019 से 10% कोटा लागू है।

रिप्रेजेंटेशन बनाम नॉर्म्स (ग्रुप -वाइज़)

नीचे दी गई टेबल में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ज़रूरी रिज़र्वेशन कोटे के मुकाबले अलग-अलग कैटेगरी के असल रिप्रेजेंटेशन की तुलना की गई है:

वर्ग	आरक्षण कोटा	समूह ए (उच्चतर)	ग्रुप बी (मध्य)	समूह सी (स्वच्छता को छोड़कर)
अनुसूचित जाति	15%	14.20%	16.20%	16.75%
अनुसूचित जनजाति	7.5%	6.54%	7.63%	8.94%
अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	**19.14%**	21.95%	27.29%

प्रमुख रुझान और अवलोकन

2018-19 से बदलाव:

- **OBC ग्रोथ:** सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी OBC कैटेगरी में देखी गई, जो कुल मिलाकर **21.57% से बढ़कर 26.32% हो गई।**
- **SC में गिरावट:** कुल मिलाकर SC रिप्रेजेंटेशन में 17.49% से 16.84% तक मामूली गिरावट देखी गई।
- **ST स्टेबिलिटी:** ST रिप्रेजेंटेशन काफ़ी स्थिर रहा, जो 8.47% से थोड़ा बढ़कर 8.7% हो गया।

"ग्लास सीलिंग":

- **ग्रुप A** में रिप्रेजेंटेशन तीनों कैटेगरी के लिए तय टारगेट से कम है, जिसमें सबसे बड़ा अंतर OBC सेगमेंट में देखा गया है (लगभग 8% की कमी)।
- सरकार ने टॉप पर कम रिप्रेजेंटेशन के लिए जो कारण बताए हैं, उनमें OBCs के लिए प्रमोशन में रिज़र्वेशन की कमी और कई रिज़र्व कैटेगरी के अधिकारियों का सर्विस में देर से आना शामिल है।

प्रतिनिधित्व में चुनौतियाँ

- **काम के हिसाब से अलग-थलग करना:** हाशिए पर पड़े समुदायों की खतरनाक और कम दर्जे की भूमिकाओं में ज़्यादा हिस्सेदारी है (ग्रुप C सैनिटेशन)।
- **डेटा गैप:** अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा डेटा जमा करने में बार-बार होने वाली देरी (आमतौर पर 100+ डिपार्टमेंट में से सिर्फ़ 80 ही समय पर रिपोर्ट देते हैं) सबूतों पर आधारित पॉलिसी बनाने में रुकावट डालती है।
- **"Not Found Suitable" क्लॉज़:** पार्लियामेंट्री कमेटियों ने अक्सर ऊंचे लेवल पर रिज़र्व सीटों में खाली सीटों को सही ठहराने के लिए इस क्लॉज़ के बार-बार इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता

- **वर्टिकल मोबिलिटी:** ग्रुप C वर्कर्स के लिए सुपरवाइज़री रोल में जाने के लिए करियर में आगे बढ़ने के रास्ते और टेक्निकल ट्रेनिंग लागू करना।
- **ज़रूरी जानकारी:** यह पक्का करना कि सभी डिपार्टमेंट 10% कोटा मॉनिटरिंग की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए EWS डेटा रिपोर्ट करें।
- **रिक्रूटमेंट को आसान बनाना:** स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के ज़रिए "बैकलॉग वैकेंसी" को पूरा करना, ताकि सभी लेवल पर 50% (प्लस 10% EWS) की संवैधानिक लिमिट तक पहुंचा जा सके।

निष्कर्ष

DoPT की लेटेस्ट रिपोर्ट एक "प्रिविलेज के पिरामिड" को दिखाती है, जहाँ नीचे डायवर्सिटी ज़्यादा है, लेकिन पावर के ऊपर यह काफ़ी कम हो जाती है। जहाँ OBC रिप्रेजेंटेशन में कुल बढ़ोतरी मंडल -युग के सुधारों के सफल होने का एक पॉज़िटिव इंडिकेटर है, वहीं सफ़ाई के काम में हाशिए पर पड़े ग्रुप्स का जमा होना इस बात की याद दिलाता है कि असल बराबरी पाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए)

प्रसंग

जनवरी 2026 के आखिर में, भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) ने नई दिल्ली में 16वें इंडिया-EU समिट में एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए ऑफिशियली बातचीत पूरी की। **"मदर ऑफ ऑल डील्स" कहे जाने वाले** इस पैक्ट ने लगभग दो दशकों (2007–2026) की बातचीत को खत्म किया और दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी के बीच एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाई।

समाचार के बारे में

बातचीत का माइलस्टोन:

- **निष्कर्ष: यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन** डेर की यात्रा के दौरान **27 जनवरी, 2026** को बातचीत को अंतिम रूप दिया गया लेयेन और काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा।
- **स्कोप:** इस डील में गुड्स, सर्विसेज़, डिजिटल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन समेत 24 चैप्टर्स शामिल हैं।
- **समयरेखा:** कानूनी स्क्रबिंग में 5-6 महीने लगने की उम्मीद है, औपचारिक हस्ताक्षर और कार्यान्वयन **2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लक्षित है** ।

मुख्य महत्व:

- **मार्केट एक्सेस: लगभग 2 बिलियन लोगों** का एक यूनिफाइड मार्केट बनाता है , जो ग्लोबल GDP का 25% है।
- **ट्रेड वॉल्यूम:** EU अभी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है (कुल ट्रेड का लगभग 11.5%), और 2024-25 में दोनों देशों के बीच मर्चेंडाइज़ ट्रेड **$136 बिलियन को पार कर जाएगा।**
- **स्ट्रेटेजिक बदलाव:** ग्लोबल ट्रेड में रुकावटों के बीच भारत की ट्रेडिशनल मार्केट पर निर्भरता कम करता है और सप्लाई चेन की मज़बूती को मज़बूत करता है।

टैरिफ उदारीकरण और आर्थिक प्रभाव

यह एग्रीमेंट डेवलपमेंट की ज़रूरतों और मार्केट की ओपननेस के बीच बैलेंस बनाने के लिए एक एसिमेट्रिकल मॉडल को फॉलो करता है:

विशेषता	यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबद्धता	भारत की प्रतिबद्धता
टैरिफ उन्मूलन	ट्रेड वैल्यू का **99.5% (लाइन्स का 97%)**	ट्रेड वैल्यू का **97.5% (लाइन्स का 92%)**
तत्काल पहुँच	**90.7%** भारतीय एक्सपोर्ट तुरंत ड्यूटी-फ्री हो गए	**30.6%** तुरंत ड्यूटी-फ्री हो गया
चरणबद्ध कमी	शेष टैरिफ 3-7 वर्षों में हटा दिए जाएंगे	शेष टैरिफ 5-10 वर्षों में हटा दिए जाएंगे

सेक्टरल गेनर्स:

- **भारतीय निर्यात: कपड़ा, परिधान, चमड़ा और रत्न एवं आभूषण** जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को भारी बढ़ावा , जिन्हें पहले 10-17% के टैरिफ का सामना करना पड़ता था।
- **यूरोपियन इंपोर्ट: मशीनरी, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स** और **लग्ज़री ऑटोमोबाइल** की कीमतों में काफ़ी कमी (खास कोटा के तहत कारों पर टैरिफ़ 110% से घटाकर 10% कर दिया गया)।
- **सर्विसेज़:** EU ने 144 सब-सेक्टर (IT, एजुकेशन, R&D) खोले; भारत ने 102 सब-सेक्टर खोले।

चुनौती: CBAM (कार्बन टैक्स)

कार्बन **बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM)** 2025-26 के फाइनल राउंड के दौरान सबसे विवादित मुद्दा बना रहा।

- **मैकेनिज्म:** EU में आने वाले कार्बन-इंटेंसिव इंपोर्ट (स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, वगैरह) पर टैक्स लगाना ताकि "कार्बन लीकेज" को रोका जा सके।
- **फ़ाइनल एग्रीमेंट का नतीजा:** * **कोई छूट नहीं:** EU ने कन्फ़र्म किया कि भारत को CBAM से कोई छूट **नहीं** मिलेगी, क्योंकि उसे सभी ग्लोबल पार्टनर्स के साथ बराबरी बनाए रखनी होगी।
    - **टेक्निकल डायलॉग:** भारतीय एक्सपोर्टर्स को EU कार्बन स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करने में मदद करने के लिए एक खास "टेक्निकल डायलॉग" प्लेटफॉर्म बनाया गया।
    - **फाइनेंशियल मदद:** EU ने भारत के ग्रीन ट्रांज़िशन और ग्रीनहाउस गैस कम करने की कोशिशों को सपोर्ट करने के लिए दो साल में **€500 मिलियन देने का वादा किया है।**

आगे बढ़ने का रास्ता

- **लीगल स्क्रबिंग:** दोनों पक्ष अब सभी ऑफिशियल भाषाओं में कानूनी एक जैसापन पक्का करने के लिए टेक्स्ट का टेक्निकल रिव्यू कर रहे हैं।
- **मंज़ूरी:** इस डील के लिए भारत में यूनियन कैबिनेट और EU में यूरोपियन पार्लियामेंट/मेंबर देशों से मंज़ूरी ज़रूरी है।
- **इम्प्लीमेंटेशन: उम्मीद है कि यह 2027 की शुरुआत** तक लागू हो जाएगा , जिससे 2032 तक भारत को EU एक्सपोर्ट दोगुना हो जाएगा और भारतीय MSMEs यूरोपियन वैल्यू चेन में काफी हद तक इंटीग्रेट हो जाएंगे।

निष्कर्ष

इंडिया-EU FTA एक अहम मोड़ है जो सिंपल ट्रेड से आगे बढ़कर एक गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गया है। हालांकि CBAM और रेगुलेटरी अलाइनमेंट जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन यह डील इंडियन बिज़नेस को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए एक उम्मीद के मुताबिक और स्टेबल माहौल देती है।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

प्रसंग

2026 की शुरुआत में, भारत की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू ने बजट सेशन की शुरुआत में पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को एड्रेस किया। यह एड्रेस आने वाले साल के लिए सरकार के एजेंडा और परफॉर्मेंस का एक फॉर्मल स्टेटमेंट है।

समाचार के बारे में

पते का प्रकार:

- यह भाषण राष्ट्रपति की निजी पसंद न होकर एक **संवैधानिक ज़िम्मेदारी है।**
- यह एग्जीक्यूटिव के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है, जिससे वह लेजिस्लेचर को अपने समन के कारणों के बारे में बता सके।

कंटेंट और ड्राफ्टिंग:

- भाषण में सरकार की प्रस्तावित पॉलिसी, कानूनी पहल और उपलब्धियों के बारे में बताया गया है।
- **ड्राफ्टिंग अथॉरिटी:** टेक्स्ट को **केंद्र सरकार** (कैबिनेट) तैयार और मंज़ूर करती है, न कि राष्ट्रपति खुद।

प्रक्रियात्मक समयरेखा:

- यह भाषण आम चुनाव के बाद पहले सेशन में और हर कैलेंडर साल के पहले सेशन की शुरुआत में होता है।

संवैधानिक ढांचा (अनुच्छेद 87)

ज़रूरी मौके:

- **चुनाव के बाद:** लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र सभा .
- **एनुअल:** हर साल के पहले सेशन की शुरुआत (आमतौर पर बजट सेशन)।

ऐतिहासिक विकास:

- शुरू में, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को **हर** सेशन को संबोधित करना ज़रूरी था।
- पहले **कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने** पार्लियामेंट्री कार्यवाही को आसान बनाने के लिए इसे मौजूदा दो बार की ज़रूरत में बदल दिया।

धन्यवाद प्रस्ताव

प्रक्रिया:

- भाषण के बाद, संसद के दोनों सदनों में भाषण पर बहस होती है।
- सदस्य इस चर्चा के दौरान प्रस्ताव में संशोधन पेश कर सकते हैं।

संवैधानिक महत्व:

- **मतदान:** प्रस्ताव लोकसभा में **साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए।** सभा .
- **पॉलिटिकल मतलब:** मोशन ऑफ़ थैंक्स पास न होने को नो कॉन्फिडेंस वोट माना जाता है। क्योंकि इसका मतलब है कि सरकार ने हाउस में मेजोरिटी खो दी है, इसलिए सरकार को कानूनी तौर पर **इस्तीफा देना ज़रूरी है** ।

संसदीय सत्र की शब्दावली

राष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ को समझने के लिए, अलग-अलग संसदीय कामों के बीच अंतर करना ज़रूरी है:

अवधि	कार्रवाई	अधिकार
बुलाने	सदन को बैठक के लिए बुलाना	अध्यक्ष
अवसान करना	सदन का सत्र समाप्त करना	अध्यक्ष
स्थगित	किसी खास समय के लिए सिटिंग को रोकना	अध्यक्ष / अध्यक्ष
भंग करना	लोक का जीवन समाप्त करना सभा	अध्यक्ष

मुख्य अवलोकन

- **फ्रीक्वेंसी:** हालांकि कन्वेंशन साल में तीन सेशन (बजट, मानसून और विंटर) तय करता है, लेकिन संविधान में काम के दिनों की मिनिमम संख्या तय नहीं की गई है।
- **सेशन के बीच गैप :** आर्टिकल 85 यह पक्का करता है कि एक सेशन की आखिरी सिटिंग और अगले सेशन की पहली सिटिंग के लिए तय तारीख के बीच छह महीने का गैप नहीं होगा।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति का भाषण सिर्फ़ एक रस्म नहीं है; यह एक ज़रूरी संवैधानिक तरीका है जो लेजिस्लेचर के प्रति एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही पक्का करता है। मोशन ऑफ़ थैंक्स की ज़रूरत होने से, यह फ्रेमवर्क सरकार के बहुमत पर कंट्रोल रखता है और नागरिकों को देश के शासन का एक साफ़ रोडमैप देता है।

RACE IAS

RACE IAS®
Since 2010

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
MAINS TEST SERIES -2025
सामान्य अध्ययन, हिन्दी एवं निबंध

Test No.	Paper	Set	Date	Topic
1	GS	Sectional	13 Dec., 25	Polity + Constitution
2	GS	Sectional	20 Dec., 25	Governance + Social Justice + IR
3	GS	Sectional	27 Dec., 25	History + Art & Culture
4	GS	Sectional	3 Jan., 26	Geography + Indian Society
5	GS	Sectional	10 Jan., 26	Environment & Ecology + Disaster Management
6	GS	Sectional	17 Jan., 26	Science & Tech. + Economy + Internal Security
7	GS 4	Full Length	24 Jan., 26	Ethics Integrity & Aptitude
8	GS 5	Full Length	31 Jan., 26	UP Special
9	GS 6	Full Length	07 Feb., 26	UP Special
10	GS 1	Full Length	14 Feb., 26	GS Paper 1 (Full Syllabus)
11	GS 2	Full Length	21 Feb., 26	GS Paper 2 (Full Syllabus)
12	GS 3	Full Length	28 Feb., 26	GS Paper 3 (Full Syllabus)
13	Essay	Full Length	07 March, 26	Essay (All three Section)
14	Hindi	Full Length	14 March, 26	Hindi (Full Syllabus)

प्रारंभ 13 दिसम्बर 2025

Mode: Offline I Online

Available in English & हिन्दी

REGISTRATION OPEN

Every Saturday

Time : 3:00 to 6:00 PM

प्रश्नों की प्रकृति

परम्परागत, अवधारणात्मक एवं करेंट अफेयर्स आधारित

Total 14 Tests

Fee ₹ 5,000/-

Contact for info.:

ALIGANJ	INDIRA NAGAR	ALAMBAGH	KANPUR
7388114444	9044137462	8917851448	9044327779

Scan the QR CODE for more information

सिविल सेवा परीक्षा हेतु उत्तर भारत का प्रतिष्ठित संस्थान

RACE IAS

Dr. Rajesh Shukla
Chairman, RACE Group
Expert in Governance & Public Ad.

BATCHES FOR
IAS / PCS

Mrs Lori Shukla
Managing Director, RACE IAS

ADMISSION OPEN

Comprehensive Study Material

& many more ....

Optional Subjects

Public Administration
Political Science
History / Geography

Enriched Library

All India Test Series

12वीं के विद्यार्थी अभी से शुरू करें IAS/PCS की तैयारी

आरम्भ जितना शीघ्र सफलता उतनी दीर्घ

उत्कर्ष
12वीं के बाद 3 वर्ष का कोर्स

हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएं उपलब्ध

प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की सम्पूर्ण तैयारी

संकल्प
स्नातक के बाद 1 वर्ष का कोर्स

Call for information :

Lucknow : ALIGANJ 7388114444 | INDIRA NAGAR 9044137462 | ALAMBAGH 8917851448

Kanpur : Coca Cola Crossing, G.T. Road

@RACEIASCIVILSERVICE

Scan the QR CODE & Join now Telegram Channel

YouTube/raceiaslko | www.raceias.com | /raceiaslucknow